षष्ठम् माला, खंड 24, अंक 30 सोमवार, 2 अप्रैल, 1979/12 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[सातवां सत्र]

6th Lok Sabha



(खंड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक, 30 सोमवार, 2 अप्रैल, 1979/12 चैत्र, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 577 से 582	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25 – 222
तारांकित प्रश्न संख्या : 575,576 और 583 से 594	25—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5601 से 5800	35—220
सभा पटल पर रखे गये पत्र	222
लोक लेखा समिति	
100 वां प्रतिवेदन	224
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
25 वां प्रतिवेदन	224
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-पुर : स्थापित	224
नियम 377 के आधीन मामले	225—228
(एक) चण्डीगढ़ इंस्टीट्यूट में श्री जय प्रकाश नारायण के इलाज संबंधी आल्वा आयोग का प्रतिवेदन श्री हरिविष्णु कामत	225
(दो) मध्य प्रदेश में कोयले की कमी का समाचार डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	225

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह *इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) दिल्ली को रियायशी बस्तियों में शराब की दुकानें खोलने का समाचार	
श्री राम विलास पासवान	226
(चार) श्री जे० बी० कृपलानी के स्वास्थ्य की स्थिति	
श्री विनायक प्रसाद यादव	227
(पांच) डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म दिन पर छुट्टी	
श्री एस० एस० लाल	228
(छः) बम्बई क्षेत्र में मट्टी तेल की कमी का समाचार	
श्री एस० आर० दामाणी	228
अनुदानों की मांगें-1979-80	228
विवेश मंत्रालय	
श्री समरेन्द्र कुन्डु	228
श्री यशवन्त राव चव्हाण	230
श्री रतन सिंह राजदा	241
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	249
श्री गौरी शंकर राय	254
श्री वसन्त साठे	260
श्री यादवेन्द्र दत्त	263
डा० सुब्रहमण्यम स्वामी	268
श्री अमर राय प्रधान	272
प्रो० समर गुह	
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	281
श्री शरद यादव	282

विषय	पृष्ठ
श्री बृजभूषण तिवारी	288
श्री एफ० एच० मोहसिन	291
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	293
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	394
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	297
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	303
रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते और पेंशन के पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य	
श्री जगजीवन राम	322

लोक सभा

सोमवार, 2 अप्रैल, 1979/12 चैत्र, 1901 (शक)

(लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये खाद्यान्नों की किस्म और मात्रा के बारे में शिकायतें

*577. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गेहूँ की बिक्री और खरीद से सम्बन्धित गत तीन वर्षों के कार्यकरण की इस बीच जांच की है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये खाद्यान्नों की किस्म और मात्रा के बारे में शिकायतें भेजी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की निरन्तर समीक्षा करती रहती है। इन कार्यों में गेहूं की वसूली करने तथा उसे देने के कार्य भी शामिल हैं।

(ख) अलाटियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपों पर वजन के बाद खाद्यान्नों की डिलीवरी ली जाती है। अतः मात्रा संबंधी शिकायतों का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक किस्म का संबंध है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार से गेहूं के बारे में और केरल, दिल्ली, पांडिचेरी पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा से चावल के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। गुजरात, गोआ, दमन तथा दीव से गेहूं तथा चावल दोनों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की तथाकथित घटिया किस्म से संबंधित मामला जांचाधीन हैं ।

उड़ीसा में, काम के लिए अनाज कार्यक्रम के लिए अच्छी किस्म की गेहूं देने के लिए कहा गया था । राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि स्टाक देने से पहले वे भारतीय खाद्य निगम के डिपों में स्टाक का संयुक्त निरीक्षण करें ।

बिहार में, केवल विनिर्दिष्टियों के अनुरूप ही स्टाक दिया गया था । सुपुर्दगी के समय संयुक्त सेम्पल लेने की प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ।

केरल में, मुख्य शिकायत सेला चावल देने के बारे में थी । इस चावल को पकाने में देर लगती है । इसका कारण पंजाब के मिल मालिकों द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण प्रेशर सेलीकरण तकनीक है । तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध पर पंजाब से प्राप्त सेला चावल की सप्लाई को रोक दिया गया है ।

दिल्ली में, मुख्य शिकायत आई० आर०-8 किस्म का चावल जारी करने के विरुद्ध थी । इस चावल को उपभोक्ताओं द्वारा सामान्यतया तरजीह नहीं दी जाती है हालांकि सप्लाई किया गया स्टाक विनिर्दिष्तियों के अनुरूप था । खाद्य विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने दिल्ली और उसके इर्द-गिर्द की 36 उचित दर की दुकानों का दौरा किया और इस शिकायत की अधिकारियों के संयुक्त दल ने जांच की । यह सूचित किया गया कि जारी किए गए स्टाक की किस्म संतोषजनक थी । तथापि, एक मामले में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए नमूने और शिकायतकर्ता द्वारा सप्लाई किया गया नमूना आपस में मेल नहीं खाते थे । दिल्ली प्रशासन द्वारा उचित दर की दुकान के मालिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी ।

पांडिचेरी में, राज्य सरकार ने मांग की थी कि केवल लांग बोल्ड/शार्ट बोल्ड तथा अच्छी किस्म का सेला चावल सप्लाई किया जाए । क्योंकि इस किस्म का चावल अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, राज्य सरकार को भारतीय खाद्य निगम के डिपों में उपलब्ध चावल के स्टाक का निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं सुलभ की गई थीं और केवल वही स्टाक दिया गया जो कि विनिर्दिष्टियों के अनुरूप था ।

पश्चिमी बंगाल में, उपभोक्ता सेला चावल को ही तरजीह देते हैं और शिकायतें तभी प्राप्त होती हैं जब उन्हें कच्चा चावल दिया जाता है । राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के एक दल द्वारा हमेशा संयुक्त रूप से स्टाक का निरीक्षण किया जाता है और जिस स्टाक को मंजूर नहीं किया जाता है, उसे रोक लिया जाता है । जिस स्टाक को संयुक्त दल द्वारा जारी करने के योग्य मंजूर कर लिया जाता है, केवल उसे ही राशन की दुकानों को दिया जाता है ।

त्रिपुरा में, राज्य सरकार को जब सेला चावल का स्टाक दिया गया तो उन्होंने उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया था। फिर से "मिलिंग" करके चावल की "अपग्रेडिंग" करने का कार्य प्रगति पर है। चावल का ताजा स्टाक भी इस राज्य को भेजा जा रहा है। कुछ स्टाक जो कि विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं था, पंजाब से भेजा हुआ पाया गया और संबंधित स्टाफ के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाई की जा रही है।

गुजरात में केवल बढ़िया और अच्छा किस्म का गेहूँ ही राज्य सरकार को दिया जाता है और ऐसे स्टाक का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार को सभी सम्भव सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तथापि, गुजरात राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण के लिए निर्मुक्त करने से पूर्व गेहूं के स्टाक को अपने गोदामों में रखती है। राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों के गोदामों में रखे स्टाक के कुछ खराब हो जाने की बात से बिल्कुल इन्कार भी नहीं किया जा सकता। गुजरात में रोलर फ्लोर मिलों को घटिया किस्म के गेहूं सप्लाई किए जाने से संबंधित शिकायत की जांच की जा रही है। जहां तक चावल का संबंध है, संबंधित शिकायत राजकोट में दिए गये चावल के बारे में थी। लेकिन खाद्यान्न भण्डार डिपो, राजकोट में कभी भी न तो चावल का कोई स्टाक रखा गया था और न ही वहां से उसका कोई स्टाक दिया ही गया था। गुजरात में राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सीधे सम्बद्ध हैं।

गोवा दमण तथा दीव में गेहूं तथा चावल की घटिया किस्म से संबंधित शिकायत की जांच की गई थी और यह पाया गया कि केवल बढ़िया किस्म (खाद्य अपमिश्रण निवारण सीमा के अन्दर) का कीड़ा रहित स्टाक, जो कि गोवा, दमण तथा दीव सरकार के प्रतिनिधियों को स्वीकार था, दिया गया था।

पंजाब के चावल मिल-मालिकों को ये आदेश दिए गये हैं कि वे निर्धारित तकनीकों तथा कार्यविधियों का कड़ाई से पालन करें। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब के चावल मिल-मालिकों के यहां व्यावहारिक प्रदर्शन भी किए हैं ताकि प्रेशर पारबायलिंग में दाने नष्ट न होने पावें। भारतीय खाद्य निगम केवल उस स्टाक की खरीदारी कर रहा है जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित समान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है।

स्टाक के निरीक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को सभी सुविधाएं प्रदान करता है और केवल वही स्टाक दिए जाते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय उत्तर बहुत विस्तृत है। मैं जानना चाहता हूं कि चावलों की गुण कोटि में कितनी प्रतिशत खराबी आई है और क्या मंत्री महोदय ऐसे खाद्यान्नों के मूल्य को घटाने पर विचार करेंगे। यदि नहीं तो आप उस चावल का क्या करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हमने खराब हुए चावलों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। किन्तु हम इसे साफ करने का विचार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या हम इसे बाजार में बेंच सकते हैं अथवा नहीं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इतने लम्बे उत्तर के बावजूद भी मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। वह अंतिम निर्णय लेने में अभी और कितना समय लेंगे। क्या वह इतना अधिक समय ले लेंगे कि जब तक वह निर्णय ले सकेंगे तब तक यह सारा चावल खाने योग्य भी नहीं रहेगा।

श्री भानु प्रताप सिंह : हम अधिक समय नहीं लगाएंगे। किन्तु वर्तमान स्थिति में समूचे देश में चावलों की अधिकता है और शायद निम्न कोटि का चावल न बेचा जा सके। इस तरह के चावलों को बेचना आसान नहीं है। इसे पहले साफ करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसे बेचने के लिए बाजार में भेजा जा सकेगा।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : और भी प्रश्न हैं! यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे और लोगों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। नहीं-नहीं। आप नियम के अनुसार चलिए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मंत्री जी को पता है कि भारतीय खाद्य निगम चावलों तथा गेहुं की ऐसी बोरियों की सप्लाई कर रहा है जिनमें गेहुं तथा चावल कम मात्रा में होता है और पूरी बोरी के लिए अतिरिक्त पैसे वसूल करता है। यदि हां तो क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश देगी कि वह केवल वजन के लिए अतिरिक्त पैसा ले जो कि वे बी० डी० ओ० को देते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : हमें इस बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा है कि खाद्यान्न तभी दिए जाते हैं जबकि उनका बजन कर लिया जाता है। और राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वे वजन की जांच कर लें तथा उस अनाज की कोटि को भी परख लें। हम पुराने खाद्यान्नों के स्थान पर नए खाद्यान्न दे देंगे।

श्री गोविन्दराम मिरी : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक कामों के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जारी कामों में प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद भी फूड कारपोरेशन के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली है कि वे अच्छी क्वालिटी का गेहूं नहीं दे रहे हैं, साथ ही जो सरपंच वहां जाते हैं उन से 5 रुपये प्रति बोरी की घूस मांगी जाती है तथा उनको "हैरास" किया जाता है। क्या सरकार को ऐसी शिकायत मिली है या जो शिकायत मैं इस समय कर रहा हूं उसको दूर करने के लिए आप शीघ्र उपाय करेंगे ताकि सार्वजनिक कार्यों की योजना पर कोई विपरीत असर न पड़े ?

श्री भानु प्रताप सिंह : कल ही मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में था, वहां खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री और राज्य सरकार के जितने भी सम्बन्धित मंत्री हैं, उन सब से मुलाकात

हुई, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार की शिकायत हम से नहीं की ।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हम पंचायतों से सीधे डील नहीं करते हैं, हम तो स्टेट गवर्नमेन्ट को देते हैं और जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं--स्टेट गवर्नमेन्ट को वजन और क्वालिटी दोनों को देख कर लेने का अधिकार है । अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो राज्य सरकारें हम से कह सकती हैं, उसको लेने से इन्कार कर सकती हैं. लेकिन ऐसी कोई बात राज्य सरकार हमारे ध्यान में नहीं लाई है ।

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या यह सही है कि उड़ीसा सरकार मंत्री जी तथा रेल मंत्री से अनुरोध कर रही है कि उन्हें खाद्यानों को जाने ले जाने के लिए अधिकाधिक माल डिब्बे दिए जाये ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय रेल मंत्रालय से उन्हें अधिकाधिक माल डिब्बे दिलाने के लिए अनुरोध करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ही पैदा नही होता ।

श्री समर मुखर्जी : क्या मंत्री जी को पता है कि त्रिपुरा सरकार ने कोई ऐसी गंभीर शिकायत की है कि इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास बहुत पुराना अनाज है जो पांच वर्ष पुराना है तथा स्वास्थ्य विभाग ने उसे मानव उपभोग योग्य नहीं बताया है ? वह अनाज लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। मुख्य मंत्री का पत्र मैंने दो दिन पूर्व श्री बरनाला को दिया है । क्या सरकार मुख्य मंत्री की शिकायत को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय कर रही है । इसे दूर करने के लिए सरकार अभी-अभी क्ला उपाय कर रही है क्योंकि राशन की दुकानों में अनाज की सप्लाई नहीं हो रही है और राज्य बढ़ गए हैं । यह बहुत ही गंभीर संकट है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल क्या कदम उठा रही है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : हमने त्रिपुरा में किन्तु उस क्षेत्र में माल डिब्बों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

श्री के० गोपाल : पाँच वर्षों में तो आप उसमें सुधार कर लेंगे ।

श्री भानु प्रताप सिंह : नहीं-नहीं ! उस क्षेत्रों में रेल यातायात की स्थिति संतोषजनक नही है और इसलिए···

श्री दिनेन भट्टाचार्य : वह जानना चाहते हैं कि क्या आप उनकी सप्लाई कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनकी सप्लाई करने का निर्णय किया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : त्रिपुरा सरकार की मांग पर उनकी सप्लाई की गई थी । वे अधिक स्टाक की मांग किया करते थे । किन्तु उन्होंने अनाज को वहां से उठाया ही नहीं । जिससे वह वहां पड़ा-पड़ा खराब हो गया । हमने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारा उन्हें खराब अनाज देने का कोई इरादा नहीं है और उन खाद्यानों के बदले नया अनाज दे दिया जायेगा ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में कथित अनियमिततायें

***578. श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में गंभीर अनियमितताओं और शैक्षिक मूल्यों में गिरावट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) और (ख) जी, हां। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकलापों के बारे में हमें कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। संस्थान से आरोपों पर टिप्पणियां मंगायी गयी थीं। प्रत्यक्षरूप से इसमें आगे और जांच पड़ताल करने का कोई मामला नहीं है।

संस्थान ने 20 जनवरी, 1979 को कुलसचिव (रजिस्ट्रार) श्री गिरिराज किशोर को निलम्बित कर दिया था और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई आरंभ कर दी थी। इस घटना के संदर्भ में राष्ट्रपति को कुछ संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये एक संयुक्त ज्ञापन सहित और शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

संस्थान के शैक्षिक मूल्यों में कोई गिरावट नही आई है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैंने उसे पूर्व के भाग के सम्बन्ध में समझा। जब मंत्री जी ने पढ़ा है तब मैंने उनकी अंग्रेजी को समझ लिया था।

जब यह वक्तव्य दिया गया है तो मैं जानना चाहता हुं कि किस तरह की प्रारम्भिक जांच की गई ? जब प्रथम दृष्टि में कोई मामला नहीं था तो फिर वहां गड़बड़ी क्यों हो रही है। किन कारणों से संसद सदस्य अभ्यावेदन देने के लिए बाध्य हुए ? मैं जानना चाहता हुं कि पहले की जांच किसने की ? यह किस तरह की जांच थी ? यह कैसे हुआ कि पहले के अभ्यावेदन पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण वहां ये बातें होती रही हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : आप जानते हैं कि भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान एक संविधि निकाय है जिसका गठन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है। यह उनका अपना आंतरिक मामला है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जब पहले भी कुछ शिकायतें प्राप्त थी तो हमने संस्थान से उन शिकायतों के बारे में पूछताछ की और उसके आधार पर हमें पता चला कि अब आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक या दो बातें बताता हुं।

एक शिकायत की गई थी कि कैम्पस के प्रिंसिपल श्री जे० एस० मट्टू को हटा दिया गया। पूरी जांच करने के पश्चात् ही उन्हें हटाया गया है। उसके बाद श्री मट्टू उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद इस संस्थान पर राजनीतिक

दबाव डाला गया । मामले की जांच करने के पश्चात् उस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं समझा गया । एक और व्यक्ति को भी वहां से हटाया गया । वह भी न्यायालय में गए और उनका मामला निर्णयाधीन है । अत: हम इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । इसीलिए मैंने कहा है कि वहां प्रथम दृष्टि में कोई मामला नहीं है ।

जब रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने लगी तो कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी को अभ्यावेदन दिए । माननीय सदस्यों की राय विचारणीय है और इसलिए हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : श्रीमान अब मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक स्वायत्तशासी निकाय है और हम कुछ नहीं कर सकते । एक विशेष बात यह है कि मेरे विचार से वह अधिक जानते होंगे कि देश में क्या होता है । वह कहते हैं "क्योंकि वह न्यायालय में चले गए और मामला निर्णयाधीन है इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।" जब कर्मचारियों को हटाया जाता है तो उनमें से न्यायालय जाते हैं और जब मामले न्यायालय के विचाराधीन होते हैं तब भी बातचीत चलती रहती है । बातचीत होती है और कई बार समझौता भी हो जाता है और फिर उसके पश्चात न्यायालय से मामला वापस ले लिया जाता है । अत: मंत्री जी का यह उत्तर सही नहीं है । किन्तु असली बात यह है कि जहां तक इस संस्थान का सम्बन्ध है···(**व्यवधान**) मैं निर्माण और आवास मंत्री से आंखों देखा हाल नहीं सुनना चाहती, वह अपनी ही जिम्मेदारी तक सीमित रहें । कहने का मतलब यह है कि जब इस संस्थान को 7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं तो फिर यह कहना कि "हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते" एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । आखिर हम जानना चाहते हैं कि वहां जो धनराशि दी जाती है क्या उसका समुचित उपयोग होता है अथवा नहीं । क्या प्रशासन में चल रही इस अव्यवस्था से छात्र संतोष हैं अथवा नहीं । यदि वहां अव्यवस्था है तो क्या सरकार तथा मंत्रालय की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इसकी जांच करे ? इसीलिए माननीय सदस्य श्री वृज भूषण तिवारी ने यह मामला सभा में उठाया है किन्तु मंत्री जी ने इसका अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है । यह मामला माननीय सदस्य ने एक सप्ताह पूर्व उठाया था । अत: चूंकि इस मामले पर प्रश्न पूछा गया है, अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हुं कि सरकार इस अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए तथा समुचित जांच करने के लिए क्या कदम उठा रही है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : अधिनियम में ही स्वयं सरकारी धन की रक्षा करने का उपबन्ध है और उनके लेखों की लेखा परीक्षा महा लेखाकार द्वारा की जाती है और उसके पश्चात ही संस्थान का प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाता है । अन्य सदस्यों की भांति माननीय सदस्या इस संस्थान के कार्यकरण पर चर्चा करने की मांग कर सकती हैं और तभी अरोप लगाए जा सकते हैं । यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है । इस सभा की भी जिम्मेदारी है कि वह इन सब बातों की जांच करे; किन्तु इस तरह के ब्यौरे·····

अध्यक्ष महोदय : किन्तु जिम्मेदारी मुख्य रूप से आपकी है ।

(व्यवधान)

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री ब्रजभूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आई० आई० टी० कानपुर के सम्बन्ध में कई रिप्रेजेन्टेशंन दिए गए और कई स्पेसिफिक एलीगेशंस लगाए गए, क्योंकि पिछले दो-तीन वर्षों से वहां की हालत बहुत खराब हो गयी है। खास तौर से वहां के डायरेक्टर, मिस्टर भट्टाचार्य, जिनके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बना और जिनके बारे में स्पेसिफिक एलीगेशंस लगाये गए जिनकी कि जांच खुद मंत्री जी ने नहीं की, उन एलीगेशंस पर केवल वहां के डायरेक्टर की रिपोर्ट मंगा ली गयी। यह आश्चर्य की बात है कि जब डायरेक्टर के खिलाफ एलीगेशंस हों और आप उन्हीं से रिपोर्ट मंगायें तो उसमें कितनी सत्यता होगी। जैसा कि श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने कहा कि आप उस संस्था को सात करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं, उस के पास हवाई जहाज है जिसका इस्तेमाल वहाँ डायरेक्टर व्यक्तिगत कामों में करते हैं। वे घर पर बैठे रहते हैं और इंस्टीच्यूट का सारा प्रशासन वहाँ से ही करते हैं। काफी बड़ी संख्या में वहाँ तदर्थ नियुक्तियां की गयीं, मनमाने तौर पर लोगों को लगाया गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या वहां के कार्मिक पिछले एक महीने से अनशन कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के संसद सदस्थ, मनोहर लाल जी को अभी परसों, वहां के दो हजार कर्मचारियों ने घेरा और जब उन्होंने वहां के डायरेक्टर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा.....

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर तिवारी, आप भाषण कर रहे हैं।

श्री ब्रजभूषण तिवारी : आप अध्यक्ष महोदय, इसे सुन लें। इसकी इम्पार्टेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के डायरेक्टर पर जो आरोप लगाये गए हैं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वह उनको दबाना चाहता है। वहाँ पर व्यापक तरीके से अनियमिततायें फैली हुई हैं। उन्होंने हमारे संसद सदस्य श्री मनोहर लाल जी को धमकी दी है कि आप इस प्रकार से या संसद सदस्य और इस प्रकार से सदन में ऐसे मामले उठायेंगे तो हम इसकी परवाह नहीं करते हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह एक बहुत ही गम्भीर सवाल बड़ी ही गम्भीरता के साथ मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं। मैं साफ पूछना चाहता हूं कि वहां जो केवल एक ही मांग है—वहां के कर्मचारियों एवं वहां के अधिकारियों और विद्यार्थियों की और संसद सदस्यों की भी कि सरकार इन सारे आरोपों के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच बिठाए, क्या सरकार इसके बारे में विचार कर रही है ? आई० आई० टी० के जो रूल्ज हैं उनमें भी यह प्रोवाइडिड है कि विजिटर को यह अधिकार है कि अगर वहाँ पर वहाँ के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह अपने तरीके से जांच बिठा सकते हैं। हम राष्ट्रपति जी से भी इसके बारे में मिल चुके हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी को एक अभ्यावेदन दिया था और हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और जब सब तथ्य हमारे समक्ष आ जायेंगे तो फिर यह निर्णय किया जायेगा कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री मनोहर लाल : मंत्री महोदय ने जो टालू मिक्सचर जवाब दिया है उस में मैं फंसना नहीं चाहता हूं। मैं एक ही बात आपके सामने करना चाहता हूं। आई० आई० टी० कानपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। छः करोड़ का उसका बजट होता है। वहां के जो डायरेक्टर हैं श्री भट्टाचार्य उन्होंने वहां पर तानाशाही कायम कर रखी है, वह किसी की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। परसों मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। वहां पर 1455 कर्मचारियों ने दस्तखत करके उनके खिलाफ लैटर दिया है। यह मेरे पास लैटर मौजूद है। अखबारों में सब निकल रहा है। जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ नक्सलाइट्स के खून से रंगे हुए हैं। तुम जैसे एम पीज़ की मैं परवाह नहीं करता हूं। परसों उन्होंने मुझ से फोन पर यह कहा। यह बहुत गम्भीर मामला है और बहुत महत्वपूर्ण भी मामला है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

श्री मनोहर लाल : प्रिंसिपल मटटू हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार हैं। वह पाँच सौ से सात सौ रुपए के ग्रेड में एप्वाइंट हुए थे। उनको उनको उठा करके 1100-1700 का ग्रेड दे दिया गया है। दो सौ रुपए अलग से उनको एलाउंस मिलता है। हम दो बार माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिल चुके हैं। 21 एम पीज़ मिल करके राष्ट्रपति जी से मिल चुके हैं। दो बार मैमोरेडम दिया है। हम लोगों की यही मांग है कि इस आई० आई० टी० की पूरी जांच होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मामले में विजिटर साहब से पावर ली थी उसकी इनक्वायरी कराने के लिए। इस तरह की पावर लेकर या जैसे भी हो हम चाहते हैं कि आई० आई० टी० की इनक्वायरी हो, जांच हो, पड़ताल हो। क्या मत्री महोदय इसको मानने के लिए तैयार हैं ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए विजीटर से कोई शाक्तियां नहीं ली गई। प्रधान मंत्री ने स्वयं कुलाधिपति होने के नाते मंत्रालय के आंतरिक मार्ग दर्शन के लिए प्रारंभिक जांच का कार्य स्वयं किया। जहां तक इस संस्थान का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अधिनियम तथा संविधि के अन्तर्गत निदेशक मंडल को ऐसा करने की पूरी शक्ति है। माननीय सदस्य का कहना है कि निदेशक वहां न्यूनाधिक रूप से तानाशाह है। ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वहां पांच राज्यों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि ही वास्तविक रूप से नियंत्रण करते है ? **(व्यवधान)** ऐसा कह कर ही वे नियमों तथा विनियमों से विचिलित नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 579।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान) **

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं एक बात का उल्लेख करना भूल गया कि मेरे किसी रिस्तेदार की नियुक्ति नहीं की गई ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : यह मामला प्रश्नकाल में नहीं निपटाया जा सकता । जब शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी उस समय आप इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

(व्यवधान) **

यशवन्त राव चह्वाण : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जब सदस्यों के दिमाग में पूछने के लिए कोई प्रश्न हो और मंत्री जी उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हों तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप उस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें । यह प्रश्न संदस्यों के दिमाग में पिछले कई वर्षों से है और इसका कोई संतोषजनक उत्तर ही नहीं दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नियम 193 के अन्तर्गत या आधे घंटे की चर्चा के रूप में उठा सकते हैं । (व्यवधान)

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह केवल प्रक्रिया तथा नियमों का ही प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री के० गोपाल : चर्चा की बात नहीं है । आप केवल उनसे कहिए कि वह गोल मोल उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं;

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य चाहें तो मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा उठाने या नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूं किन्तु प्रश्नकाल के दौरान इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता ।

श्री के० गोपाल : वह गोल-माल उत्तर क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं निष्कर्ष निकाल चुका हूं ।

श्री कृष्ण कान्त : मंत्री के विरूद्ध आरोप लगाया गया है । अध्यक्ष महोदय आप यहां हैं···

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : श्रीमान मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैं आपको इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण कान्त : मंत्री जी के विरुद्ध आरोप लगाया गया है—(व्यवधान) जब मंत्री के विरूद्ध आरोप लगाया जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते हैं कि उनके बदले मैं उत्तर दूं ?

श्री कृष्ण कान्त : आपको मंत्री जी पर उत्तर देने के लिए दबाव डालना चाहिए। मंत्री जी के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाया गया है और आर चुपचाप सुन रहे हैं । मंत्री जी को स्पष्ट रूप से 'हाँ' या "नहीं" कहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको इस पर चर्चा करने के लिए अवसर देने के लिए तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कान्त : यहां चर्चा वाली कोई बात नहीं है । मंत्री जी के विरुद्ध आरोप लगाया गया है और उन्हें स्पष्ट रूप से 'हाँ या नहीं' कहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री कृष्ण कान्त : आप कर सकते हैं । उनके विरूद्ध आरोप लगाया गया है । मेरे विचार से यह झूठा आरोप है । किन्तु मंत्री जी को तत्काल उसके उत्तर में हां या नहीं कहना चाहिए । अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं । बह आगे आयें और 'न' कह दें । आरोप झूठा हो सकता है । किन्तु आप उस पर चुपी नहीं साध सकते । **(व्यवधान)** श्रीमान यदि इसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया तो आपको जिम्मेदार ठहराया जायेगा । मंत्री जी को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : जब मंत्री जी से कोई विशेष प्रश्न पूछा जाता है ।

(व्यवधान)

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : मैं यह बता दूं कि केन्द्रीय विद्यालय से वहां किसी की नियुक्ति की गई है । मुझे पता नहीं है कि वहां प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया गया है किन्तु सब कुछ नियमानुसार किया गया है । जहां तक मैं जानता हूं उनका मेरे से कोई संबंध नहीं है । मैंने यह बात पहले भी स्पष्ट कर दी थी । **(व्यवधान)**

प्रो० समर गुह : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था प्रश्न यह है कि धमकी दी गई है । उन्होने एक बहुत ही गंभीर मामला उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता है। **(व्यवधान)**

प्रो० समर गुह : कृपया मुझे एक बात कहने दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता। नियमों के अनुसार प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसलिए मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता। मंत्री जी ने इस आरोप का खंडन कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं।

प्रो० समर गुह : इस बात पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी बात का पता नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० समर गुह : मेरे मित्र ने कई शिकायतें की हैं कि निदेशक ने यह कह कर संसद सदस्यों को धमकी दी है कि यह बात सभा में नहीं उठायी जानी चाहिए। मैं यही बात बताना चाहता हूं। क्या सरकार के अधीन किसी संस्थान का निदेशक ऐसी धमकी दे सकता है कि संसद सदस्य संस्थान से सम्बन्धित कोई बात सभा में न उठाये ? यदि ऐसी बात है तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी।

(व्यवधान)

यदि आप कहते हैं कि आपने इस बात को ध्यान में रख लिया है और यदि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझ नहीं पाया। यह प्रश्नकाल है और इसके दौरान आप इस तरह का मामला नहीं उठा सकते।

प्रो० समर गुह : यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदस्य के मौलिक अधिकार से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 579

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के लिए भवन

श्री दुर्गा चन्द : क्या संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के लिए भवन का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ;

(ग) धर्मशाला में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित न करने के क्या कारण है ; और

(घ) वहां स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) धर्मशाला में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का 1973-74 के दौरान संकुलता से छुटकारा पाने, कार्यालयों के लिए अतिरिक्त जगह की व्यवस्था करने तथा कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तार किया गया था। लेकिन भवन का निर्माण करते समय, इसे इस डिजाइन से बनाया गया कि बाद में कभी भी मौजूदा करचल एक्सचेंज के स्थान पर एक छोटा स्वचल एक्सचेंज और एक नए ट्रंक एक्सचेंज की स्थापना को जा सके।

(ग) और (घ) स्वचल स्विचिंग उपास्कर को सप्लाई बहुत ही सीमित है। फिर भी एक 400 लाइन एम-ए-एक्स-11 टाइप का स्वचल एक्सचेंज उपस्कर आबंटित किया गया है और उसको सप्लाई की जा रही है। 1980 के प्रारंभ में एक्सचेंज चालू हो जाने की संभावना है।

श्री दुर्गाचंद : मंत्री महोदय ने जो इनफर्मेशन दी है, उसके मुताबिक धर्मशाला में टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग इस लिए बनी थी कि स्टाफ की भीड़ को दूर किया जाये और दफ्तर के लिए एडीशनल एकामोडेशन प्रोवाइड की जावे। लेकिन मेरी इनफर्मेशन के मुताबिक 1973-74 में यह बिल्डग इस स्पेसिफिक परपज के लिए बनाई गई थी कि वहां आटोमेटिक एक्सचेंज लगाई जायेगी। मगर वह आटोमेटिक एक्सचेंज आज तक नहीं लगाई गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह बिल्डिंग किस परपज के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : जैसे कि मैंने अभी बताया है, धर्मशाला टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग का एक्सटेंशन इस लिए किया गया था कि वहां एक स्माल आटोमेटिक एक्सचेंज और एक नई ट्रंक एक्सचेंज की व्यवस्था की जाये। अब वहां एक 400 लाइन की मैक्स-II टाइप की आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का फैसला किया गया है, जो 1980 तक कम्पलीट हो जायेगी।

श्री दुर्गाचंद : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह आटोमेटिक एक्सचेज 1980 तक लग जायेगी और वह सप्लाई की जा रही है। क्या वह सप्लाईज 1973 से गवर्नमेंट को नहीं मिल रही हैं ? क्या वे धर्मशाला पहुंच चुकी हैं या नहीं ? वहां पर माइक्रोवेव लगाने का प्राविज़न था। क्या वहां पर माइक्रोवेव प्रोवाइड कर रहे हैं ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : माइक्रोवेव के सम्बन्ध में मेरे पास अभी सूचना नहीं है। लेकिन जहां तक 400 लाइन मैक्स-II आटोमेटिक एक्सचेंज का सम्बन्ध है, यह सप्लाई हो जायेगी तो 1980 तक इसको इनस्टाल कर देंगे।

राव तुलाराम कालेज, नई दिल्ली का अधिग्रहण

* 580. **श्री मुख्तियार सिंह मालिक** : **क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राव तुलाराम कालेज, नई दिल्ली का अधिग्रहण करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस कालेज का अधिग्रहण कब तक करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : सरकार को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राव तुलाराम कालेज को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्था के रूप में चलाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसका अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । कालेज को परिसम्पत्तियों और दायित्वों के बारे में सूचना मांगी गई थी लेकिन सभी प्राप्त नहीं हुई है । इस सूचना के प्राप्त होने पर प्रस्ताव की और आगे जांच की जाएगी ।

श्री मुख्तियार सिंह मालिक : स्पीकर साहब, मैं आपकी और हाउस की इत्तिला के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस कालेज का नाम एक ऐसी अजीम हस्ती के साथ वाबस्ता है, जिसपर सारे देशवासी फख्र करते हैं । खास तौर से हरियाणा में राव तुलसीराम के नाम को हर एक आदमी जानता है, क्योंकि वह मुल्क की आंजादी के लिए शहीद हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और हिन्दुस्तान को आजाद कराने में जबर्दस्ती कुर्बानियां दीं । अगर उन्हें 1857 के "गदर" का हीरो कहा जाये, नी गलत नहीं होगा । लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जस कालेज का नाम उनके साथ वाबस्ता है, उसको यूनिवर्सिटी और यू0 जी0 सी0 ने इतनी बुरी तरह से स्टार्व किया है कि न तो उसे बिल्डिंग ग्रांट दी है और न मेनटेनेंस ग्रांट दी है-वे उसको महज इतनी ग्रांट देते थे कि टीचिंग स्टाफ और एम्पलाईज की पे और एलाउंसिज़ दिये जा सकें, लेकिन वह भी बहुत ज्यादा इर्रेगुलर था । यू0 जी0 सी0 और यूनिवर्सिटी ने इस कालेज के साथ वहुत बुरा सुलूक किया है । राव तुलाराम ने देश को आजाद कराने के लिए इतनी जबर्दस्ती कुर्बानियां दीं कि उसने अपने सारे परिवार फो खत्म करा दिया ।

मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या 1972 में यूनिवर्सिटी ने एक आफर उस सोसायटी को की थी, जो इस कालेज का इन्तज़ाम करती है, कि हम इसको ले लेंगे और हम उसको कुछ कम्पेन्सेशन देंगे, जिससे वह राव तुलाराम के नाम से कुछ थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशन्ज चला सके और यू0 जी0 सी0 ने इस बात को नहीं माना ? क्या 1976 में यही आफ़र यूनिवर्सिटी ने फिर रीन्यु की कि हम बगैर किसी कम्पेन्सेशन के इस कालेज को लेने के लिए तैयार हैं ? वह भी सोसाइटी ने मान लिया । लेकिन बाद में सोसाइटी ने उस आफर को कैंसिल कर दिया । क्या यह सही है कि सोसाइटी ने बाद में आफर को कैंसिल किया यह चार्ज लगा कर यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उन्होंने कालेज के स्टाफ के साथ कौल्यूड कर के कालेज के अंदर सोसाइटी के खिलाफ स्ट्राइक करवाई ? अब मैं यह जानना चाहता हूं कि उस आफर के ऊपर कालेज को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : 18 अक्टूबर, 1977 को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने संकल्प पारित किया कि इस कालेज को अधिकार में ले लिया जाये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमोदन के लिए लिख दिया जाये ।

दो मई, 1978 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया कि कालेज में कुल 164 छात्र, 8 शिक्षक तथा एक प्रधानाचार्य है । तथा कालेज को साथ के रामलाल मानन्द कालेज में मिला दिया जाये । परन्तु इस सुझाव को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने स्वीकार नहीं किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुनः अनुमोदन के लिए लिखा ।

12 जनवरी, 1979 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के पत्र पर विचार किया तथा उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 जनवरी 1976 को मामला हमारे पास भेजा । 2 फरवरी को हमने सम्पत्तियों तथा देनदारियों का विवरण मांगा । जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री नहीं है । मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका निर्णय न लें ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरे सवाल का जवाब क्या है ? 1972 और 76 के बाबत मैं पूछ रहा हूं और मिनिस्टर साहब 77, 78 और 79 का जिक्र कर रहे हैं । मैंने उन से यह पूछा हैं कि 72 में उन्होंने आफर दिया था या नहीं जो सोसाइटी ने ऐक्सेप्ट कर लिया था ? फिर 76 के अंदर उन्होंने आफर किया । उसके बाबत तो उन्होंने कुछ बताया नहीं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह उन आफर्स का जिक्र करें जो 72 और 76 में उन्होंने किया ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : राव तुला राम कालेज को अधिकार में लिये जाने के बारे में प्रश्न पूछा गया है । मैंने बताया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूर्व इतिहास के बारे में पूछा है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : अब चूंकि उन्होंने बताया है कि वह एक इरादा बना चुके हैं इसको लेने का, कालेज की एसेट्स औरलायबिलिटीज् को टेक ओवर करने का तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एसेट्स और लायबिलिटीज् के बाबत कितने दिनों से यह मामला चल रहा है और कब फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की नोटिस में यह चीज लाई ?

दूसरे में मिनिस्टर साहब से यह एश्योरेंस चाहता हूं कि इस कालेज को टेक ओवर करते वक्त राव तुलाराम का नाम इसके साथ रखा जायगा या नहीं ? अगर यह नहीं रखा जायगा तो हरियाणा की करोड़ो जनता की फीलिंग्स को इनजर करने वाली बात होगी । तो आया उनके

सेंटीमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसके साथ राव तुलाराम का नाम मेन्टेन किया जायगा और, जबर्दस्ती इस कालेज को सोसाइटी की मर्जी के खिलाफ नहीं लिया जायगा, ये दो एश्योरेंस मैं बिल्कुल साफ साफ चाहता हूं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार का अभिप्राय किसी महान व्यक्ति का निरादर करना नहीं है । यदि कालेज को अधिकार में लिया जाता है तो विश्वविद्यालय नाम को जारी रखने पर विचार करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि मामले पर विचार किया जाना है ।

श्री बी० पी० मंडल : क्या यह सच है कि राव तुलाराम कालेज दिल्ली के गरीब ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई अनुदान नहीं दिया, भले ही कालेज 10 वर्ष पूर्व खुला था । क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय इस कालेज के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया बरत रही है । क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर इस कालेज को बंद करने का षड्यत्र किया गया है और राव तुलाराम के नाम को हटाने की साजिश हैं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार को ऐसे किसी षड्यंत्र की जानकारी नहीं है । सदस्य महोदय के अन्य प्रश्नों के लिए सूचना आवश्यक हैं ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया है, राव तुलाराम 1857 के गदर के एक महान नेता था । उसके नाम पर हरयाणा के दलित लोगों ने यह कालेज बनाया है । 10-15 साल से बराबर कालेज की ओर से दरख्वास्त दी जाती रही कि भवन बनाने के लिए ग्रान्ट दी जाये लेकिन यू जी सी ने कुछ नहीं दिया । सिर्फ इसी कालेज का सवाल नहीं है, यू जी सी की बनावट ही ऐसी है, वह पिछड़ी जाति तथा हरिजनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनके कालेज को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा है, इस कालेज को चलाने वाली समिति की ओर से 72-74 में इस कालेज को लेने के लिए जब दरख्वास्त दी गई थी तो कहा गया था कि 10 बीघे जमीन का जितना दाम है और मकान वगैरह—उसका आधा यू जी सी देने के लिए तैयार है लेकिन समिति इसपर राजी नहीं हुई थी । मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या 10 बीघे जमीन तथा भवन वगैरह जो बना है उसका पूरा दाम जोड़कर देने की बात सोच रहे हैं ?

दूसरी बात यह है कि ऐसा अविवेक-पूर्ण काम कोई नहीं कर सकता कि कालेज से उनके नाम को हटा दिया जाये बल्कि राव तुलाराम के नाम पर यदि कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन दिल्ली या हरयाणा में चले तो क्या उसके लिए सरकार ग्रान्ट देगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही बता चुका हूं । हमने सम्पत्तियों में 11 देनदारियों की जानकारी मांगी है । उसके प्राप्त होने पर चर्चा की जा सकेगी ।

शिक्षा में सुधार के लिये छात्रों की मांग

*581. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 6 मार्च 1979 को हुई छात्रों की रैली में शिक्षा में सुधारों की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को मांग पत्र दिया है ;

(ग) मंत्री महोदय ने उनकी कितनी मांगों की जांच की है ; और

(घ) क्या किसी मांग को क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का एक प्रतिनिधिमंडल 7 मार्च, 1979 को मुझ से मिला था । उनके मांग पत्र में दी गई विभिन्न मांगों की स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया गया था । सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयार करते समय परिषद् द्वारा, व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखेगी ।

श्री निहार लास्कर : इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न से न केवल छात्रों में अपितु पूरे राष्ट्र में उत्तेजना है । इसीलिए यह प्रश्न इस सत्र में शीघ्र ही आया है । जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो घोषणा की गई थी कि नयी नीति निर्धारित की जायेगी । प्रति दिन हम इस नयी नीति के बारे में समाचार पत्रों में कुछ न कुछ वक्तव्य पढ़ते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि अभी कल ही प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नयी नीति की शीघ्र घोषणा करेगी तथा उस पर सभा में चर्चा की जा सकेगी मुझे पता नहीं है कि नयी नीति क्या होगी । यदि कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बता सकतें हैं कि नयी नीति क्या है तथा मंत्री महोदय मेरे साथ सहमत होंगे कि नए नए अनुभवों से छात्र समुदाय के लिए समस्याएं पैदा होती हैं—अब वे 10+2 प्रणाली पर चर्चा करने वाले हैं । यह पद्धति दो तीन वर्ष से ही लागू हुई है । अधिकांश राज्यों ने इसे अपना लिया है । यदि आप इसे परिवर्तित करते हैं तो क्या इससे छात्र समुदाय के लिए समस्याएं पैदा नहीं होंगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : राष्ट्रीय नीति इतनी शीघ्र तैयार नहीं की जा सकती । बहुत सी संस्थाओं, राज्यों के मंत्रियों की बैठकों का आयोजन किया गया था जिसके आधार पर प्रारूप तैयार किया गया तथा राज्य सरकारों की राय ली गई । उसके बाद उसका पुनरीक्षण किया जा रहा हैं । तत्पश्चात् उसे सभा में रखा जायेगा तथा नीति के बारे में माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा ।

श्री निहार लास्कर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छात्रों के वर्तमान अभ्यावेदन में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एकरूपता देने का आग्रह किया गया है। उनका मत है कि यह बड़ी विस्तृत है और इसे कुछ कम किया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए धन आवंटन को वे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के पुनर्गठन की योजनाएं ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पातीं। क्या आप इस प्रकार की मांग को स्वीकार करेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों के भार का संबन्ध है यह बार-बार कहा जा चुका है कि उसे कम करने के यत्न किए जा रहे हैं। पिछली परीक्षा के लिए उच्चतर शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड ने उसे लगभग एक तिहाई कम कर दिया। आगे भी कमी पर विचार किया जा रहा है। परन्तु राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया जाना है क्योंकि मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा राज्यों का विषय है। हम राज्य स्तर के उच्चतर शिक्षा बोर्डों से तथा केन्द्र शासित राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से बातचीत कर रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परन्तु मुझे भय है कि ऐसा वह कई महीनों से कहते आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि छात्रों, शिक्षकों, प्रबन्धकों, स्कूल कालेजों के गैर शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों सम्बन्धी उत्तेजना पैदा करने वाली समस्या पर कितने विस्तृत रूप से ध्यान दिया है। वास्तव में देश के सभी शिक्षा परिसरों में बेचैनी फैली हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि पिछले वर्ष दर्जनों विश्वविद्यालय महीनों बंद रहे। अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और प्रधान मंत्री बार बार कहते जा रहे हैं कि शिक्षा नीति बदली जा रही है। सरकार इस बारे में वास्तव में क्या कर रही है :

(क) निधि

(ख) अविलम्बनीयता तथा अग्रताएं, और

(ग) वे स्पष्ट निर्दिष्ट नीति द्वारा शैक्षिक अशान्ति को कैसे समाप्त कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह इस सत्र में ही नीति बता सकेंगे; और अध्यक्ष महोदय, क्या आप चर्चा के लिए अतिरिक्त समय देंगे; आप यह तो नहीं कह देंगे कि इस पर शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है। इस पर देश में, संसद में अधिक नहीं तो कम से कम एक दिन की चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जिसका वर्तमान तथा भविष्य पर प्रभाव पड़ता है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य प्रसिद्ध शिक्षाविद है तथा मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इसी सत्र में नीति की घोषणा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पर सभा में पर्याप्त चर्चा की जा सकेगी। यदि आप हमें समय दे दें। यह सच नहीं हैं कि पिछले वर्ष अधिकांश विश्वविद्यालय 2-3 महीनों के लिए बंद रहे थे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने अधिकांश नहीं 'दर्जनों विश्वविद्यालय' कहा था ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : पिछले वर्ष 109 में से कुल 33 विश्वविद्यालय बंद रहे थे, कुछ दो दिनों के लिए और कुछ दो सप्ताह के लिये । इस मामले पर विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा कुलाधिपतियों के स्तर पर चर्चा की गई है । राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे गये है तथा शिक्षक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा रही है । मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भी एक बैठक बुलाई है जिसमें व्यापक चर्चा की गई । हमने उनसे अपील की है कि विश्वविद्यालय प्रणाली को राजनीतिक शत्रुता से दूर रखा जाये ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो नेशनल एजूकेशनल पालिसी 1968-69 में इस पार्लियामेन्ट ने पास की थी, उस के बारे में क्या हुआ और उस में जो चीजें थीं उन को इम्पलीपेन्ट करने में क्या दिक्कते आई ? जो नेशनल पालिसी अब बन रही है, उस में और पुरानी पालिसी में कहां-कहां डिफरेंस है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं --जैसा आप ने कहा कि उन्होंने अपने चार्टर में 10 परसेन्ट की डिमाण्ड की है और इस वक्त जो आप देते हैं वह 1.9 परसेन्ट है --- क्या इस को बढ़ाने के एजूकेशन मिनिस्टर साहब कोई एफर्ट कर रहे हैं । या सिर्फ नई पालिसी बना दी जायेगी और इसके लिए फन्ड्स एवेलएबिल न होने के कारण यह पालिसी भी दस साल तक इसी तरह से पड़ी रहेगी ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : 1968 की राष्ट्रीय नीति में निहित था कि भारत सरकार प्रति पांच वर्ष में की गई प्रगति का अध्ययन करेगी तथा भावी विकास के लिए मार्ग दर्शन करेगी । पांच वर्ष बाद कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया । लगभग 10 वर्ष पश्चात् हमने कार्य भार सम्भाला और अनुभव किया कि पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । इस प्रकार नयी नीति तैयार की जा रही है तथा उसका ब्यौरा माननीय सदाय को बता दिया जायेगा । धन के मामले पर भी उसी समय विचार किया जा सकेगा ।

श्री बी० एम० सुधीरन : मेरे प्रिय सहयोगी श्री मावलंकर ने बताया कि विश्वविद्यालयों में बहुत आशांन्ति है । डा० कोठारी ने दृढ़ता पूर्वक शिफारिश की हैं कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन में क्षात्रों को सम्मिलित किया जाये । उन्होंने आगे बताया कि वास्तविक विश्वविद्यालय छात्रों और शिक्षकों का निगम है । इस पृष्ठभूमि में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि छात्रों को विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक निकायो के प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिये जाने के मामले पर उनकी क्या नीति है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कई विश्वविद्यालयों में छात्र भाग लेते हैं । यह कहना सही नहीं है कि केवल इस बात के कारण कि प्रबन्ध में छात्र भाग लेते है वहां पर अशान्ति नहीं होगी अथवा अशान्ति होगी । अशान्ति के बहुत से कारण हैं और उन पर सभा में समय-समय पर चर्चा की जाती रही है । यदि आप अनुमति दें तो और चर्चा की जा सकती है ।

विभिन्न शिविरों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

*582 **प्रो0 समर गुह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों में विभिन्न शिबिरों में स्थानान्तरित भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पुनर्वास स्थलों में भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन शरणार्थियों को दी गई आर्थिक सहायता सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या इन शिविरों के कुछ शरणार्थियों का पुनर्वास अभी किया जाना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, हां । ऐसे 12,667 परिवार पुनर्वास स्थलों पर भेज दिए गए हैं और उन्हें वहां बसा दिया गया है । इन परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता के ब्यौरे के सम्बन्ध में विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) सभी शिवरों /कार्यस्थल शिवरों में रह रहे 5648 परिवार और स्थायी दायित्व गृहों में रह रहे 567 परिवार, जिन्हें पुनर्वास योग्य परिवार घोषित कर दिया गया है, पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

विवरण

नए प्रवासी कृषक परिवारों को पुनर्वास सहायता
(दण्डकारण्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर)

पुनर्वास सहायता

(क)	आवास :		
	(i)	आवासीय प्लाट का आकार	एक तिहाई एकड़ से आधी एकड़ तक ।
	(ii)	आवासीय प्लाट कीं लागत	200 रुपये
	(iii)	आवासीय प्लाट के विकास के लिए (सफाई, समतल करना, आंतरिक मार्ग, नालियाँ और पुलियां तथा पानी की सप्लाई)	700 रुपये
	(iv)	गृह निर्माण की लागत	2,100 रुपये
(ख)	कृषि :		
	(i)	बैलों का जोड़ा	1,000 रुपये प्रति परिवार

(ii)	कृषि औजार	175 रुपये प्रति परिवार
(iii)	निराई कार्य	85 रुपये प्रति परिवार
(iv)	धान के खेतों की मेंड बांधना (आवश्यकता अनुसार)	372 रुपये प्रति परिवार
(v)	बैलों के लिये चारा	100 रुपये प्रति परिवार
(vi)	रसोईघर	250 रुपये प्रति परिवार
(vii)	कीट नाशक	100 रुपये प्रति परिवार
(viii)	औषधियां	5 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
(ix)	दुधारु गाएं, मुर्गी पालन, बैलगाड़ियां आदि (सहायक व्यवसाय)	300 रुपये प्रति परिवार

प्रति परिवार 3 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि प्रदान की जाती है जो भूमि की उपलब्धता तथा भूमि की किस्म' अर्थात क्या भूमि वर्षा पर निर्भर है या भूमि अंशत: सिंचित है या कुछ भाग वर्षा पर निर्भर है या यहां बारहमासी सिंचाई उपलब्ध है. पर निर्भर करता है ।

उक्त लिखित वित्तीय सहायता के अलावा, प्रत्येक परिवार को निश्चित समय के लिए भरण-पोषण सहायता तथा भूमि अर्जन करने, सिंचाई सुविधाएं, भूमि उद्धार करने, बीज तथा उर्वरकों, प्रथम कृषि मौसम के दौरान, सस्ती दरों पर राशन देने तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिये ऋण दिये जाते हैं ।

आदेशों के अनुसार, पुनर्वास विभाग को निर्दिष्ट किए बिना, राज्य सरकारों को अलग-अलग मामलों में वित्तीय सहायता मंजूर करने के भी अधिकर दिए गए हैं ।

नए प्रवासी/प्रत्यावासी गैर-कृषक परिवारों को पुनर्वास सहायता

क्रम संख्या	पद	वित्तीय सहायता की प्रति परिवार सीमा	
1-	शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व्यापार व्यवसाय या पेशा	5,000 रुपए (हर मामले में स्वीकृत ऋण की वास्तविक राशि स्थान, व्यवसाय के स्वरूप, प्रवासियों /प्रत्यावासियों की रुचि पर निर्भर करती है) ।	
2-	**आवास :**	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
(i)	भूमि की लागत	200·00 रु० (ऋण)	600·00 रु० (ऋण)
(ii)	विकास पर लागत	*700·00 रुपये	1,800·00 रु० (ऋण)**
(iii)	निर्माण लागत	2,100·00 रु०	(ऋण) 3,600·00 रु० (ऋण)
	योग	3,000·00 रु०	6,000.00 रु०

3- व्यवसाय स्थान बनाने या दूकानों तथा स्टालों को किराए पर लेने के लिए

(क) शहरी क्षेत्र ऋण 1,000·00 रुपए

(ख) ग्रामीण क्षेत्र ऋण 200·00 रुपए

विकास कार्य में सफाई, आन्तरिक सड़कों को समतल करना नालियों, पुलियों और पानी की सप्लाई शामिल है ।

** विकास कार्य में सफाई, आन्तरिक सड़कों को समतल करना, नालियों, पुलियों, पानी की सप्लाई और सड़कों, गलियों में बिजली की व्यवस्था आदि शामिल है ।

दण्डकारण्य परियोजना—पुनर्वास सहायता

1-कृषक परिवार

(क) 5 एकड़ खेती योग्य भूमि (सुरक्षित सिंचाई वाले क्षेत्रों में 4 एकड़ और जहां सिंचाई की बारहमासी व्यवस्था हो वहां 3 एकड़) ।

(ख) गृह निर्माण के लिए 800 वर्ग गज भूमि ।

(ग) 1,700 रुपये मूल्य की बल्लियों तथा सी0 जी0 आई0 चादरों जैसी छत ढकने की सामग्री से इन परिवारों द्वारा मुख्यता स्वयं बनाया हुआ एक मकान । लागत बढ़ जाने के कारण समय-समय पर तदर्थ आधार पर प्रति मकान निर्माण की सीमा में 3165 रुपये तक वृद्धि की गई है । अब भविष्य में सामान्य निर्माण के लिए 1500/- रुपये तक का सीधा अनुदान देने का निर्णय किया गया है ।

(घ) निम्नलिखित कार्यों के लिए 1, 725 रुपये का कृषि ऋण :

		रुपए
(i)	बैलों की जोड़ी	750.00
(ii)	दूध देने वाली गाय और बछड़ा	150.00
(iii)	कृषि औजार	125·00
(iv)	बीज, खाद और उर्वरक	650·00
(v)	निराई कार्य	50·00
	योग	1,725·00

(ङ) लघु उद्योग के लिए ऋण 300·00

(च) आवासीय प्लाट में कूआं खोदने के लिए 150 रुपये का सिंचाई ऋण ।

(छ) उर्वरक खरीदने के लिए 400 रुपये का अल्पकालिक ऋण ।

(ज) उक्त उल्लिखित ऋणों के अतिरिक्त एक कृषक परिवार को प्रथम और द्वितीय कृषि मौसमों (प्रत्येक 6 माह के लिए) पर पूरी दर से और तीसरे कृषि मौसम में आधी दर से भरण-पोषण सहायता दी जाती है ।

2- गैर-कृषक परिवार

(1) गांवों में

(क)	खेती के लिए प्लाट	2 एकड़ तक
(ख)	मकान बनाने के लिए स्थान	800 वर्ग गज तक
(ग)	गृह निर्माण ऋण	1,700 रुपए
(घ)	लघु व्यापार ऋण	3,000 रुपये
(ङ)	खेती के लिए ऋण	300 रुपये

(च) लघु व्यापार ऋण की प्रथम किस्त कों अदायगी की तिथि से तीन महीने के लिए नकद अनुदान की दर पर तथा ऋण की दूसरी किस्त की अदायगी के बाद तीन महीने के लिए इसकी आधी दर पर भरण-पोषण सहायता ।

(2) शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में

(क)	आवासीय प्लाट	800 वर्ग गज
(ख)	गृह निर्माण ऋण	2, 000 रुपये तक
(ग)	व्यवसाय ऋण	3, 000 रुपये तक (कुछ परिवारों के लिए तदर्थ आधार पर यह सीमा बढ़ाकर 5000/-रु0 कर दी गई है) ।

(घ) भरण-पोषण अनुदान जैसा गांव में बसाए गए गैर-कृषक परिवारों को दिया जाता है और उक्त (च) में दर्शाया गया है ।

प्रोफेसर समर गुह : मैं समझता हूं कि पुनर्वास मंत्री महोदय को पता है जिन 10000 परिवारों का उल्लेख किया गया है वे अभी भी विभिन्न कैम्पों में धक्के खा रहे हैं । वे 10 वर्ष से धक्के खा रहे हैं—तब भी सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकी । विभिन्न स्थलों

पर 62000 परिवारों के पुनर्वास करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । हमारे समक्ष समस्या का मंत्री महोदय को पता है । प्रतिदिन देश के विभिन्न भागों से दर्जनों लोग हमारे पास आते हैं । उन्हें विभिन्न भागों में बसा दिया गया है परन्तु उनकी सरकार तक पहुंच नहीं है । कई बार अधिकारी उनके साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं । ऐसा होता है कि कृषक परिवारों को गैर-कृषि क्षेत्रों में बसाया गया है तथा गैर-कृषक परिवारों को कृषि क्षेत्रों के बसाया गया है और ऐसी ही कई अन्य समस्याएं उनसे संबद्ध हैं । उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया है । परन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । उनकी प्रगति के बारे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए क्या मंत्री महोदय एक कक्ष की स्थापना करेंगे ताकि उचित व्यक्तियों को उचित क्षेत्र में बसाया जा सके तथा इस बात पर ध्यान दिया जा सके तथा यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो उन्हें दूर किया जा सके ।

दूसरे दण्डकारण्य के विस्थापितों के साथ घटी पिछले वर्ष की दुर्घटना का आपको पता है तथा इस बारे में पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर विचार कर तथ्यों की जानकारी करायेगी ।

मेरा उनसे निवेदन हैं कि एंक पुनर्वास आयुक्त श्री पुरी हैं जिनका लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया है । बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें रोका जाये क्योंकि उनका दृष्टिकोण मानवीय है तथा वह पुनर्वास कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं ? उन्हें वहां क्यों नहीं रखा जाता ।

अन्त में·····

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के लिए समय नहीं बचेगा ।

श्री सिकन्दर बख्त : शीघ्र पुनर्वास के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता से मैं पूरी तरह सहमत हूं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पुनर्वास की गति तेज कर दी गई है ।

दण्डकारण्य के खाली किए जाने की जांच के लिए बहुत से दल वहां भेजे गए थे और मैं स्वयं भी उड़ीसा सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों के साथ वहां पर गया था तथा मैं आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें विस्थापित व्यक्ति सरकार की कमी के कारण छोड़ कर गए हों और यदि ऐसा कोई भी मामला है तो माननीय सदस्य उसकी जानकारी मुझे दें और मैं निश्चय ही उस पर ध्यान दूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० समर गुह : मेरे अनुपूरक प्रश्न का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भेदभाव नहीं बरत सकता ।

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : कृपया मेरे पास आयें । मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मदनगीर में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

*575. **श्री एडुआडो फैलीरो :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आबंटित मदनगीर स्थित डी० डी० ए० फ्लैटों में केवल दो छोटे कमरे, पीछे एक आंगन है और बरामदा आच्छादित नहीं है जबकि जनकपुरी के फ्लैटों में दो कमरे है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मदनगीर के इन अलाटियों के मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा और छत पर एक अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए उन्हें आवश्यक अनुमति दी जाएगी जैसी कि जनकपुरी में ऐसे ही फ्लैटों के लिए दी गयी थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मदनगीर में सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए जनता फ्लैटों में दो कमरे, एक रसोई-घर, स्नानगृह तथा शौचालय और सेहन हैं। जनकपुरी में दो कमरों वाले कोई जनता फ्लैट नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

राज्यों में ग्रामीण आवास योजनाएं

*576. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति :**

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 राज्यों ने 24.90 करोड़ रुपये की लागत पर 35 ग्रामीण आवास योजनाओं को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें आवास तथा नगरीय विकास निगम के लिए 19 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने ये योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(घ) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : **(क) तथा (ख)** जी, नहीं। फिर भी, आवास तथा नगर विकास निगम ने 6 राज्यों की 35 परियोजनाओं को नगर निगमों अथवा पालिकाओं द्वारा 24.90 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से कार्यान्वित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्त सहायता स्वीकृत की है।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है।

(घ) परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर 17,450 आवास, 192 गैर रिहायशी भवन तथा 1,846 प्लाटों का विकास उपलब्ध होगा। इन आवासों में से लगभग 95 प्र०श० आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग परिवारों के लिए हैं।

लोक सभा के दिनांक 2 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण

पालिका निकायों के लिए आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत 35 परियोजनाओं की प्रगति।

राज्य का नाम	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	प्रगति पर परियोजनाएं	जिन परियोजनाओं का अभी प्रलेखन पूर्ण नहीं हुआ तथा धन नहीं निकाला गया।	वापस की गई परियोजनाएं	योग
आन्ध्र प्रदेश	—	1	2	—	3
गुजरात	8	14	2	1	25
कर्नाटक	1	1	—	—	4
महाराष्ट्र	—	1	—	—	1
उड़ीसा	—	1	—	—	1
पंजाब	—	1	—	—	1
योग	9	20	5	1	35

विभिन्न टेलीफोन जिलों में गलत बिलों के कारण उपभोक्ताओं से ली गई फालतू राशि का उन्हे लौटाया जाना

***583. श्री के राम मूर्ति :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न टेलीफोन जिलों में टेलीफोन के गलत बिल तैयार करने में कमी करने के लिए उठाए गए कथित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कदमों को क्रियान्बित के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को अब तक कितनी फालतू ली गई राशि लौटाई जा चुकी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) नीचे लिखे कुछेक कदम इस दृष्टि से उठाए गए हैं ताकि गलत बिलों के मामलों को कम किया जा सके—

(1) उपभोक्ता के टेलीफोन मीटर और सर्किटों की सामयिक पूर्ण जांच

(2) टेलीफोन के गलत बिल बनाए जाने की शिकायतों की विस्तृत जांच

(3) असाधारण मामले में उपभोक्ता के मीटर एवं उपरकर का प्रेक्षण

(4) पाक्षिक मीटर रीडिंग करना

(5) सही मामलों में उचित छूट देना

(6) गलत व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन लाइनों के दुरूपयोग की जांच के लिए विशेष दस्तों की नियुक्ति ।

(7) व्यक्तिगत मीटरों को सील करना

(8) वितरण प्वाइंट की ऊंचाई बढ़ाना

(9) मीटर कक्षों की प्राप्ति

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान टेलीफोन जिलों में गलत बिल बनाए जाने संबंधी शिकायतों के मामलों में कुल 86.65 लाख रुपये की छूट दी गई थी ।

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग के लिए फ्लैट

***584. श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजौरी गार्डन में हरिनगर डिपो के सामने निम्न आय वर्ग योजना के अधीन लगभग 600 फ्लैट आबंटित किए हैं जबकि एक भी फ़्लैट पूरी तरह तैयार और रिहाइश के काबिल नहीं है;

(ख) क्या फ्लैटों के मालिकों को ठेकेदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया है जो दोषों आदि के बारे में सभी शिकायतों की उपेक्षा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) त्रुटियों के बारे में 28-3-1979 को ही दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस की जांच करने के लिए कहा गया है ।

सागौन तथा चन्दन के अधिक पेड़ लगाने के लिए ऊतक पद्धति (टिशू कल्चर) में शोध

585. श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागौन तथा चन्दन के पेड़ों के लिए उत्तम पौध प्राप्त करने में ऊतक पद्धति में कियें गये शोध सफल हुए हैं ;

(ख) क्या सागौन तथा चन्दन के अधिक पेड़ लगाने के उद्देश्य से सरकार की इच्छा इस शोध कार्य को जारी रखने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

'साइट्स एण्ड सर्विसेज' कार्यक्रम की क्रियान्विति

***586. श्री कुमारी अनन्तन : क्या निर्माण और आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बढ़ती हुई मकानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन राज्यों में 'साइट्स एण्ड सर्विसेज' कार्यक्रम कीं क्रियान्विति की जा रही है; और

(ख) मकानों की समस्या को हल करने के लिए आरम्भ किये कथित परिणाम प्रधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, जैसा कि 1 जनवरी, 1979 के स्टेट्समैन, नई दिल्ली में प्रकाशित समाचारानुसार मन्त्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने दावा किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) "स्थल तथा सेवाएं" कार्यक्रम बिहार गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा चण्डीगढ़ संघ राज्यों में आवास तथा नगर विकास निगम की ऋण सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, कलकत्ता नगर विकास दूसरी परियोजना तथा मद्रास नगर विकास परियोजना भी "स्थल तथा सेवाएं" कार्यक्रम के एक अंग हैं ।

(ख) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों का ही नहीं अपितु आवास निर्माण की भी व्यवस्था का कार्यक्रम

(ii) भारत सरकार के एक उपक्रम आवास तथा नगर विकास निगम की वित्तीय सहायता से ग्रामीण आवास का कार्यक्रम ।

(iii) नगरीय क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए स्थल तथा सेवाएं

(iv) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर बल ।

(v) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवासों का निर्माण

(vi) अपेक्षाकृत उत्तम अयोजना तथा अनुसंधान द्वारा आवासों की लागत में सभी ।

(vii) निम्न आय वर्गों के लिए आवासों के निर्माण के लिए गैर सरकारी निर्माताओं को आवास तथा नगर विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता ।

(viii) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास मुहैया करने के लिए परिवर्धित सांस्थानिक वित्त ;

(ix) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में अपेक्षाकृत कम वेतन पाने वालों के लिए मकानों की व्यवस्था ।

(x) सहकारिता आवास को प्रोत्साहन ।

छोटे तथा सीमान्त किसानों के पिछले ऋणों की अदायगी के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण

***587. श्री एस० आर० दमाणी ।**
श्री जी० वाई० कृष्णन ।

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे तथा सीमान्त किसानों के पिछले ऋणों की अदायगी के कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ताकि उक्त ऋणों को किसानों की अदायगी क्षमता के भीतर रखा जा सके,

(ख) क्या उन पुनर्निर्धारित ऋणों तथा छोटे और सीमान्त किसानों को दिये जाने वाले आगामी ऋणों पर ब्याज की दरें कम करने का भी कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) व (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय ऋण (स्थिरीकरण) निधि का सहारा लेकर अल्पकालीन सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में 5 वर्षों तक पुनः सूचीवद्ध करने के लिए पहले से ही प्रावधान है। इस प्रकार पुनः सूचीवद्ध करने की अवधि को 7 वर्ष तक बढ़ाने के लिए एक प्रावधान संसद् में पेश किए गए बैंक-कानून (संशोधन) विधेयक 1978 के मसौदे में शामिल किया गया है। भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए दीर्घकालीन ऋणों के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर पुनः सूचीवद्ध करने के लिए प्रावधान है। उन राज्यों जहां प्राकृतिक आपदाओं के बार-बार घटित होने के कारण अतिदेयों में वृद्धि हो गई है, में भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त विकास निगम तथा भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा विशेष आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत निर्माण कार्य और राजस्थान के लिये खाद्यान्न और धन की व्यवस्था

588.* **श्री लालजी भाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री काम के बदले अनाज कार्यक्रम और खाद्यान्नों की वितरण पद्धति के बारे में 5 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार 'काम के बदले अनाज की योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी और उसने अपने बजट में 44 प्रतिशत गांवों को शामिल किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये गांव स्थित हैं तथा क्या राजस्थान सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तालाबों, नहरों, बिजली घरों, सड़कों, डाकघरों के लिये मकानों स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा नालियों के निर्माण जैसे 11,000 निर्माण कार्य आरम्भ करके डेढ़ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सरकार को कितनी मात्रा में खाद्यान्न और कितनी धनराशि दी जायेगी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल व्यय 100 करोड़ रुपए से अधिक है क्योंकि उपयोग में लाए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा 10 लाख मीटरी टन के आस-पास होने की आशा है। वर्ष 1978-79 के दौरान देश में कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए गांवों की संख्या मालूम नहीं है क्योंकि यह विशिष्ट सूचना केन्द्र में एकत्र नहीं की जाती है।

(ख) राजस्थान में कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या तथा वर्ष 1978-79 के दौरान उनसे सृजित रोजगार के बारे में सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान अब तक कुल 50,000 मोटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा वंटित की गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आगे और वंटन राज्य सरकार के निष्पादन तथा सम्पूर्ण काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की मूल उपलब्धता पर निर्भर करेंगे ।

राजस्थान में शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या तथा वर्ष 1978-79 के दौरान उनसे सृजित रोजगार के बारे में सूचना दर्शाने वाला विवरण

		गेहूं (मीटरी टन)	शुरू किए गए निर्माण कार्य
1.	सामुदायिक विकास तथा पंचायत विभाग	199950	55149 निर्माण कार्य
2.	लोक निर्माण कार्य विभाग	25000	71 नई सड़कों का निर्माण-कार्य तथा रख-रखाव के लिए 1.50 करोड़ रुपये ।
3.	राहत विभाग	17000	904 चोक निर्माण विभाग 212 वन 59 सिंचाई 335 भू-संरक्षण 26 अन्य 272
4.	सिंचाई विभाग	10000	छः मध्यम सिंचाई योजनाएं (सिंचाई संभाव्यता-2456 (एकड़)
5.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	4100	54 (तालाब, सड़कें, आवर्धन तथा ग्रामीण विद्युतिकरण निर्माण कार्य ।
6.	शिक्षा	2500	विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा उनमें बढ़ौतरी (राज्य सरकार द्वारा संस्था सूचित नहीं की गई है । (प्राथमिक—36.46 लाख रुपये) माध्यमिक—40.19 लाख रुपये)
7.	वन	2000	3860 हेक्टेयर पर वनरोपण
8.	कमाण्ड क्षेत्र विकास (चम्बल)	450	भवनों तथा सड़कों का रख-रखाव) (राज्य सरकारों द्वारा संख्या सूचित नहीं की गई है)
	योग	261000	

सृजित रोजगार :	अनन्तिम (लाख श्रम दिन)	
1. सामुदायिक विकास तथा पंचायत विभाग	339.45	15.3.79 तक
2. अन्य विभाग	107.52	31.3.79 तक
	446.97	

राज्य सरकार द्वारा संख्या सूचित नही की गई है ।

पूर्निया में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

*589. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में तथा विशेष रूप से पूर्निया जिले में माध्यमिक स्कूल स्तर के लड़के-लड़कियों के लिये कुछ केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटी) : (क) और (ख) बिहार में इस समय 20 केन्दीय विद्यालय हैं। बिहार में पांच और केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इन पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा। पूर्निया जिले के केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

काम के लिये अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अधिक अनाज ।

*590 **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 में काम के लिये अनाज कार्यक्रम के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश को इस योजना के लिये अधिक अनाज देगी क्योंकि यह योजना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में सफल हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के लिए अन्तिम रूप से खाद्यानों के 1.5 मिलियन मीटरी टन के प्रभावकारी उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को सुलभ की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा उनके कार्यक्रमों तथा सम्पूर्ण काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की अन्तिम उपलब्धता पर निर्भर होगी ।

सम्पादक मंडल समाप्त करना

***591. श्री कुसम कृष्ण मूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री इतिहास की पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबन्ध/पुस्तकों को हटाये जाने के बारे में 12 मार्च 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 283 और 294 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के लिए सम्पादक मंडल को समाप्त किये जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में देरी को समाप्त करने के साथ-साथ छात्रों पर पाठ्य पुस्तकों के बोझ को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने संपादक मंडलों को समाप्त कर दिया ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 1964-65 में भर्ती

***592. श्री के० लकप्पा :**

श्री भानु कूमार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, और नेपाल के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों की अपनी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1964-65 के दौरान कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई ;

(ख) क्या उन्हें दिये गये नियुक्ति पत्रों के अनुसार उन्हें उनके वेतन का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना था ;

(ग) क्या अप्रैल, 1970 के बाद उनके मन्त्रालय ने अन्य शर्तों के साथ इस शर्त को मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया और भारतीय मुद्रा से विभिन्न मुद्रा में उनके वेतन का भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या ठोस कारण हैं;

(ङ) नियुक्ति की शर्तों में मनमाने तरीके से सम्बद्ध अधिकारियों ने किन कारणों से परिवर्तन किया और क्या श्रमिकों में असन्तोष के परिणामस्वरूप कुछ ज्ञापन (अभ्यावेदन) प्राप्त हुए हैं; और

(च) उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आणविक तरीकों के माध्यम से तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाना

*** 593 श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारयीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आणविक तरीका निकाला है :, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वनस्पति तेलों का उत्पादन तिलहनों की उपज और तिलहनों में तेल के प्रतिशत पर निर्भर है । तिलहनों और तेल की उच्चतर उपज अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रजनन करके प्राप्त की जा सकती है । अन्य बातों के अलावा, अणविक तकनीक का उपयोग उपज और तेल अंश दोनों के लिये उपयुक्त किस्मों के विकास के उपकरण के रूप में किया जाता है । आणविक तकनीकों का प्रयोग करके भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान ने अरण्डी की एक नयी किस्म "अरुणा" का विकास किया है ।

तथापि, अधिक तेलयुक्त किस्म का विकास करने के लिए परीक्षण सामग्री में से तिलहनों के अनेक नमूनों की जांच करनी पड़ती है । इस संबंध में, तेल निर्धारण का एक द्रुत और अक्षत तरीका अधिक लाभकारी होगा क्योंकि इसमें कम परिश्रम लगेगा, कम समय लगेगा और इसके अलावा बिना बीज को तोड़े हुए तेल की जांच की जा सकेगी । इस समस्या का अनुभव करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आणविक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा तिलहनों में से तेल के द्रुत और अक्षत निर्धारण के लिये आणविक रिसोनेंस स्पक्ट्रोमीटर का उपयोग करके एक तकनीक का विकास किया गया । इस तकनीक का परीक्षण 60 ब्रासिका तिलहनों के नमूनों का तेल अंश माप कर तीन प्रयोगशालाओं में तीन स्वतंत्र विभिन्न तरीकों द्वारा किया गया । (स्वीडिश सीड एसोसियेशन, स्वालीव, भाभा आणविक अनूसंधान केन्द्र, बम्बई और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली) । जहां तक परिणामों का संम्बध है, तीनों तरीकों में अच्छा तालमेल था । अन्य तरीकों की तुलना में "पल्स्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस" द्वारा तिलहन से तेल के निर्धारण की पुनरुत्पादकता का तरीका बेहतर था । किसी नमूने का तेल सेकिंडों में जाना जा सकता है जिससे यह जांच अत्यन्त तीव्रता से की जा सकती है । क्योंकि प्रक्रिया सरत और स्वचालित है अतः विश्लेषण में किसी त्रुटि की संभावना कम है ।

1979-80 के दौरान पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

***594. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 1979-80 के दौरान (राज्यवार) कितने टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित बनाया जाएगा ; और

(ख) उनके लिए किस प्रकार की मशीनरी एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) आशा की जाती है कि 1979-80 के दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर हस्तचल एक्सचेंजों के बंदले स्वचल एक्सचेंजों को स्थापित किया जाएगा :

पंजाब में —फरीदकोट

हरियाणा में—कालका

हिमाचल प्रदेश में—धर्मशाला

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा निर्मित स्ट्राजर मेक्य-11 टाइप ।

दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी भाषा के अध्यापकों की नियुक्ति

5601. श्री भगत राम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सहायक शिक्षा निदेशक (भाषाई अल्प संख्यक) ने पंजाबी भाषा अध्यापक एसोसिएशन, दिल्ली के अनुरोध पर जनवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में उन 71 स्कूलों की जांच की थी जहां पंजाबी पढ़ाई जा रही है परन्तु उनमें पंजाबी भाषा का कोई अध्यापक नियुक्त नहीं है,

(ख) यदि हां, तो कितने स्कूलों में पंजाबी (एक) छटी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं में (दो) छठी और सातवीं कक्षाओं में (तीन) छठी कक्षा में पढ़ाई जा रही है ।

(ग) उन स्कूलों में पंजाबी भाषा के अध्यापक नियुक्त न करने के क्या कारण है,

(घ) ऐसे सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या है जहां ग्यारहवीं अथवा बारहवीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ाई जाती है परन्तु उनमें केवल एक ही पी० जी० टी० अध्यापक नियुक्त है जिनके कार्यभार को ध्यान में रखे बिना उसे नियुक्त किया गया है, और

(ङ) इन स्कूलों में पंजाबी के पीरियड कम करने के क्या कारण है जिससे अल्पसंख्यक भाषा का अहित हो रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहायक शिक्षा निदेशक (भाषायी अल्पसंख्यक) शिक्षा निदेशालय ने 74 स्कूलों में जांच की और यह पाया कि 63 स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाई जा रही है। इन 63 स्कूलों में से 23 स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टी जी टी)/भाषा शिक्षकों (पंजाबी) के पद रिक्त पड़े हैं।

(ख)	(i) कक्षा VI, VII और VIII	48 स्कूल
	(ii) कक्षा VI और VII	56 स्कूल
	(iii) कक्षा VI	59 स्कूल

(ग) कुछ रिक्तियां, जो नगर निगम के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए आरक्षित हैं, रिक्त पड़ी हैं क्योंकि अपेक्षित दस्तावेजों सहित उनके ब्यौरे प्रशासन को हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उनके मामलों पर निर्णय लेने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डी पी सी) की बैठक की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) गांधी स्मारक राजकीय बाल उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय नं०। शाहदरा, दिल्ली ही एक ऐसा विद्यालय है जहां एक स्नातकोत्तर शिक्षक (पी जी टी) (पंजाबी) तैनात है और कक्षा VI से XII तक पंजाबी पढ़ा रहा है इस स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी जी टी) पंजाबी का पद रिक्त है।

(ङ) ऐसे कोई अनुदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में तिलहर तथा मीरानपुर कटरा कस्बों में निष्क्रान्त सम्पत्ति

5602 श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में तिलहर और मीरानपुर कस्बों में ऐसी निष्क्रान्त सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है जिसके मालिक पाकिस्तान चले गये हैं और उस देश के नाएरिक बन गये हैं और उनकी सम्पत्ति पर कुछ अन्य लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सम्पत्ति अब तक अपने कब्जे में न लिए जाने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा विज्ञापन विक्रय संबर्धन को दिया गया आर्डर

5603 : श्री विजयकुमार एन० पाटिल : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संस्थान —राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने विज्ञापन विक्रय संवर्धन को एक करोड़ रुपये का आर्डर दिया था ?

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है, प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस सौदे पर जोरदार आपत्ति उठाई गई थी—तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और ये आपत्तियां कैसे दूर की गई—उसका ब्यौरा क्या है, इस सौदे पर स्वीकृति देने में कितरा समय लगा : और

(घ) क्या सरकार को इस सौदे के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है—और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय मेला प्राधिकरण द्वारा 13 नवम्बर से 14 दिसम्बर, 1977 तक एक राष्ट्रीय कृषि मेला (एग्री-एक्स्पो '77) आयोजित किया गया था । यह निर्णय किया गया था कि कृषि और सिंचाई मन्त्रालय इस मेले में भाग लेगा । मण्डलों में प्रदर्शन की वस्तुओं के डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शन का कार्य राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को सौंपा गया था । सभी भाग लेने वाले विभागों को मिलाकर इस सम्बंध में कुल व्यय की अधिकतम सीमा 86 लाख रुपये के अन्दर रखी गई थी । इसके निमित्त, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को निर्मुक्त की गई वास्तविक राशि केवल 70 लाख रुपये थी । इस कार्य को समय पर और संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिये, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने कार्य के एक भाग का मैसर्स एडवर्टाईज़िंग एण्ड सेल्स प्रोमोशन सहित अन्य संगठनों को उप-ठेकों पर दे दिया था और इस फर्म को 13 लाख रुपये का ठेका दिया गया था ।

उपर्युक्त बात से यह स्पष्ट होगा कि यह धारणा कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने मैसर्स एडवर्टाईज़िंग एण्ड सेल्स प्रोमोशन को 1 करोड़ रुपये का ठेका दिया था, सही नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस फर्म के साथ जो ठका किया गया था, वह पूरी तरह से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा इसी प्रकार के ठेकों के लिये अपनाये गये नियमों और प्रक्रिया के अनुसार था । कृषि मन्त्रालय ने इस फर्म के साथ कोई सीध । सम्पर्क स्थापित नहीं किया था । कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने प्रदर्शिनी कार्य के समन्वय के लिये तीन समितियों की स्थापना की थी अर्थात्—

1. सचिव (कृषि और ग्राम विकास विभाग) की अध्यक्षता में एक कर्णाधार समिति जिसमें अन्य सम्बंधित विभागों के सचिव सदस्य के रूप में थे ।
2. संयुक्त सचिव (विस्तार) एवं विस्तार आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति जिसमें सम्बधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में थे ।

3. वित्तीय सलाहकार और सम्बंधित विभागों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त सचिव (विस्तार) एवं विस्तार आयुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त वित्त समिति । एग्री-एक्सपो '77 से सम्बंधित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के विभिन्न लेन देन सम्बंधी कार्यों की विभिन्न समितियों द्वारा बारीकी से जांच की गई थी और विशेषकर सभी वित्तीय मामलों के सम्बंध में संयुक्त वित्त समिति द्वारा जांच की गई थी । राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को आखिरी तीन किश्तों की निर्मुक्ति, कृषि विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा पूर्व-लेखा परीक्षा करने के बाद ही की गई थी ।

(ग) कृषि विभाग की संयुक्त वित्त समिति और आन्तरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के विभिन्न लेन-देन/खातों की छानबीन के दौरान, उन्होंने व्यय की कुछ मदों, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा उप-ठेके पर देने और व्यय की कुल मदों के सम्बंध में ली जाने वाली परामर्शदायी फीस के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई थी । राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को अदायगी करने से पहले इन आपत्तियों का समाधान कर लिया गया था ।

(घ) इस प्रश्न में उठाये गये विशेष मामलों के संबंध में कृषि और सिंचाई मंत्रालय की सूचना में कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं आई है ।

इस सम्बंध में, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार के मण्डपों की श्रेणी में कृषि और सिंचाई मंत्रालय तथा नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त मण्डपों को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था ।

मेरठ विश्वविद्यालय परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल किया जाना

5604. श्री पवित्र मोहन प्रधान :
श्री बलदेव प्रकाश :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध कालेजों में बड़े पैमाने पर नकल किये जाने के कारण विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने मेरठ विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध कालेजों को सब प्रकार का अनुदान बन्द करने की धमकी दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मेरठ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टें जब ध्यान में आई तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय को यह सूचित कर दिया था कि यदि उक्त कदाचार को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई न की गई तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय तथा इसके सम्बद्ध कालेजों को अनुदान देने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ।

शारीरिक शिक्षा सुपरवाइजरों की स्वीकृत संख्या

5605. श्री नटवरलाल बी० परमार : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे सरकारी स्कूलों में पुरुष और महिला शारीरिक शिक्षा सुपरवाइजरों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) 1 मार्च, 1979 को उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर सुपरवाइजर काम कर रहे थे;

(ग) शारीरिक सुपरवाइजर के ग्रेड में अन्तिम पदोन्नति कब की गई थी;

(घ) क्या दिल्ली में प्रत्येक जोन में पृथक शारीरिक शिक्षा सुपरवाइजर है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कयाण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पर्यवेक्षकों (शारीरिक शिक्षा) के 14 (चौदह) पद हैं । इसके अतिरिक्त उसी प्रकार के कर्त्तव्यों/कार्यों वाले एवं समान वेतनमान में स्कूल निरीक्षकों (शारीरिक शिक्षा) के भी आठ पद स्वीकृत किए गए है ।

(ख) पर्यवेक्षक (शारीरिक शिक्षा) — 12

स्कूल निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा) — 8

(ग) अंतिम पदोन्नति 25.1.1979 को की गई थी । तथापि, न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए संबंधित अधिकारी को 1.6.1972 से प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ दिया गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 24 मंडल (जोन) है. 12 पुरुषों के लिए और 12 महिलाओं के लिए जबकि पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों (शारीरिक शिक्षा) को प्रभावी संख्या 20 है । इस तरह प्रत्येक मंडल (जोन) की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 पद शेष रह जाते हैं । वित्तीय वर्ष 1978-80 में शेष पदों के सृजन के लिए आवश्यक प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में रजिस्ट्रार (वित्त) का पद

5606. श्री मनोहर लाल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में रजिस्ट्रार के पद के बारे में 5 मार्च, 1979 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में रजिस्ट्रार (वित्त) का एक स्वीकृत पद है,

(ख) क्या उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए समीक्षा योजना के अधीन सहायक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार (वित्त) के पद शामिल हैं,

(ग) क्या यह सच है कि उप रजिस्ट्रार (वित्त) जैसी मध्य स्तर प्रबन्ध की योजना के अधीन की गई पदोन्नति को सरकार ने 1974 में अवैध घोषित कर दिया था,

(घ) यदि हां, तो रजिस्ट्रार (वित्त) के पद को किन परिस्थितियों के अधीन जारी रहने दिया गया हैं, और

(ङ) उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं । तथापि, मूल रूप से उप रजिस्ट्रार (वित्त) के पद धारी एक अधिकारी की संस्थान में प्रचलित एक मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत उसकी पदोन्नति के परिणाम स्वरुप व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार (वित्त) का पदनाम दे दिया गया है ।

(ख) शासी मण्डल द्वारा 13.11.73 को हुई इसकी 45वीं बैठक में स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार इन पदों को उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था ।

(ग) संबंधित रिकार्डों से वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए भरसक प्रयासों के बावजूद भी यह संभव नहीं हो सका है ।

(घ) और (ङ) मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत, कर्मचारियों की स्तरोन्नति संस्थान के शासी मंडल के निर्णय के अनुसार की गई है । इस योजना के अन्तर्गत स्तरोन्नति की पदधारियों के लिए वैयक्तिक माना गया है । मूल्यांकन योजना, जिसके अन्तर्गत उप रजिस्ट्रार (वित्त) को स्तरोन्नत करके रजिस्ट्रार (वित्त) का पदनाम दिया गया था, को अन्तिम रूप देने से पहले शासी मंडल द्वारा मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया था । बोर्ड द्वारा नवम्बर 77 में स्वीकृत संशोधित मूल्यांकन योजना के अनुसार, केवल ऐसे कर्मचारी ही इसके अन्तर्गत आते हैं जो अधिकतम रु० 1300 पा रहे हैं ।

नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय कर्मचारी संघ की माँगें

5607. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली के प्राधिकारियों को नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय कर्मचारी संघ की ओर से जनवरी, 1978 में एक ज्ञापन मिला था;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में क्या माँगें की गई हैं;

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों ने समस्या पर संघ के साथ चर्चा करने और उसका समाधान निकालने के लिए कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी और कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में जाँच करेगी ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : जनवरी, 1978 में नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के प्राधिकारियों को एक गैर मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ने एक मांग पत्र पेश किया था। माँगें पदोन्नति, स्थायीकरण, रिक्त पदों को भरने, अनिवार्य बीमा योजना आदि से संबंधित हैं। प्राधिकारियों द्वारा माँगों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था और संघ के प्रयोजकों को कई बार स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

सूर्य मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर, ताजमहल, अजन्ता तथा ऐलोरा के लिए यूनेस्को की सहायता

5608. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या **शिक्षा, ससाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोणोर्क के सूर्य मन्दिर तथा पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के संरक्षण के लिए एक पत्र लिख कर यूनेस्को की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देशभर में ताजमहल, अजन्ता, एलोरा आदि जैसे अन्य भारतीय सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए युनेस्को की सहायता के लिए पहिले ही अनुरोध कर रखा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हाँ। यूनेस्को एक विशेषज्ञ को प्रतिनियुक्त कर रहा है जो इस वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में स्थलों पर जांच करके परामर्श देने के लिए मन्दिरों का दौरा करेगा।

(ग) अजन्ता की गुफाओं के संरक्षण के लिए किए गए उपायों पर परामर्श देने के लिए यूनेस्को के दो परामर्शदाताओं को दस दिन (23. 12. 75 से 3. 1. 76 तक) की अवधि के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने हमारे पहले ही से कार्यान्वित उपायों का पूर्ण समर्थन किया है। ताज और एलोरा के लिए यूनेस्को के किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा, कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र की ओर से आवेदन पत्र

5609 श्री आर० के० महालगी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से स्वयंसेवी एजेंसियों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितनों को निपटा दिया गया है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) अभी सरकार के पास कितने निलम्बित पड़े हैं; और

(घ) उन्हें कब निपटाया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ)— चालू वर्ष के दौरान, अधिकशितः दिसम्बर, 1978 से मार्च 1979 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार से 206 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 119 के सम्बन्ध में संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी 4229/79)

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह से तारों का परिषण

5610. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को तथा वहां से बहुत से तार डाक द्वारा भेजे गए थे और यदि हां, तो गत एक वर्ष का महीनेवार ब्यौरा क्या है और उसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने तारों के तुरन्त परिषण के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हाँ। पोर्ट ब्लेयर से और पोर्ट ब्लेयर को तार कुछ अवसरों पर डाक द्वारा भेजी गई थीं। जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है—

मास	पोर्ट ब्लेयर को		पोर्ट ब्लेयर से	
	अवसरों की संख्या	तार की सं०	अवसरों की सं०	तार की सं०
मार्च 78	3	223	1	150
अप्रैल 78	4	508	2	381
मई 78	4	537	3	875
जून 78	2	150	2	450
जुलाई 78	4	523	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अगस्त 78	2	138	1	175

सितम्बर 78	4	309	1	150
अक्टूबर 78	4	1002	1	250
नवम्बर 78	4	349	1	100
दिसम्बर 78	1	182	2	100
जनवरी 79	5	692	2	305
फरवरी 79	6	1401	4	900

रेडियो सरणियों पर वातावरण संबन्धी बाधाओं के कारण डाक द्वारा तार के अधिकांश निपटान आवश्यक हो गए थे।

(ख) पोर्ट ब्लेयर और महाद्वीप के बीच तार संचार के सुधार के लिए उच्च शक्ति के बेतार ट्रांसमीटर की स्थापना का प्रस्ताव है।

सेलेक्शन ग्रेड के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा पर्यवेक्षकों के रूप में पदोन्नति

5611. श्री नाथू सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सेलेक्शन ग्रेड के वरिष्ट शारीरिक शिक्षा अध्यापक 1974 में अपने ग्रेड के अधिकतम वेतन पर रुके हुए हैं,

(ख) यदि हां तो ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है,

(ग) क्या उनमें से किसी को 1973 से शारीरिक शिक्षा पर्यवेक्षण के रूप में पदोन्नति दी गयी है, और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड पहली बार 5. 9. 1971 से दिया गया था। जब 25 पुरुष और 24 महिला शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को जो रु० 440-750 के वेतनमान में काम कर रहे थे रु० 740-35-880 वाला सलेक्शन ग्रेड दिया गया था। उन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का वेतन जो अपने पहले वाले ग्रेड के अधिकतम पर पहुंच चुके थे और 750 रु० मूल वेतन पा रहे थे, सलेक्शन ग्रेड की अगली स्टेज अर्थात् रु० 775 निर्धारित किया गया था। क्योंकि अवधि (स्पैन) वेतनमान रु० 880 तक ही है, इन शिक्षकों का तीन वर्ष बीतने के बाद ही अधिकतम वेतन पर प्रगति रोध हो जाता है। तथापि यदि कोई वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक अधिकतम से कम वेतन ले रहा था तो उसके मामले में यह प्रगतिरोध चार वर्ष बीतने पर शुरू हो जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक को अब शारीरिक शिक्षा पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है ।

कोटा चम्बल क्षेत्र परियोजना के लिये विश्व बैंक से राशि

5612. श्री चतुर्भुज : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कृषि और सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कोटा चम्बल क्षेत्र परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई,

(ख) परियोजना पर अब तक मदवार कितना खर्च किया गया है,

(ग) क्या उपरोक्त परियोजनाओं के सलाहकार निकायों में लोगों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व बैंक ने चम्बल (राजस्थान) कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 520 लाख अमरीकी डालर (41.6 करोड़ रुपए) का ऋण मंजूर किया है । विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना पर 915 लाख अमरीकी डालर (73.2 करोड़ रु०) की लागत आने का अनुमान है ।

(ख) अभी तक सिंचाई पर 404 लाख रु० जल निकास पर 693 लाख रु०, आन फार्म विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर 263 लाख रुपए, सड़कों पर 695 लाख रु०, वन रोपण पर 16 लाख रु० तथा प्रशासन/प्रचालन और रख-रखाव पर 810 लाख रु० का कुल खर्च हुआ है ।

(ग) विकास कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण में (जो कि परियोजना स्तर पर शीर्ष निकाय है) विधान सभा के 2 सदस्यों सहित जनता के चार प्रतिनिधि हैं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं होता ।

जूनागढ़, सौराष्ट्र में लिम्बुदा में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए ज्ञापन

5613. श्री धर्मसिंहभाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जूनागढ़ जिले के माणावदर तालुका के लिम्बुदा गांव की ग्रेज्युएट्स काउन्सिल के अध्यक्ष ने माणावदूर से लाइन लेकर लिम्बुदा गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये एस०डी०ओ०टी०, जूनागढ़ को एक ज्ञापन भेजा था और उन्होंने 13 टेलीफोनों के लिये राशि भी जमा करा दी है;

(ख) यदि हां, तो लिम्बुदा गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये माणावदर से कितने

और किन-किन व्यक्तियों ने राशि जमा कराई है तथा कब कराई है और यह राशि कहां जमा करवाई गई थी तथा प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी-कितनी राशि जमा कराई है; और

(ग) माणावदर से लाइन लेकर लिम्बुदा में टेलीफोन एक्सचेज कब तक खोला जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) तक : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

उड़ीसा में बिसन-कटक तहसील और जिन्द ब्लाक प्रधान कार्यालयों की टेलीफोन सुविधाएं

5614. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुनुपुर तथा प्रधान कार्यालयों से विसन कटक तहसील को टेलीफोन सुविधा देने सम्बन्धी अनुमोदित प्रस्ताव को इस प्रस्ताव सहित अभी आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब अन्तिम रूप दिया गया था तथा कार्यक्रम से क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सर्किल ने इस लाइन पर विद्युत इंडक्शन के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां. तो विसन कटक तहसील से गुनुपुर सब-डिवीजन के बीच माइक्रोवेव प्रणाली संबंधी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीनरहरि प्रसाद साय) : (क) (ख) (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

जिला शिमला में कोटगढ़/कुमारसेमन/रकण्डा उप टेलीफोन केन्द्र से टेलीफोन कालें

5615 : श्री टी० एस० नेगी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्चा जिला शिमला में कोटगढ़/कुमारसेन/नरकण्डा टेलीफोन केन्द्र 1012 किलो मीटर के घेरे में स्थित है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों के प्रयोक्ताओं को स्थानीय काल की सुविधाएं नहीं दी जातीं हालांकि कोटगढ़ कुमारसेन और कुमारसेन नरकण्डा 6/7 किलोमीटर के घेरे में स्थित हैं;

(ग) क्या प्रदेश के प्रयोक्ताओं ने मांग की है कि कोटगढ़ से कुमारसेन से/नरकण्डा और कुमारसेन/नरकण्डा से कोटगढ़ के लिए की जाने वाली कालों को स्थानीय काल माना जाना चाहिए; और

(घ) सरकार का इस प्रदेश के प्रयोक्ताओं की मांग पर क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां। इन एक्सचेंजों के बीच की कालें ट्रंक काल समझी जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है।

हुडको के अध्यक्ष की त्रिपुरा यत्रा

5616. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुडको के अध्यक्ष ने गत फरवरी, 1979 में त्रिपुरा की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के मन्त्रियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने जो बातचीत की थी, उसका ब्यौरा क्या है और उस बातचीत में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) राज्य में हुडको, की विभिन्न योजनाओं का उपयोग करने के लिए हुडको और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री तथा मुख्य सचिव और अगरतला नगरपालिका के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श के दौरान हुडको के अध्यक्ष व प्रबन्धक निदेशक ने उनको उन विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी जिसके लिए हुडको ऋण सहायता दे सकता है, इन योजनाओं में किराया खरीद आधार पर आवास, सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए किराये के मकान, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन तथा ग्रामीण आवास योजना, तथा नगर विकास योजनाओं के लिए शहरों में जल सप्लाई, नालियां तथा सीवर की व्यवस्था करना सम्मिलित है। उन्होंने क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला जोरहाट द्वारा किये गये अनुसन्धान की सहायता से त्रिपुरा की वनसम्पदा से दरवाजे तथा खिड़कियां व भवन की अन्य सामग्री बनाने की सम्भावनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

(ग) यात्रा के दौरान तथा उसके पश्चात् हुडको के प्रबन्ध निदेशक ने राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित फार्मों के साथ उपयुक्त साहित्य दिया।

(घ) हुडको राज्य सरकार की योजनाओं की प्रतीक्षा कर रहा है।

इण्डियन स्कूल आफ साइन्स धनबाद, के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य

5617 श्री ए० के० राय : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या है तथा वे किसी तिथि से कार्य कर रहे हैं,

(ख) वर्ष 1977 और 1978 में कार्यकारी बोर्ड की बैठकें किन तिथियों को हुई तथा यह प्रत्येक बैठक कितनी अवधि के लिए हुई,

(ग) क्या यह सच है कि एक निश्चित समय के उपरान्त कार्यकारी बोर्ड को बैठक होनी चाहिए तथा कोई भी इसका सदस्य एक निश्चित अवधि तक ही रह सकता है,

(ग) क्या यह सच है कि कार्यकारी बोर्ड का गठन करने में अथवा इसकी बैठक बुलाने में किसी भी नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जाता है जिससे नीति निर्णय करने वाला यह निकाय एक विचार विमर्श करने वाला निकाय ही बनकर रह गया है, और

(ङ) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा,समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीम खान स्कूल, धनबाद के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के नामों सहित उनकी नियुक्ति की तारीख तथा कार्यावधि संलग्न वितरण में हो गई हैं ।

(ख) 1977 और 1979 के दौरान, कार्यकारी बोर्ड ने निम्नलिखित तारीखों की अपनी बैठकें की :—

1977

22·3·77 ; 8·7·77 ; 23·9·77

1978

12·1·70 ; 15·4·78 ; 13·7·78 ; 26·8·78

प्रत्येक बैठक की अवधि का रिकार्ड नहीं रखा गया, तथापि आमतौर पर इसकी बैठक 2-3 घंटों की होती है ।

(ग) स्कूल के नियमों और विनियमों के नियम 13 के अनुसार "कार्यकारी बोर्ड की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख और स्थान पर आमतौर पर तीन महीने में कम से कम एक बार होगी ....."

विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(घ) कार्यकारी बोर्ड के गठन तथा उसकी बैठकें बुलाने से संबंधित सभी निर्धारित नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) भारतीय खान स्कूल, धनबाद के कार्यकारी बोर्ड के विभिन्न सदस्यों के नाम उन तारीखों सहित जब से वे कार्य कर रहे हैं ।

क्रम सं०	क्षेत्र	सदस्य का नाम और पता	कार्यकाल की अवधि	कार्यकारी बोर्ड में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	अध्यक्ष (पदेन)	श्री जे० जो० कुमारामंगलम एम० डी० /बर्ड एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त	21·1·1972 (25·1·1977 को पुनः नामांकित
2·	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि	डा० यू० अस्थनारायण भूविज्ञान के प्रोफेसर सागर विश्वविद्यालय	5 वर्ष	16 8·1974
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का प्रतिनिधि	श्री के. एन चन्ना सेवानिवृत्ति शिक्षा सचिव	3 वर्ष	11·4·1978
4.	महा सभा द्वारा नामांकित, एक गैर सरकारी सदस्य	(नामांकन, अगली बैठक में होगा)	3 वर्ष	—
5.	वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	श्री आर. एम. पी. सिन्हा उप-वित्तीय सलाहकार शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त	1·9·1975
6.	खान सुरक्षा के महा निदेशक	श्री बी. एम. भट्ट	पदेन	1 2·1978
7.	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	डा. के. गोपालन उप-शिक्षा सलाहकार	केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त	11 7·1970
8.	ऊर्जा मंत्रालय/कोयला विभाग का प्रतिनिधि	श्री एस. के. बोस संयुक्त सचिव	वही	17·10·1977
9.	अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक/सी. एम. पी. डी. आई.	श्री ए. एन. बनर्जी	पदेन	22·2 1979

1	2	3	4	5
10.	भारतीय खन्न स्कूल का एक प्रोफेसर	प्रोफेसर आर. डी. सिंह	वरिष्ठता के अनुसार बारी बारी से एक वर्ष	1 3·1979
11.	भारतीय खन्न स्कूल का एक सहायक प्रोफेसर (चयन द्वारा)	डा० बी. पी. पाण्डेय	एक वर्ष	3·3·1979
12.	भारतीय खन्न स्कूल का एक लैक्चरार (चयन द्वारा)	श्री एस. के बसू	एक वर्ष	3 3 1979
13.	निदेशक/भा ख. स्कूल	प्रोफेसर जी एस मरवाह	पदेन	6·12 1972
14.	(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त	निदेशक/सी. एम. आर. एस श्री एस. बागची	पदेन	30 7·1973
	(ख) वही	श्री आर. एन. शर्मा इस समय अध्यक्ष/सी. आई. एल.	केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त	21·8·1972
	(ग) वही	डा० इन्द्रजीत सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	वही	7 10·1977
	(ख) वही	श्री आर. जे. सिन्हा निदेशक (तक) ई. सी. एल.	वही	4·9 1978
	(ङ) वही	श्री ओ. पी. वासुदेव सी. एम. डी /एम. ओ. आई. एल.	वही	4·9·1978

मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान

5618. श्री पदमाचरण सामंतसिंहेरा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों के नाम क्या हैं और 1976-77 से 1978-79 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि मंजूर की गयी और आज तक का व्यय कितना है ;

(ग) 1779-80 का प्रस्तावित व्यय कितना है ; और

(घ) इस संस्थानों में संस्थान-वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान

(ख) और (ग) सूचना निम्नलिखित है :—

संस्थान का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)	खर्च की राशि
केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान	76-77	1,79.07	170.78
संस्थान, कोचीन	77-78	2,06.14	193.51
	78-79	1,63.11	151.79
	79-80	2,?3 00	—
केन्द्रीय मत्स्य तकनीकी संस्थान कोचोन	76-77	60.35	72.49
	77-78	75.78	69.66
	78-79	106.03	90.11
	79-80	116.00	—
केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मत्स्य अनुसंधान सस्थान बैरकपुर	76-77	81.43	1,30.41
	77-78	149.83	1,69.01
	78-79	144.32	1,28.36
	79-80	160 00	—

(घ)

संस्थान का नाम	कुल कार्यरत कर्मचारी
केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन	762
केन्द्रीय मत्स्य तकनीकी संस्थान, कोचीन	414
केन्द्रीय मत्स्य तकनीकी संस्थान, बैरकपुर	953

भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर में प्रति नियुक्ति पर आये अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु

5619. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि टेलीग्राफ तथा टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग अधिकारियों को

जो पहले भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर तथा नैनी और अन्य स्थानों पर स्थित उसके एककों में प्रतिनियुक्तियों पर जाते हैं और वहां स्वयं को खपवा लेते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात् अर्थात् 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् सेवाकाल में वृद्धि अथवा पुनः नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग में भी 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति को अनिवार्य करने और सेवाकाल में उक्त वृद्धि देने अथवा पुनः नियुक्ति देने के कदाचार को रोकने तथा इस तरह दूसरों को भी नौकरी करने क अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कारखानों में काम कर रहे सभी अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की सामान्यतः आयु 58 वर्ष है। इनमें डाक-तार विभाग से प्रतिनियुक्त पर आए और बाद में कम्पनी की सेवा में स्थायी रूप से समाविष्ठ हुए अधिकारी भी शामिल हैं। केवल उन कुछ मामलों में ही 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा अवधि बढ़ाई जाती है जब कम्पनी के हित में ऐसा करना नितान्त आवश्यक हो और जब खाली जगह को भरने के लिए कम्पनी में कोई व्यक्ति तत्काल उपलब्ध न हो। इस तरह की सेवावृद्धि के कारण आमतौर पर अन्य अधिकारियों के नियुक्ति के अवसर प्रभावित नहीं होते।

सुपर बाजार में शराब की बिक्री होना

5620. श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक लाभ पर राजधानी में सुपर बाजार और उसकी शाखाओं तथा सहकारी भंडारों के माध्यम से अब भारत में निर्मित विदेशी ब्रांड की शराब और आयातित ब्रांडी की बिक्री की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार की मद्यनिषेध नीति के अनुरूप है ; और

(ग) क्या अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी थोक विक्रेता लाइसेंसों की कोई नीलामी नहीं होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्यमंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने भारतीय निर्मित विदेशी शराब और आयात की गई विदेशी शराब को अन्य चीजों के साथ सुपर बाजार और उपभोक्ता सहकारी भंडारों के माध्यम से बेचने का निर्णय किया है। बेचने की कीमत उचित स्तरों पर निर्धारित की जाएगी।

(ख) यह पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का एक उपाय है और इसलिए मद्यनिषेध नीति के अनुरूप है।

(ग) थोक लाइसेंस नीलामी द्वारा दिए जाएंगे ।

भूमिहीन श्रमिकों की आय में वृद्धि करने के लिये अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना

5621. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन श्रमिकों की आय में वृद्धि करने के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के अनुमानत: कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भूमिहीन मजदूरों की अतिरिक्त आय को प्राप्त करने और रोजगार के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सुझाव है जिसको आरम्भ में । । केन्द्रों यानी :—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, पालामाऊ (बिहार), बस्ती (उ०प्र०); अहमदनगर (महाराष्ट्र), सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल), कुट्टन्द (केरल) और तनजावुर (तमिलनाडु) में चलाने का प्रस्ताव है । यह कार्यक्रम दो चरणों में कार्यन्वित किया जायेगा ।

पहले चरण में प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र में कृषि अनुसंधान संगठनों का एक उपयुक्त संघ, पशुपालन के क्षेत्र में, दूध, गोश्त तथा अंडों के अधिक उत्पादन के लिए स्थानीय पशुधन, जिसमें मुर्गीपालन भी शामिल है, के आनुवंशिक सुधार पर विशेष जोर देगा, साथ ही मधुमक्खीपालन, खुंभी उत्पादन, मछली, जीरा उत्पादन, सकर कपास के उत्पादन, सब्जियों, फलों आदि पर जोर देगा । प्रत्येक क्षेत्र के लिए कटाई के बाद के चरण में ससाधन, पैकेज विधियों और विपणन के अवसरों का भी पता लगाया जायेगा । इस सूचना पर आधारित, प्रत्येक केन्द्र में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कृषि मजदूर परिवारों के लाभ के लिए कृषि क्रियाओं का सामूहिक रूप (पैकेज) विकसित किया जाएगा । परिवारों का चयन प्रस्तावित प्रमुख विपणन क्षेत्र/केन्द्र के इर्दगिर्द लगभग 100 किलोमीटर अर्धव्यास के क्षेत्र में से होगा ।

दूसरे चरण में, प्रत्येक केन्द्र में उत्पादन एकक स्थापित किए जाएंगे जिनमें एक दल का नेता होगा तथा उनकी सहायता के लिए 7 या 8 विज्ञानी होंगे जो कि पशुविज्ञान, कृषि, मात्स्यकी तथा गृहविज्ञान में विशेषज्ञ होंगे । ये उत्पादन एकक संबंधित दस्तकारी में भूमिहीन मजदूर परिवारों को प्रशिक्षण आयोजित करने का उत्तरदायित्व निभाएंगे । चलता-फिरता प्रशिक्षण

कार्यक्रम और प्रयोग केन्द्र प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों ही आयोजित किए जाएंगे । दल का अर्थ-विशेषज्ञ आर्थिक रूप से सक्षम प्रोद्योगिकी का पता लगाने में सहायता देगा और विपणन अधिकारी उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच सम्पर्क स्थापित करने में मदद देगा और उत्पादक विपणन समितियाँ गठित करेगा ।

(ग) कार्यक्रम का पहला चरण । अप्रैल, 1979 से शुरू होगा ।

मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी अधिकारी

5622. श्री लखन लाल कपूर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणी के कितने तकनीकी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं,

(ख) उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो पांच वर्षों से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर हैं और इसका क्या औचित्य है,

(ग) प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि कितनी है/किस प्रकार का पालन किया जाता है, और

(घ) प्रत्येक अधिकारी के मामले में इसके क्या कारण हैं;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में कालेजों के लिए इमारतें बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया जाना ।

5623. श्री शरद यादव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के लिए इमारतें बनाने हेतु अनुदान दिए थे और क्या सम्बन्धित कालेजों ने उनका दुरुपयोग करके ऐसे अनुदानों की शर्तों का उल्लंघन किया है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं और उन्होंने अनुदानों का किस प्रकार दुरुपयोग किया है, और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिए गए अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सिक्किम में कालेज

5624. **श्री राधवजी :** क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम राज्य में कुल कितने कालेज हैं और उनमें कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं; और

(ख) क्या राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार प्रत्येक जिले में एक कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इस समय सिक्किम में केवल एक कालेज है जिसमें लगभग 50 विद्यार्थी हैं ।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1978-83 की अपनी योजना में राज्य में कोई और कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, और न ही छात्रों का दाखिला इसके लिए औचित्य-पूर्ण है ।

ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

5625 : **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय लिया गया था कि गांवों में रहने वाले उन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन 31 मार्च, 1978 तक दे दिए जाएंगे जो 31 मार्च, 1977 तक धनराशि जमा कर देंगे;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गुजरात के महसाना और पालमपुर डिवीजनों में 31 मार्च, 1977 तक धनराशि जमा कर दी थी और उनमें से कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) शेष व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नर हरिप्रसाद साय) : (क) जी नहीं । फिर भी यह कोशिश की जा रही है कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक इन मामलों को 31-3-79 तक निपटा दिया जाए ।

(ख) और (ग) जिन व्यक्तियों का पंजीकरण 31-3-77 तक हो गया था और जिन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं तथा जिस संभावित तारीख तक दिए जा सकते हैं, तत्संबंधी सूचना अलग से एकत्र की जा रही है ।

दिल्ली में सरकारी भूमि का खाली किया जाना

5626. श्री सुभाष आहूजा : क्या **निर्माण और आवास तथा भूमि और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उस सरकारी भूमि को खाली करवाने का निर्णय किया है जो अनधिकृत लोगों के कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार खाली की जाने वाली भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल होगा; और

(ग) इस बारे में दिसम्बर, 1978 तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह सरकार की घोषित नीति है कि सरकारी भूमि पर सभी अनधिकृत दखलकारों को हटाया जाए सिवाए उन मामलों में जहां सरकार के आदेशों के अन्तर्गत नियमितीकरण अनुमेय समझा गया है।

(ख) क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ग) 1-7-77 से दिसम्बर, 1978 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने लगभग 15500 उन अनधिकृत निर्माणों को गिराया जो प्राय: सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर बनाए गए थे।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली स्थित स्कूल

5627. श्री दयाराम शाक्य : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति भवन में चल रहे स्कूल को दिल्ली प्रशासन द्वारा पुस्तकें आदि की सहायत न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि स्कूल उसके प्रशासन में हैं और अन्य स्कूल ऐसी सहायताा प्राप्त कर रहे हैं तथा क्या स्कूल को राष्ट्रपति की निधि से काम चलाने को कहा जाता है; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर सरकार का विचार उक्त स्कूल के बच्चों को बाल निधि से सहायता देने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति भवन में चल रहे राजकीय विद्यालय को 11 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त वर्दियां देने के लिए धन दिया जाता है। इससे कम आयु के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कक्षा VI तथा इससे आगे की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त नहीं दी जाती हैं। जिन बच्चों के

अभिभावकों की मासिक आय 500.00 रु० तक होती है, उनको वर्ष के दौरान, उनके प्रयोग के लिए पाठ्य-पुस्तकें उधार दी जाती हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान माध्यमिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों को मुफ्त वर्दियां देने के लिए विशेष धन प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है । धन मिलते ही वर्दियां सप्लाई कर दी जायगीं ।

पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और उस पर ग्रंथालय उपकर लगाया जाना

5628. श्री के० मालन्ना : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक प्रकाशन विशेषत: प्रादेशिक भाषाओं में विद्यमान और गतिशील है परन्तु उसके सामने विशेष रूप से वित्त और कागज सम्बन्धी कुछ कठिनाईयां हैं हालांकि इसके प्रकाशन विश्व में किसी अन्य स्थानों के प्रकाशनों से तुलनीय है, और

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रकाशकों के संघ ने जो एक प्रतिनिधि संस्था है ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कागज के मुक्त आयात की अनुमति देकर पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में वाणिज्यिक हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करके और पूरे देश में ऐसा ग्रंथालय उपकर लगाकर इस व्यापार की कठिनाइयों को दूर करे जैसा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले ही किया जा चुका है और जिसका पुस्तक क्रय पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती रेणुका देवी बारकटकी) : (क) पुस्तक प्रकाशन उद्योग आमतौर पर अच्छा काम कर रहा है और इसके प्रकाशन स्तर में काफी सुधार हुआ है । वित्त तथा कागज संबंधी कुछ कठिनाइयां सरकार के नोटिस में आई हैं । वित्तीय कठिनाइयों को सुलझाने के लिए वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एक पुस्तक वित्त निगम स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था । बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

पुस्तकों के मुद्रण के लिए छपाई का सफेद कागज रियायती दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है । कमी आयात द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है ।

(ख) भारतीय प्रकाशक संघ ने दिसम्बर, 1978 में कागज संकट के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया था ओर कुछ सिफारिशों की थीं । इनमें से एक सिफारिश में मांग की गई है कि प्रकाशकों के प्रयोग के लिए सीमा शुल्क से मुक्त कागज आयात किया जाए । कागज के आयात से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करते समय इस सिफारिश को ध्यान में रखा जायेगा ।

पुस्तकालयों को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की मद संख्या 12 के अन्तर्गत रखा गया है । पुस्तकालय उपकर लगाने पर विचार करना राज्यों का काम है । अब

तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय उपकर लगाया गया है।

राष्ट्रीय बीज परियोजना के लिए विदेशी सहायता की मंजूरी पुनर्विचार

5629. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 410 लाख डालर दिए जाने के वचन में से पब्लिक इन्वेस्टमैंट बोर्ड द्वारा 280 लाख डालर का प्राधिकार दिए जाने के क्या कारण हैं।

(ख) क्या सरकार अब उक्त परियोजना के लिए विदेशी सहायता की मंजूरी पर पुनर्विचार करने पर विचार कर रही है क्योंकि भारत को न ली गई धनराशि पर भी बैंक को 0.75 प्रतिशत के हिसाब से वचनबद्धता शुल्क देना होगा और

(ग) क्या इस गम्भीर त्रुटि के लिए किसी की जिम्मेदारी निश्चित की गई है और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना के चरण 1 और 2 के लिए पब्लिक इन्वेस्टमैंट बोर्ड द्वारा की गई निवेश संबंधी सिफारिश उसके द्वारा अपनायी जा रही विद्यमान प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके अनुसार पूंजी लागत का केवल 3 प्रतिशत ही प्रांसगिक व्यय में शामिल किया जाता है। परियोजना के कुल आकार में भिन्नता इस कारण से है कि विश्व बैंक के प्राक्वलनों में आकस्मिक खर्चों के अधिक प्रावधान है।

(ख) परियोजना प्रबोधन के भाग के रूप में वास्तविक वित्तीय उपलब्धियों का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है। इससे स्वीकृत विश्व बैंक ऋण में कमी/वृद्धि हो सकती है। इस विषय पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) चूंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं रही है, अत: जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं होता।

रिहद बांध को कनहार नदी से जल सप्लाई की योजना

5630. श्री राम सागर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) रिहद बांध को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कनहार नदी से जल सप्लाई करने के लिए कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना से रिहन्द बांध की जल की समस्या का समाधान हो जायेगा और यदि हाँ, तो इस योजना के क्रियान्वयन पर कितनी राशि व्यय होगी और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इससे कितनी मात्रा में अतिरिक्त विद्युत पैदा होगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

घटिया किस्म के उर्वरक सप्लाई करने के कारण हानि

5631 श्री एस० आर० रेड्डी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में घटिया किस्म के उर्वरक सप्लाई करने के कारण सरकार को कोई हानि हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी मात्रा में घटिया किस्म के उर्वरक का निपटान किया गया; और

(ग) सरकार के पास इस समय घटिया किस्म के उर्वरक का स्टाक कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गत दो वर्षों के दौरान किसी भी सप्लायर ने भारत को घटिया उर्वरक की सप्लाई नहीं की थी । अतः इस वजह से सरकार को हानि होने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) बन्दरगाहों तथा गन्तव्य स्थानों पर उर्वरकों को संभालने के दौरान, मार्ग में व भंडारण के समय पोषक तत्वों की हानि हो जाने के कारण कुछ उर्वरक घटिया हो जाता है । 1976-77 तथा 1977-78 के गत दो वर्षों के दौरान 33,418 मीटरी टन घटिया उर्वरक का निपटान किया गया था ।

(ग) 1-11-1978 को 35,834 मीटरी टन घटिया उर्वरकों का स्टाक था ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध मामले

5632 श्री अमर राय प्रधान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप-राज्यपाल से अनुरोध किया है कि उसके विद्यार्थियों के विरुद्ध मामलों को समाप्त कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 15 जनवरी, 1975 को दिल्ली

बन्ध के सिलसिले में विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों और कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत एक मुकदमा मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में तभी से पड़ा है। 29 नवम्बर, 1978 को विश्वविद्यालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया था कि वे अपने विवेक का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के हित में मुकदमों की आगे की कार्रवाई रोक दें क्योंकि जहां तक उसे मालूम है कि सम्बन्धित छात्र और कर्मचारी कथित बन्ध के आयोजन में सम्मिलित नहीं थे, और समय-समय पर अदालत में हाजिर होने पर उन्हें भारी असुविधा होती है।

विश्वविद्यालय अनुदान के सदस्यों की नियुक्ति के मानदंड

5633 श्री सरत कार : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में 5 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों के नाम क्या है तथा इस आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नाम निम्नलिखित है।

अध्यक्ष

1. प्रोफेसर सतीश चन्द्र

उपाध्यक्ष

2. प्रोफेसर बी० रामचन्द्र राव

सदस्य

3. श्री पी० सबानायमन
   सचिव, शिक्षा विभाग
4. श्री पी० जे० कक्कड़,
   सचिव, व्यय विभाग
5. डा० अमरीक सिंह चीमा,
   कुलपति,
   पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
   लुधियाना।
6. प्रो० रामलाल परोख,
   संसद सदस्य।
7. डा० ए० आर० किदवई,
   भूतपूर्व अध्यक्ष
   संघ लोक सेवा आयोग।

सदस्य

8. प्रो० अमलेश त्रिपाठी,
अध्यक्ष इतिहास विभाग,
कलकत्ता विश्वविद्यालय

9. प्रो० सी० बी० सुब्रामनियम,
निदेशक,
बनस्पति विज्ञान उच्च अध्ययन केन्द्र,
मद्रास विश्वविद्यालय

10. प्रो० उषा मेहता,
अध्यक्ष नागरिक शास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग,
बम्बई विश्वविद्यालय ।

11. डा० मृणाल मिरो,
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग,
उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग ।

12. रिक्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्डों की अव्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 (1) के परन्तुक के साथ पठित धारा 5 में की गई है ।

छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा पर मुख्य मंत्रियों से ज्ञापन

5634. **श्री वी० जी० हांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1979 को विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा के बारे में एक ज्ञापन प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री को दिया है;

(ख) क्या उन्होंने इन लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने और उनकी आर्थिक तिथ सुधारने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं;

(ग) यदि हां तो वे उपाय क्या हैं; और

(घ) उन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया निर्णय लियाहै ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : (क) जी हां आठ मुख्य-मन्त्रियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) ज्ञापन में की गई सिफारिशें सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित सामान्य स्वरूप की है ।

(ग) सिफारिशों का एक सार विवरण में दिया गया है ।

(घ) सिफारिशों पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

विवरण

आठ मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री तथा बित्त मंत्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में दी गई सिफारिशों का सार :

1. कृषि वस्तुओं उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि तथा पारिवारिक मांग के सम्बन्ध में आमूर्ति की स्थिति को देखते हुए, कृषि विपणन नीतियों से प्रचुर आपूर्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए । सभी कृषि वस्तुओं के लिए कम से कम वैधानिक मूल्यों को न केवल निवेशों की लागत तथा मार्जिन को मध्य नजर रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए बल्कि असुरक्षित जोखिम और किसान को उत्पादन बनाए रखने तथा तथा उसमें वृद्धि करने के लिए प्रेरणा देने हेतु प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए । इन मूल्यों की संसाधित तथा अंतिम रूप से तैयार किए गए सामान के बाजार मूल्यों से समानता होनी चाहिए जैसे गन्ना तथा खण्डसारी/के मूल्य में संबंध अथवा कपास तथा धागे के मूल्य के बीच सम्बन्ध पर विचार किया जाना चाहिए ।

2. न्यूनतम वैधानिक मूल्यों को प्रभावकारी रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि किसान आश्वसित बाजारों के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके ।

3. निर्यात बाजारों की खोज की जानी चाहिए तथा दीर्घकालीन निर्यात निती का निर्माण किया जाना चाहिए ।

4. किसानों के साथ बिना किसी प्रकार का पक्षपात किए कृषि उत्पादन पूर्वानुमानों का वैज्ञानिक आधार पर पता लगाया जाना चाहिए ।

5. कपास, गन्ना, तिलहन आदि नकद फसलों के मामले में उत्पादन के हित की सुरक्षा हेतु पहले से ही स्थापित किए गए चाय तथा काफी बोर्डों के आधार पर कृषि वस्तु बोर्डो की स्थापना की जानी चाहिए ।

6. बफर स्टाक तथा बंटन तन्त्र को सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा बाजार में लाए गए माल के सम्बग्ध में फालतू उत्पाद की पर्याप्त मात्रा को खरीद कर परिचालित किया जाना चाहिए ।

7. सरकारु को नियंत्रमात्मक तन्त्र जो सतत आधार पर पूर्ति तथा मांग और मूल्य संबंधी नीतियों का प्रबोधन करेगा, के साथ सहयोग देना चाहिए ।

8. सरकार को कृषि ऋण के प्रशासन के लिए एक प्रभावकारी नीति-ढांचा अपनाना चाहिए जिसमें ये शामिल होने चाहिए—(क) पिछले कर्जो को पुनः सूचीबद्ध करना । (ख) पुनः

सूचीबद्ध तथा भविष्य में दिए जाने वाले कर्जे दोनों के लिए ब्याज दर को 6-7 प्रतिशत तक घटाना। (ग) कार्यक्षेत्र को भूमि विकास के लिए ऋण स्थिरीकरण निधियों से ऋणों की सूचीबद्ध किस्तों तक बढ़ाना तथा (घ) वसूल न किए जाने योग्य ऋणों को पूरा करने के लिए राहत तथा बन्धक निधियों में पर्याप्त प्रावधान। इस राहत में पुनः सूचीबद्ध कर्जे पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी आ जाएगा।

9. सरकार को प्रायोगिक आधार पर किसानों को प्रतिकूल वर्षों में आर्थिक सहायता की किस्त सहित एक न्यूनतम औसत आय सुनिश्चित करने के लिए फसल तथा पशु बीमा की एक व्यावहारिक योजना शुरू करनी चाहिए।

10. इसके साथ ही अच्छी फसल तथा लाभकारी आय वाले वर्षों में किसानों से अंशदान एक मूल्य स्थिरीकरण निधि का निर्माण किया जाना चाहिए।

11. राज्य सरकारों को आन्तरिक तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के समन्वय से शीर्ष विपणन एजेंसियों का गठन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को इन एजेंसियों के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण सुविधाएं सुलभ करने के लिए राजी करना चाहिए ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित बन्धक अथवा प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर इन वस्तुओं के बाजार में आने पर खरीद करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने योग्य बनाया जा सके।

12. शीत भंडारों, रेल द्वारा माल पहुंचाने, पत्तन स्थलों आदि के लिए प्राथमिकता देने की व्यवस्था करके आधारभूत सहायता को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

13. सरकार को कृषि वस्तुओं के संबंध में मूल्य स्थिरता तथा रियायती वित्त के लिए एक राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि बिना उठाए गए माल अथवा कृषि वस्तुओं के त्वरित मूल्यों की समस्या द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों का हल निकाला जा सके।

किसानों को गायें दिया जाना

5635. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की किसानों को उनके अपने उपयोग के लिए सरकारी साधनों से गायें दिलाने ओ कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम में छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को गाय खरीदने के लिए राजसहायता देने का प्रावधान है। उपर्युक्त वर्गों को शेष राशि संस्थागत स्रोतों से ऋण रूप में

दी जाती है। विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर बछड़ों के सम्वर्धन के लिए भी छोटे एवं सीमात कृषकों तथा श्रमिकों को राजसहायता प्रदान की जाती है। इस मामले में भी शेष राशि संस्थागत स्रोतों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं होता।

अन्त्योदय कार्यक्रम का मूल्यांकन

5636. श्री दौलतराम सारण : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में शुरू किए गए अन्त्योदय योजना मूल्यांकन या सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा मूल्यांकन या सर्वेक्षण कहां किया गया है ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या कमियां थीं **और** उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं ;

(घ) क्या सरकार ने अन्त्योदय योजना को योजनाबद्ध विकास के रूप में स्वीकार कर लिया है और क्या इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाएगा; और

(ङ) क्या अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों के सामने बैंकों से ऋण लेने के सम्बंध में होने वाली कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाया गया है और क्या उन्हें दूर करने के लिए उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य में मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्य संचालन का मूल्यांकन सितम्बर-अक्टूबर 1978 के दौरान राजस्थान राज्य के चुने पांच जिलों अर्थात् जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झुनु-झुनु और जयपुर में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रारम्भ किया गया था।

(ग) मुल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

(1) 1,60,517 निर्धनतम परिवारों का पता लगाने के लक्ष्य को लगभग तीन महीनों की अवधि में पूरा कर लिथा गया था। अधिकांश मामलों में अन्त्योदय परिवारों के पता लगाए जाने को संतोषजनक सूचित किया गया था।

(2) राज्य में 15 सितम्बर, 1978 तक लाभान्वित 1,24,261 परिवारों से इतने कम समय में 40.54 प्रतिशत (50,375) ने ऋण प्राप्त किया था, 31.88 प्रतिशत (39,615) ने भूमि प्राप्त की, 20.48 प्रतिशत (25.453) ने वृद्धावस्था पेंशन तथा 3.71 प्रतिशत (4610) ने मजदूरी रोजगार प्राप्त किया।

(3) विभिन्न जिलों की गैर-सामूहिक स्थिति को देखते हुए, यह देखा गया था कि लाभ का प्रवाह, अर्थात् पता लगाए गए वास्तविक परिवारों के पश्चात् वास्तविक रूप से वितरित किये गये ऋण, 18 से 63 प्रतिशत तक भिन्न भिन्न था।

(4) गांवों में अभियान का वातावरण तैयार करने हेतु भूमि तथा ऋणों को वितरित करने के लिए राजस्व शिविरों के गठन का कार्य में नवीन प्रक्रिया पायी गई थी तथा इसे उत्साहपूर्वक पूरा किया गया था।

(5) यद्यपि योजना के अन्तर्गत यह परिकल्पना की गई थी कि अन्त्योदय परिवारों को सामग्री, प्रबन्ध तथा विपणन सुविधाएं सुलभ की जाएगी, तथापि यह पाया गया कि चुने पांच जिलों में से किसी ने भी यह सूचित नहीं किया था कि अन्तयोदय परिवारों को प्रबन्ध, उत्पादन तथा विपणन में तकनीकी जानकारी सुलभ करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है।

(6) गहराई से अध्ययन किए 25 में से 15 परिवारों ने यह उल्लेख किया कि अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने के पश्चात् उनके रोजगार तथा आय में वृद्धि हुई थी।

सुधारों हेतु दिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार है :—

(1) कार्यक्रम के कार्यान्वियन तथा अनुवर्ती कार्य के लिए सुपरिभाषित कार्य प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है।

(2) लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के आधार पर 'जोखिम निधि' के लिए योजना को प्रारम्भ करने की भी आवश्यकता हैं। इससे वित्तीय संस्थाओं को लाभभोगियों के लिए उदारतापूर्वक ऋण सुलभ करने प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(3) लाभभोगियों की उभरती हुई उपभोज्य आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाने के लिए ऋण सुविधाओं के प्रावधान की आवश्यकता है। यह उन योजनाओं के मामले में विशेष रूप से अनिवार्य है, जहां ऋण का प्रवाह तत्काल नहीं है।

(4) योजना के कार्य संचालन के समवर्ती मूल्यांकन की नियमित पद्धति को लागू करना अपेक्षित होगा।

(घ) अन्त्योदय कार्यक्रम को 1977-78 के दौरान राजस्थान की राज्य योजना स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तब से अन्य राज्यों द्वारा भी इसे योजना स्कीम के रूप में शुरू किया है। तथापि, अन्त्योदय की किसी नई केन्द्र-प्रायोजित योजना को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यद्यपि, अन्त्योदय योजना हेतु कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं, तथापि प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्त सुलभ करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वर्तसान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। ब्याज की विशिष्ट दर योजनाओं के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों हेतु

वाणिज्यिक बैंक 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण सुलभ कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में अन्त्योदय कार्यक्रम में वाणिज्यिक बैंकों को धीमी गति से शामिल करने के बारे में वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। अत: मंत्रालय ने अपेक्षाकृत कम स्तर के अग्रिमों वाले वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी थी कि ये विशिष्ट दर ब्याज योजना केअन्तर्गत अपने उधार देने में वृद्धि करने के लिए उपाय करें। राजस्थान मैं फरवरी 1978 के अंत तक 5700 परिवारों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्वीकृत की गई 75.00 लाख की धनराशि के मुकाबले में बैंकों ने 31 जनवरी 1977 तक 25, 291 परिवारों के लिए 519.15 लाख की धनराशि संस्वीकृत की थी।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति

5637. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पोषाहार सोसायटी ने एक वास्तविक राष्ट्रीय पोषाहार नीति तैयार करने के लिए सिफारिश करने हेतु एक सलाहकार दल गठित किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने इसका अनुमोदन किया है :

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब दिए जाने की संभावना है ;

(घ) सरकार समिति को किस प्रकार सहायता देगी;

(ङ) क्या इस समिति में मंत्रालय के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे; और

(च) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) यह समझा जाता है कि भारतीय पोषाहार सोसाइटी जो व्यवसाय-रत व्यक्तियों का गैर-सरकारी संगठन है एक वास्तविक राष्ट्रीय पोषाहार नीति तैयार करने के लिए सलाहकार समिति बनाने का विचार रखता है।

(ख) से (घ)—इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) यह समझा जाता है कि यह समिति समाज कल्याण विभाग के सचिव को इस प्रस्ता-वित्त सलाहकार समिति के साथ सम्बद्ध करना चाहेगी। अभी तक कोई औपचारिक निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

संघ राज्य क्षेत्रों में मद्य निषेध

5638. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री राज्यों में मद्यनिषेध नीति के कार्यान्वयन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 943 दिनांक 26 फरवरी, 1979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्रों में मद्यनिषेध अब तक किन-किन स्थानों पर लागू हो गया है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या अधिक क्षेत्रों की मद्यनिषेध के अन्तर्गत लाने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) मद्यनिषेध नीति के अनुसार मार्च, 1982 के अन्त तक समाप्त होने वाले चार वर्षों में/क्रमिक रूप से मद्यनिषेध दिवसों के लगातार प्रसार द्वारा लागू किया जाना है । संघशासित क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों का विवरण पत्र अनुलग्न है और प्रत्येक संघशासित क्षेत्र के प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र को मद्यनिषेध के क्रियान्वयन के लिए एक ही एकक माना जाता है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4230/79)

पोषाहार कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता

5639. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान पोषाहार और बाल वर्ष के दौरान पोषाहार और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से उपहार के रूप में कुछ सहायता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां । संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, जैसे यूनिसेफ, डब्ल्यू० एफ० पी० और डब्ल्यू० एच० ओ० बाल विकास तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान करती रही है; और यह सहायता विश्व बाल वर्ष के दौरान भी जारी रहेगी ।

(ख) ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

विवरण

पोषाहार और बाल कल्याण हेतु संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का विवरण पत्र

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां	कार्यक्रम	प्राप्त की गई या प्रतिबद्ध राशियां	
1	2	3	
		(000 डालर)	
		1978	1979
1. यूनिसेफ	(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना और विशेष पोषाहार	138·0	2·557

1	2		3
	(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,567·0	3,575
	(ग) खाद्य और पोषाहार में उच्च शिक्षा	49·5	212
		3,745·5	6,332
		(लगभग 3 करोड़ रूपये)	(लगभग 5.06 करोड़ रूपये)

2.	विश्व खाद्य कार्यक्रम	स्कूल पूर्व के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम	अगस्त, 78 से सितम्बर, 1979 तक की अवधि के लिए लगभग 68 हजार टन खाद्य सामग्री ।
3.	डब्ल्यू० एच० ओ०	पोषाहार कार्यक्रम —स्वास्थ्य मंत्रालय	37.9 हजार डालर (लगभग 3.03 लाख रूपये)
	दूसरे संगठन		
	केयर	स्कूली बच्चों और स्कूल पूर्व बच्चों हेतु विशेष पोषाहार कार्यक्रम	वर्ष 1978-79 के लिए 2·56 लाख टन खाद्य सामग्री ।

डेरी विकास तथा विपणन यार्डा के लिये विश्व बैंक सहायता

5640. श्री राजशेखर कोलूर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से विपणन यार्डो की स्थापना और डेरी विकास योजनाओं के लिये चालू-वर्ष के दौरान कितनी सहायता दी गई ;

(ख) क्या प्राप्त राशि का पूरा उपयोग किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : **(क) से (ग) तक** अपेक्षित जानकारी नीचे सारणी में दी गई हैं : —

(लाख डालर)

परियोजना	वर्ष 1978-79 के लिए नियतन	इस वर्ष के दौरान 31-1-1979 तक विश्व बैंक से प्राप्त की गई सहायता	किए गए दावे स्तम्भ 3 और प्रतिक्षित वितरण	तथा 4 का योग
1	2	3	4	5
(1) बिहार कृषि मंडियां	55·0	52·9	10.7	63·6
(2) कर्नाटक कृषि मंडियां	4·0	2·5	—	2·5
(3) कर्नाटक डेरी विकास	35·6	32·6	0·6	33·2
(4) मध्य प्रदेश डेरी विकास	30·0	26.3	23·9	50·2
(5) राजस्थान डेरी विकास	35·0	29·3	13·0	42·3

उपरोक्त से यह पता चलता है कि (2) तथा (3) परियोजनाओं को छोड़कर जिनके संबंध में थोड़ी कमियां हैं, उपयोग अच्छा हुआ है ।

भारत के गांवों में पेय जल और फ्लश शौचालयों की व्यवस्था

5641, श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के एक लाख पच्चीस हजार गांवों में रह रहे सभी लोगों के लिए पेय जल की सुविधायें उपलब्ध करने के लिए बजट में प्रावधान करने का सरकार का विचार है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लश शौचलाओं की व्यवस्था करने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) क्या आगामी आम चुनाव तक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के लिए फ्लश शौचालयों की व्यवस्था करने की मन्त्रालय की कोई योजना है ?

निर्माण—और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। किन्तु 1978-83 की योजना अवधि के दौरान सरकार का लक्ष्य सर्वप्रथम (1972 के सवेक्षण में पता लगाए गए) उन समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल की व्यवस्था करना है जहां इसकी व्यवस्था करनी शेष है । तदनुसार, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम और राज्य क्षेत्री न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) : अगले आम चुनाव तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए फ्लश वाले शौचालयों की व्यवस्था करने की निर्माण और आवास मन्त्रालय के पास कोई योजना

नहीं है। इसलिए चालू वित्तिय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लश वाले शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेय जल की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान

5642, श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पेय जल की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान देने के लिए कहा है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 लाख रुपये के प्रारम्भिक नियतन के अतिरिक्त 250 लाख रुपये और अनुदान के रूप में नियतन की मांग की है। राज्य के निष्पादन तथा अतिरिक्त नियति के लिए निधियों की उपलब्धता की समीक्षा करने के बाद कथित कार्यक्रम के अधीन 114 लाख रुपये की और राशि का नियतन किया गया तथा राशि मुक्त कर दी गई है।

बांसवाड़ा जिले के डाकघर की इमारत के लिए दिया गया किराया

5643· श्री हीरा भाई: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बाँसवाड़ा जिले में कितने उपडाकघर तथा शाखा डाकघर हैं और क्या एक के अतिरिक्त सभी इमारतों का किराया दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए अब तक कितना किराया चुकाया गया है; और

(ग) डाकघरों के लिए इमारतों के निर्माण के लिए गत पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आबंटित की गयी और कितनी राशिव्यपगत हो गयी है ?

संचार मंत्रालय में (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उप डाकघर 16 और शाखा डाकघर 128 सभी भवनों का किराया अदा किया जा चुका है।

(ख) रु० 10,626/-प्रति वर्ष

(ग) पिछली पंच वर्षीय योजना में बांसवाड़ा जिले में डाकघर हेतु भवन निर्माण के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी और इसलिये कोई निधि व्यपगत नहीं हुई।

केन्द्रीय स्कूलों में अंग्रेजी समाप्त किया जाना

5644· श्री रामविलास पासवान: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्कूलों से अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में समाप्त करने का है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में समाप्त करने के लिए राज्यों को निदेश देने का है, और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना विशिष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गयी है ताकि उनके माता-पिता के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्राय: होने वाले स्थानानतरणों के कारण शिक्षा में कोई रुकावट न आए । तदनुसार इन विद्यालयों का विकास द्विभाषित रूप से किया गया है जिसमें मानविकियों की शिक्षा हिन्दी में और विज्ञान तथा गणित की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है । इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र सही ढंग से अध्ययन कर सकें यह जरूरी है कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़ाया जाये ।

लद्दाख में कृषि का विकास

5645. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या लद्दाख में विकास के अन्य साधनों के पूर्णतया अभाव के कारण वहां के लोग केवल कृषि पर निर्भर है ;

(ख) क्या सरकार जवानों, पर्यटकों तथा स्थानीय जनता की सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को देखते हुए इस अंचल के लिए विशेष कृषि विकास कार्यक्रमों पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) से (ग) तक : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भूमि की जोत का ब्यौरा

5646 : **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **भूमि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वर्ष 1977-78 के दौरान प्रत्येक राज्य में कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की गई :

(ख) इसी वर्ष के लिये कुल जोत में से 5 एकड़, 5 से 10 एकड़ और 10 एकड़ से अधिक जोतों का ब्यौरा क्या है : और

(ग) कितने किसानों ने कृषि वर्ष 1960-61, 1970-71 और 1977-78 के दौरान पृथक-पृथक 5 एकड़, 5 से 10 एरड़ और 10 एकड़ से अधिक जोतों में खेती की

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाल) : कृषि बर्ष 1977-78 के दौरान कितने एकड़ क्षेत्र में खेती की गई है, इसका राज्यवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कृषि वर्ष 1977-78 के लिए जोतों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) खेती किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार किसानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । तथापि, कृषि संगणना के अनुसार 1970-71 के दौरान 5 एकड़ से कम, 5 से 10 एकड़ तक तथा 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र की संक्रियागत जोतों की संख्या क्रमश: 491·1 लाख, 106·8 लाख तथा 107 लाख थी ।

1960-61 तथा 1977-78 के वर्षों की कृषि संगणना के आधार पर इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आपात स्थिति के दौरान गिराये गये मकानों के लिए भवन प्लान

5647. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कथित मकान गिराए जाने के कितने मामलों में भवन-निर्माताओं ने सक्षम स्थानीय अधिकारियों, यथा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका को मंजूरी के लिए भवन प्लान प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) उपरोक्त (क) भाग में निर्दिष्ट मामलों में से कितने मामलों में उपरोक्त स्थानीय अधिकारियों के भवन-निर्माताओं के भवन प्लानों पर मंजूरी दे दी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला इन संगठनों में नहीं था । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उस संगठन में कथित तोड़-फोड़ भवन नक्शों के प्रस्तुतीकरण का कोई तुलनात्मक रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

विभिन्न राज्यों द्वारा सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और राज्य नियतन का उपयोग न किया जाना

5648. **श्री फिरंगी प्रसाद** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जैसे ऐसे कुछ राज्य हैं जो चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय और राज्य नियतन का उपयोग नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार कुल कितनी राशि के व्यपगत होने की संभावना है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और इस संबंध में राज्य सरकारें किस आधार पर अपनी स्थिति को उचित ठहरा सकती हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 1979-80 की वार्षिक योजना तथा 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते समय कुछ राज्यों ने, जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं, बताया था कि बृहद् और मध्यम सिंचाई सैक्टर पर होने वाला खर्च निर्धारित राशि से कुछ कम होगा। इन राज्यों से कहा गया था कि वे अपने क्रियान्वयन तन्त्र को सुदृढ़ करें तथा निर्माण-कार्य में तेजी लाने का प्रत्येक प्रयास करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। 1978-79 का वित्तीय वर्ष अभी-अभी समाप्त हुआ है और खर्च में यदि कोई वास्तविक कमी हुई है तो उसकी अन्तिम तस्वीर अभी उपलब्ध नहीं हुई है !

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यों को प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशिष्ट स्कीम-समूह अथवा विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं होती। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रियान्वयन के दौरान, योजना के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं का आम तौर पर पालन किया जाए, कुछ शीर्षों अथवा उप-शीर्षों के अन्तर्गत तथा कुछ विशिष्ट स्कीमों के लिए (जनमें विशिष्ट निर्माणाधीन बृहद सिंचाई स्कीमें शामिल हैं) योजना आयोग द्वारा अलग से परिव्यय निर्धारित किया जाता है।

चयन ग्रेड के स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति

5649. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन ग्रेड के स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर जारी किया गया दिनांक 18 मार्च, 1978 का आदेश, क्रियान्वित कर दिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति (न कि कार्य समिति) की सिफारिशों पर शिक्षा निदेशालय ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 70 दिनांक 13 मार्च, 1978 द्वारा 15 स्नातकोत्तर शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड दे दिया है।

वन के अन्तर्गत क्षेत्र की कमी

5650 : **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति के प्रस्तुतीकरण के बाद 40 लाख एकड़ से अधिक भूमि खाली हो गई है :

(ख) यदि हां, तो नदी घाटी परियोजनाओं, कृषि परियोजनाओं और इन विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए कितना वन क्षेत्र खाली कराया गया है : और

(ग) इस प्रकार खाली हुई भूमि को पूरा करते हेतु वन लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) राज्य वन विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1951-52 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा के पश्चात 1975-76 तक लगभग 41.36 लाख हैक्टार अथवा 102.16 लाख एकड़ वन की भूमि खाली की गई है ।

(ख) नदी घाटी परियोजनाओं तथा कृषि प्रयोजनों के लिए क्रमश: 4·79 लाख हैक्टार और 25.07 लाख हैक्टार के बराबर का क्षेत्र खाली किया गया है । विविध प्रयोजनों के लिए खाली किया गया वन क्षेत्र, जिसमें विकास संबंधी कार्यों के कारण विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र शामिल है, का अनुमान 9.65 लाख हैक्टार है ।

(ग) विभिन्न प्रयोजनों के लिए खाली किए गए वन क्षेत्र को पूरा करने के बिए 1975-76 से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक भूमि, परती भूमि, राजमार्गों, रेलवे ट्रैकों तथा नहरों आदि के दोनों ओर की पट्टियां इत्यादि वन रोपण के अंतर्गत लाई जा रही हैं ।

अब तक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अधीन लगभग 1.96 लाख हैक्टार सामुदायिक भूमि/परती भूमि और लगभग 44,000 पंक्ति किलोमीटर भूमि की पट्टी लाई गई है ।

गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए और अधिक वानिकी क्षेत्र न लाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय वन नीति में यह व्यवस्था की जा रही है कि बांधों तथा जलाशयों के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए काम में लाई गई भूमि अथवा कृषि और अन्य गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए हस्तान्तरित की गई वन भूमि की प्रतिपूर्ति वैकल्पिक, समान भूमि (जहां यह विनियम सम्भव हो) देकर की जानी चाहिए, ताकि कुल वन क्षेत्र में कमी न हो वन कटाई तब शुरू की जाए जब ऐसा करना अपरिहार्य हो और इसके लिए राज्य विधान सभा की पूर्व अनुमति भी ली जाए ।

रबी की फसल के मूल्य निर्धारण के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

5651. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, चने और अन्य रबी की फसलों के मूल्य निर्धारण के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को सन्तोषजनक पाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इनमें क्या परिवर्तन करने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1979-80 विपणन मौसम के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित चना के समर्थन मूल्य को स्वीकार कर लिया गया है और उसकी सरकार द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई है। आगामी मौसम के लिए गेहूं समर्थन मूल्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निदेशक द्वारा आई० आई० टी० के विमान का उपयोग

5652. श्री मनोहर लाल : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० आई० टी० कानपुर के निदेशक ने चण्डीगढ़ जबलपुर आदि जाने के लिए प्रायः विमान का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1978-79 में उसने कितनी बार और कहां-कहाँ के लिए तथा किन प्रयोजनों के लिए उक्त विमान का उपयोग किया और सरकारी हैसियत से अथवा गैर सरकारी हैसियत से इसका उपयोग किया;

(ग) क्या यात्रा आरम्भ करने से पूर्व महानिदेशक नागर विमान से अनुमति ले ली गई थी, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 31 अक्तूबर, 1976 को निदेशक ने इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ की यात्रा की। इस यात्रा से सम्बन्धित भुगतान ईस्टीटयूशन आफ इंजीनियर्स द्वारा किया गया था।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान, निदेशक ने अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ आपात् भेंट के लिए 13 फरवरी, 1979 को दिल्ली की एक बार यात्रा की।

(ग) जैसा कि भारतीय विमान नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित है, यात्रा आरम्भ करने से पूर्व यात्रा के लिए सरकारी प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुसलमानों को सरकारी आवास का आबंटन

5653. **श्री हलीमुदीन अहदम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सरकार के मुसलमान कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर देने का सरकार का विचार है, क्योंकि साम्प्रदायिक कठिनाइयों की वजह से उन्हें दिल्ली में किराए के मकान नहीं मिलते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) सामान्य पूल वास के आबंटन के मामले में धार्मिक आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन

5654. **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान निर्धनता नीचे के स्तर पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के लिए सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के कार्यक्रमी में केवल सम्पन्न परिवारों बच्चों के लिए ही व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार समूचे देश के स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 "सुविधाओं से वंचित बच्चों को सुविधाएं देने" के लक्ष्य के साथ मनाया जा रहा है। तदनुसार कार्रवाई की एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना बनाई गई है जिसे सरकार (केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें), अन्य सरकारी सहायता-प्राप्त तथा निजी एजेन्सियों द्वारा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों पर बल देते हुए कार्यान्वित किया जा सकें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : स्कूली बच्चों को, प्राथमिक स्तर पर, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को मध्याह्न—भोजन प्रदान किया जाता है। केयर (सी०ए०आर०ई०) द्वारा प्रदान की जाने

वाली खाद्यय सामग्री के साथ इस समय योजना में शामिल 1.6 करोड़ बच्चों के अलावा योजना के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 1978-83 के दौरान 40 लाख अतिरिक्त बच्चों को देशी खाद्य सामग्री प्रदान करके इसके अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है :

पंचकुइया रोड, नई दिल्ली के दुकानदारों को भूमिगत पालिका बाजार में दुकानों का आबंटन

5655. **श्री महीलाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस में भूमिगत पालिका बाजार में कुछ दुकानें उन दुकानदारों को आबंटित की गई हैं जिनकी पहले पंचकुइयां रोड पर दुकानें थीं;

(ख) क्या इन दुकानदारों को अपनी पिछली दुकानों के किराये की तुलना में 80 से 100 गुना अधिक किराया देना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इन दुकानदारों को मालिकाना आधार पर यह दुकानें आबंटित करने का विचार है ताकि उन्हें अनिश्चित काल के लिए बहुत अधिक किराया न देना पड़ें; और

(घ) यदि हां, तो इन दुकानों का मालिकाना आधार पर आबंटन करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया जायेगा और दुकानों की लागत कैसे वसूल की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्द्र बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) पालिका बाजार जिसका स्थान निर्धारण अपेक्षाकृत बहुत अच्छा है और जो वातानुकूलित किया जाएगा, का किराया पंचकुइयां रोंड की कुटीरनुमा दुकानों की बनिस्पत बहुत अधिक है ।

(ग) नई दिल्लो नगर पालिका ने सूचित किया है कि पालिका बाजार में दुकानों का आबंटन किराए के आधार पर किया गया है और उन्हें स्वाभित्म आधार पर बेच देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल के सहयोग से शीशा पानी नोनथार में एक बांध का निर्माण

5656. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हिमालय के पहाड़ों से निकलने वाली अनेक बड़ी और छोटी नदियों के अनियमित बहाव के कारण बाढ़ें उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष विनाश करती हैं;

(ख) क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी दलों ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि नेपाल के सहयोग से शीशा पानी नोनथार आदि में एक बहु उद्देशीय बांध का निर्माण करने हेतु एक परियोजना आरम्भ की जाए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वाह क्षेत्र में भारी वर्षापात, विशेषतया हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, होने के कारण उत्तरी बिहार में बार-बार बाढ़ें आती हैं। हिमालय से निकलने वाली और अन्ततः गंगा में मिलने वाली इन सभी नदियों और सरिताओं का मानसून जल-निस्सार कई बार सामान्य ठंडे मौसम का जल निस्सार होता है और इस प्रकार नदियों का छलकाव घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। ये नदियां अपने साथ काफी गाद लाती हैं जिसे वे मैदानों में प्रवेश करते समय फैला देती हैं। फलस्वरूप, छलकाव होता है, विसर्पण होता है और नदियां इधर-उधर अपना मार्ग बनाती हैं। इसके अलावा, क्षेत्र के जलीढ़ होने के कारण प्राकृतिक जल-निकास सुविधा अपर्याप्त है। नदियों के वाह क्षेत्र में अनियमित वन-कटाव और अवैज्ञानिक भूमि उत्तरी बिहार में बाढ़ समस्या प्रबल होती है।

(ख) और (ग) किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि बिहार में गंगा के उत्तरी क्षेत्र और अन्य राज्यों में बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए यह आवश्यक होगा कि नेपाल में, जहां बांधों के निर्माण के लिए उपयुक्त उपलब्ध स्थल हैं, वहां जल संचय जलाशय परियोजनाओं का निर्माण किये जाये। प्रभावित क्षेत्रों में भी ऐसे जल संचय जलाशयों के बनाए जाने की मांग है। जल संसाधन विकास से इष्टतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि बहुद्देशीय परियोजनाओं को हाथ में लिया जाए। इन परियोजनाओं को संयुक्त रूप से हाथ में लेने के लिए नेपाल सरकार से काफी समय से कहा जा रहा है। नेपाल में चीसापानी पर करनाली परियोजना से संबंधित प्रारम्भिक मासलों की जांच करने के लिए भारत और नेपाल एक संयुक्त भारत नेपाल समिति का गठन करने के बिए सहमत हो गए हैं। उक्त समिति का गठन हो चुका है। नोनथार पर एक बहुद्देशीय बांध के निर्माण के बारे में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। राप्ती (भालूभंग) और पंचेश्वर परियोजनाओं के लिए संयुक्त अन्वेषण करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों/फ्लैटों की बिक्री के बारे में नीति

5657 **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पूनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में बहुत अधिक मूल्य पर प्लाटों का नीलाम करती है;

(ख) क्या फ्लैटों की स्वत: वित्त पोषण योजना के आधीन भी लोगों से बहुत अधिक मूल्य लिया जाता है;

(ग) उक्त योजना के अधीन प्रत्येक किस्म के फ्लैट की लागत कितनी होगी और नीलाम किए जा रहे प्लाट की लागत कितनी होगी;

(घ) क्या कुछ प्लाट 5,000 रुपये प्रति वर्ग गज या उससे अधिक दर से नीलाम किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेची गई भूमि का भाव क्या था;

(च) प्लाटों और फ्लैटों की बिक्री के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा प्लाट और फ्लैट कीमत खरीद पर न बेंचे जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केवल आरक्षित मूल्य निश्चित किया जाता है । वास्तविक मूल्य जिस पर कि प्लाटों की नीलामी की जाती है, नीलामियों में लगाई उच्चतम बोली पर निर्भर होता है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियत किया गया अनन्तिम मूल्य अनुग्नक में दिया गया है ।

प्लाटों का मूल्य अन्य पक्षों के साथ-साथ प्रयोग अनुमेय निर्मित क्षेत्र, तथा स्थान पर निर्भर होते हुए भिन्न-भिन्न होता है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नेहरू प्लेस तथा राजेन्द्र प्लेस में वाणिज्यिक प्लाट 6997 रुपये तथा 20,709 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच भिन्न-भिन्न दरों पर नीलाम किये गए हैं ।

(च) (i) प्लाटों के बेचे जाने सम्बंधी नीति निम्न प्रकार है :—

सामान्यतया, विकसित भूमि नीलामी द्वारा बेची जाती है तथा उच्चतम बोली के माध्यम से प्रीमियर निश्चित किया जाता है । मगर, निम्नलिखित को भूमि पूर्व-निश्चित दरों पर आवंटित की जाती है ।

(i) निम्न और मध्यम आय वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को रिहायशी प्लाट ।

(ii) सहकारी समितियों को

(iii) नान-कनफर्मिंग एककों का स्थानान्तरित करने के लिए

(iv) उन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं।

(2) **फ्लैटों की बिक्री के सम्बन्ध में नीति निम्न प्रकार है :—**

(i) फ्लैट पंजीकरण की वरिष्ठता के आधार पर उन व्यक्तियों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपने आप को पंजीकृत करा लिया है ।

(ii) 50 प्र० प्र० फ्लैट नकद भुगतान के आधार पर तथा 50 प्रतिशत किराया खरीद आधार पर आवन्टित किए जाते हैं ।

(iii) जिन्होंने स्वयं को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कराया उन को फ्लैट पर्ची निकाले जाने के आधार पर आवन्टित किए जायेंगे । फिर भी, जो प्रथम योजना के अन्तर्गत पंजीकृत है उन्हें द्वितीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों से वरीयता होगी ।

(iv) स्व वित्त पोषित योजना के मामले में, आवन्टी फ्लैटों के निर्माण के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निश्चित की गई प्रणाली अनुसार 5 किस्तों में अदायगी करते हैं ।

(छ) 200 वर्ग गज क्षेत्र फल वाले रिहायशी प्लाट पूर्व निश्चित दरों पर बेचे जाते हैं, जो कि सब मिला कर बिना लाभ बिना हानि के आधार पर हैं । सम्पूर्ण सामाजिक उद्देश्य को दृष्टि-गत रखते हुए सरकार इस आधार पर बड़े प्लाटों अथवा वाणिज्यिक प्लाटों की बिक्री के पक्ष में नहीं है ।

फ्लैटों के बिक्री मूल्य में लाभ का कोई अंश शामिल नहीं है ।

स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित गिये जा रहे फ्लैटों का अनुमानित कुर्सी क्षेत्र, अनन्तिम बिक्री मूल्य संबंधी विवरण ।

क्रम संख्या	योजना का नाम	श्रेणी	वर्ग मी० में अनुमानतः कुर्सी क्षेत्र	अनन्तिम बिक्री मूल्य
1.	मालवीय नगर एक्सटेशन	I	75·00	55,000
		II	83.4	85,000
		III	129.0	1,15,000
2.	हौज खास (महरौली रोड़)	II	74.5 से 89.00	64,500 से 78,500
			128.8 से 141.0	98,000 से 1,15,000
3.	बसन्स एनकलेव	I	53.18 से 57.26	45,000 से 50,000
		II	94.70	90,000
		III	134.24	1,15,000
4.	मुनीरका	II	110.99	95,000
		III	129.69 से 151.63	1,20,000 से 1,32,000
5.	सिध्दार्थ एनकलेव	II	110.20	95,000
		III	129.69 से 156.63	1,20,000 से 1,32,000

फूलवानी, उड़ीसा में ब्राह्मणपद और लाइन पद में उप डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जाना

5658 **श्री वारचा डिगल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फूलबानी जिले में ब्राह्मणपद और लाइनपद में उप डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। ब्राह्मणपद और लाइनपद विभागंतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय शाखा डाकघर बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केवल ब्राह्मणपद में एक सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का प्रस्ताव, जनरल मैनेजर, दूरसंचार, उड़ीसा सर्किल को प्राप्त हुआ है।

(ख) ब्राह्मणपद और लाइनपद विभागंतर शाखा डाकघरों का दर्जा वढ़ाकर उन्हें विभागीय शाखा डाकघर बनाने के प्रस्तावों की जांच की गई थी, परन्तु विभागीय मानदण्डों के अनुसार उनका औचित्य नहीं सिद्ध हुआ। ब्राह्मणपद में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव को जनरख मैनेजर, दूरसंचार, उड़ीसा ने आर्थिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया।

प्रसाद नगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में छतों के क्षतिग्रस्त होने के प्रति सावधानी बरतना

5659 **श्री डी० जी० गवई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसाद नगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मध्य आय वर्ग के फ्लटों में ऊपरी टंकियां सदैव भरी रहती हैं और उनसे पानी गिरता रहता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सबसे ऊपर वाले फ्लैटों की छतों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पहली और दूसरी मंजिल के फ्लैट मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश देगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पानी की कुछ ऊपरि टंकियों से पानी मुख्यतया फ्लोट वाल्व के खराब होने टूट जाने तथा बाल्व लगा न होने के कारण बहता है।

(ख) दिल्ली विकास (वाम सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम, 1968 के उपबन्धों के आधीन फ्लैट मालिकों सहित पंजीकृत ऐजेन्सी द्वारा दोषी आबंटियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करना अपेक्षित है।

शिवसागर के सूखा पीड़ित व्यक्तियों को राहत

5660. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उनका ध्यान 8 मार्च, 1979 के स्टेट्समैन दिल्ली संस्करण में "ड्रांट हिट्स शिबसागर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) शिबसागर के सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए विशेषकर उन्हें अधिक पानी की सप्लाई करने के बारे में, क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला); (क) जी, हां।

राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है, जिसमें शिबसागर के सूखे से पीड़ित लोगों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने हेतु नलकूपों को लगाने का कार्य भी शामिल है।

'गारलैंड कैनाल स्कीम' के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी

5661. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का ध्यान इस बीच प्रधान मन्त्री द्वारा 2 जनवरी, 1979 को 'गारलैंड कैनाल स्कीम' के बारे में की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) गारलैंड नहर योजना के विभन्न पहलओं की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा पहले ही चार विशेषज्ञ समितियां गठित की जा चुकी हैं। इन समितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों का पता लगाना

5662. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कभी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका जैसे किसी स्थानीय प्राधिकरण के इलाके में कोई अनधिकृत निर्माण किया जाता है तो बिल्डिंग इन्सपेक्टर अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा सम्बन्धित अधिकारियों को उसका पता लगाने तथा ऐसे अनधिकृत निर्माण के बारे में सूचना देने और उसे गिराने आदि के लिए नोटिस जारी करने में सामान्यत: कितना समय लगता है;

(ख) उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है जो सामान्य अवधि के भीतर ऐसे अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने तथा उनके बारे में सूचना देने और नोटिस आदि जारी करने में असफल रहते हैं और इस प्रकार कानून के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में भी असफल होते हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों अर्थात् 1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1978 तक कितने मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और उन मामलों का पूर्ण विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि निरीक्षण के दौरान या शिकायत प्राप्त होने पर नोटिस में जाते ही अनधिकृत निर्माणों पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। गिराने की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए कानूनी नोटिस प्रायः उसी दिन जारी कर दिए जाते हैं।

(क) तथा (ग) : इस बारे में उपेक्षा बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध इन संगठनों द्वारा अपने संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। यह सूचित किया गया है कि जनवरी, 1974 से दिसम्बर, 1978 तक इस बारे में 287 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई थी। अब तक 54 कर्मचारियों के मामले निपटाये जा चुके हैं जिनमें से 34 कर्मचारियों को दण्डित किया गया है। अन्य मामलों में कार्यवाही अभी चल रही है। इसके अलावा, ऐसे 85 मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

प्राइवेट, सहकारी और अन्य क्षेत्रों के चीनी कारखानों पर बकाया गन्ने के मूल्य की राशि

5663. श्री के० एल० राजन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1978 को सम्पूर्ण भारत में चीनी उद्योग पर गन्ना उत्पादकों की गन्ने के मूल्य की कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ख) उपर्युक्त राशि में से कितनी धनराशि सहकारी क्षेत्र के चीनी कारखानों पर बकाया है और उन कारखानों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने कारखाने राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन है और प्राइवेट क्षेत्र के चीनी कारखानों की संख्या कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क और (ख) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को 31 दिसम्बर, 1978 तक देय गन्ने के मूल्य की राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है—

क्षेत्र	31-12-78 को देय गन्ने के मूल्य की धनराशि	फैक्ट्रियों की संख्या
i. सहकारी क्षेत्र (केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई और प्रबंधित 3 फैक्ट्रियों और नीचे (ii) में उल्लिखित को छोड़कर)	36·83	112

1	2	3
ii राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित फैक्ट्रियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र	31·47	58
iii. निजी क्षेत्र (राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित 25 फैक्ट्रियों और ऊपर (ii) में उल्लिखित को छोड़कर)	39 33	104
जोड़	107·63	274

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना

5664. श्री बी० सी० काम्बले : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम किस प्रकार तथा किस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में इस कार्यक्रम से कितने परिवारों को लाभ पहुंच रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शामिल करने का है और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को 2300 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इनमें से 2000 खण्डों को उन क्षेत्रों से चुना गया है जिन्हें लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम अथवा कमाण्ड क्षेत्र विकास के तीन विशेष कार्यक्रमों में से एक अथवा एक से अधिक के अन्तर्गत लाया गया है तथा 300 खण्डों को उन क्षेत्रों से चुना गया है जिन्हें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है । लघु कृषक विकास एजेंसी अथवा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए खण्डों के बारे में प्रतिखण्ड 5 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई है तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए खण्डों के बारे में प्रतिखण्ड 4 लाख रुपए आबंटित किए गए है । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्डों के मामले में राज्यों से प्रति खण्ड अतिरिक्त एक लाख रुपए का अंशदान किए जाने की आशा है । ये आबंटन निधि के वर्तमान स्तर के अतिरिक्त है । उन खण्डों जिन्हें इन विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, के संबंध में वित्तीय आबंटन प्रतिखण्ड दो लाख रुपए हैं । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि अतिरिक्त रोजगार पैदा किया जाए तथा पता लगाए गए लक्षित वर्गों जिनमें छोटे तथा सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति भी शामिल हैं,

के आय स्तर में वृद्धि की जाए । कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां मुख्यत: कृषि तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण कारीगर कार्यक्रमों के क्षेत्र में लाभभोगी उन्मुख कार्यक्रमों के उपादन घटकों को वित्तीय सहायता देने के लिए है । यदि लाभ भोगी छोटा किसान है तो उपदान योजना की लागत के 25 प्रतिशत की दर से दिया जाता है तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए उपदान प्रति लाभ भोगी 3000 रुपये की उच्चक सीमा सहित $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से दिया जाता है । तथापि, अनुसूचित आदिवासी लाभभोगियों के लिए उपदान 5000 रुपए की उच्चक सीमा के साथ योजना की लागत का 50 प्रतिशत दिया जाता है

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए खण्डों के सम्बन्ध में कार्यक्रम के कार्यान्यवन का कार्य विद्यमान लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसियों को सौंपा गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन खण्डों जो विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के सम्बन्ध में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करें । कार्यक्रम में कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने सभी खण्डों के बारे में खण्ड योजनाओं के गठन की परिकल्पना की गई है तथा इन खण्ड योजनाओं का अनुमोदन करने के लिए शक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समितियों को दी गई है । मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी इन समन्वय समितियों का सदस्य है ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि औसतन 5,000 रुपए के निवेश से एक ग्रामीण परिवार को पूर्ण रोजगार मिलेगा तथा इसे गरीबी की रेखा से ऊपर उठायेगा । उपदान को योजना की लागत का एक तिहाई मानते हुए समन्वित ग्राम विकास निधियों में से 1500 रुपए के प्रत्यक्ष निवेश से यह आशा की जाती है कि इससे एक परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएगा बशर्ते कि बैंकिंग संस्थाओं द्वारा इस राशि की दुगुनी अथवा तीनगुनी आवश्यक ऋण सहायता सुलभ की जाए । इस आधार पर, उन खण्डों जहां आबंटन 5 लाख रुपए प्रति खण्ड की दर से है, ये लगभग 300 परिवारों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है । इन खण्डों के सम्बन्ध में जहां चालू वर्ष में वित्तीय आबंटन 2 लाख रुपए की दर से है, परिवारों की संख्या जिन्हें सहायता पहुंचाई जा सकती है प्रतिखण्ड लगभग 130 होगी ।

(घ) पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान देश में लगभग 5004 खण्डों में से 3500 खण्डों में लक्षित लाभभोगी वर्गों के ग्रामीण परिवारों को अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है । शेष खण्डों को आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया जाएगा । यह प्रस्ताव है कि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों ग्रामीण कारीगरों के परिवारों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को ही लिया जाए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समृद्ध श्रेणी के अन्य ग्रामीण परिवारों को नहीं लिया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय का खोला जाना

5665. **श्री उग्रसेन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने के लिए उन्हें एक मांग प्राप्त हुआ है,

(ख) उत्तर प्रदेश के देवरिया में कुशीनगर ऐसा स्थान है, जहां तथागत भगवान बुद्ध ने महा निर्वाण प्राप्त किया और वहां एक डिग्री कालेज भी है और क्या वहां तथागत भगवान बुद्ध विश्वविद्यालय खोलने की मांग पर सरकार विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) किसी भी राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना का उत्तरदायित्व, मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी प्रभाग में एक नए विश्वविद्यालय को खोलने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह मांगी थी। आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय को स्थापित करने के हक में नहीं था। बुद्ध डिग्री कालेज के नाम से एक डिग्री कालेज कुशीनगर में चल रहा है।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना के लिए अग्रीम सहायता

5666. श्री दजीबा देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिये अग्रिम सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, उन परियोजनाओं के नाम क्या है; और

(ग) भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कराने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने 1978-79 के दौरान 16 बृहद और 24 मध्यम सिंचाई स्कीमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए शुरू में 40·08 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता मांगी थी। बाद में राज्य सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया गया और 8 बृहद परियोजनाओं अर्थात खडगवासला, वार्ना, कृष्णा, कुकडी, भीमा, अपर पेनगंगा, अपर वर्धा, पेंच सिंचाई तथा 9 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं नायशः अम्बावाले, हरनबाडी, केलजार, गोको, धाम, वथाडी, कोलार, कनहोले और पैडाग के लिए अग्रिम योजना सहायता की आवश्यकता को घटाकर 15·66 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस अनुरोध और अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसे ही अनुरोधों पर भारत सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किय गया था और 1978-79 के लिए किसी भी राज्य को अग्रिम योजना सहायता प्रदान करना संभव नहीं हुआ है।

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की उपयोगिता

5667. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन सिंचाई योजनाओं का महत्व इन वर्षों में बहुत बढ़ गया है और उन पर बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं पर इसी हिसाब से धनराशि खर्च करते रहने का है;

(ग) क्या मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के आर्थिक उपयोग पर विचार करने के लिये केन्द्रीय जल आयोग में अर्थ शास्त्रियों का एक सैल बनाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर परिव्यय निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर परिव्यय (करोड़ रुपए)
चौथी योजना	1150*
1974-75	380
1975-76	488
1976-77	680
1977-78	844
1978-79 (अनुमोदित)	1028

*इसमें वृहद और मध्यम सिंचाइ स्कीमों के लिए 76·38 करोड़ रुपए की योजना-सहायता शामिल नहीं है और कर्नाटक में कावेरी बेसिन में परियोजनाओं पर लगभग 50·54 करोड़ रुपए का योजना-भिन्न व्यय भी इसमें शामिल नहीं है ।

आगामी योजनाओं के दौरान इसमें और तेजी लाने की संभावना है :

(ग) और (घ) जी, नहीं । योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को आर्थिक व्यवहार्यता की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संवीक्षा की जा रही है । परियोजना रिपोर्टों को कृषि विभाग के जल प्रबंध डिवीजन और एकीकृत वित्तीय सलाहकार को भी संविक्षा के लिए भेजा जाता है ।

चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण चीनी उद्योग में संकट

5668. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण चीनी उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1977-78 के दौरान 1820 लाख मी० टन गन्ने का रिकार्ड उत्पादन होने से उक्त मौसम में चीनी का भी 65 लाख मी० टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। आशा है कि वर्तमान मौसम के 'दौरान भी गन्ने और चीनी का उत्पादन उतना ही होगा। चीनी का फालतू उत्पादन होने के कारण उसका निपटान करने से सम्बन्धित कुछेक समस्याएं पैदा हुई थीं लेकिन चीनी का विनियंत्रण करने से चीनी की घरेलू खपत में लगभग । लाख मी० टन प्रति मास की वृद्धि हुई है। चीनी के स्थानीय मूल्य, जो कि पहले कम चल रहे थे, अब उनमें वृद्धि होनी शुरू हो गयी है, जिससे उद्योग को लाभ पहुंचेगा।

(ख) :—चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण'

सरकार ने चीनी उद्योग की मदद करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. **चीनी से नियंत्रण उठना** : चीनी की घरेलू खपत बढ़ाने और फैक्ट्रियों से चीनी की ज्यादा निकासी कराने की दृष्टि से 16 अगस्त, 1978 से चीनी से नियंत्रण उठा लिया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति काफी हद तक हो गयी है क्योंकि चीनी की घरेलू खपत में प्रति मास लगभग एक लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है।

2. **स्टाक रखने पर प्रतिबन्ध हटाना** : चीनी मिलों को पिछले वर्ष के बचे भारी स्टाक को रखने के बोझ से राहत पहुंचाने की दृष्टि से चीनी के लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने संबंधी प्रतिबन्ध उठा लिये गये हैं।

3. **टैरिफ मूल्य और उत्पादन शुल्क का निर्धारण** : चीनी पर उत्पादन शुल्क में क्रमिक अवस्थाओं में कमी कर दी गई है। चीनी का टैरिफ मूल्य अगस्त, 1978 के 215 रुपये से घटाकर पहली फरवरी, 1979 से 180 रुपये कर दिया गया है।

4. **निर्यात कोटा और निर्यात** : जैसा कि पिछले वर्ष में किया गया था, इस वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन भारत का 6·5 लाख मीटरी टन का पूरा कोटा निर्यात करने का निश्चय किया गया है।

5. **ऊंची लागत पर स्थापित नये यूनिटों और विस्तार किए गए यूनिटों के लिए रियायतें**

नियंत्रण उठाने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में ऊंची लागत पर स्थापित नई फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना का पुनरीक्षण करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप गठित किया गया था। उस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह विचाराधीन है।

6. **उधार संबंधी सुविधाएं** : बैंकिंग सैक्टर से कहा गया हैं कि वे खासकर गन्ने के बकायों को समाप्त करने और उपकरणों की मरम्मत कराने के लिए प्रति फैक्ट्री 25 लाख रुपये तक वेजमानती नकद उधार देने की व्यवस्था करें।

7. **मुलैस का निर्यात** : सरकार ने निर्यात नियंत्रण (आदेश), 1977 में संशोधन कर मुलैस के निर्यात की नीति में संशोधन कर दिया है। इससे मुलैस का निर्यात ओ० जी० एल०-3 के अन्तर्गत लाया गया है। संशोधित नीति से चीनी फैक्ट्रियों को फायदा होने की सम्भावना है क्योंकि उससे मुलैस की ज्यादा मात्रा का निर्यात किया जा सकेगा।

8. **वफर स्टाक तैयार करना** : सिद्धांन्त रूप में वफर स्टाक तैयार करने का निश्चिय किया गया है। इसके तौर-तरीकों की जांच की जा रही है।

9. **गुड़ का निर्यात** : गुड़ बाजार के समर्थन प्रदान करने के उपाय के रूप में, 10 रुपये प्रति क्विंटल की नकद राजसहायता के रूप में और बिना किसी कोटा प्रतिबंध के गुड़ का मुक्त निर्यात करने की अनुमति देने के अलावा, सरकार ने दिसम्बर, 1978 से इस जिन्स का वायदा व्यापार करने की अनुमति दी है।

10. **राज्य सरकारी को ऋण** : उत्तर प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये का ऋण भी दिया गया है ताकि सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों की गन्ने की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके।

विश्वविद्यालयों में यातायात विभागों (ट्रेफिक डिपार्टमेंट) की स्थापना

5669. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अध्ययन और अनुसन्धान के लिए देश के विश्वविद्यालयों में यातायात विभागों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बदलती हुई परिस्थितियों में इतने अधिक राष्ट्रीय महत्व की ओर रोजगारोन्मुख जनहित की योजनाओं की अवहेलना करने का क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार के पास इस समय विश्वविद्यालयों में "यातायात विभाग" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ विश्वधिद्यालय तथा प्रौद्योगिकी के संस्थान उत्तर स्नातक तथा अनुसंधान स्तरों पर यातायात, परिवहन इत्यादि के विभिन्न पहलूओं पर पहले ही कार्यक्रम चला रहे हैं।

साक्षरता विद्यालयों को चलाने के लिए आन्ध्र प्रदेश द्वारा सहायया की माँग

5670. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के एक अंग के रूप में साक्षरता विद्यालयों को चलाने के कार्य में राज्य में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों/एजेन्सियों को वित्तीय अनुदान के रूप में आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई;

(ख) राज्य में साक्षरता विद्यालयों को चलाने के लिए वित्तीय अनुदान देने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अथवा सिफारिश किये गये स्वैच्छिक संगठनों/एजेन्सियों के नाम क्या हैं;

(ग) राज्य में इन संगठनों में से प्रत्येक संगठन द्वारा इस समय कुल कितने साक्षरता विद्यालय चलाये जा रहे हैं और इन सभी विद्यालयों के अधीन आने वाले प्रौढ़ निरक्षरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इसमें से प्रत्येक के स्वैच्छिक संगठन/एजेन्सी को अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता की योजना का संचालन शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा सीधे ही किया जाता है तथा इसके अन्तर्गत घन स्वैछिक एजेंसियों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की सिफारिशों पर दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ साक्षरता विद्यालय जैसे विद्यालय नहीं चलाए जाते हैं। अनुदान, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आयोजित करने के लिए दिए जाते हैं, जो पढ़ने वालों की सुविधा के समय प्रतिदिन लगभग दो घंटे के लिए अंश-कालिक आधार पर चलाए जाते हैं। आशा की जाती है कि प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ दाखिल किए जायें।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई स्वैच्छिक एजेंसियों की सूची, केन्द्रों की संख्या तथा 1978-79 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

साक्षरता विद्यालयों को चलाने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा सहायता की मांग के संबंध में 2 अप्रैल, 1979 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा अतरांकित प्रश्न संख्या 5670 के उत्तर के विवरण में संदर्भित अनुबन्ध।

क्र० सं०	संगठन का नाम	अनुमोदित परियोजना	मंजुर की गई अनुदान की राशि
1.	कोम्प्रीहेनसिव रूरल ओपरेशन्स सर्विस सोसाइटी, मूंघेर	30 केन्द्र	49,500/-
2.	वीकर कम्युनीटीस एक्शन फोर डेवेलपमेंट एण्ड लिबरेशन, नाचाराम, हैदराबाद	-वही-	49,500/-
3.	भागवतथूल्ला धर्मार्थ ट्रस्ट, येल्लामनचल्ली	-वही-	49,500/-
4.	आंध्र राष्ट्र आदिमजाति सेवक संघ, विजयवाड़ा	60 केन्द्र	98,200/-
5.	हिन्द कुष्ट निवारण संघ, हजूराबाद, करीमनगर	60 केन्द्र	98,200/-
6.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ तेलनगाना	100 केन्द्र (मूल संगठन अर्थात, भारतीय आदिम-जाति संवक संघ, नई दिल्ली के माध्यम से)	1,74,500/-
7.	विलेज रिकन्सट्रक्शन आर्गनाइजेशन, गुन्टुर	100 केन्द्र	1,74,000/-
8.	ग्राम अभ्युदय संस्था, पोड्डाथुर	संगठन पंजीकृत नहीं है, अतः अनुदान के लिए पात्र नहीं है	
9.	आंध्र प्रदेश सोशल सर्विस सोसायटी, सिकन्दराबाद	-वही-	
10.	हैदराबाद आर्चडाईओसीस समाज सेवा सोसायटी	विचाराधीन	
11.	नेहरु युवक जन संगम, हरिपलाम	विचाराधीन	
12.	श्री दुर्गा संध सेवा समाजम विजयवाड़ा	विचाराधीन	
13.	भारत सेवक समाज	आवेदन-पत्र पर भारत सेवक समाज के कार्यों के संबंध में कपूर जांच आयोग की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद विचार किया जाएगा।	

संस्कृत कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

5671. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देने श में संस्कृत कालेजों को वर्ष 1978-79 के दौरान कितना अनुदान दिया और उन कालेजों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा. समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित संस्कृत कालेजों को वर्ष 1976-79 के दौरान प्रत्येक के नाम के आगे दिखाया गया अनुवाद प्राप्त हुआ :

क्रम संख्या	कालेज का नाम	दिया गया अनुदान (रुपये में)
1.	राजकीय संस्कृत कालेज, पट्ठामवी	3,286·00
2.	एस0 बी0 ओरियन्टल कालेज, तिस्मति	4,000·00
3.	राजकीय संस्कृत डिग्री कालेज, इन्दौर	15,000·00
4.	संस्कृत कालेज; त्रिवेन्दम	25,000·00
5.	एन० ए० एस० कालेज, मेरठ	1,14,610·70
6.	ब्रह्म संस्कृत महाविद्यालय, रुड़की	13,030·00
7.	राजकीय डी० एस० वी० संस्कृत कालेज रायपुर	2,250·00

नर्मदा पंचाट के संदर्भ में गुजरात की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

5672. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या गुजरात सरकार ने गत अगस्त में न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा जल विवाद के संबंध में दिए गए पंचाट के संदर्भ में गुजरात में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) नर्मदा न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने नर्मदा घाटी में अपने राज्यों की उन परियोजनाओं के लिए जिनमें अधिक परिव्यय होना है, केन्दीय सरकार से विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कहा है। छठी योजना अवधि में नर्मदा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होने वाली संभावित धनराशि, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय सीमा और उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों नामश: गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा की जाने वाली व्यवस्था से संबंधित मामलों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

भारत सरकार ने हाल में सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में एक आयोजन-दल का गठन किया है, जिसमें नर्मदा बेसिन के संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त आयोजन

दल नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अन्तर्गत नर्मदा जल के एकीकृत विकास की योजनाएं तैयार करेगा ।

गांवों में खोदे गए कुएं

5673. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पेय जल प्रदान करने के लिए वर्ष 1977 और 1978 के दौरान गांवों में कितने नये कुएं खोदे गये; और

(ख) उनमें से कितने कुएं वर्ष 1977 और 1978 में मध्य प्रदेश में खोदे गये ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) समस्या ग्रस्त गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत, कुएं खोद कर पीने के पानी की सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसे सुरक्षित एवं स्थायी साधन नहीं समझा जाता । केन्द्र द्वारा प्रवर्तित, योजना के अन्तर्गत बरमा कुओं, नलकूपों और पाइप द्वारा जलपूर्ति योजनाओं की ही सामान्यतया अनुमति दी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्जुमन-ए-इसला हुब्ली कर्नाटक को विकास ऋण

5674. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या अन्जुमन-ए-एसला हुबली (कर्नाटक) को विकास ऋण के रूप में, दो लाख रुपये की राशि दी गई थी;

(ख) क्या निर्धारित नियमों के अनुसार निर्माण समिति बनाई गई है; और

(ग) क्या उपायुक्त तथा कार्यकारी इन्जीनियर समिति के सदस्य हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लारेन्स रोड, दिल्ली में समाज सदन दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किया जाना

5675. **श्री एम० अरुणाचलम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को लारेन्स रोड वैलफेयर फेडेरेशन से एक विरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली नगर निगम को समाज सदन के हस्तान्तरण का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, नहीं ।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फसल की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण फसल के क्षेत्रफल में कमी होना

5676. **श्री रेणु पद दास** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादों के मूल्यों की चालू प्रवृत्ति के कारण वर्तमान फसल पद्धति में परिवर्तन को रोकने और विभिन्न फसलों के आधीन क्षेत्रफल में कमी होने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : गत पांच वर्षों से विभिन्न फसलों के आधीन के क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आई है जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट है। मौसमी परिस्थितियों तथा विभिन्न प्रतिस्पर्द्धी फसलों के मूल्य में समानता के कारण आमतौर से क्षेत्रफल में वर्षानुवर्ष मामूली उतार-चढ़ाव होता है।

फसलों के क्षेत्रफल को स्थिर स्तरों पर कायम रखते हुए सरकार का प्रयास आमतौर पर यही रहता है कि महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए। सिंचाई परियोजनाओं के आधीन बहु-फसली खेती और मिश्रित खेती को प्रोत्साहन देकर के जहां कहीं आवश्यक हो विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 1973-74 से 1977-78 तक महत्वपूर्ण फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(000 हैक्टार)

फसल	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
कदन्न	103,111	99,051	103,727	101,372	103,597
दालें	23,427	22,024	24,454	22,983	23,536
तिलहन	15,451	15,638	15,225	14,834	15,505
पांच प्रमुख					
कपास	7,574	7,562	7,350	6,885	7,815
पटसन तथा मेस्ता	1,163	083	915	1,089	1,155
गन्ना	2,757	2,894	2,762	2,866	3,220
तम्बाकू	462	381	368	432	450
आलू	543	587	622	620	664

तम्बाकू के अन्तर्गत क्षेत्र और इसका मूल्य और स्टाक

5677. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देश में वह क्षेत्र कितना है जिसमें विभिन्न किस्म के तम्बाकू का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों पर भारी स्टाक जमा हो गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सब क्षेत्रों में तम्बाकू के मूल्य गिर गये हैं और यदि हां तो सरकार की गम्भीर स्थिति का सामना करने करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में तम्बाकू जमा हो गया है और यदि हां, तो उसकी बिक्री के लिए क्या कार्यवाही की यई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस सम्बन्ध में वर्ष 1977-78 की जानकारी नीचे दी गई है ।

राज्य	किस्में	1977-78 में उत्पादन (हजार मीटरी टन)
आन्ध्र प्रदेश	वर्जीनिया	126.5
	अन्य (नोटू)	72.5
गुजरात	निकोटियाना टाबेक्रम	125.3
तमिलनाडु	निकोटियाना टाबेक्रम	31 2
कर्नाटक	निकोटियाना रस्टिका	1.5
	निकोटियाना टाबेक्रम वर्जीनिया	7.0
	अन्य	20.6
पश्चिम बंगाल	निकोटियाना रस्टिका	0.1
	निकोटियाना टाबेकम वर्जीनिया	12.4
	अन्य	2.5
बिहार	निकोटियाना टाबेक्रम	12.2
उत्तर प्रदेश	निकोटियाना रस्टिका	7 0
	निकोटियाना टाबेक्रम	0.9
अखिल भारत		
निकोटियाना रस्टिका		21.4
निकोटियाना टाबेक्रम (वर्जीनिया)		133.6
निकोटियाना टाबेक्रम (अन्य)		290.2
कुल-अखिल भारत		445.2

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में जो कि देश में तम्बाकू के कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत का उत्पादन करता है, 1978-79 में एफ० सी० वी० तम्बाकू का काफी

उत्पादन हुआ है और इसके अतिरिक्त पिछली फसलों का एफ० सी० वी० तम्बाकू का भी कुछ पिछला स्टाक पड़ा हुआ है।

(ग) तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं। कच्चे तम्बाकू के थोक मूल्य का सूचकांक' जो जनवरी में 139.0 से घटकर 131.0 हो गया था, 10 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले सप्ताह में फिर बढकर 139.9 हो गया है। जहाँ तक देश के विभिन्न केन्द्रों में मूल्यों का संबंधहै, मुख्यत: गुजरात और कर्नाटक राज्यों के कुछ स्थानों में फरबरी में तम्बाकू की कुछ किस्मों के मूल्य कम थे, परन्तु ये मार्च, 1979 में फिर बढ़ गये। विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में मूल्य की स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सरकारी खर्चे पर 1978-79 की फसल से आन्ध्र प्रदेश से 10,000 मीटरी टन एफ० सी० वी० तम्बाकू खरीदने का पहले ही निर्देश दे दिया है। इसकी खरीद उत्पादकी और उत्पादक सहकारी समितियों से करनी है। इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम 5,000 मीटरी टन की वाणिज्यिक खरीद भी करेगा।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किसानों द्वारा देय ऋणराशि के प्रश्न पर मुख्यत्रिमंयों का सम्मेलन

5678. **श्री एम० ए० गोविन्दन नायर** :क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की पहल पर 23 फरवरी 1979 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें कृषकों पर देय ऋण राशि के बढ़ते जाने के प्रश्न पर विचार व्यक्त किये गए थे और इस समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया गया था; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 25 फरबरी, 1979 को प्रधान मंथी जी को लिखा था कि उन्होंने 24 फरवरी की मुख्य मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी और उन्होंने अपने पत्र के साथ कुछेक मंत्रियी द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक ज्ञापन संलग्न किया था। ज्ञापन में ऐसे मामले उठाये गये हैं जिन पर देश की आवश्यकताओं तथा आर्थिक स्थिति को हल करने के लिए अपेक्षित उपायों के विस्तृत सापेक्ष में विचार किया जाना अपेक्षित है। इसमें पिछले ऋणों को पुन: सूचीबद्ध करने, ब्याज की दरें कम करने, दीर्घकालीन ऋणों के लिए स्थरीकरण बन्ध करने तथा राहत और बन्धक निधि का प्रावधान करगे हेतु उल्लेख भी शामिल था।

(ख) ज्ञापन में कृषि ऋण ढांचे की नीति की कारगर बनाने का भी उल्लेख किया गया है जिसमें यह शामिल होने चाहिए—(क) पिछले ऋणों को पुन: सूचीबद्ध करना ताकि उन्हें यथार्थ वादी आधार पर निर्धारित की गई वापसी अदायगी की क्षमता के भीतर रखा जा सके। (ख)

पुनः सूचीबद्ध तथा भावीं ऋणों के लिए ब्याज की दरों को 6-7 प्रतिशत तक कम करना ताकि किसानों की सीमित वापसी अदायगी की क्षमता के बोझ को कम किया जा सके, (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके ऋण स्थिरीकरण निधियों से कार्य क्षेत्र की भूमि विकास के लिए ऋणों की पुनः सूचीबद्ध किस्तों तक बढ़ाना (घ) उन ऋणों जो किसान की शक्ति के बाहर के कारणों से वसूल न किये जा सकते हों को पूरा करने के लिए राहत तथा बंधक निधियों में पर्याप्त व्यवस्था करना। इस राहत से पुनः सूचीबद्ध ऋण पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ भी कम होना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय ऋण स्थिरीकरण निधि का सहारा लेकर अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में पुनः सूचीबद्ध करने के लिए पहले से हीं प्रावधान है। राज्य सहकारी बैंक भी स्थिरीकरण निधियों की व्यवस्था कर रहे हैं।

कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों के संदर्भ में विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत जोखिम निधि सुलभ की जा रही है। सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से भी अशोहय-ऋण निधियों का निर्माण किए जाने की आशा है।

कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम द्वारा पुनर्वित पोषित आवधिक ऋणों पर ब्याज की दरों में हाल ही में कमी की गई है। भूमि विकाश बैंकों, यदि उन्हें कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम द्वारा भी पुनर्वित नहीं दिया जाता है, द्वारा उसी प्रयोजन के लिए ऋणों ब्याज की वैसी ही दरें रखने की आशा की जाती है। अल्पकालीन ऋणों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित दर में कमी तथा ब्याज पर कर के निराकरण के अनुसरण में सहकारी सोसायटियों द्वारा मूल ऋणियों से ली जाने वाली ब्याज की दरें आमतौर पर लगभग एक प्रतिशत तक कम कर दी गई है।

जहां तक भूमि विकाश बैंकों से दीर्घकालीन ऋणों का संबंध है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों को पुनः सूचीबद्ध करने का प्रावधान है प्राकृतिक आपदा घटित होने पर ऋणियों के देय ऋणों की समयावधि बढ़ाने के लिए भूमि विकास बैंकों के लिए उचित प्रबन्ध करने हेतु भारयीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। उन राज्यों जहां प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के कारण अतिदेयों में वृद्धि हो गई थी, में राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त तथा विकाश निगम द्वरा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

'ए' और 'बी' श्रेणी के शहरो में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास उपलब्ध न कराया जाना

5679. श्री वसंत साठे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) 10 से 15 वर्ष से भी अधिक की सेवा वाले केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की

संख्या क्या है जिनकी दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, आगरा तथा देश के अन्य बड़े शहरों में आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) देश में श्रेणी 'ए' और 'बी' के शहरों में कुल कर्मचारियो का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च 1978 को कितने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये गये;

(घ) 31 मार्च 1976 को उक्त शहरों में शहरवार, कर्मचारियों के लिए, श्रेणीवार, कितने-कितने फ्लैट उपलब्ध थे और गत दो वर्षों में अतिरिक्त आवासों के निर्माण पर कितना पूंजी निवेश किया गया और अगले वर्ष के लिए कितना नियतन किया गया; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए श्रेणी 'बी' के शहरों को गत कुछ वर्षों में धनराशि नहीं उपलब्ध कराई गई और इन स्थानों पर आवास सुविधाओं की व्यवस्था पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई करने का विचार हैं।

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सामान्य पूल और आवास के लिए पात्र केन्द्रीय सरकार कर्मचारी जिन्होंने पन्द्रह वर्ष से अधिक सरकारी सेबा पूरी कर ली है, तथा जिन्होंने ऐसे आवास के लिए आवेदन पत्र दिए और अभी तक आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं की संख्या निम्नलिखित है।

*दिल्ली-20851, बम्बई-5410, बंगलौर-290 टाइप ए तथा बी को छोड़कर, कलकत्ता-2297, चण्डीगढ़-2636, फरीदाबाद-59, गाजियाबाद-3, केवल टाइप ए. बी. और सी के लिए, इन्दौर-173, मद्रास-921, नागपुर-296 तथा शिमला 717.

*इसमें लगभग 15000 आवेदन पत्र शामिल नहीं हैं जिनको अभी छांटा जाना है। कानपुर तथा आगरा में सामान्य पूल वास नहीं है, इसलिए इन शहरों तथा अन्य शहरों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) तथा (ग): – सामान्य पूलवास वाले शहरों से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है।

शहर का नाम	मांग	31-3-78 तक जिन अधिकारियों को मकान दिए गए उनकी संख्या
दिल्ली	97,304	41,887
बंबई	26,035	3,914
बगंलौर	716	144
कलकत्ता	46,940	2,075
चण्डीगढ़	5,285	782
फरीदाबाद	2,098	1,363
गाजियाबाद	371	200

केवल टाइप ए. बी. और सी के लिए

इंदौर	487	91
मद्रास	6,689	1,107
नागपुर	2,585	1,056
शिमला	3,747	553

(घ) विभिन्न जगहों में उपलब्ध सामान्य पूल आवास का श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। 1977-78 के दौरान विभिन्न शहरों में सामान्य पूल के वास के निर्माण पर 1465.00 लाख रुपये खर्च किये गये। 1978-79 के दौरान 1915 00 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है तथा 1979-80 के दौरान इस कार्य के लिए 2480.00 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(ङ) सामान्य पूल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण उक्त आवास के लिए उनकी मांग तथा विभिन्न स्थानों में निजी क्षेत्र में आवास सुविधाओं की कमी के आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत दिये गये ब्यौरे में केवल, दिल्ली बंबई कलकत्ता तथा महेास (ए) श्रेणी के शहर है तथा शेष या तो बी और सी श्रेणी के शहर/नगर हैं। सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख शहरों में भी सामान्य पूल आवास बनाने का निश्चय किया है:—

1. हैदराबाद 2, लखनऊ 3. गोहाटी 4 शिलांग 5. अगरतल्ला 6. इम्फाल 7, कोहिमा तथा पोर्ट ब्लेयर।

शहर	टाइपI	टाइपII	टाइपIII	टाइपIv	टाइपv	टाइपvI	टाईपvII	टाइपvIII	कुल
बम्बई	375	1691	757	443	209	97	5	—	3577
कलकत्ता	50	751	538	123	140	111	2	—	1915
मद्रास	84	508	168	208	30	16	—	—	1014
शिमला	274	72	54	34	20	9	—	—	463
फरीदाबाद	330	664	200	140	52	16	शून्य	—	1402
नागपुर	158	602	151	93	37	15	2	—	1058
चण्डीगढ़	80	500	48	24	4	2	—	—	658
बगंलौर	—	—	84	42	18	—	—	—	144
इन्दौर	36	22	14	—	12	—	—	—	84
गाजियाबाद	—	—	—	शून्य	—	—	—	—	
दिल्ली	13173	15463	5568	5323	1789	525	131	45	42017

सहकारी स्टोरों/श्रमिक यूनियनों आदि के लिए स्थान का आबंटन

5680 श्री हुकम चंद कछवाय: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली, कलकत्ता, नासिक, अलीगढ़, कोयम्बतूर तथा फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सहकारी स्टोरों। समितियों। एसोसिएसनो या श्रमिक यूनियनों के संचालन के लिए स्थान आबंटित किया है और यदि हां को कितने कमरे आबंटित किये गये हैं और वे किन-किन तारीखों को आबंटित किये गये तथा उनकीं दरें क्या हैं और क्या आदेश के प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) क्या फरीदाबाद प्रेस के कर्मचारियों ने, उनके द्वारा खोले गये उपभोक्ता सहकारी स्टोर के संचालन के लिए स्थान हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां तो उन्हें कमरे कब आबंटित किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सहकारी स्टोरों आदि आबंटित वास का एक विवरण संलग्न है। नासिक, अलीगढ़, कोयम्बतूर, फरीदाबाद और कलकत्ता में अबंटित वास के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जानेगी।

सहकारी समितियों को वास आबंटन बिर्माण और आवास मंत्रालय से सम्पदा निदेशालय के दिनांक 4.12.1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18015(1)/68 पोलसी-1 में उल्लखित अनुदेशों के अनुसार किया जाता है, जिसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है।

(मंत्रालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4231/79)

(ख) जी, हां।

(ग) प्रेस कालोनी, फरीदाबाद में उन्हें 6-2-1976 को टाइप—11 के एक क्वार्टर (जी-127) का पहले ही आबंटन कर दिया गया है।

क्र० सं	संगठन का नाम	वास	आबंटन की तारीख	दर
1	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०	आई 437 कस्तूरबा नगर	29-4-65	1 रुपये प्रति एकक की नाम मात्र दर
		आई-441	-वही-29-4-65	-वही-
		आई 438	-वही-29-4-65	-वही-
		आई 445	-वही-29-4-65	-वही-
		41-2 तिमारपुर	ए 1-7-76	-वही-
		बी-245 सरोजनी नगर	24-4-63	-वही-

1.	2	3	4	5
		एच-634	-वही-2-11-65	-वही-
		एच-638	-वही-10-11-65	-वही-
		बी-85 मोतीबाग	-12-6-63	-वही-
		बी-87 मोतीबाग	-23-5-63	-वही-
		बी-291 नानकपुर	-24-4-63	-वही-
		297 ई करोलबाग	-14-5-63	-वही-
		एफ9/4 एन्ड्रूज गंज	-12-10-65	-वही-
		11/4 एन्ड्रूज गंज	-18-12-65	-वही-
		एस-आई/175 आर० के० पुरम	-30-5-62	-वही-
		एस-1X/821 आर० के० पुरम	-1-9-73	-वही-
		एस-आई/217 मस्जिद मोठ	-3-9-76	-वही-
		बी-71/2 एम० बी० रोड	-28-3-79	-वही-
		11 से 13 डी डियाज स्कावयर	-23-5-63	-वही-
		33, नोर्थ वैस्ट मोती बाग	———	-वही-
		डी 2/371, पंडारा रोड	-29-5-65	-वही-
		कर्जन रोड एपार्टमेन्टो में 2 गराज	-24-12-70	-वही-
		1 गराज-वही-	-9-9-74	-वही-
		रायसीना रोड़ मार्कीट	17-4-63	-वही-
		(4600 वर्ग फुट	16-10-78	-वही-
		कर्जन रोड़ बैरक (5459 वर्ग फुट) गराज 7 और 8		
		धोलपुर हाऊस	17-2-75	-वही-

2.	केन्द्रीय सचिवालय सहकारी भण्डार	1. कृषि विभाग द्वारा आवंटित कृषि भवन में 458 वर्ग फुट	——	-वही-
		2. कृषि भवन में 205 वर्ग फुट	1-11-74	-वही-
3.	भारत सरकार सचिवालय सहकारी बचत समिति	31/82 टैलर्सस्कार्यर के स्थान पर बारह दरी संस्या 10/11 विलसंस स्कावयर (केवल एक कमरा)	23-11-78	एफ आर० 45 ए के अन्तर्गत पूर्ण मानक लाइसेन्स फीस या एफ० आर० 45 ए के अन्तरगत पुलिस लाइसेन्स फीस इसमें जो भी अधिक हो तथा 16.65 रुपये प्रति मास की दर से सेवा प्रभार ।
4.	म्यूचयुअल एड एज्यूकेशन सोसाइटी	बारह दरी सं० 26/27 क्लाईव स्कावयर (कमरा)	1-4-53	53.40 रुपये प्रति मास की मार्कीट दर
5.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी निवासी कल्याण एसोसियेशन	बारह दरी सं० 14/15, क्लाईव स्कावयर (कमरा)	12-12-74	47.60 रुपये प्रति मास की मार्कीट दर
6.	प्रोबीन रोड़ रेजिडैन्टस बैलफैयर एसोसियशन	29 (एम०एस०) टाइप सी० प्रोवीन रोड़	10-10-77	144.60 रुपये प्रति मास के हिसाब से एफ० आर० 45 ए के अन्तरगंत पूर्ण मानक लाइसेन्स फीस
7.	मिन्टो रोड़ क्लब	2 डी कोटला रोड़ (टाइप ई)	——	-वही-86.90 रुपये प्रतिमास की दर से
8.	केन्द्रीय सचिवालय क्लब	7 डी से 10 डी, पार्क लैन (टाइप ई)	——	-वही-667.80 रुपये प्रतिमास की दरसे

9.	शाहजहां रोड़ क्लब	डी-2/21 शाहजहां रोड़	3-9-73	-वही-143.45 रुपये प्रतिमास की दर से
10.	काका नगर रेजिडेन्टस	डी 2/9 काकानगर	30-4-60	-वही-122.25 रुपये प्रतिमास की दर से
11.	विल्गंडन अस्पताल	35-सी, हैव लोक स्कावयर	15-11-78	-वही-67.00 रुपये प्रतिमास की दर से
12.	केन्द्रीय हिंदी परिशद	एक्स० वाई-68 सरोजनी नगर	24-8-65	-वही-70.00 रुपये प्रतिमास की दर से
13.	जे० सी० एम०	9 अशोक रोड़	7-12-71	बिना किराये के
14.	समाज सदन (ग्रह मत्रालय को सौंपें गये क्वार्टर	जे-442 कस्तूरबा नगर जे 446 कस्तूरबा नगर	5-5-65 1-5-65	प्रत्येक 1 रुपये प्रतिमास के नाम मात्र किराये पर

मराठावाड़ा क्षेत्र में टेलीफोन तथा तार सुविधाएं

5681. **श्री केशवराव धोंडगे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के मराठावाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने स्थान हैं जहां वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान तार, टेलीफोन आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सरकार को 9 फरवरी, 1979 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर नान्देड जिले तार तथा टेलीफोन संबंधों की मांग की गई है; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन में क्या कहा गया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र में प्रदान की गई टेलीफोन और तार सुविधाओं का विद्युत विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	जिन स्थानों पर निम्न व्यवस्था की गई है उनकी संख्या		
	टेलीफोन एक्सचेंज	लंबी दरो के सार्वजनिक टेलीफोन	संयुक्त डाक-तारघर
77-78	6	12	17
78-79	9	15	5

(ख) जी हां, तारीख 10-2-79 का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) नान्देड़ जिले के उन स्थानों के लिए टेलीफोन और तार सुविधाएं प्रदान करने की मांग है जहां कि जनसंख्या दो हजार या अधिक है तथा उन स्थानों पर डाकघर खोलने की मांग है जहां की जनसंख्या एक हजार या अधिक है और लोहा (नान्देड़) डाकघर के भवन की मरम्मत की मांग है ।

यह मामला महाराष्ट्र सर्किल को इस आशय से भेज दिया गया है कि टेलीफोन, तार और डाक सुविधाओं की व्यवस्था करने की मौजूदा नीति के अनुसार ऐसे स्थानों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टसमैन के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

5682. श्री समर मुखर्जी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टसमैनों के बारे में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : तृतीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नक्शानवीसों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की सिफारिश की थी :

नक्शानवीस ग्रेड iii	260-430 रुपये
नक्शानवीस ग्रेड ii	330-560 रुपये
नक्शानवीस ग्रेड i	425-700 रुपये

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नक्शानवीसों के लिए ये वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

कृषि छिड़काव पर व्यय और उससे आय

5683. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विमानन निदेशालय के पास कार्य योग्य एवं निष्क्रिय विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक कर्मी और प्रत्येक विमान चालक द्वारा कितने क्षेत्र में उड़ाने भरी गई;

(ग) प्रत्येक विमान चालक और प्रत्येक विमान के द्वारा कुल कितने घंटों के लिए उत्पादक एवं गैर-उत्पादक उड़ाने भरी गई; और

(घ) प्रति विमान एवं प्रति विमान चालक कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) निदेशालय के पास कार्य योग्य तथा निष्क्रिय विमानों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	विमान का नाम	कुल सं०	कार्य योग्य विमानों की संख्या	निष्क्रिय विमानों की संख्या
1.	बसंत	25	21	4
2.	बीवर	6	5	1
3.	पाइपर पावनी	2	—	2
4.	हैलीकोप्टर	3	2	1

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 (फरवरी, 1979 तक) के दौरान प्रत्येक चालक द्वारा पूरा किया गया औसत क्षेत्र निम्नवत् है :—

वर्ष	एफ० डब्ल्यू द्वारा पूरा किया गया क्षेत्र (एकड़ों में)	हेलीकोप्टर द्वारा पूरा किया क्षेत्र (एकड़ों में)	एफ० डब्ल्यू चालकों की सं०	हेलीकोप्टर चालक की सं०	प्रति एफ० डब्ल्यू चालक औसत क्षेत्र	प्रति हेली-कोप्टर चालक औसत क्षेत्र
1977-78	3,13,864	1,08,636	15	4	20,924	27,159
1978-79	3,21,546 + (+ फरवरी, 1979 तक)	1,24,415	14	5	22,967	+ 24,883

(ग) सभी उड़ाने उत्पादक हैं। तथापि "राजस्व अर्जन करने वाली" और "राजस्व अर्जन न करने वाली" जैसी श्रेणियां हो सकती हैं। टिड्डियों का मुकाबला करने वाले विमान उत्पादक हैं, हालांकि वे राजस्व अर्जन करने वाले नहीं है।

वर्ष 1977-78 के दौरान कुल कितने घंटे उड़ाने भरी गई, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

फिक्सड विंग विमान	हेलीकोप्टर	कुल
2883:15 घंटे	630:35 घंटे	3513:50 घंटे

वर्ष 1978-79 के आंकड़े कुछ समय बाद ही उपलब्ध होंगे।

(घ) प्रति विमान/चालक द्वारा अर्जित राजस्व और खर्च के आँकड़े निम्नलिखित हैं :—

प्रति चालक द्वारा अर्जित औसत राजस्व

	प्रचालन चालकों की कुल सं०	अर्जित राजस्व (रु०)	प्रति चालक औसत राजस्व (रु०)
1977-78	फिक्स्ड विंग = 15	31,26,202.50	2,08,413.50
	हेलीकोप्टर = 4	11,92,719.50	2,98,179.88
1978-79	फिक्स्ड विंग = 14	37 लाख (अनुमानित)	2,64,285.71
	हेलीकोप्टर = 5	13 लाख (अनुमानित)	2,60,000.00

प्रति विमान द्वारा अर्जित औसत राजस्व

	विमानों की कुल सं०	अर्जित राजस्व	प्रति विमान औसत राजस्व
1977-78	फिक्स्ड विंग = 27	31,26,202.50	1,15,785.28
	हेलीकोप्टर = 2	11,92,719.50	5,96,359.75
1978-79	फिक्स्ड विंग = 26	37 लाख (अनुमानित)	1,42,307.69
	हेलीकोप्टर = 2	13 लाख (अनुमानित)	6,50,000 00

प्रति विमान/पायलट खर्च

	विमानों की सं०	राजस्व खर्च	प्रति विमान औसत खर्च
1977-78	फिक्स्ड विंग = 27	60,43,104.60	2,08,382.90
	हेलीकोप्टर = 2		

परिकलन विषयक समस्याएं होने के कारण प्रति विमान/चालक के खर्च के बारे में अलग से आंकड़े देना संभव नहीं है।

वर्ष 1978-79 के दौरान खर्च के सही-सही आंकड़े कुछ समय बाद ही उपलब्ध होंगे।

महिला फुटबाल टीम का चयन

5684. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मलेशिया को एक महिला फुटबाल टीम भेजी है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को टीम के चयन के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं, और

(ग) उन शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मायापुरी, दिल्ली में पानी के जमा होने की समस्या

5685. **श्री श्यामलाल दुबे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम नगर निगम के बारे में 26 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के ऊपर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अस्थायी उपाय कम वर्षा वाली अवधि तथा वर्षा ऋतु में पानी के जमा होने की समस्या को हल करने में पर्याप्त हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्लैटों के सम्मुख पक्के नालों और कच्ची नहरों में हमेंशा गन्दा पानी भरा रहता है और कभी-कभी वह वापस बहकर कालोनी में आ जाता है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या अन्तरिम उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कम वर्षा वाली अवधि में प्रबन्ध पर्याप्त हैं और कि भारी वर्षा के दिनों में जब कालोनी में पानी जमा हो जाता है तब पम्प द्वारा उसे निकाल दिया जाता है।

(ख) तथा (ग) : फ्लैटों के सामने वाली नालियां सामान्यतया साफ रहती हैं और उनमे पानी जमा नहीं रहता। तथापि, भारी वर्षा के दौरान, जब मायापुरी का नाला भर जाता है तो कुछ पानी वापस आ जाता है। ऐसे समय में जमा पानी को पम्प द्वारा निकाल दिया जाता है।

श्रेणी-III तथा IV के लिये प्राथमिकता तारीख

5686. श्री सन्तोष राव गोडे :
श्री राम नरेश कुशवाह :
श्री सुधीर घोषाल :
क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास के आबंटन के संदर्भ में श्रेणी-III तथा श्रेणी IV के लिये

प्राथमिकता की तारीख कौन सी चल रही है;

(ख) क्या सरकार इस आशय के किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो सरकारी कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें सरकारी आवास आबंटित कर दिया जाये;

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या को हल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको, दिल्ली में उनको अपने मकान होने पर भी सरकारी आवास आबंटित किये गये है; और

(ङ) कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें उनकी सेवा निवृति से कुछ ही समय पूर्व सरकारी आवास आबंटित किये गये हैं यदि हां, तो उनके साथ ऐसे अन्याय के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आबंटन किसी कर्मचारी द्वारा ली जा रही परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है और न कि उसकी श्रेणी के आधार पर। श्रेणी-III तथा IV (ग्रुप 'सी' तथा 'डी') के कर्मचारी आमतौर पर टाईप 'ए' 'बी' तथा 'सी' के पात्र होंगे जोकि उनकी परिलब्धियां तथा सेवा आरम्भ करने की तिथि पर निर्भर है। 29-3-79 को इन तीनों टाइपों में निम्नलिखित अग्रता तिथि वाले कर्मचारियों को आबंटन किया गया :—

टाईप	अग्रता तिथि
ए	26-6-58
बी	6-4-49
सी	19-12-47

(ख) तथा (ग) : 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मकान देने का सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में दिल्ली में टाईप ए, बी, सी० के 15,180 मकान बनाने का एक त्वरित कार्यक्रम चलाया है।

(घ) टाईप ए, बी, सी० के मकानों में 565 अपने मकानों वाले कर्मचारी रह रहे हैं।

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती जिन्हें उनके सेवा-निवृत्त होने के कुछ समय पहले आबंटन मिला हो। कर्मचारी की अग्रता तिथि के आधार पर तथा निर्धारित नियमों के अनुसार उसको आबंटन किया जाता है। किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया।

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल स्तर पर एक ही प्रकार की पाठ्य पुस्तकें

5687. डा० बापू कालदाते : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के इस निर्णय पर ध्यान दिया है कि स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की शक्ति सरकार को प्राप्त है, और

(ख) क्या सरकार का पूरे देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर पर एक ही प्रकार की (पाठ्य) पुस्तकें लगाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां। सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों को देखा है।

(ख) जी, नहीं। पाठ्य-पुस्तकें, 'सामान्य पाठ्यचर्या स्वरुप' के एक समान राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के आधार पर क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जानी चाहिएं। इस संबंध में ईश्वर भाई पटेल समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों के पास हैं।

स्कूलों में योग को पाठ्य विषय बनाया जाना

5686. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्री ने अखिल भारतीय योग विज्ञान एसोसिएशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि योग जीवन के लिए आवश्यक है और इसको स्कूलों में एक अनिवार्य पाठ्य विषय बनाया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्नासिंह गुलशन) : (क) और (ख) : केन्द्रीय उद्योग मंत्री द्वारा हाल ही में, नई दिल्ली में अखिल भारतीय योग विज्ञान संघ के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण में व्यक्त किए गए तथाकथित विचार उनके अपने वैयक्तिक विचार हैं और वे इस विषय से सम्बन्धित सरकारी नीति को प्रतिबिम्बित नहीं करते। दस वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या की समीक्षा से संबंधित, ईश्वर भाई समिति रिपोर्ट ने यह सिफारिश की है कि स्कूलों में शिक्षा के प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ योग को शामिल किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने योग को शारीरिक शिक्षा का एक ऐच्छिक घटक बना दिया है जो स्कूल पाठ्यचर्या का एक आवश्यक भाग है। दिल्ली के स्कूलों में योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है और इस संबंध में अन्य शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा योग संबंधी अभ्यासों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ईश्वर भाई समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों के समक्ष हैं।

छात्रों में अनुशासनहीनता

5689. **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महसूस करती है कि देश में छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए सरकार का विचार शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण आरम्भ करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यद्यपि छात्रों में अशान्ति और आन्दोलन की अनेक घटनाएं हुई है, किन्तु यह बात पूरी तरह से सही नहीं है कि देश में कुल मिला कर छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है ।

(ख) और (ग) : सभी शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य सेनिक प्रशिक्षण लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक अनावश्यक वित्तीय बोझ है और इसके अलावा इससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है ।

जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

5690. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) क्या बिहार के नालन्दा जिले में स्वचालित एक्सचेंज के लिये अपेक्षित सभी शर्तें पूरी होती है और यदि हां, तो क्या वहां एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है और यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हाँ । देश के सभी जिला मुख्यालयों में क्रमिक तथा चरण-बद्ध योजना के रूप में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपयुक्त स्विचिंग उपस्कर उपलब्ध हों । इस प्रयोजन के लिए स्वचालित स्विचिंग उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि लाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

(ख) बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय के बिहारशरीफ का फिलहाल हस्तचल एक्सचेंज से सेवा मिल रही है । तारीख 30-9-78 को 346 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे थे और 45 के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में जब कि स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई में सुधार की आशा है, वहां स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है ।

जूनियर पी०ई०टी०ज० को पेंशन सम्बन्धी लाभ

5691. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार में की गई पिछली सेवा के लाभ को निदेशालय में जूनियर पी०ई०टी०ज० के वर्तमान पद के लिए देने के बारे में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के पत्र संख्या एफ-1/4/27/आर० एण्ड एस०/78 दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 के द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के

संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा, नवम्बर 1972 को लिये गये 339 एन०डी०एस० इंस्पेक्टरों को शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की सामान्य अनुमेय संख्या के अतिरिक्त विभाग में काम करते रहे, इस बात को देखते हुए कि इन कर्मचारियों ने एन०डी०एस० तथा दिल्ली प्रशासन में 20 वर्ष से अधिक अवधि की निरन्तर सेवा की है, संवर्ग में नियमित किये बिना पेंशन सम्बन्धी ये लाभ लेने का हक है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी एन० डी० एस० अनुदेशक छुट्टी तथा पेंशन के सभी लाभों के हकदार हैं।

संचार मंत्रालय में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

5692. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मंत्रालय के (एक) डाक विंग (दो) टेलीफोन विंग और (तीन) लोक निर्माण विभाग विंग में कितने हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) कुल हिन्दी अधिकारियों में से विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने सदस्य नियुक्त किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 18(14 दूरसंचार शाखा के लिए और 4 सभी डाक-तार शाखाओं के लिए) तदर्थ आधार पर

(ख) चूँकि अनुसूचित जाति का केवल एक ही कर्मचारी पात्र था इसलिए उसी का चयन किया गया था। जनजाति का कोई भी कर्मचारी पात्र नहीं था, इसलिए किसी का चयन नहीं हुआ।

जे०ई०टी०, एस०डी०ओ०, डी०ई०टी० और जी०एस०टी० के बारे में राजस्थान के संसद सदस्यों से शिकायतें

5693. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न संसद सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में जे०ई०टी०, एस०डी० ओ०टी०, डी०ई०टी० और जी०एस०टी० के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में वर्ष 1978 के दौरान सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) क्या इन सभी शिकायतों के बारे में सरकार ने जांच पड़ताल की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच की क्या मुख्य बातें हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जांच पड़ताल करने के बाद जांच प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

सी०ए०पी० भंडारों के खाद्यान्न

5694. **श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसूली का कितना खाद्यान्न सी०ए०पी० भंडारों में खुले में रखा जा रहा है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय किये जा रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का सी०ए०पी० भंडार न किया जाये ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 41.1 लाख मी० टन खाद्यान्नों को फिलहाल कैप भण्डारों में रखा जा रहा है ।

(ख) भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित पग उठाये जा रहे हैं :—

(i) 35.75 लाख मी० टन क्षमता की वृद्धि करने के बारे में विचार किया गया है और आशा है कि इसे 1981-82 तक सोपानवार आधार पर तैयार कर लिया जाएगा ।

(ii) भारतीय खाद्य निगम ने निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार गोदामों का निर्माण करने के लिए और भारतीय खाद्य निगम को निर्धारित शर्तों पर किराये पर देने के लिए गैर सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना शुरु की है । निगम ने इस योजना के अधीन अब तक लगभग 38 लाख मी० टन की क्षमता प्राप्त कर ली है ।

जहाँ निर्मित क्षमता में वृद्धि कर कैप भण्डारण पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे है, वहां इस प्रकार के भण्डारण पर भण्डारण की व्यवस्ततम अवधि और मजबूरी की परिस्थितियों में निर्भर किया जाता है ।

मध्य प्रदेश में गन्ने की बकाया राशि

5695. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की चीनी मिलों ने सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार गन्ने का मूल्य तय नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त मिलें बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं कर रही है और इसके परिणामस्वरुप गन्ना उत्पादकों में भारी असंतोष है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों ने केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता माँगी है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मध्य प्रदेश की चीनी मिलों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है । न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने तक, ये मिलें गन्ना उत्पादकों को तदर्थ मूल्य दे रही हैं ।

(ख) इन मिलों ने 28-2-1979 को गन्ने के मूल्य के भुगतान के बारे में जो स्थिति बताई है उसमें उन पर कुछ बकाया राशि बाकी रहने का उल्लेख किया गया है ।

(ग) और (घ) जनता युवा मोर्चा, जावरा से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जावरा चीनी मिल लि०, जावरा, के प्रबन्ध द्वारा गन्ना उत्पादकों का शोषण करने का आरोप लगाया गया है और सरकार द्वारा उसको अधिकार में लेने का सुझाव दिया गया है । इस संबंध में निर्णय लेने में सुविधा के लिए कुछ आवश्यक ब्यौरे प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

टेलीकाम जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नतियाँ

5696 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन तथा टेलीकाम इंजीनियरों के बीच उनकी समस्याओं के बारे में सितम्बर, 1978 में कोई बातचीत हुई थी; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या जूनियर इंजीनियरों ने अपने मामले न निपटाये जाने के लिये अपना रोष प्रकट करने के हेतु 4 जनवरी, 1979 को प्रदर्शन किये थे; और

(ग) क्या यह सच है कि उस समय जूनियर इंजीनियरों को गत 14/15 वर्ष से कोई पदोन्नति नहीं मिल रही है जबकि पहले उन्हें पदोन्नति 5/6 वर्षों में मिल जाती थी; यदि हां, तो उनकी पदोन्नतियों के अवसर बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, कुछ समस्याओं का समाधान उनकी संतुष्टि के मुताबिक किया जा चुका है तथा अन्य समस्याएं अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, यह ठीक है, परन्तु पदोन्नति जूनियर इंजीनियर के बतौर कितने वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इस पर निर्भर नहीं करती । उच्चतर ग्रेड में कितने पद रिक्त हैं इसी आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं । सच्चाई यह है कि सहायक इंजीनियर काडर में सौ प्रतिशत पदोन्नतियां जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं और जब कभी रिक्त स्थान उपलब्ध होते हैं, उनकी पदोन्नतियां कर दी जाती हैं ।

धवल क्रांति कार्यक्रम में शामिल मध्य प्रदेश के जिले

5697. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नौ जिलों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के सहयोग से चलाये जा रहे धवल क्रांति कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क)जी, हां ।

(ख) परियोजना का कार्य दुग्ध अधिप्राप्ति, परिसंस्करण, विपणन तथा तकनीकी आदानों की सुविधाएं प्रदान करके मध्य प्रदेश के चुनींदा जिलों में 1200 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक समेकित योजना का विकास करना है। इसे भोपाल, इन्दौर और रतलाम के जिलों में तथा होशंगाबाद, सेहोर, रायसेन, देवास, धार और उज्जैन से लगे जिलों के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा । परियोजना की कुल लागत का अनुमान लगभग 25.00 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसमें से विश्व बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 13·12 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा ।

इस परियोजना में व्यापक संकर प्रजनन कार्यक्रम शुरू करके, जिससे तुलनात्मक रूप से घटिया नस्ल के पशुओं का सुधार होगा, विद्यमान दुग्ध उप्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने की भी व्यवस्था है । इसमें संतुलित पशु आहार एवं सहायय चारा खेती, पशु स्वास्थ्य की देखरेख आदि जैसे अन्य तकनीकी आदानों को उपलब्ध कराने की भी व्यव्स्था है । तीन दुग्ध परिसंस्करण संयंत्रों का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया है । भोपाल, इन्दौर और उज्जैन के संयंत्रों की क्षमता प्रतिदिन क्रमश: 100,000 लिटर 200,000 लिटर तथा 60,000 लिटर दुग्ध उत्पादन की होगी प्रारंभ में केवल इन्दौर के संयंत्र में ही प्रतिदिन 10 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण के परिरक्षण की सुविधा होगी ।

परियोजना के कार्यान्वियन हेतु मध्य प्रदेश डेरी विकास निगम की स्थापना कर दी गयी है ।

अनुमान है कि लगभग 160,000 कृषक परिवार, जो अधिकांशत खेतिहर, उप सीमान्त और सीमान्त एवं काश्तकार हैं, इस परियोजना के लाभानु-भोगियों के मुख्य वर्ग होंगे ।

मध्य प्रदेश की आयकट योजनायें

5698 : **श्री छवि राम अर्गल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन नर्षो के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा और विश्व बैंक की सहायता में से मध्य प्रदेश की "आयकट" योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है:

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान आयकट योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई और कितनी राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता और इसके क्या कारण हैं : और

(ग) वर्ष 1979-80 में आयकट योजनाओं के दूसरे चरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता-राशि उपलब्ध कराई गई है '

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मध्य प्रदेश में चम्बल और तवा दो सिंचाई परियोंजनाएं आयकट विकास के अन्तर्गत लायी गयी हैं, जिसका आयकट विकास आयुक्त सम्पूर्ण प्रभारी अधिकारी है। विश्व बैंक ने 1975-76 से दिसम्बर, 1978 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल चम्बल परियोजना के लिए 240 लाख अमरीकी डालर (लगभग 19·5 करोड़ रुपये) का ऋण स्वीकार किया है। सहायता की अवधि जून, 1980 तक बढ़ा दी गेयी है।

केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित आयकट योजनाओं के विकास के लिये 1976-77 से 1978-79 तक गत तीन वर्षों के दौरान कुल 433 लाख रुपये की सहायता निर्मुक्त की है।

(ख) निर्मुक्त की गयी केन्द्रीय सहायता तथा उक्त (क) में उल्लिखित सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 1976-77 और 1977-78 के दौरान राज्य योजना में से कुल 321·88 लाख रुपये व्यय किये हैं, जिसमें विश्व बैंक की सहायता भी शामिल है, जिसे राज्य योजना के संसाधनों में दिखाया गया है। वर्ष 1978-79 जो अभी समाप्त हुआ है, के खातों को समेकित करने के पश्चात ही 1978-79 के व्यय की वास्तविक आंकड़ों का पता चलेगा।

उपयोग में न लायी गयी राशि, यदि कोई हो, का पता तभी चलेगा जब वर्ष 1978-79 के समेकित खाते उपलब्ध होंगे।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही चम्बल परियोजना का प्रथम चरण जून, 1980 तक पूरा हो जायेगा और तत्पश्चात दूसरा चरण शुरू होगा। अतः इस समय वर्ष 1979-80 के दूसरे चरण के निमित केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं होता। योजना पर हुंये विचार विमर्श, जो हाल ही में हुआ है, के अनुसार यह आशा है कि केन्द्रीय सरकार 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश में आयकट योजनाओं के विकास के लिये 192 लाख रुपये प्रदान करेगी।

पिनकोड प्रणाली

5699. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक को शीघ्र भिजवाने के लिए पिन कोड प्रणाली के उद्देश्य में, महानगरों को छोड़कर, कोई संतोषजनक सफलता नहीं मिली है;

(ख) इस प्रणाली का उपयोग कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाई करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) आबादी के आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि कितने लोग पिनकोड नंबर का इस्तेमाल करते हैं ।

(ग) पिनकोड को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रचार साधन अपनाए गए हैं । समय समय पर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं, चलचित्र गृहों में पिनकोड के इस्तेमाल के लिए स्लाइडस दिखाए जाते हैं । पिनकोड को लोकप्रिय बनाने के लिए अखिल भारतीय रेडियो माध्यम का उपयोग भी किया जा रहा है । अधिक मात्रा में डाक भेजने वालों से संपर्क करके डाक सूचियों में पिनकोड शामिल करने के लिए कहा गया है । पिनकोड निर्देशिकाएं छापी गई हैं । और बिक्री के लिए उपलब्ध की गई हैं । सभी लेटर बक्सों और मार्ग सूचक सट्टों पर पिनकोड लिखे गए हैं । सभी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि अपने पत्राचार में वे पिनकोड का इस्तेमाल करें । अन्तर्देशीय पत्रों, पोस्टकार्डों और मनीआर्डर फार्मों पर पिनकोड लिखने के लिए व्यवस्था की गई है । डाकघरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुहरों और सीलों पर उस डाकघर का पिनकोड नंबर दिया होता है । पिनकोड को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से ही मुख्यतः "तुरत डाक सेवा" चालू की गई है ।

भारत सरकार के प्रेसों में विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा

5700. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के प्रेसों में रीडरशिप परीक्षा के लिए विवरण-पत्र और योग्यता नियम क्या हैं;

(ख) इस परीक्षा के लिए यदि कोई और शर्तें हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) अगली परीक्षा कब होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) तथा (ख) भारत सरकार मुद्रणालयों में रीडरशिप परीक्षा लेने संबंधी नियमों की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) अन्तिम रीडरशिप परीक्षा अगस्त, 1976 में हुई थी नियमों के अनुसार रीडरशिप परीक्षा हर तीसरे वर्ष होनी चाहिए । आगामी परीक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि पिछली रीडरशिप परीक्षा से पैदा हुए कुछ पहलुओं की जांच की जा रही है ।

विवरण

भारत सरकार मुद्रणालयों में रीडरशिप परीक्षा लेने के नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :**

(i) इन नियमों को रीडरशिप (श्रेणी—ii के रीडरों के पदों की भर्ती) परीक्षा नियमावली (एतस्मिन पश्चात् इनका नियमों के रूप में उल्लेख किया गया है) कहा जाएगा।

(ii) ये नियम जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **विस्तार क्षेत्र :**

(i) यह प्रतियोगी परीक्षा होगी।

(ii) परीक्षक बोर्ड का गठन मुद्रण निदेशक द्वारा किया जाएगा।

3 **पात्रता :**

यह परीक्षा कापी होल्डरों तथा रिवाइजरों के लिए होगी चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी हैं तथा जिन्होंने किसी एक अथवा दोनों श्रेणियों में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।

4 **आवर्तिता तथा परीक्षा के केन्द्र :**

(i) मुद्रण निदेशक द्वारा निश्चित की गई तिथि को प्रत्येक मुद्रणालय में प्रत्येक एकान्तर वर्ष में परीक्षा होगी।

(ii) नेपाली तथा तिब्बती भाषाओं में परीक्षा भारत सरकार मुद्रणालय गन्तोक में होगी।

5. **विषय :**

मुद्रण निदेशक द्वारा यथानिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में प्रूफ शोधन में प्रत्याशियों की परीक्षा ली जाएगी।

6. **अंक :**

प्रत्येक विषय के लिए अनुमत समय तथा नियत अंक निम्न प्रकार से होंगे :—

विषय	अनुमत समय	पूर्णांक
1. अंग्रेजी में प्रूफ शोधन	1 घंटा	100
2 हिन्दी/किसी भी क्षेत्रीय भाषा/वा नेपाली तथा तिब्बती भाषा में प्रूफ शोधन	1 घंटा	100

7. **परीक्षाफल :**

प्रत्येक पत्र में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के कुल

प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार बनाई गई एक सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। एक से अधिक प्रत्याशी द्वारा तुल्यांक प्राप्त करने की स्थिति में योग्यता क्रम निम्न-लिखित रूप से निश्चित किया जाएगा :—

(i) जैसे कि एक कापी होल्डर और एक रिवाइजर के बीच, रिवाइजर का नाम पहले होगा।

(ii) जैसे कि दो रिवाइजरों के बीच वरिष्ठ रिवाईजर का नाम पहले होगा।

(iii) जैसे कि दो कापी होल्डरों के बीच वरिष्ठ कापी होल्डर का नाम पहले होगा।

यह सूची दो वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी परीक्षा के परिणाम के उपलब्ध होने तक, इसमें जो भी पहले हो, मान्य होगी।

नर्मदा जल-विवाद

5701. **श्री अनन्त देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा हाल ही में नर्मदा जल-विवाद के संबंध में घोषित किए गए तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिए गए निर्णय को क्रियान्वित में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि नवगाम बांध की ऊंचाई को कम करने संबंधी मामले को फिर कुछ पार्टियों ने उठाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को अगस्त, 1978 में प्रस्तुत की गई नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट के बारे में कुछ युद्धों पर स्पष्टीकरण और मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण को निर्देश भेजे हैं। अन्य युद्धों के अतिरिक्त, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा भेजे गए निर्देश नवगाम में सरकार सरोवर के पूर्ण जलाशय स्तर के बारे में है। इन मुद्दों पर इस समय न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

अष्टरंगा मत्स्य ग्रहण पत्तन परियोजना पूरी उड़ीसा

5702. **श्री बैरागी जेना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा के पुरी जिले में अष्टरंगा मत्स्य ग्रहण पत्तन परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी देने के बारे में कोई कार्यवाही की है, और

(ख) क्या वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में उपबंध करने संबंधी प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय दिया है;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अष्टरंगा मत्स्यन बन्दरगाह से संबंधित परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है । तथापि, यह उचित समझा गया है कि नए बन्दरगाहों की मंजूरी देने से पहले पूरे हुए मत्स्यन बन्दरगाहों का मूल्यांकन करवा लिया जाए । योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कर रहा है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी । मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के आधार पर अष्टरंगा सहित नए बन्दरगाहों को मंजूरी देने के बारे में विचार किया जाएगा ।

(ख) 1978-79 के बजट में छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन जलयानों से माल उतारने तथा उन्हें खड़ा करने की सुविधाओं हेतु व्यवस्था की गई है ।

टी० ई० एम० श्रेणी-एक के लिए पदोन्नति में असमानता

5703· **श्री बालकराम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी सेवा की एक अवस्था में पांच वर्ष से कम अनुभवी जूनियर से सीनियर वर्तमान में ए० डी० ई० टी० एस० की टी० ई० एस० श्रेणी एक (ग्रुप-ए) में पदोन्नति होती है ;

(ख) यदि हां तो उन टी० ई० एस० श्रेणी-एक (ग्रुप-बी) के अधिकारियों को, जन्होंने जूनियर इंजीनियरी रैंक से अपनी सेवा आरंभ की है और उन्हें 15 वर्ष से अधिक इसी प्रकार का तकनीकी अनुभव है, टी० ई० एस० श्रेणी-एक (ग्रुप-ए) में पदोन्नति के लिये विचार न किये जाने के कारण हैं ; और

(ग) सीधे भर्ती किये गये और विभागीय उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी इंजीनियरी के बीच उक्त असमानता के कारण हैं और उसका असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

कार्मिक विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय से परामर्श के बाद गठित भर्ती नियमों में सर्वाधिक व्यवस्था के अनुसार आई० टी० एस० श्रेणी-एक (ग्रुप-ए) के सीनियर वेतन मान में उन ए० डी० ई० एस० टी० की पदोन्नति की जाती है जिन्होंने साधारणतया पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो और इसी प्रकार टी० ई० एस० श्रेणी-दो (ग्रुप-बी) में से उन अधिकारियों की पदोन्नति की जाती है जो इस ग्रेड में स्थायी हैं और जिन्होंने इसी ग्रेड में आठ साल का मान्य सेवाकाल पूरा कर लिया हो । अतः आई० टी० एस० श्रेणी-एक (ग्रुप-ए) में पदोन्नति के लिए उपर्युक्त सांविधिक व्यवस्था का पालन किया जाना है ।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित है, भर्ती नियमों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है तथा इस सबध में असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा ड्राइंग टीचर्स तथा जूनियर व्यायाम शिक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाना

5704 **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1971 में ड्राइंग टीचर्स और जूनियर व्यायाम शिक्षकों के लिये 220-430 रुपये के नये वेतनमान और 15 प्रतिशत सिलेक्शन ग्रेड की घोषणा की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने उच्चतर ; माध्यमिक विद्यालयों के जुनियर व्यायाम शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालयों के व्यायाम शिक्षकों की वरिष्ठता को मिला दिया है,

(ग) यदि हां, तो क्या यह दिल्ली प्रशासन भर्ती नियमों के अधीन श्रेणी तीन के पदो से संबंधित नियम के विरुद्ध है, और

(घ) यदि हां. तो क्या सरकार का विचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जूनियर व्यायाम शिक्षकों को संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार उनकी वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि, सेवा-वधि (स्पेशल ग्रेड में) ठीक कर के 15 प्रतिशत सिलेक्शन ग्रेड देने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) । वेतनमानों की घोषणा शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसके प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों के लिए कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का केवल एक ही संवर्ग है और संबंधित विद्यालय के कार्य भार के अनुसार उनको तैनात किया जाता है ।1974 के पश्चात् शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के पदों की भर्ती 330-560 रु० के निचले वेतनमान में की जा रही है और पहले से भर्ती किए गए शारीरिक प्र शिक्षण अनुदेज्ञक धीरे-धीरे समाप्त होने वाली श्रेणी में 425-640 रु० के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं । कनिष्ठ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों की वरिष्ठता पेनल (नामिका) में उनके स्थान के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

(ग) क्योंकि प्रत्येक शारिरिक प्रशिक्षण अनुदेशक को नियुक्ति की तारीख/ नामिका में स्थान के आधार पर संवर्ग में वरिष्ठता प्रदान की गई है इसलिए नियमों के उल्लंघन का प्रश्न नही उठता । किसी विशेष स्थान/संस्था में तैनाती कभी भी किसी व्यक्ति की वरिष्ठता निर्धारित करने का मापदण्ड नहीं होता ।

(घ) क्योंकि प्रत्येक कनिष्ठ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक को नामिका में उसकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार संवर्ग में ठीक वरिष्ठता पहले से ही प्रदान कर दी गई है, प्रश्न नहीं

उठता । पात्र शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार पहले ही 15% सिलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है ।

गेहूं का खराब होना

5705· **श्री के प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष वर्षा और बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो वर्षा और बाढ़ से खराब हुये गेहूं की मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है और इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार कितना गेहूं जमा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रयाप सिंह) : (क) : विभिन्न राज्यों में 1978-79 के दौरान भारी वर्षा, तूफानों, बाढ़ों आदि से 2.60 लाख मी० टन गेहूं प्रभावित हुआ था ।

(ख) :- प्रभावित स्टाक को साफ करने का कार्य प्रगति पर है और क्षतिग्रस्त अथवा मानव उपभोग के आयोग्य बताई गई वास्तविक मात्रा के बारे में जानकारी सफाई-कार्य पुरा हो जाने के बाद ही हो पाएगी ।

एक विवरण **संलग्न** है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों में रखे गये गेहूं की राज्यवार मात्रा बताई गई है ।

भारतीय खाद्यनिगम द्वारा गोदाम में रखे गये गेहूं की राज्यवार मात्रा बताने वाला विवरण

1-3-1979 को क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	आकड़े हजार मी० टन में गेहूं का स्टाक
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	147.6
2	आसाम	16.3
3.	बिहार	228.9
4.	दिल्ली	80.5
5	(क) गुजरात	457.9
	(ख) जे० एम० (पी० ओ) कान्डला	69.5
6.	हरियाणा	172.2
7.	हिमाचल प्रदेश	6.0
8.	जम्मू और काश्मीर	12.5
9.	कर्नाटक	196.6

1	2	3
10.	केरल	15.6
11.	मध्य प्रदेश	692.3
12.	(क) महाराष्ट्र	818.8
	(ख) गोवा	2.8
13.	एन० ई० एफ०	
	मेघालय	3.4
	नागालैंड	0.7
	मणीपुर	नग०
	मिजोरम	नग०
	त्रिपुरा	0.3
14.	उड़ीसा	41.6
15.	पंजाब	82.0
16.	राजस्थान	1278.3
17.	तमिल नाडू	150.6
18.	उत्तर प्रदेश	924.9
19	पश्चिमी बंगाल	268.2
	(क) आर० एम० गोदाम	47.0
	(ख) जे० एम० (पी ओ.) गोदाम	
	जोड़—	5777.5
	50 मी० टन से कम	

नोट : –इस मात्रा में से 23.40 लाख मी० टन कूप (कवर तथा प्लिंथ) में रखा गया था ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ढांचे में परिवर्तन

5706. डा० महादीपक सिंह शाक्य: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली शाखा ने मांग की है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ढांचे में तत्काल परिवर्तन किया जाये जिससे कि प्रवेश शैक्षिक योग्यता के आधार पर दिया जाये न कि आर्थिक आधार पर ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नीति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसे अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दालों की कीमतों में कमी लाने की योजना

5707. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों की कीमतों में कमी लाने के लिये सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श के साथ एक योजना बनाने का है जिसके अंतर्गत दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके,

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय इसको वार्षिक आयोजना, 1979-80 अथवा छठी योजना में सम्मिलित कराने का मामला योजना आयोग के साथ उठायेगी, ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां, । सरकार ने दालों का विकास करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र योजना भी शुरू की है ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन राज्य सरकारों को जिन बातों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, वे हैं : (1) किसानों के खेतों में प्रदर्शनों को तैयार करके उन्हें उन्नत पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना (2) उन्नत/अल्पकालीन किस्मों के बीजों का संवर्धन (3) किसानों को सप्लाई करने के लिए रिजोबियम का बड़ी मात्रा में उत्पादन और (4) वनस्पपि रक्षण रासायनिकों की लागत पर 25 प्रतिशत और दालों की फसलों से संबंधित कृमियों तथा रोगों पर नियंत्रण करने के लिए पौद संरक्षण उपस्करों की लागत पर 50 प्रतिशत राज-सहायता ।

केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय महत्व की दालों की किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ग) तथा (घ) योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र को योजना के संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और 1979-80 से 1982-83 तक इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि आवंटित की गई हैं । यह योजना मौजूदा पद्धति पर जारी रहेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले श्रमिक

708. श्री सी० आर० महाटा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बड़ी संख्या में श्रमिक नैमित्तिक/दैनिक मजूरी पर काम करने वाले हैं जबकि उन्हें गत दस वर्षों से नियमित रूप से काम पर रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार ऐसे श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उनकी सेवाएं आवश्यक हैं ;

(घ) क्या ये श्रमिक किसी छुट्टी, बीमारी, लाभ, पदोन्नति आदि के अधिकारी नहीं हैं और उनके लिए कोई नियमित कार्य घटे नहीं हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें नियमित आधार पर नियमित करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) तथा (ख) : जी, नहीं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ऐसा कोई नैमित्तिक/दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है जो पिछले 10 वर्ष से नियमित रूप से काम कर रहा हो सिवाए एक नलकार (प्लम्बर) के जो लेबर ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार कांम कर रहा है ।

(ग) (ङ) तथा (च) : नैमितिक/दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी तथा अपेक्षित अल्पावधि और आवश्यक किस्म के कार्यों के लिए रखे जाते हैं । उन्हें नियमित आधार पर रख लेने के संबंध में इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) उनके कार्य का समय नियमित होता है और उन्हें सप्ताह में एक छुट्टी दी जाती है । नियमित कर्मचारियों को प्राप्त अन्य लाभ उन्हें देय नहीं हैं ।

राष्ट्रीय बाल निधि

5709 : डा० विजय मंडल
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री पीयूष तिरकी :

क्या शिक्षा समाज, कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों में राष्ट्रीय बाल निधि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने की आशा है और इसके व्यय के लिए क्या व्यवस्था होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) तथा (ख)—धर्मार्थ न्याय अधिनियम, 1890 के अधीन केन्द्र में पहले ही राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की जा चुकी है । राष्ट्रीय बाल कोष का उद्देश्य निराश्रित बच्चों, विशेषकर स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों के पुनर्वास के साथ-साथ बच्चों कल्याण सम्बंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय राज्य एवं जिला स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों के सहायक अनुदान देता है और इस पर नियंत्रण करना है । अनुसूचित जाति, आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के

बच्चों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी । एक वर्ष विशेष में धनराशि आबंटित करने और कोष के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली कुल धनराशि के अंश को निर्धारित करने की जिम्मेदारी प्रबंध बोर्ड की है जिसकी बैठक, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने हेतु समय-समय पर होगी । राज्य स्तर कोष के लिए बोर्ड प्रत्येक राज्य के लिए कार्यकारी समिति नियुक्त करके उस कार्यकारी समिति को अपने अधिकार प्रदान कर सकता है । यह संभावना है कि इस कोष के प्रयोजन हेतु राज्यों के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि का अधिकांश भाग राज्य कार्यकारी समितियों के पास रख दिया जाएगा ।

भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में एक रिक्त पद का भरा जाना

5710. **श्री नवाब सिह चौहान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्राणालय, अलीगढ़ में अभी हाल तक वाइंडर असिस्टेंट के एक पद पर प्रशिक्षित प्रशिशु बाइंडरों में से नियुक्ति नहीं की गई और उस पद पर एक अप्रशिक्षित तथा अनर्ह उम्मीद्वार की नियुक्ति की गई तथा गत 4-5 वर्षों से बेरोजगार अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु को उसमें नियुक्त नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसका पूरा ब्यौरा तथा प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षिक अर्हता तथा सरकारी मुद्राणालयों में काम का उनका अनुभव क्या है ;

(ग) क्या प्रबंधक ने इनमें से किसी उम्मीदवार की आयु में सिथिलता की सिफारिश की की थी और यदि हां, तो उसका आधार अथवा औचित्य क्या है ; और

(घ) क्या चयन के मामले में पक्षपात दिखाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की है और यदि हां, तो किसके द्वारा ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : **(क) तथा (ख)** रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में से सितम्बर, 1978 में भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में बाइंडरी असिस्टेंटों के छह पद भरे गए थे । इन उम्मीदवारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । संलग्न विवरण में सूची बद्ध केवल पहले छह उन्मीदवारों ने मुद्रणालय द्वारा लिया गया ट्रेड टेस्ट पास किया और ये नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए । इनमें से पांच अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु हैं और एक गैर प्रशिक्षु है ।

(ग) जी, नहीं :

(घ) एक शिकायत प्राप्त हुई थी और जांच पड़ताल पर यह पाया गया कि मुद्राणालय के प्रबंधक द्वारा भर्ती के लिए ठीक प्रक्रिया अपनाई गई थी और किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया था ।

विवरण

नाम	शैक्षिक अर्हता	जन्म तिथि	टिप्पणी
(क) उन उम्मीदवारों के नाम जिन्होंने ट्रेड टेस्ट पास किया ।			
सर्वश्री			
1. परसू राम	हाई स्कूल	20-7-1950	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
2. कूंवरपाल सिंह	इंटरमिडियट	17-6-1949	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
3. महेश चन्द शर्मा	हाई स्कूल	2-8-1949	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
4. त्रिवेदी सहाय	हाई स्कूल	14-7-1950	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
5. वीरपाल सिंह	हाई स्कूल	17-1-1949	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
6. राजेन्द्र बाबू (राजेन्द्र पाल सिंह)	हाईस्कूल	5-7-1951	गैर-प्रशिक्षु
(ख) उन उम्मीदवारो के नाम जो ट्रेड टेस्ट में शामिल नहीं हुए/फेल हो गए			
7. चन्द्रपाल सिंह सुपुत्र श्री चिड़ढ़ा सिंह	हाई स्कूल	12-8-1947	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
8. जयपाल सिंह	जू० हाई स्कूल	2-6-1947	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
9. ओम प्रकाश	IX पास	10-1-1951	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
10. नत्थी सिंह	8वीं पास	12-6-1954	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
11. हरबीर सिंह	इंटरमीडिएट	4-5-1950	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
12. वीरेन्द्र कुमार शर्मा	8वीं पास	11-7-1951	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
13. सूरजपाल सिंह	हाई स्कूल	11-12-1949	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु
14. विनोद कुमार	हाई स्कूल	1-11-1952	गैर प्राप्त प्रशिक्षु
15. प्रेम कुमार सक्सेना	इंटरमिडियट	11-11-1951	अर्हता प्राप्त प्रशिक्षु (बैंक नोट प्रेस देवास में नियुक्ता)

ट्रेड टेस्ट/साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

5711. श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

श्री भगत राम :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी छह महीनों में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) अब तक नियमित की गई कालोनियों में क्या नागरिक सुविधाएं दी गई हैं, वहां अभी क्या सुविधाएं दी जानी है और वहां ऐसी सुविधाएं कब तक दी जाएंगी; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए क्या कोई केन्द्रीय आवंटन किया गया है ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण इन कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया आगामी छः महीनों तक जारी रखेगा जब तक कि सरकारी आदेशों के अन्तर्गत आने वाली कालोनियां नियमित नहीं हो जाती।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान और जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान इन कालोनियों के निवासियों द्वारा निर्धारित विकास प्रभार अदा करने पर और उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर, जहां भी संभव हो, अनधिकृत कालोनियों में जलपूर्ति एवं बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा, जमीन का भराव, ईंटें बिछाना, नालियां और सम्पर्क मार्गों जैसे प्रारम्भिक निर्माण कार्य स्थानीय निकायों द्वारा कुछ नियमित कालोनियों में प्रारम्भ किए गए हैं। तथापि, मल-निर्यास, नालियां, सड़कें, पार्क, क्रीडा स्थल, जलपूर्ति एवं बिजली जैसी नागरिक जन-सुविधाएं, यदि ये दिल्ली नगर-निगम के दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान और जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान की मौजूदा प्रक्रिया के भीतर व्यवहारिक न हो तो विकास नक्शे तैयार हो जाने के बाद मुहैया की जाएंगी। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। इन कालोनियों के विकास के लिए अब तक केन्द्रीय सरकारी धन का कोई नियतन नहीं किया गया है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र मे डाक सुविधाएं उपलब्ध न होना

5712. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी राजस्थान के दो तिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी डाक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं की अधिक सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं। राजस्थान में 33,305 गांव हैं, जबकि राज्य में ग्रामीण डाकघरों की संख्या 7749 है। सभी ग्रामों में दैनिक डाक वितरण सेवा की व्यवस्था है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे 2606 चल डाकघरों के माध्यम से 5429 ग्रामों को काउंटर सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सरकार ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक डाकघर खोलने की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने की शर्तों में ढील दे दी गई है। राज्य में 978-79 के दौरान नए डाकघर खोलने, पत्र पेटी लगाने, ग्रामों में काउंटर सुविधाएं देने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए विभागेतर एजेंटों की नियुक्ति के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार आगामी वर्ष अर्थात् 1979-80 के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। 1978-79 के लिए लक्ष्यों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति नीचे दी जा रही है :

	लक्ष्य	15-3-79 तक कार्यान्वयन
डाकघर खोलना	400	299
ग्रामों में काउंटर सुविधा की व्यवस्था	534	664
पत्र पेटियां लगाना	4000	1502
विभागेतर एजेंटों की नियुक्ति	800	787

राजस्थान के पोस्टमास्टर जनरल से वर्ष की समाप्ति से पहले सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

राजधानी में लाल डोरा के बाहर अनधिकृत निर्माण

5713. श्री असान जाफरी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में ग्रामों तक "लाल डोरा" का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) राजधानी में अनधिकृत कालोनियों की संख्या, उनके नाम, जनसंख्या और क्षेत्र कितना कितना है;

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में अब तक अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन कालोनियों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में नागरिक सुविधाओं के लिए विशेषकर बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, पार्क, कम्यूनिटी हाल बनाने के लिए कितनी धन-राशि की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए बजट में कितनी धनराशि रखी गई है।'

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार दिल्ली में कालोनियों और ग्रामों के एक्सटेंशन को मिलाकर 611 अनधिकृत कालोनियाँ हैं। उनके नाम संग्लन सूची में दिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत कालोनियों ने लगभग 3000 हैक्टेयर भूमि घेरी हुई है जिनकी जनसंख्या लगभग 8 लाख है। फिर भी प्रत्येक अनधिकृत कालोनी में घेरे गए क्षेत्र और उनकी जनसंख्या के बारे में ब्यौरे समेकित नहीं किए गए हैं।

(ग) व्यय की गई राशि लाख रुपयों में (अनुमानत:)

	1977-78	1978-79
(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण	6.42	0.855 (दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2.79 लाख रुपये की एक राशि भी दिल्ली नगर निगम को कुछ अनधिकृत कालोनियों में जलपूर्ति पाइप बिछाने के लिए 1978-79 में अदा की)
(ii) दिल्ली नगर निगम	40.50	22 00 (22-2-79 तक)

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुख-सुविधाओं और सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उनके विकास पर 125.00 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी जिसमें उन व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी लागत भी शामिल होगी जिन्हें उन क्षेत्रों से हटाया गया था जिनकी इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए जरुरत थी। सरकार ने छठी योजना अवधि में इन बस्तियों के विकास के लिए अभी तक कोई राशि निर्दिष्ट नहीं की है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4232/79]

विदेशी मिशनों द्वारा भवनों की खरीद करने संबंधी नियम

5714. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

श्री रतन सिंह रजदा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मिशनों द्वारा दिल्ली में तथा विशेष रूप से वेस्टेन्ड, शांति निकेतन, विवेक विहार, जोरबाग, गोल्फलिंक तथा औरंजेब रोड में भवनों तथा स्थलों की खरीद किए जाने संबंधी नियमों में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नियम कब बदले गए थे;

(ग) इस परिवर्तन से किन-किन व्यक्तियों को लाभ पहुंचा·

(घ) परिवर्तित हुए नियमों के अधीन उन व्यक्तियों से किन-किन विदेशी मिशनों ने सम्पतियां खरीदीं; और

(ङ) उक्त परिवर्तन के क्या कारण थे।'

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) : जी, नहीं, किन्तु नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 27 के

अन्तर्गत, यदि कोई विदेशी मिशन दिल्ली में बने बनाए भवनों को खरीदना चाहता है तो विक्रेता को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत उप-राज्यपाल ने मिशनों को वेचने के लिए निम्नलिखित सम्पति को छूट दी थी जिसे प्रत्येक के आगे दिखाया गया है :—

संपत्ति	मालिक का नाम	दूतावस का नाम जिन्हें संपत्ति बेची गई
नं० 1 तिलक मार्ग, नई दिल्ली	श्री शैलेन्द्र नारायण भंजदेव	पोलैण्ड दूतावास
नं० 18 तिलक मार्ग, नई दिल्ली	श्री अवतार सिंह संधु	ईरान दूतावास
नं० 7, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली	मैसर्स मोहन मीकिन ब्रेवरीज (लि०)	भारत में जाम्बिया का उच्चायुक्त

इस्पात और खान मंत्री श्री बीजू पटनायक की नं० 3 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली की संपति को संयुक्त अरब एमीरात के दूतावास को बेचने की अनुमति भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई थी किन्तु बाद में प्रस्तावित सौदा स्थगित कर दिया गया।

प्याज का समर्थन मूल्य

5715. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्याज का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : मंत्रालय के अनुरोध पर कृषि मूल्य आयोग ने 1979-80 के मौसम के लिये प्याज की मूल्य नीति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि यदि अच्छी औसत किस्म की प्याज के बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर से नीचे गिर जायें, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कोई एजेन्सी इस मूल्य पर उत्पादकों से प्याज की खरीद शुरू कर दे। आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

डी०डी०ए० द्वारा नर्सरी स्कूलों के लिए आरक्षित स्थल

5716. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में नर्सरी स्कूलों के लिए आरक्षित स्थलों के आबंटन के लिए डी०डी०ए० ने अक्तूबर, 1978 में आवेदन पत्र मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों का किन दरों पर आवंटन करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब निर्धारित दरें पहले की दरों से काफी अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त दरों में कितनी वृद्धि की गई है और क्या नर्सरी स्कूलों के लिए निर्धारित भूमि की दरों में वृद्धि करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। विज्ञापन जुलाई, 1978 और सितम्बर, 1978 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए थे ।

(ख) 3 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा प्रीमियम का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक भूमि किराये के रूप में ।

(ग), (घ) तथा (ङ) : जी, हां । दरें सितम्बर, 77 में 5000 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई थी और साथ में प्रीमियम का 5 प्रतिशत भूमि किराया । ऐसा इस विचार से किया गया था कि नर्सरी स्कूलों को भूमि का आवंटन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाना था और ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का अनुमोदन दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसे संस्थानों का उद्देश्य फीस में उपयुक्त अवकल रखकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इन दरों को सितम्बर, 1978 में पुनरीक्षित किया गया था । नर्सरी स्कूल को भूमि की पुनरीक्षित दरें (स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों के अतिरिक्त (3 लाख रुपये प्रति एकड़ है और साथ में प्रीमियम का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया ।

अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों पर विस्तार से विचार करने से पूर्व, सरकार की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यह है कि नर्सरी स्कूलों को भूमि के आवंटन के लिए निर्धारित 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर "लाभ-हानि रहित" आधार पर भूमि की लागत को दर्शाती है और इसके पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पुणे, महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वार की गई मांगें

5717. श्री आर० के० महालगी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मकान बनाने हेतु अग्रिम राशि के बारे में (पु (महाराष्ट्र) के कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ओर से 20 जनवरी, 1979 को एक लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में क्या मांगें की गई हैं; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन की प्रत्येक मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) दिनांक 20 जनवरी, 1979 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में तिलहन परियोजना

5718 **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में 160 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक तिलहन परियोजना उनके मंत्रालय में प्राप्त हुई थी तथा उस पर विचार किया गया था और उसकी जांच के बाद मंत्री महोदय ने उसे प्रारंभिक रूप में अस्वीकार कर दिया था; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) मंजूर की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को इस परियोजना के बारे में छपे समाचारों की जानकारी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) संयुक्त राज्य की कोआपरेटिव लीग से उपहार के रूप में प्राप्त खाद्य तेल की बिक्री से धनराशि का सृजन करके 150 करोड़ रु० के निवेश से खाद्य तेल को पुनः तैरार करने तथा तिलहन का उत्पादन करने एवं उसका विपणन करने के लए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैरार की गई एक परियोजना मंत्रालय में प्राप्त हुई थी । परियोजना के प्रस्ताव पर कार्य- वाही की जा रही है, लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने राष्ट्री डेरी विकास बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका की कोआपरेटिव लीग के बीच होने वाले करार के मसौदे पर अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(ख) यह परियोजना उत्पादन की तकनीकों को अपनाने हुतु कृषको की सहायता करने के लिए बनाई गई है, जिससे जलवायु की विभिन्नताओं के कारण मूंगफली की फसल पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जायेगा । इसके साथ-साथ उपज में भी वृद्धि होगी तथा प्रति वर्ष मूल्य में भी स्थिरता आयेगी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी । इस उद्देश्य से तिल-उत्पादक सहकारी समितियों के संघ का गठन करके मूंगफली के उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन आ समन्वय किया जायेगा । योजना कों मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) बीजों का उत्पादन करना तथा उपयुक्त स्थलों पर फार्मों की स्थापना करके उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी सप्लाई करना। ये फार्म अनुकूली अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

(2) समन्वित मूल्य पर उत्पाद की अधिप्राप्ति करना तथा परिसंस्करण की व्यवस्था करना।

(3) उपभोक्ता सहकारी समितियों के जरिये बनस्पति तेलों को बेचना।

सरकार को इस परियोजना पर छपी प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है। परियोजना में बहु-राष्ट्रिकों को शामिल करने पर विचार नहीं किया गया है। परन्तु तिलहनों का उन्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का विकास करने का प्रमुख रूप से विचार किया गया है।

"वर्ल्ड मीट आन वेस्ट रिसाइक्लिंग सजेस्टडा' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

5719 **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **निर्माण और आवास** तथा **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31-12-78 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्र संघ ने 1980 से आरंभ होने वाले दशक को 'डेकेट आफ वेस्ट रिसाइक्लिंग (उच्छिस्ट पदार्थों को पुनः उपयोग में लाने का दशक) के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया था छौर इस विषय में 1979 में विश्व सम्मेलन बुलाया जायेगा।

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में सरकार किस रूप में भाग लेगी!

(ग) क्या इसी समाचार में उच्छिष्ट पदार्थों को काम में लाने की प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्र संघ के सम्मेलन के चेयरमैन, डा० मयूर ने बताया है कि एशिया के किसी एक शहर में शहर की कार्बनिक सामिग्री से बनी होती है जिसे एकत्र करके जमीन भरने के बजाय उर्वरकों के रूप में काम में लिया जा सकता है।

(घ) घरेलू तथा औद्योगिक तलछट का उपयोग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जैसा कि डा० मयूर ने सुझाव दिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन देशों में एक विशेषज्ञ दल भेजने का है जहां तलछट का का उपयोग करने संबंधी प्रयोग सफलतापूर्वक किये गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां। तथापि, सरकार को यह मालूम नही है कि 1979 में विश्व सम्मेलन बुलाने का डा० मयूर का सुझाव संयुक्त राष्ट्र ने मान लिया है या नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के जरिये तथा कंपोस्ट के उत्पादन, बायो गैस और बायो खाद के लिए यांत्रिक प्लांट, बायो गैस प्लांट आदि की स्थापना जैसी विभिन्न योजनायों के जरिये विभिन्न टाइप के अवि-शिष्टों के पुनरावर्तन की समस्या पर पहले ही विचार कर रही है । अपशिष्ट को कंपोस्ट में परि-वर्तित करने में नगरों की स्वच्छता को बनाए रखने और कृषि प्रयोजनों के लिए अत्यधिक आव-श्यक कार्बनिक खाद को बढ़ाने के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है ।

(ङ) सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक राज्य विधायकों द्वारा कावेरी योजना के पूरा किए जाने के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना

5720.श्री जनार्दन पुजारी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य विधायकों ने कावेरी योजना के दूसरे चरण के शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि देने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिससे बंगलौर नगर की पानी की कमी की समस्या हल हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार किसी मुख्य नगर जल-पूर्ति योजना के लिए अनुदान या ब्याज मुक्त ऋण मंजूर कर सकती हो । तथापि, वार्षिक प्लान पर कार्रकारी दल के विचार विमर्श के समय इस योजना को प्लान में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा हर संभव सहायता की गई है ।

केरल के मन्नटोडी और कन्नोर जिलों में समेकित बाल विकास सेवा योजना

5721 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) : वर्ष 1978-79 में केरल के मन्नटोडी और कन्नानोर जिलों में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आरम्भ की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) उस क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कितने बालक आते हैं; और

(ग) आगामी वर्ष की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मन्त्री (श्री मती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) (ख) और (ग) -अप्रैल, 1978 में केरल सरकार हेतु मन्नटोडी (आदिवासी) कन्नानूर जिले में एक समेकित बाल विकास सेवा परियोजना मंजूर की गई । समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार है ।

(1) 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार तथा स्वास्थ्य सुधार ।

(2) बच्चे की उचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक और सासाजिक विकास के लिए बुनियाद रखना ।

(3) मृत्यु-दर, कमजोरी, कुपोषण तथा स्कूल छोड़े जाने के मामलों में कमी लाना ।

(4) बाल विकास संवर्धन हेतु विभिन्न विभागों में नीति संबंधी असरदान समन्वय प्राप्त करना, और क्रियान्वय ।

(5) बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल हेतु उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मां की क्षमता बढ़ाना ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊपर बताए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं-

(1) पूरक पोषाहार;

(2) निवारात्मक टीके;

(3) स्वास्थ्य निरीक्षण;

(4) संदर्भ सेवाएं;

(5) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा; और

(6) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा ।

इन सेवाओं हेतु आंगवाड़िया केन्द्र बिन्दु है । परियोजना कर्मचारियों में मुख्य हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, लैडी हैल्थ विजिटर, औग्जीलरी नर्स-दाईयां और आ वाड़ी कार्यकर्त्ता । कार्यकर्ताओं का चयन और प्रशिक्षण देने तथा सामान प्राप्त करने में सामान्यता एक से डेढ़ वर्ष लगता है ।

(2) इस परियोजना के बारे में अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सा अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा निरीक्षकों के पद भर लिए गए हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन हो गया है और प्रशिक्षण जारी है । इन कर्मचारियों का प्रशिक्षण जून, 1979 में पूरा

हो जाएगा । प्रशिक्षण के पश्चात यह परियोजना पूरी तरह कार्यरत होगी और साथ-साथ बसे कई गांवों के ऐसे क्षेत्र के लिए होगी जिनकी कुल आबादी 35 हजार से 50 हजार तक होगा। इससे लाभ प्राप्त कर्ताओं में 6 वर्ष से छोटे लगभग 8500 बच्चे होंगे और 3500 होने वाली और दूध पिलाने वाली माताएं ।

(3) जून 79 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होते ही इस परियोजना की 50 आंगनवाड़ियों में बच्चों और माताओं को वे सेवाएं प्रदान की जाएगी जिनका वर्णन ऊपर पैरा । के भाग (5) में किया गया है ।

रबी की फसल की सम्भावना और गेहूं की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

5721. **श्री दुर्गा चन्द्र : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत वर्ष की तुलना में इस समय रबी की फसल की क्या सम्भावना है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस समय प्रत्येक गेहूं उत्पादन राज्य में गेहूं की खेती के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस वर्ष गेहूं नसूली के क्या लक्ष्य हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चालू वर्ष (1978-79) के दौरान जो के सिवाय रबी की प्रमुख फसलों का उत्पादन वर्ष 1977-78) के अनुसार स्तर से अधिक होने की संभावना है ।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए गेहूं के अब तक निर्मुक्त किए गए अखिल भारतीय प्रथम अनुमान के अनुसार गेहूं की फसल के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान 205 18 लाख हेक्टर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 213.12 लाख क्षेत्र रखा गया है । राज्यवार अनुमानों को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1979-80 के मौसम के लिंए गेहूं की वसूली नीति अभी सरकार के विचाराधीन है ।

वर्ष 1978-79 के लिए गेहूं के अखिल भारतीय प्रथम अनूमान

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टार)	
	1978-79	1977-78
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	20.4	22 8
असम	62.2 (टी)	73.4 (एफ)
बिहार	1873.5	1970.3
गुजरात	588.0	680 9
हरियाणा	1387.0	1344.0

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	318.1+	318.1 (एफ)
जम्मू तथा कश्मीर	189.8+	189.8 (एफ)
कर्नाटक	306.5	277.0
मध्य प्रदेश	3478.6	3199.7
महाराष्ट्र	1105.6	978.0
उड़ीसा	60.0	52.0
पंजाब	2561.0	2613.0
राजस्थान	1767.3	1612.0
त्रिपुरा	4 5+	4.5
उत्तर प्रदेश	7039 0	6631.4
पश्चिम बंगाल	478.7+	478.7
दिल्ली	72.1+	72.1
अखिल भारत	21312 3	20517.8

+ — वर्ष 1978-79 के संबंध में सूचना उपलब्ध न होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों को दोहराया गया है ।

(एफ) —अन्तिम अनुमान (टी) - सामायिक आसूचना योजना पर आधारित

टिप्पणी : (1) मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु और दादरा तथा नागर हवेली से संबंधित आंकड़े सिर्फ अन्तिम अनुमान में शामिल किए जाएंगे ।

(2) उपर्युक्त सूची में शामिल न किये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं का प्रशंसनीय उत्पादन नहीं हुआ है ।

(3) इस अनुमान में 1978-79 के दौरान गेहुं की फसल के अन्तर्गत बोया गया समस्त क्षेत्र शामिल नहीं है । पिछले अनुभव से पता चलता है । कि प्रथम अनुमानित चरण का क्षेत्र मोटे तौर पर फसल के अन्तर्गत अन्तिम रूप से बताए गए क्षेत्र का 95 प्रतिशत होता है ।

कृषि विशेषज्ञों का विदेशों में भेजा जाना

5723. श्री दुर्गाचन्द : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने विदेशों को कृषि विशेषज्ञ भेजने आरम्भ कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन देशों को भारतीय विशेषज्ञ भेजे गये हैं; और

(ग) क्या भारत की कृषि प्रौद्योगिकी का निर्यात हो रहा है यदि हां, तो किन-किन देशों को ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : भारत, नाईजीरिया, सोमालिया, जाम्बिया, सूरीनाम, ईराक, श्रीलंका, लीबिया, वियतनाम, गुयाना, अफगानिस्तान, लाओस आदि जैसे अनेक विकासशील देशों को बारानी खेती, भूमिगत जल अन्वेषण, धान्य/वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन, कृषि अनुसंधान/ पशुपालन, डेरी उद्योग, वानिकी, बीज प्रौद्योगिकी, आदि के क्षेत्रों में विशेषज्ञ अथवा तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जाँच के लिए समिति

5724 श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक शक्तिशाली समिति गठित करने के बारे में उच्चस्तरीय निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन से होंगे और यह कब कार्य करना आरम्भ कर देगी; और

(ग) इसके ठीक ठीक निदेश पद क्या होंगे और यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) जी हां । समिति से संबंधित विवरण विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

वर्ष 1977 और 1978 के दौरान भीमसागर परियोजना के लिये आवंटित राशि का उपयोग

5725. श्री चतुर्भुज : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान भीमसागर सिंचाई परियोजना के लिये कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या परियोजना अधिकारियों ने इस राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या परियोजना के लक्ष्य को निर्धारित अवधि में प्राप्त कर लिया जायेगा; और

(घ) क्या जलमग्न हो गई असनावर को कृषि के भूमि लिये मुआवजा दिया गया है और क्या इन किसानों, जिनकी भूमि जलमग्न हो गई है, को कोई अन्य भूमि आबंटित करने के लिये राज्य सरकार को आदेश दिये गये हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) राज्य से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जामनगर में जाम जोधपुर तालुका के तरसाई गाँव में टेलीफोन एक्सचेंज

5726 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जिला जामनगर में जाम जोधपुर तालुका के गांव तरसाई में टेलीफोन एक्सचेंज कब खोला जाएगा;

(ख) क्या तरसाई गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर लगभग 18 टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अर्थात् तरसाई गांव में 11, खंभाला गांव में 2, बिलेश्वर गांव में 3, रामगढ़ गांव में 1 और राणाबोरडी गांव में 1 कनैक्शनों के लिये डीपोजिट की राशि भी जमा की जा चुकी है और यदि हां, तो प्रत्येक मामलों में कब और कहां पर कितनी धनराशि जमा कराई गई;

(ग) इन जमाकर्ताओं को पोरबन्दर से तरसाई गांव के लिये लाइन लेकर टेलीफोन कनैक्शन कब दिये जाएंगे; और

(घ) उनको कनैक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनको कब तक टेलीफोन कनैक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

जाम कण्डोरमा (राजकोट) टेलीफोन एक्सचेंज गुजरात की क्षमता

5727. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र (गुजरात) के राजकोट जिले में जाम कण्डोरमा टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है, यहां से अब तक कितने कनेक्शन दिये गये हैं और कितने नये कनेक्शन दिये जा सकते हैं;

(ख) क्या पांच व्यक्तियों अथवा संस्थानों ने 8 महीने पूर्व टेलीफोन कनेक्शनों के लिये रुपये जमा कराये थे यदि हां, तो कितने और कब तथा यह राशि कहां जमा कराई थी;

(ग) उन्हें कब टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की संभावना है; और

(घ) उन्हें नये कनेक्शन देने में विलंब के क्या कारण हैं और उन्हें नये कनेक्शन कब तक मिल जाने की संभावना है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जाम कण्डोरमा टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता 100 लाइनों की है। इस समय 44 लाइने चालू हैं। सभी आवेदकों को कनेक्शन देने की पर्याप्त गुंजाइश है।

(ख) और (ग) : ऐसे तीन मामले हैं जिनमें रुपये जमा कराये गये हैं। विस्तृत विवरण में दिया गया है।

(घ) ये लम्बी दूरी के कनेक्शन हैं और इनके लिए भारी मात्रा में भंडारों की जरुरत है जिसकी सप्लाई कम हो रहीं है। दो टेलीफोन तो एक महीने के भीतर दे दिये जायेंगे और तीसरा टेलीफोन सामान मिल जाने पर दे दिया जायेगा।

	पार्टी का नाम	तारीख जब रुपये जमा कराये	कार्यालय जहां रकम जमा कराई	टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए कितना समय लगने की संभावना है
1.	पैद्य जूठ विविध	3-12-76 रु० 800.00	घोरजी	लगभग एक महीने की अवधि में ।
	कार्यकारी सहकारी	21-12-76 रु० 200.00		
	समिति	15-2-78 रु० 2000.00		
2.	जाम कण्डोरमा टांका सहकारी बिक्री और क्रय संघ-जीनिंग फैक्टरी जाम कण्डोरमा	22-12-77 रु० 800.00	जाम कण्डोरमा	यह लम्बी दूरी का कनेक्शन है। अत: कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है । फिर भी, संभावना यह है कि भंडारों की प्राप्ति के बाद व्यवस्था कर दी जाएगी ।
3.	प्रभाकर अरुत लाल कामदार	29-6-78 रु० 800.00	जाम कण्डोरमा	लगभग एक महीने की अवधि में ।

जूनागढ़ जिले के राणावाव नगर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन

5628. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 1979 को गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के जूनागढ़ जिले के राणावाव नगर में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदन विचाराधीन थे;

(ख) किन-किन लोगों, कम्पनियों और संस्थाओं के ऐसे आवेदन विचाराधीन है इन्होंने कब-कब और कितनी-कितनी राशि जमा की थी;

(ग) इन सभी को अभी तक टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं;

(घ) इन सभी आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे;

(ङ) राणावाव-पोरबन्दर में इस समय कितनी टेलीफोन लाइनें हैं और क्या राणावाव पोरबन्दर के बीच और अधिक लाइनें लगाने की कोई योजना है और यदि हां, तो वहां कितनी और अधिक लाइनें कब तक लगाई जायेंगी; और

(च) राणावाव-पोरबन्दर के बीच डबल और चार डायरेक्ट लाइनें कब तक दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) राणावाव नगर में तारीख 15-2-1979 को पांच आवेदन नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम कंपनी और संस्थाएं	राशि जमा कराने की तारीख	कुल जमा की राशि
1.	डिप्टी इंजीनियर, राजकीय क्षेत्र	5-1-1976	1,000 रुपये
2.	मैसर्स मैलिश इंटर प्राइजेज	3-11-77	1,000 रुपये
3.	रामभाई देदरा कृषि फार्म	1-9-71	1,000 रुपये
4.	श्रजकांत हार्दिया	20-5-78	1,000 रुपये
5.	श्री राणावाव महल खारिद, वेधान संघ लि० राणावाव।	12-6-78	1,000 रुपये

(ग) तीन आवेदकों को पहले ही टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शेष दो जिनके नाम में लिश इन्टर प्राइजेज और रामभाई देदारा कृषि फार्म है को लंबी दूरी के टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता है, जिसके लिए अधिक मात्रा में लाइन सामग्री की आवश्यकता है और इसकी काफी कमी है।

(घ) प्रतीक्षा कर रहे दो आवेदकों को मार्च, 1980 तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की आशा है।

(ङ) और (च) : राणावाव-पोरबन्दर के बीच फिलहाल एक टेलीफोन लाइन (ट्रंक) कार्य कर रही है। दूसरी ट्रंक लाइन की मंजूरी दे दी गई है और इससे 1979-80 के दौरान उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां उपस्थित न हों। तीसरे ट्रंक लाइन के औचित्य की भी जांच की जा रही है।

सिंचाई के क्षेत्र में गुजरात का पिछड़ापन दूर करने की योजना

5729. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **कृषि और सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता बनाई गई है और वस्तुतः कितनी भूमि की सिंचाई की गई है;

(ख) गुजरात में पूरी उपलब्ध सिंचाई क्षमता का कब तक उपयोग किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सिंचाई के क्षेत्र में गुजरात का पिछड़ापन दूर करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना अथवा कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) और (ख) : गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि बृहद माध्यम और लघु स्कीमों द्वारा मार्च, 1978 तक 11 41 लाख हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता सृजित की जा चुकी थी। इसकी तुलना में 6.38 लाख हैक्टेयर तक का समुपयोजन हुआ है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि इस समय उषलब्ध सिंचाई शक्यता को अगले 5 से 6 वर्षों के दौरान पूरी तरह समुपयोजित कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के भाग के रूप में हाथ में ली जाती हैं। फिर भी चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केन्द्र द्वारा गुजरात को 1976-77 में और 1977-78 में 28 55 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता प्रदान की गई थी।

केन्द्र द्वारा प्रयोजित सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में मुख्यत: सात जिले नामश : पंचमहल, कच्छ, जामनगर, राजकोट, अमरेली, बनासकंठा और सुरेन्द्रनगर और अन्य तीन जिलों नामश: अहमदाबाद, महसाना और भावनगर के पांच समीपस्थ ताल्लुके आते हैं। केन्द्र दो मध्य स्कीमों नामश: कच्छ जिले में गोदनाथाठ सिंचाई परियोजना और जामनगर जिले में सैनी स्कीम के लिए शत प्रतिशत अनुदान दे रहा है। इन दो स्कीमों की 230 17 लाख रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में, 28 मार्च, 1978 तक राज्य सरकार को 127.44 लाख रुपए दिए गए हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार स्कीमों के व्यय का 50 प्रतिशत वहन करती है। 1974-79 के दौरान 1108 38 लाख रुपए के परिव्यय की स्कीमें स्वीकृत की गई हैं और उक्त परिव्यय की तुलना में जनवरी, 1979 तक 1015.39 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

भूखी नदी दबोई (बड़ौदा) का नदी तल को चौड़ा करने की योजना

5730. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में बड़ौदा जिले की दबोई तहसील में भूखी नदी के तल के बहुत संकरा है जिसके कारण वर्षाकाल में 60-70 से अधिक गांव जिनमें दबोई और करजन भी सम्मिलित हैं, बाढ़ से जलमग्न हो जाते हैं;

(ख) क्या इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए इस नदी के तल को चौड़ा करने की कोई योजना गुजरात राज्य ने केन्द्र को भेजी है; और

(ग) यदि हां, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भूखी नदी के जल को नर्मदा में व्ययवर्तित करने की एक स्कीम, जो 19.87 लाख रुपए अनुमानित लागत पर 1970 में मंजूर की गई थी, इस बीच पूरी हो गई है। गुजरात सरकार से कोई अन्य स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

आन्ध्र प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय जल विवाद के समाधान से पूर्व और उसके बाद परियोजना प्रतिवेदन

5731. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय जल विवाद के समाधान से पूर्व और उसके बाद उड़ीसा सरकार द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में नागावली, वंधाबाव और दाहुदा के परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई;

(घ) उस राज्य द्वारा भारत सरकार को मंजूरी के लिए कितने प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(ङ) उस राज्य द्वारा क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना और छठी योजना में शामिल परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 1973 में उड़ीसा सरकार द्वारा भागालती के लिए एक परियोजना भेजी गई थी और राज्य सरकार को परियोजना-अनुमानों को अद्यतन बनाने का अनुरोध किया गया है। कोई अन्य परियोजना-रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा भागालती और नागावली परियोजनाओं की परियोजना-रिपोर्टें तैयार करने के लिए 1979-80 में धनराशि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि नागावली बहुदा और वंशधारा नदियों पर बनाई जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना और छठी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

पुरातत्वीय सर्किलों का पुनर्गठन

5732. श्री गिरिधर गोमाँगो : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय निकट भविष्य में वर्तमान पुरातत्वीय सर्किलों का पुनर्गठन करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्किलों से कठिनाइयां तथा समस्यायें दर्शाते हुए तथा उत्तम और कुशल प्रशासन के लिए प्रस्तावों सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ग) वर्तमान सर्किलों के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य आते हैं तथा नए सर्किलों में कौन से राज्य रखने का विचार है; और

(घ) उड़ीसा के भुवनेश्वर में सर्किल कार्यालय सहित नए सर्किल बनाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा और किस प्रस्तावित राज्य में सर्किल खोले जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय पहले से ही विभिन्न सर्किलों की समस्याओं से अवगत है।

(ग) और (घ) वर्तमान और प्रस्तावित सर्किलों के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रों को दर्शाने वाले दो अलग-अलग विवरण संलग्न हैं। वर्तमान पुनर्गठन के अन्तर्गत भुवनेश्वर में सर्किल कार्यालय खोलना सम्मिलित नहीं है।

विवरण 1

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किलों के वर्तमान-प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	संस्थापित क्षेत्र
1.	उत्तर-पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : श्रीनगर)	जम्मू और कश्मीर पंजाब

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	संस्थापित क्षेत्र
		हरयाणा (जिला गुड़गांव को छोड़कर) हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़
2.	दिल्ली सर्किल (मुख्यालय : दिल्ली)	दिल्ली राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले हरयाणा का जिला गुड़गांव
3.	पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : बड़ौदा)	गुजरात राजस्थान (अलवर और भरतपुर जिलों को छोड़कर) दमन और दिव दादर और नगर हवेली
4.	उत्तरी सर्किल (मुख्यालय : आगरा)	उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले (अर्थात् उत्तर प्रदेश उन जिलों को छोड़ कर जिनके नाम मध्यपूर्वी सर्किल के अंतर्गत पूर्वी जिलों के रूप में दिए गए हैं)
5.	मध्य-पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : पटना)	उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले (अर्थात् गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बाराबंकी, राय बरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतहपुर और बांदा) बिहार
6.	पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : कलकत्ता)	पश्चिमी बंगाल असम नागालैंड उड़ीसा मणिपुर त्रिपुरा मेघालय मिजोरम अरुणाचल

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	संस्थापित क्षेत्र
7.	मध्य सर्किल (मुख्यालय : भोपाल)	मध्य प्रदेश
8.	दक्षिण-पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : औरंगाबाद)	महाराष्ट्र गोआ
9.	दक्षिण-पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : हैदराबाद)	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तर पूर्वी जिले अर्थात् रायचूर गुलबर्ग और बीदर
10.	मध्य-दक्षिणी सर्किल (मुख्यालय : बंगलौर)	कर्नाटक (उत्तर-पूर्वी जिलों अर्थात् रायचूर, गुलबर्ग और बीदर को छोड़कर)
11.	दक्षिणी सर्किल (मुख्यालय : मद्रास)	तमिलनाडु केरल, पांडिचेरी और कराइकल

विवरण 2

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किलों के प्रस्तावित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	संस्थापित क्षेत्र
1.	सीमान्त सर्किल (मुख्यालय : श्रीनगर)	जम्मू और काश्मीर
2.	दिल्ली सर्किल (मुख्यालय : दिल्ली)	दिल्ली
3.	पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : बड़ौदा)	गुजरात दमन और दिव दादर और नगर हवेली
4.	उत्तरी सर्किल (मुख्यालय : आगरा)	उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, उन जिलों को छोड़कर जिनके नाम मध्य पूर्वी सर्किल के अन्तर्गत पूर्वी जिलों के रूप में दिए गए हैं)

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	संस्थापित क्षेत्र
5.	मध्य-पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : पटना)	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले अर्थात् गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बहराइच, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बाराबंकी, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतहपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा बांदा; बिहार
6.	पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : कलकत्ता)	पश्चिमी बंगाल उड़ीसा
7.	मध्य सर्किल (मुख्यालय : भोपाल)	मध्य प्रदेश
8.	दक्षिणी-पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : औरंगाबाद)	महाराष्ट्र गोआ
9.	दक्षिण-पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : हैदराबाद)	आन्ध्र प्रदेश
10.	मध्य-दक्षिणी सर्किल (मुख्यालय : हैदराबाद)	कर्नाटक
11.	दक्षिणी सर्किल (मुख्यालय : मद्रास)	तमिलनाडु केरल, पाण्डिचेरी और कराइकल
12.	उत्तर-पूर्वी सर्किल (मुख्यालय : गोहाटी)	अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम
13.	मध्य-पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : जयपुर)	राजस्थान
14.	उत्तर-पश्चिमी सर्किल (मुख्यालय : चण्डीगढ़)	हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, पंजाब, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये शिक्षा सुविधाएं और नियत की गई धनराशि

5733. श्री गिरिधर गोमाँगो : क्या **शिक्षा, शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए कौन सी शिक्षा नीति स्वीकार की है;

(ख) जिन राज्यों में उपयोजना क्षेत्र है उन्होंने इन क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में कौन-सी योजना, कार्यक्रम और प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्तुत किए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा सुविधाओं के लिए कौन-सी योजनायें तैयार की हैं; और

(घ) उपयोजना क्षेत्र बनाए जाने के बाद से लेकर अब तक राज्य क्षेत्र से इन क्षेत्रों के लिए कौन से राज्य नियत किए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने शिक्षा से संबंधित जनजातीय उप-योजनायें तैयार करने के लिए, मार्ग-दर्शी रूपरेखायें राज्यों को उपलब्ध की थीं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार प्रोत्साहनों के लिए आवश्यक व्यवस्था, पाठ्यचर्या, जनजातीय भाषा और पाठ्यक्रमों तथा आश्रम स्कूलों इत्यादि की व्यवस्था से संबंधित, उप-योजना क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल, राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुस्थापन शामिल है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें शिक्षा सहित, सभी क्षेत्रों से सम्बद्ध विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के लिए अपनी उप-योजनायें शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई मार्गद र्ी रूप-रेखाओं के आधार पर तैयार करती हैं। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया जाता है और उस समय विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद होते हैं शिक्षा मंत्रालय इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए इन क्षेत्रों के उत्थान से संबंधित राष्ट्रीय नीति और जारी की गई रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के प्रस्तावों की जांच करता है । इन प्रस्तावों को, कार्यान्वित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए अन्तिम रूप दिया जाता है । राज्य योजनाओं के प्रावधानों के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, उप-योजना क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, राज्यों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था करता है । पांचवीं योजना के लिए, केन्द्रीय सहायता हेतु 200 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान था और अगली योजना के लिए 350 करोड़ रुपये की धनराशि की विशेष सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय जन-जातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के लिए सीधे कोई सहायता नहीं देता है फिर भी मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र में पाइलेट परियोजनाओं के कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों में सुधार लाने तथा अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है ।

(घ) विभिन्न राज्यों के उप-योजना क्षेत्रों में, शिक्षा के लिए, पांचवीं योजना का आवंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । छठी योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । तथापि वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में उप-योजना क्षेत्रों के लिए किये गये राज्यवार आवंटन से संबंधित उपलब्ध सूचना भी विवरण में दर्शायी गई है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जन जातीय पांचवी योजना में शिक्षा पर कुल परिव्यय (उप योजना)	उप-योजना क्षेत्रों में शिक्षा पर कुल उप-योजना परिव्यय (1978-79)	शिक्षा परिव्यय शिक्षा पर उप-योजना परिव्यय सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिश (1979-80)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	218.00	50 00	46.30
असम	495 00	125 00	130 00
बिहार	2500.00	518 00	400 00
गुजरात	1793.23	320.00	154 00
हिमालच प्रदेश	55 41	20.00	18 99
कर्नाटक	50.00	24.00	38 00
केरल	1017 00	28.65	17.00
मध्य प्रदेश	1932 50	460 00	455.20
महाराष्ट्र	859.00	200 00	198.38
मणिपुर	242.00	64 00	54.00
उड़ीसा	994.90	341.00	207.00
राजस्थान	708.63	78 37	111 00
तामिल नाडू	744.00	20.50	21 88
त्रिपुरा	115 00	78.00	25.83
उत्तर प्रदेश	11.00	4.00	57.72
पश्चिम बंगाल	248 00	73.50	233.20
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17 51	6.99	15.00
गोवा, दमन व दीव	10 00	2 00	N.A.
जोड़	12011.18	2441 01	2183.50

चावल की "हिमधान" नामक नई किस्म

5734. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की 'हिमधान' नाम से जाने वाली (अधिक ऊंचाई पर उग सकने की क्षमता वाली) नई किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर द्वारा जारी की गई है ;

(ख) क्या चावल की इस नई 'हिमधान' किस्म का अखिल भारतीय समन्बित चावल सुधार परियोजना द्वारा परीक्षण और जांच की गई है ;

(ग) इस चावल की कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है ; और

(घ) क्या यह चावल चीन द्वारा अब तक जारी की गई किस्मों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर लगता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के लगभग 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां चाहना 988 उगाया जाता है; इस किस्म की सिफारिश की गई है ।

(घ) इस विशिष्ट ऊंचाई पर चाइना 988 के स्थान पर इस किस्म को अपनाने का विचार है ।

धान की नई किस्म

5735. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक की धान की किसी ऐसी किस्म का उत्पादन किया है जो बाढ़ के रुके पानी का मुकाबला पन्द्रह दिन तक कर सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धान की कोई भी ऐसी किस्म रिलीज नहीं की है जो कि बाढ़ के रुके पानी का मुकाबला पन्द्रह दिन तक कर सके ।

(ख) फिर भी, चावल प्रजनन में बाढ़ ग्रस्त दशाओं के लिए उपयुक्त किस्मों को विकसित करने के कार्यक्रम को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है । परिणामस्वरूप सी आर-1000 की

शृंखला के कई आशाजनक वंशक्रम विकसित किए गए हैं । ये किस्में 15 से 40 से०सी० तक रुके पानी में पैदा की जा सकती हैं और कल्ले फूटने की अवस्था में बाढ़ के पानी का मुकाबला कर सकती है । इनमें से सी० आर० 1009 को उड़ीसा राज्य किस्म रिलीज समिति द्वारा रिलीज किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है । गहरे पानी की चावल की किस्म पर अनुसंधान कार्य बढ़ाया जा रहा है ।

शिमला जिले में कोटागढ़/कुमारसेन/नरकण्डा में उप टेलीफोन एक्सचेंज के क्षेत्रों में असन्तोषजनक टेलीफोन सेवा

5736. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असन्तोषजनक टेलीफोन सेवा के कारण हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित कोटागढ़/कमारसेन/नरकण्डा उप टेलीफोन एक्सचेंजों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं में काफी आक्रोश है ;

(ख) क्या खराब रख-रखाव सुविधाओं की वजह से वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान इनमें से अधिकाँश टेलीफोन खराब रहते हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि टेलीफोन प्रयोक्ताओं को बेहतर और कुशल टेलीफोन सेवा प्राप्त हो ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) इन एक्सचेंजों में सितम्बर तथा अक्टूबर 1978 में भारी हिमपात और वर्षा तथा दिसंबर 78 में फरवरी 79 तक असामान्य हिमपात के दौरान सेवा पर असर पड़ा था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सेवा में और अधिक सुधार लाने के लिए लंबे समय की व्यवस्था के बतौर निम्न प्रयास किये जा रहे हैं ।

(i) 5.7 कि०मी० भूमिगत केबुल को बदल कर एरियल केबुल की व्यवस्था की जा रही है ।

(ii) लाइनों को दोषों से बचाने के लिए अधिकांश ऊर्ध्वस्थ लाइनों को पहले से प्राप्त ऊर्ध्वस्थ केबुलों द्वारा बदला जा रहा है ।

(iii) 6 किलोमीटर लम्बे 28 तारों के भारी ऊर्ध्वस्थ संरेखण को हटाने के लिए कोटगढ़ क्षेत्र में एक एस०ए० एक्स० का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

(iv) सभी तीनों एक्सचेंजों की विशेषरूप से पूरी तरह मरम्मत की जा रही है ।

खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण को बढ़ावा देने के लिए गांवों को अपनाने के लिए केन्द्रीय भाण्डागार निगम की योजना

5737. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भाण्डागार निगम ने खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण को बढ़ावा देने के लिए कुछ गांवों को अपनाने की योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना किन स्थानों पर क्रियान्वित की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम इस योजना पर धनराशि खर्च कर रहा है और सभी प्रकार के व्यय वहन कर रहा है ; और

(घ) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान इस योजना के अधीन कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा किन्हीं भी ग्रामों में अपनाया नहीं गया है लेकिन उन्होंने ऐसे कुछेक चुनींदा केन्द्रों में जहां केन्द्रीय भाण्डागार चलाए जा रहे हैं, वहां पर किसान विस्तार सेवा नामक एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक भाण्डागारों के इस्तेमाल के बारे किसानों को शिक्षित करना है और स्थानीय बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने में उनकी मदद करना है। इस योजना में किसानों के परिसरों में ही उनकी उपज को रोगाणुओं से मुक्त करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ख) ऐसे दस केन्द्रों में जहां पर केन्द्रीय भाण्डागार निगम अपने भाण्डागार पहले से ही चला रहा है और जिसके इर्द-गिर्द इस योजना के अधीन लाए जाने वाले सक्षम ग्राम हैं, वहां पर किसान विस्तार सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए जो भाण्डागार केन्द्रीय स्थान के रूप में कार्य करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं :—आनन्द (गुजरात), बर्दवान (पश्चिमी-बंगाल), बाजपुर (उत्तर प्रदेश), मोंगा (पंजाब), सांगली (महाराष्ट्र), सोनीपत (हरियाणा), श्री गंगानगर (राजस्थान), सासाराम (बिहार), विसगम्वक्कन (तमिलनाडु) और वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)।

यह योजना अभी प्रायोगिक अवस्था में है और कम से कम एक वर्ष तक चलते रहने के बाद ही इसके परिणामों के बारे में पता चल पाएगा।

(ग) जी हां, जहां तक भाग (क) और (ख) में उल्लिखित स्थिति का सम्बन्ध है।

(घ) अन्य क्षेत्रों में इस योजना को शुरू करने की सम्भावना इस कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगी। इस योजना को एक मास पूर्व शुरू किया गया था और इसकी समीक्षा एक महीने

के बाद करनी होगी । अतः इस योजना को वर्ष 1979 और 1980 में भी लागू करने के बारे में अभी कोई कल्पना सम्भव नहीं है ।

एनिमल एनर्जी डेवेलपमेट कारपोरेशन

5738. श्री के राममूर्ति : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशनल एजेसीस तथा विश्व बैंक ने भारत में एनिमल एनर्जी डेवेलपमेट कारपोरेशन स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार का नियम तत्काल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : नहीं श्रीमन्;

(ख) हालांकि संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी और विश्व बैंक से भारत में पशु ऊर्जा विकास निगम को स्थापित करने के लिए सहायता का कोई विशेष संकेत नहीं मिला है फिर भी भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के निदेशक ने पशु ऊर्जा विकास निगम स्थापित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचार हेतु एक प्रस्ताव भेजा है ।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में उपलब्ध पशु ऊर्जा संसाधन के उपयोग हेतु प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महा निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कि जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा बिभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि तथा ग्राम विकास तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद, गांधी शांति प्रतिष्ठान के एक सदस्य और भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के सदस्यों ने भाग लिया था। यह पाया गया कि ऊर्जा के दान रिन्यूएबल (जिनका पुनर्नवीकरण न किया जा सके) फार्मस की कीमत बढ़ने के कारण भारत भाग्यशाली है कि उसके पास छोनी और परिवहन प्रचालन के लिए पशू उर्जा की बहुत सम्पत्ति है । बैलगाड़ियों के डिजाइनों और कृषि औजारों के सुधार पर अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कई संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं । जिससे भारत खींचने वाले पशुओं से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त की जा सके । अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों की प्रगति में पशु ऊर्जा विकास के सभी पहलुओं के समन्वय करने के उद्देश्य से "पशु ऊर्जा पर अखिल भारतीय सान्वित अनुसंधान कार्यक्रम तथा एक पशु ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो" की स्थापना पर विचार करने का प्रस्ताव था, इसका प्राथमिक ध्येय ज्ञात प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था । भारतीय संस्थान, बंगलौर के निदेशक से पशु ऊर्जा पर विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के संशोधन के लिए अनुरोध किया गया है । देश में उपलब्ध पशु ऊर्जा संसाधन के उपयोग के सुधार और ज्ञात प्रौद्योगिकी के प्रचार कार्य के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

पश्चिम बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा के लिये स्कूल खोलने हेतु आवेदन पत्र

5739. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनेक पंजीकृत सामाजिक संगठनों ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्कूल खोलने हेतु अपनी योजनायें पश्चिम बंगाल के पास भेजी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है,

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए इन आवेदन-पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, और

(घ) यदि हां, क्यों इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृत मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, पश्चिम बंगाल के अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। मंत्रालय ने, इन आवेदन-पत्रों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने हेतु समय समय पर राज्य सरकार से अनुरोध किया है। फरवरी, 1979 के अन्तिम सप्ताह में मंत्रालय को राज्य सरकार से स्वैच्छिक संगठनों की अनेक सूचियां प्राप्त हुई जिनकी कुल संख्या 205 थी तथा यह अनुरोध भी प्राप्त हुआ कि 47.73 लाख रुपये की राशि इन एजेंसियों को वितरित करने हेतु राज्य सरकार को सौंप दी जाय। यह प्रस्ताव प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना के अनुसार नहीं है। योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि स्वैच्छिक एजेंसियों के आवेदन पत्र राज्य सरकार की सिफारिस के साथ इस मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है। तथापि, राज्य सरकार ने हाल ही में बंगला युवा उन्नयन के केन्द्र, कलकत्ता का एक आवेदन-पत्र भेजा है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

कंप्यूटरों के उपयोग के लिए विदेशों से सहायता

5740 **श्री एस० आर० रेड्डी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नदियों के पानी को साफ करने तथा उसके स्वत: ठीक बने रहने के लिए के लिए कंप्यूटरों के उपयोग के बारे में विदेशों से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो नदियों को स्वत: स्वच्छ रहने की शक्ति बनाए रखने हेतु जैविकीय ढंग से शुद्धिकरण संयत्रों की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए भारत में किए गये प्रमुख परीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार ने इस संबंध में विदेशों से सहायता नहीं मांगी है। तथापि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने गंगा और गोमती नदी सहित कुछ नदियों की स्वतः स्वच्छीकरण क्षमता पर तथा यमुना, हुगली, पांडु हिंडन, भद्रा तथा कुलठी नदियों के चुनींदा स्थानों के जल की कोटि पर अध्ययन आरम्भ किये थे। संस्थान द्वारा बनाई गई जैविक अपशिष्ट शोधन पद्धतियों का अपशिष्ट जल शोधन के लियें उपयोग किया जा रहा है।

विवाह योग्य आयु के बारे में अध्ययन

5741. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **शिक्षा, समाज और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विकसित और पिछड़े क्षेत्रों में विवाह योग्य आयु के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटी)**: (क) और (ख) 1971 जनगणना के दौरान प्रत्येक विवाहित महिला से इस दौरान विवाह के समय आयु के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इसका परिणाम "भारत की जनगणना-1971,1977 का पत्र 4-विवाह के समय महिला आयु-1971 की जनगणना आंकड़ों का एक विशलेषण" नामक प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि संपूर्ण भारत में विवाह के समय महिलाओं की औसत आयु 15.67 वर्ष थी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिमी बंगाल में विवाह के समय की औसत आयु राष्ट्रीय औसत से कम थी। दूसरे राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी।

राज्यों द्वारा चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लिया जाना

5742. श्री दयाराम शाक्य : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्ष 1978-79 क दौरान राज्यवार, कितनी चीनी मिलें अपने नियंत्रण में ले ली हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य को मुआबजे के रूप में कितना धन देना पड़ा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य में मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1978-79 के दौरान अपने राज्य में 16 चीनी फैक्ट्रियां अधिग्रहण करने के लिए केवल बिहार राज्य में ही आदेश जारी किए हैं। तथापि, इनमें केवल एक को ही राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है क्योंकि शेष 15 फैक्ट्रियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) इन चीनी फैक्ट्रियों में से किसी फैक्ट्री को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए पदोन्नति संबंधी योजनाओं का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव

5743. श्री दुर्गा चन्द :

श्री सुखेन्द्र सिह :

श्री विजय कुमार मलहोत्रा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए पदोन्नति संबंधी योजना लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा;

(घ) क्या चयन समिति द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में चुने गये लेक्चरर को रीडर के पद के लिए पुन: चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है तथा रीडर को प्रोफेसर के पद के लिए ऐसा ही करना पड़ता है;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं कि यथोचित रूप से चयन किए गए लेक्चरर और रीडर को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों और रक्षा सेवाओं में टाइम स्केल पदोन्नतियां होती हैं; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय में टाइम स्केल पदोन्नतियां लागू न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (**डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र**) : (क); (ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों में लेक्चररों (प्राध्यापकों) और रीडरों के लिए उनकी योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की एक योजना बनाने पर विचार कर रहा है। इस योजना के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) : विश्वविद्यालयों में अध्यापन स्टाफ में सभी नियुक्तियां आमतौर पर विज्ञापन तथा खुले चयन के माध्यम से की जाती है। अत: जो कार्यरत जूनियर अध्यापक सीनियर पदों पर चयन के लिए अपने आपको प्रस्तुत करते है उन्हें सम्बन्धित प्रवरण समिति के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है।

(च) सरकार में, अनेक तथ्यों के आधार, जूनियर से सीनियर संवर्गो में प्रान्नति की व्यवस्था के साथ, विभिन्न सेवाओं को आमतौर पर विभिन्न संवर्गो में गठित किया जाता है ।

(छ) सरकारी सेवाओं की तरह बिश्व विद्यालय में निचले स्तर से ऊंचे स्तरों तक पदोन्नति की व्यवस्था व्यवहायं नहीं है, अतः जो व्यवस्थायें की गई हैं, वे उनके अध्यापन और अनुसंधान में विशिष्टीकरण की आवश्यकताओं को जो एक विभाग से दूसरे विभाग में तथा विभागों के अन्दर भी पर्याप्त रूप से भिन्न होती है । पूरा नहीं कर सकती हैं ।

कलकत्ता टेलीफोन की जाँच

5744. श्री समर गुह : क्या **संचार** मंत्री कलकत्ता टेलीफोन्स के बारे में 21 दिसम्बर 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4525 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्यकरण की जांच करने के लिए संसद सदस्यों का दल कलकत्ता क बभेजा जायेगा;

(ख) यदि हां तो इस बारे मे सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) कलकत्ता टेलीफोन की कार्य प्रणाली की जाँच करने के लिए संसद सदस्यों के एक दल को कलकत्ता भेजने हेतु दिये गए सुझाव की विस्तृत जांच कर ली गई है जो प्रश्न संख्या 4525 के उत्तर में निदर्शित है, जिनका उत्तर लोकसभा में 21-12-78 को दिया गया था । कलकत्ता टेलीफोन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का पता लगा लिया गया है और इन निर्दिष्ट दोषों को दूर करने के लिए उपचारों उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है । महा प्रबंधक कलकत्ता टेलीफोन को हिदायत दे दी गई है कि वह कलकत्ता के संसद सदस्यों को आमंत्रित कर उन्हें कलकत्ता टेलीफोन में की जा रही विभिन्न उपचारों प्रक्रिया और उससे हुई प्रगति से अवगत करायें ।

उपर्युक्त को मद्दे नजर रखने हुंए, संसद सदस्यों के एक प्रथम दल को ऐसी स्थिति में कलकत्ता टेलीफोन की कार्य प्रणाली को जांच करने के लिए भेजा जाना आयश्यक नही समझा गया ।

आवास पर व्यय

5745. श्री समर गुह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977,78 और 78-79 के दौरान आवास पर किये गये व्यय सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ।

(ख) ऐसे व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली, बंबई, बंगलौर, मद्रास, चण्डीगढ़, लखनऊ, पटियाला, और कलकत्ता महा नगरीय क्षेत्रों में ऐसे विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क),(ख) तथा (ग) आवास राज्य का विषय है । सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों" और ,,समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती । राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए अपनी आवश्यकताणों और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां निर्धारित करते में स्वतंत्र हैं । तथापि, वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित अवास के अन्तर्गत परिव्यय तथा राज्यवार व्यय (प्रत्याशित) विवरण (क) में दिया गया है ।

इसके अलावा, आवास तथा नगर विकास निगम, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, ने 1977-78 और 78-79 (जैसी कि 23-3-79 को स्थिति थी) विभिन्न राज्यो के आवास अभिकरणों को क्रमशः 48.39 करोड़ रुपये और 53.88 करोड़ रुपये का ऋण दिया । आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यो और दिल्ली, बंबई, बंगलौर, मद्रास, चण्डीगढ़, लखनऊ, पटियाला और कलकत्ता में आवासीय के लिए गग ऋणों की विवरणियां विवरण दो और तीन में दी गयी है ।

'विवरण' (एक)

1977-78 और 1978-79 के दौरान आवास के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय ।

(लाख रुपयों में)

राज्य	आवास 1977-78				आवास 1978-79			
	अनुमोदित परिव्यय		प्रत्याशित व्यय		अनुमोदित परिव्यय		प्रव्याशित व्यय	
	कुल	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 आंध्र प्रदेश	787	300	736	500	787	500	890	600
2 असम	116	21 ×	107	15 ×	224	24 ×	224	30 ×
3 बिहार	582	50	539	70	485	100	485	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 गुजरात	865	35	1560	35	975	30	978	28
5 हरियाणा	229	10	291	20	220	7	226	7
6 हिमाचल प्रदेश	125	—	128		137		175	
7 जम्मू और कश्मीर	110	5	188	10	145	10	203	10
8 कर्नाटक	1165	40	847	49	1240	50	1721	50
9 केरल	475	60	635	110	600	130	801	85
10 मध्य प्रदेश	434	80	453	80	576	85	527	76
11 महाराष्ट्र	1798	172	1730	172	1588	130	1955	140
12 मणिपुर	25	—	25	—	25	5	20	—
13 मेघालय	35	—	35	—	45	—	45	—
14 नागालैंड	77	—	102	—	165	—	131	—
15 उड़ीसा	325	35	324	35	365	50	365	45
16 पंजाब	758	9	735	9	800	100	720	100
17 राजस्थान	250	4	324	4	267	5	631	8
18 सिक्किम	31	50	31	—	40	—	40	1
19 तमिलनाडू	1412	75	1412	75	900	100	945	101
20 त्रिपुरा	87	4	101	4	95	6	82	6
21 उत्तर प्रदेश	1428	52	1652	60	1475	5	1531	13
22 पश्चिम बंगाल	803	124	753	149	980	200	893	150
सभी राज्यों का जोड़	11917	1076.50	126581	1397	12134	1538	13588	1525

संघ राज्य क्षेत्र

1 अण्डमान व निकोबार द्विपसमूह	4.80	—	6.73	—	10.50	—	10.50	—
2 अरुणाचल प्रदेश	75.34	—	75.34	—	65.00	—	65.00	—
3 चण्डीगढ़	219.52	—	219.38	—	255.80	—	255.80	—
4 दादरा व नगर हवेली	7.00	—	3.66	—	7.50	—	7.50	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 दिल्ली	658.32	2.00	599.38	2.00	1092.60	3.00	1191.60	3.00
6 गोआ, दमण व दीव	48 00	4.00	45.52	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00
लक्षद्वीप	15.61	—	9.68	—	19.50	—	19.50	—
8 मिजोरम	31.12	—	40.00	—	52.00	—	52.00	—
9 पांडिचेरी	87.78	10.00	88.89	10.00	97.12	12.00	121 10	10.00
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1147.49	16.09	1088.48	13.00	1640.02	16.00	1763.00	14.00
कुल जोड़ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	13064.49	1092.25	13746.48	1410.00	13774.02	1554 00	15351.00	1539.00

× गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार शामिल है ।

= नगर विकास शामिल है ।

'विवरण — (दो)

1977-78 और 1978-79 के दौरान हुडको द्वारा राज्यों में विभिन्न आवास अभिकरणों को दी गई राशि का राज्यवार विस्तृत विवरण ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 (करोड़ रुपयों में)	1978-79 (23-3-79 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2.02	2.50
असम	—	0.43
बिहार	0.24	1.03
गुजरात	5.06	7.07
हरियाणा	2.70	2.78
हिमाचल प्रदेश	0.21	0.02
जम्मू व कश्मीर	1 07	1.33
कर्नाटक	2.29	4.25
केरल	0.62	4.98

1	2	3
मध्यप्रदेश	3.52	1.97
महाराष्ट्र	5.18	4.63
उड़ीसा	0.84	0.61
पंजाब	1.59	1.68
राजस्थान	4.21	4.04
तमिलनाडु	8.12	8 29
उत्तर प्रदेश	6.18	5.46
पश्चिम बंगाल	2.62	1.29
चण्डीगढ़	0 78	1.68
दिल्ली	2.04	0.77
गोवा,दमण व दीव	0.08	0.02
पांडिचेरी	0.02	0.05
	कुल : 48.39	53.88

विवरण - (तीन)

दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, चण्डीगढ़, लखनऊ, पटियाला, और कलकत्ता में स्वीकृत आवास योजनाओं के लिए दिए गए ऋण का विस्तृत विवरण ।

नगर का नाम	वितरण ऋण (करोड़ रुपयों में)	
	1977-78	1978-79 (23-3-79 की स्थिति के अनुसार)
दिल्ली	2.19	0.38
बम्बई	3.71	2.61
बंगलौर	0·85	1.00
मद्रास	6.10	5.21
चण्डीगढ़	0.98	1.68
लखनऊ	1.37	1.32
पटियाला	—	—
कलकत्ता	5.36	100

क्षारीयता में वृद्धि पर रोक

5746. श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में छः लाख हैक्टेयर से भी अधिक भूमि में क्षारीयता बढ़ जाने के कारण कृषि योग्य नहीं रह गई है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ग) क्या क्षारता के प्रसार को और अधिक बढ़ाने को रोकने के लिए कोई स्थायी उपाय किये गये हैं ।

(घ) क्या उक्त क्षारीय भूमि को सुधारा जाएगा और यदि हां, तो कब, और

(ङ) क्या इसको रोकने संबंधी उपाय देश के अन्य सभी क्षेत्रों में लागू किये जाएंगे जहां भूमिगत जल का स्तर ऊंचा होता जा रहा है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अनुमान लगाया गया है कि पंजाब में लगभग 6 89 लाख हैक्टार मृदा लवणीयता तथा क्षारीयता से प्रभावित हुई है । इसमें से 4.5 लाख हैक्टार क्षेत्र की मृदा क्षारयुक्त है ।

(ख) इसके मुख्य कारण घटिया जल निकास, जल जमाव और भौम जलस्तर का बढ़ना है, जिसके फलस्वरूप सतह पर लवण जम जाता है ।

(ग) जी हां । हाल के वर्षों में सतही जल निकास के साथ-साथ खड़ी नाली जल निकास पर पर्याप्त बल दिया गया है । सिंचाई परियोजनाओं के कमान में भूमिगत जल तथा सतही जल के समेकित तथा संयुक्त प्रयोग के महत्व के बारे में राज्य सरकारों पर निरंतर बल दिया जा रहा है । अनुमोदन हेतु प्रस्तुत सिंचाई परियोजनाओं की जांच जल निकास हेतु प्रावधान करने के दृष्टिकोण से भी की जाती है ।

(घ) भारत सरकार ने संघहत क्षेत्रों में क्षारीय भूमि का सुधार करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है । क्षारीय भूमि सुधार संबंधी प्रोद्योगिकी के अन्तरण के साथ राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम में विस्तार लाने की आशा है, जिससे इसके अंतर्गत पर्याप्त क्षेत्र लाया जा सके ।

(ङ) पर्याप्त जल निकास व्यवस्था, नहरों तथा जल मार्गो की लाइनिंग, अवरोधक रीसन नालियों के निर्माण सतही तथा भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग और जल के वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है ।

समेकित ग्रामीण कार्यक्रम में ग्रामीण कारीगरों को सम्मिलित करना

5747 **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ पाने वालों में ग्रामीण कारीगरों को सम्मिलित करने के लिए इसको व्यापक बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप छोटे एवं सीमान्त किसानों को मिलने वाले लाभ कम हो जाएंगे: और

(घ) यदि नहीं, तो क्या परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। वास्तव में, ग्रामीण कारीगरों को लाभाभोगियों के लक्षित वर्ग में पहले ही शामिल कर दिया गया है तथा वे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं।

(ख) यद्यपि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य प्रयास कृषि तथा अन्य संबंध गतिविधियों में विकास प्रयासों में तेजी लाने पर है फिर भी, अकेले इसी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या के हल होने की सम्भावना नहीं है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम को समन्वित ग्राम विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रमों को कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने खण्डों के लिए किए गए समग्र वित्तीय आवंटन में से शुरू किया जा सकता है। यदि राज्य तथा सघ शासित क्षेत्र यह समझते हैं कि ये आबंटन ग्रामीण कारीगर कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो खण्डों के लिए वित्तीय आबंटनों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

नजफगढ़ नाले के साथ लगने वाली भूमि का बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में अभिग्रहण

5748 श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण उपायों के रूप में नजफगढ़ नाले को चौड़ा करने हेतु इसके साथ लगने वाली कृषि भूमि का अभिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उर्वरा कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग शहरी प्रयोजनों के लिए नष्ट हो जाएगा;

(ग) क्या स्थानीय कृषकों ने इसका विरोध किया है; और

(घ) क्या सरकार नाले को चौड़ा करने के लिए स्थान पर इसके तलकर्षण एवं गहरा करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) साहिबी बेसिन के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण लाभों की व्यवस्था करने के लिए, जिस पर अगस्त, 1978 में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों द्वारा सहमति दी गई थी, उपलब्ध जल संसाधनों (भूतल और भूतल जल दोनों) के इष्टतम समुपयोजन के लिए बनाए गए मास्टर प्लान के अनुसार नजफगढ़ नाले की वर्तमान क्षमता को धांसा बंध से ककरौला तक उसकी पहुंच में, जो कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र है, 85 क्यूसेक्स (3000 क्यूसेक्स) से 228.60 क्यूमैक्स (8000 क्यूसेक्स), और ककरौला से आगे उसके यमुना में गिरने तक जहां वह अधिकतर शहरी क्षेत्रों में से बहता है, 284 क्यूमेक्स (10,000 क्यूसेक्स) करना होगा। इससे बेसिन की उर्वरक कृषि

भूमियों के लिए पर्याप्त सिंचाई लाभ भी प्राप्त हो सकेंगी तथा ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों के लिए बाढ़ के बहाव भी सामान्य हो जाएंगे। घांसा बंध से भारत नगर पुल तक नजफगढ़ नाले की क्षमता में सुधार लाने के लिए 373 हैक्टेयर (933 एकड़) भूमि को जो अधिकांश कृषि भूमि है, स्थायी रूप से अधिग्रहण करना होगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों के लिए 18 हैक्टेयर (46 एकड़) भूमि अस्थायी रूप से अधिग्रहीन करनी होगी।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केवल नीलोथी गांव के किसानों ने ही अपनी भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) नजफगढ़ नाले के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित डिजाइन में द्रविक और अन्य तकनीकी पहलुओं से नाले की संभाव्य गहराई पर विचार किया गया है। इस स्कीम के लिए कोई निकर्षण प्रचालन (ड्रेजिग आपरेशन) प्रस्तावित नहीं है।

दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण

5749. श्री डी० डी० देसाई : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र की राजधानी के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत अधिसूचित 68,000 एकड़ फार्म भूमि में से 30,000 एकड़ भूमि दिल्ली में दीर्घकालीन से अप्रयुक्त पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भूमि को उसके मूल मालिकों को लौटा देगी ;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली विकास प्राधीकरण अधिनियम की धारा 55 को देखते हुए इस भूमि का अपने अधिकार में रखना उचित है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे कार्य के क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत इस समय अधिसूचित कुल 68,000 एकड़ भूमि में से 29,000 एकड़ से अधिक भूमि का अभी तक सरकारी तौर ले अर्जन नहीं किया गया है।

(ख) यह भूमि मालिकों के पास ही रहती है, यह केवल अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की जाती है, इसलिए इसे मालिकों को वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 ओर 6 के अन्तर्गत अर्जन के लिए अधिसूचित भूमि रखना कानूनन अनुज्ञेय है। जब कभी भी दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होते हैं तो उनको कानून के अनुसार निपटाया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार विजेता

5750. कुमारी अनन्तन : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 तथा 1977 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार विजेताओं की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(ख) ये पुरस्कार विजेता किस-किस आर्थिक स्तर (सरकारी तथा गैर-सरकारी तौर से) सम्बन्धित थे ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार विजेताओं के चुनाव में लगाये गये कतिपय आरोपों की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की कोई मांग है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) एक विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट-1)

(ख) 1977 के लिए विश्लेषण परिशिष्ट-11 में दिया गया है । 1978 के लिए विश्लेषण किया जा रहा है । विभिन्न आर्थिक स्तरों (सरकारी तथा गैरसरकारी) से सम्बन्धित अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

राज्य का प्रतिभा खोज पुरस्कारों का बंटन राज्यवार

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा X		कक्षा XI		कक्षा XII	
		1977	1978	1977	1978	1977	1978
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आध्र प्रदेश	22	5	7	6	*	10
2.	असम	2	2	3	-		1
3.	बिहार	10	17	8	-		8
4.	गुजरात	3	3	1	-		16
5.	हरियाणा	-	-	-	6		-
6.	हिमाचल प्रदेश	1	-	1	1		-
7.	जम्मू और काश्मीर	-	1	-	1		-
8.	कर्नाटक	9	4	4	-		10
9.	केरल	31	11	4	-		3
10.	मध्य प्रदेश	6	2	3	19		-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	26	19	8			60
12.	मणिपुर	-	1	1	-		-
13.	मेघालय	-	-	1	-		-
14.	नागालैंड	-	-	-	-		-
15.	उड़ीसा	8	8	7	3		4
16.	पंजाब	3	3	1	10		-
17.	राजस्थान	11	11	7	29		-
18.	सिक्किम	-	-	-	-		-
19.	तमिलनाडु	36	16	10	20		-
20.	त्रिपुरा	-	-	-	-		-
21.	उत्तर प्रदेश	16	15	6	1		19
22.	पश्चिम बंगाल	78	55	1	-		78
23.	संघ शासित प्रदेश						
	(i) अंदमान तथा निकोबार	-	-	-	-		-
	(ii) अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-		-
	(iii) चंडीगढ़	3	4	1	10		-
	(iv) दादरा तथा नागर हवेली	-	-	-	-		-
	(v) दिल्ली		85	73	29	-	-
	(vi) गोवा, दमन और दीव		-	-	-	-	-
	(vii) लक्ष्यद्वीप		-	-	-	-	-
	(viii) मिजोरम		-	-	-	-	-
	ix) पांडिचेरी		-	-	-	-	-
		जोड़	350	250	103	100	149

* कक्षा xii की परीक्षा 1978 से शुरू की गई थी ।

विवरण-(दो)

1977 में कक्षा x के चुने गए उम्मीदवारों के परिवारिक वार्षिक औसत आय-राज्यवार ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम/संघ शसित प्रदेश	परिवार की औसत आय 1977
1	2	3
		(रुपयों में)
1.	आध्र प्रदेश	18189
2.	असम	19500

1	2	3
3.	बिहार	17776
4.	गुजरात	14723
5.	हरियाणा	-
6.	हिमाचल प्रदेश	18,000
7.	जम्मू तथा काश्मीर	-
8.	कर्नाटक	17,844
9.	केरल	10,690
10.	मध्य प्रदेश	19,433
11.	महाराष्ट्र	23,048
12.	मणिपुर	-
13.	मेकालय	-
14.	नागालैंड	-
15.	उड़ीसा	21,492
16.	पंजाब	17,333
17.	राजस्थान	21,745
18.	सिक्किम	-
19.	तमिलनाडु	17,429
20.	त्रिपुरा	-
21.ब	उत्तर प्रदेश	15659
22.	पश्चिम बंगाल	20632
23.	**संघ शासित प्रदेश**	
	(i) अंदमान तथा निकोबार	-
	(ii) अरुणाचल प्रदेश	-
	(iii) चंडीगढ़	-
	(iv) दादरा तथा नागर हवेली	18000
	(v) दिल्ली	22342
	(vi) गोवा, दमन तथा दीव	-
	(vii) लक्ष्य द्वीप	-
	(viii) मिजोरम	-
	(ix) पांडिचेरी	-

(—) 1977 में इन राज्यों से कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया था । अत: कोई आंकड़े नहीं दिए गए ।

कृषि वस्तुओं के लिये सांविधिक न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण

5751. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्म दिलाने के उददेश्य से विभिन्न कृषि वस्तुओं के समर्थन-मूल्य घोषित करने के बजाय उनके सांविधिक न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम मूल्य किस आधार पर निधारित किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) सरकार विभिन्न कृषि जिसो के लिये सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । तथापि, पटसन के मामले में सांविधिक न्यूनतम मूल्य 1973-74 से निर्धारित किए जा रहे हैं । गन्ने के मामले में भी, कारखानों द्वारा देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं । महत्वपूर्ण धान्यों जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के लिये सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों पर सहायता प्रदान कर रही है जो कि लाभकारी स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं, ताकि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके । जौ, चना, तुर, मूंग और कपास, मूँगफली, तोरिया तथा सरसों, सोयाबीन और सूरज-मुखी जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं । अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सलाह पर निर्धारित किए जाते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को उचित प्रोत्साहन देने की जरुरत को दृष्टि में रखता है । आयोग मूल्यों के स्तर के संबंध में अपनी सिफारिशों को देते हुए संबंधित बातों को ध्यान में रखता है, जिसमें विभिन्न फसलों की उत्पादन की लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, प्रतिस्पर्द्धी फसलों के मूल्यों में परिवर्तन, आदि शामिल है । सरकार इन सिफारिशों को संबंध में राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखती है । पटसन और गन्ने के लिये सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कृषकों का लाभ एक न्यूनतम उचित स्तर से कम न हो ।

अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

5752. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" "शीर्षक के अन्तर्गत कर्मचारी वेतन तथा कार्यालय व्यय के लिये मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त संगठनों द्वारा आरम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) वित्तीय वर्ष 1977-78 में इस योजना के अधीन जिन संस्थाओं को सहायता दी गई उनसे सम्बन्धित एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है।

(ख) ये संगठन समाज कल्याण के सब क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसमें बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण शामिल है। इन संगठनों में समाज कार्य के स्कूल भी शामिल हैं।

विवरण

1977-78 के दौरान अखिल भारतीय/बड़ी स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं को संगठनात्मक सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत जिन स्वैक्छिक संस्थाओं को अनुदान प्राप्त हुआ उनके नाम दर्शाने वाला विवरण पत्र।

क्रम संख्या	संस्था का नाम
1	2
1.	इन्डियन ब्यूरो आफ चाइल्ड वैलफेयर एण्ड रिसर्च, लखनऊ
2.	चाइल्ड गाइडेंस स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली
3.	अखिल भारतीय परिवार कल्याण परिषद, नई दिल्ली
4.	नेहरू बाल मुडल, इलाहाबाद
5.	नेशनल फैंडरेशन आफ दि ब्लाइंड, दिल्ली
6.	डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, नई दिल्ली
7	रानी झांसी वाहिनी, कलकत्ता
8.	नेशनल काउन्सिल आफ वीमेन इन इंडिया, कलकत्ता
9.	वैलुवार एजूकेशन सोसाइटी, थजौर
10.	श्री कान्ताबेन नारयनभाई, मेहसाना जिला
11	रामकृष्ण मिशन आफ होम आफ सर्विस, वाराणसी
12.	दि सेन्ट्रल यांग मिजो एसोसिएशन, ऐजवल
13.	तरनाका, महिला समाजम, सिकन्दराबाद
14.	इन्टरनेशनल काउन्सिल आन सोशल वेलफेयर, बम्बई
15	इंडियन काउन्सिल फार चाइल्ड वेलफेयर, नई दिल्ली
16.	वीमेन को-आर्डिनेटिंग काउन्सिल, कलकत्ता
17.	श्रद्धानन्द महिला आश्रम, बम्बई
18.	अखिल बंगाल वीमेन्स यूनियन, कलकत्ता
19.	सदाऊ असम मैनो पारिजात, गौहाटी
20.	नारी रक्षा समिति, दिल्ली
21.	सेव दि चिल्ड्रेन कमेटी, कलकत्ता

1	2
22	बाल ग्राम (एस०ओ०एस० चिल्ड्रेन विलेजेज) महाराष्ट्र
23.	आरता तरन समिति, पश्चिम बंगाल
24.	दि सोसाइटी फार चाइल्ड हेल्थ एण्ड कम्युनिटी वेलफेयर, कलकत्ता
25	पंजाब एसोसिएशन, मद्रास
26.	चिल्ड्रेन एड सोसाइटी, बम्बई
27	श्रीमंता शंकर मिशन, नबगांव (असम)
28	कुरियाकोज इलियास सर्विस सोसाइटी, केइएसएस सेन्टर, त्रिचुर
29.	ज्योति संघ, रिलीफ रोड, अहमदाबाद
30.	नेशनल सोसाइटी फार इक्वल अपार्ट्यूनिटीज फार दि हैंडीकेप्ड, बम्बई
31.	विवेकानन्द आश्रम, कलकत्ता
32.	मिजोरम हमीछे इन्सुखाबम पावल, मिजोरम
33	इंडियन एसोसिएशन फार प्रे-स्कूल एजूकेशन, कोयम्बटूर
34.	श्री कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, जामनगर
35.	परासेवा, मुंगेर, बिहार
	भारतीय आदिमजाति
36.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली
37.	नेशनल आउन्सिल आफ वीमेन इन इंडिया, कलकत्ता
38.	दीना सेवा संघ, बंगलौर
39	श्री कन्या कुमारी गुरुकुल आश्रम, कन्याकुमारी
40	इंडियन काउन्सिल आफ सोशल वेलफेयर कालिज आफ सोशल वर्क, हैदराबाद
41.	कालिज आफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन, बम्बई
42.	कर्वे इंस्टिट्यूट आफ सोशल सर्विस, पूना
43.	एसोसिएशन आफ स्कूल आफ सोशल वर्क इन इंडिया, मद्रास
44.	चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन, कलकत्ता
45.	रामकृष्ण वेदान्त मिशन, विवेकानन्दपुर, पश्चिम बंगाल
46.	आल मनीपुर वीमेन्स एसोसिएशन, इम्फाल
47.	सर्वोदय महिला मंडल, चन्द्रपुर
48.	संजीवीनी सोसाइटी फार मेटल हेल्थ, नई दिल्ली
49.	इंडियन काउन्सिल अ फ सोशल वेल्फेयर, बम्बई (फार नेशनल कमेटी) कोटा
50.	आंध्र महिला सभा, हैदराबाद
51.	एसोसिएशन फार सोसल हैल्थ इन इन्डिया, वैस्ट बंगाल ब्रांच, कलकत्ता
52.	श्री काठीयावाड़ निराश्रित बाल आश्रम, राजकोट
53.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, पंजाब ब्रांच, चन्डीगढ़
54.	गिल्ड आफ सर्विस जनरल, मद्रास

1	2
55.	विकास गृह, अहमदाबाद
56.	बाल रश्मि सोसायटी, जयपुर
57.	इन्डिया संपोसरशिप कमेटी, बम्बई
58.	होलीडे होम सोसायटी, चंडीगढ़
59.	दी सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर, एस०डब्ल्यू०आर०सी०, अजमेर
60.	ग्राम सुधार कमेटी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर
61.	गुरु यूनियन हायर, शिलोंग
62.	आल इन्डिया फैडरेशन आफ दी डीफ, नई दिल्ली
63.	नागरिक कल्याण समिति, भोपाल
64.	श्री कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, राजकोट
65.	आल इन्डिया फेडेरेशन आफ स्डूयल कास्ट/ट्राइब, बैकवर्ड एण्ड मिनिआरटीस एम्पलाईस वैल्फेयर एसोसिएशन, दिल्ली
66.	दी चिल्ड्रन एजूकेशन सोसायटी, लखनऊ
67.	श्री तपीबाई रच्छोदास गांधी विकास गृह, भाव नगर
68.	इन्डियन कोंसिल आफ सोशियल वैल्फेयर, बम्बई
69.	आल इन्डिया वूमैनस वोलंटरी सर्विसस, नई दिल्ली
70.	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, तमिलनाडू, मद्रास
71.	आल इन्डिया वूमेनस कान्फ्रेंस, नई दिल्ली
72.	इन्डिया कोंसिल आफ चाइल्ड वैल्फेयर, नई दिल्ली
73.	इन्डियन कोंसिल आफ सोशल वैल्फेयर, अहमदाबाद
74.	धरमोर माडल सतारा हिल एण्ड प्लेन्स कल्चरल इन्स्टीच्यूशन नार्थ लखिमपुर असम
75.	रिसर्च एण्ड डिवेल्पमेंट सेन्टर, बम्बई
76	बिकास भारती वैल्फेयर सोसायटी, कलकत्ता
77.	मध्य प्रदेश वैल्फेयर एसोसिएशन फार दी ब्लांईड, इन्दौर
78.	मद्रास स्कूल आफ सोशल वर्क, मद्रास
79.	त्रिप्यूड कालेज आफ सोशल वर्क, नागपुर
80.	मातृ सेवा संघ, नागपुर
81	इन्दोर स्कूल आफ सोशल वर्क, इन्दोर

विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान का स्थान

5753. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने का विचार था;

(ख) क्या उनकी वस्तुत: स्थापना कर दी गई है; और

(ग) इन संस्थानों में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्नासिंह गुलशन) : (क) और (ख) भारत सरकार देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान तथा बधिरों के लिए बम्बई में एक संस्थान की स्थापना का विचार रखती है। अस्थि-विकलांग लोगों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता में अभी स्थापित किया गया है। मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हेतु एक उपयुक्त स्थल का चयन अभी नहीं किया गया।

(ग) अनुसंधान करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा और इसके साथ कुछ राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं प्रदान करना भी जैसे अनुदेश सामग्री का उत्पादन, ब्रेल पुस्तकें, बोलती पुस्तकें इत्यादि। अनुसंधान प्रयोजनोंक के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए रखी गई धनराशि का उपयोग न किया जाय

5754. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6-14 आयुवर्ग के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये पहले बजट प्राक्कलनों में रखी गई धनराशि (4 करोड़ रुपये) का उपयोग न किये जाने के क्या कारण है; और

(ख) तकनीकी शिक्षा के अधीन छोड़ी जा रही उन परियोजनाओं के नाम क्या है जिनके लिये पहले बजट प्राक्कलनों में धन राशि की व्यवस्था की गई थी और इसके कारण क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) योजना को इस कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजना गत योजनाओं का प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद और आयोजना आयोग को पेश था। तथापि यह आशा की जाती है कि कार्यक्रम की अन्तिम स्वीकृति शीघ्र प्राप्त हो जाएगी।

(ख) निम्नलिखित योजनाएं 1979-80 से समाप्त की जा रही है :—

		बजट प्राक्कलन 1978-79 रुपये
(i)	विकास तथा सुधार के लिए अन्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों को अनुदान	32,00,000 (योजना)

(ii)	गैर सरकारी तकनीकी संस्थाओं में स्टाफ क्वार्टर और छात्रावासों का निर्माण	20,00,000 (योजना)
(iii)	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं (राज्य सरकार की संस्थाओं) के छात्रावासों का निर्माण ।	4,00,000 (योजना)

केन्द्रीय सेक्टर में उपर्युक्त व्यवस्थाएं, केन्द्रीय भाग के खर्च को पूरा करने के लिए थीं। उतनी ही राशि की व्यवस्था सम्मत आधार पर राज्य सरकारों और प्राइवेट प्रबन्धों को करनी है। तथापि, अनुभव यह बताता है कि योजनाओं में प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि राज्य सरकारों और प्राइवेट प्रबन्धों से सम्मत खर्चे का भाग प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः यह निर्णय किया गया है कि 1979-80 से इन योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए और केवल यह व्यवस्था की गई है कि गैर सरकारी तकनीकी संस्थाओं में छात्रावासों के निर्माण के लिए पहले वर्षों में दी गई राशि का दूसरा 50 प्रतिशत संस्थाओं से प्राप्त हो जाने पर ऋण की 50 प्रतिशत राशि बट्टे खाते डाल दी जाए।

नीम को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करना

5755. श्री लालजी भाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'नीम' को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टी० एम० ओ० काउन्टर्स तथा टी० एम० ओ० क्लर्कों के विरुद्ध पी-एम-जी दिल्ली को प्राप्त हुई शिकायतें

5756. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल को वर्ष 1979 में दिल्ली तथा नई दिल्ली के टी-एम-जी के काउन्टर्स तथा टी-एम-ओ क्लर्कों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से किसी की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) दो

(ख) जी हां।

(ग) संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित नोटिस लिया गया है। जहां आवश्यक समझा गया, तार उपकरणों/लाइनों के सुचारू कार्यकरण की सुनिश्चितता के लिए भी कार्यवाई की गई है।

विश्वास नगर, शाहदरा में गहरा नाला

5757. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा बनाये जा रहे गहरे नाले और स्थान-स्थान पर नाले बन्द किये जाने के कारण विश्वास नगर, शाहदरा दिल्ली-32 के ब्लाक 31, 32 और 33 को बाढ़ से खतरा हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उक्त गहरा नाला शाहदरा जल-निकास स्कीम की ट्रंक ड्रेन संख्या। है जो इस समय निर्माणाधीन है। जल-निकास में अब समय-समय पर जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसका निर्माण हो जाने पर उसमें राहत मिलेगी। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि इस ड्रेन में गिरने वाले किसी भी नाले को बन्द नहीं किया जा रहा है।

कृषि उद्योगों से लाभ

5758. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि देश के प्रत्येक राज्य में किसानों को कृषि उद्योगों से लाभ हो रहा है जैसा कि विचार किया गया था;

(ख) कृषि उद्योग निगम पर राज्यवार कितना व्यय किया जा रहा है;

(ग) निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी क्या नई कार्यवाही की है जिससे किसानों को लाभ मिला हो तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कितना लाभ मिला;

(घ) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि निगम के बहुत से कृषि उद्योगों के खातों की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है; यदि हां तो आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि उद्योग निगमों पर किया गया व्यय आम तौर

पर साम्य निवेश के रूप में है । निगमानुसार साम्य निवेश को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) जी, हां । यह मंत्रालय दोषी निगमों के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहा है तथा जब तक खातों को अद्यतन नहीं बनाया जाता तब तक केन्द्रीय साम्य शेयर निर्मुक्त नहीं कर रहा है । इसके फलस्वरूप वहां प्रशंसनीय प्रगति हुई है ।

विवरण

निगम का नाम	**भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुल साम्य पूंजी निवेश (लाख रुपए)**
आन्ध्र प्रदेश,	
कृषि उद्योग निगम लि० हैदराबाद	549.020
असम,	
कृषि उद्योग निगम लि० गोहाटी	220.000
बिहार कृषि उद्योग निगम लि०, पटना	500.000
गुजरात कृषि उद्योग निगम लि०, अहमदाबाद	493.830
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लि०, चंडीगढ़	189.660
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लि०, शिमला	375.500
जम्मू तथा कश्मीर कृषि उद्योग निगम लि०, श्रीनगर	195.760
केरल कृषि उद्योग निगम लि०, त्रिवेन्द्रम	371.055
कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लि०, बंगलौर	600.000
मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम लि०, भोपाल	150.000
महाराष्ट्र कृषि उद्योग निगम लि०, बम्बई	500.000
उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लि०,कटक	136.272
पंजाब कृषि उद्योग निगम लि०, चंडीगढ़	252.000
राजस्थान कृषि उद्योग निगम लि०, जयपुर	383.224
तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लि०, मद्रास	330.000
उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम लि०, लखनऊ	708.828
पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लि०, कलकत्ता	609.021
	6564.170

कोसी परियोजना

5759. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी परियोजना इसकी सम्भावनाओं के अनुरूप सिद्ध नहीं हुई; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) कोसी परियोजना मुख्य तौर पर एक बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई परियोजना है। नेपाल में भीमनगर के निकट बराज के निर्माण से और कोसी नदी के दोनों तटों पर बराज के अनुप्रवाह में तटबंधों के निर्माण से नदी को नियंत्रित करने और नदी के अपने मार्ग से हटकर इधर-उधर बहने की प्रवृत्ति को रोकने और तटबंधों के बाहर बाढ़ों को जाने से रोकने और बालू के निक्षेपण को रोकने में सफलता मिली है। तथापि, तटबंधों का नदी द्वारा कटाव होता ही रहता है जिसके लिए जब कभी आवश्यकता होती है नदी-नियंत्रण और कटावरोधी कार्य किए जाते हैं। यद्यपि, कोसी परियोजना से 1964 में सिंचाई शुरू हो गई लेकिन निम्नलिखित कारणों से, जो कि कोसी क्षेत्र की विशेष स्थितियों के कारण हैं, सिंचाई का विकास धीमा है :—

ये भूमियां भूतकाल में कोसी के नदी-तल (खादिर) थे। भूमि रेतीली है और उत्तर बिहार की शेष भूमि के विपरीत काफी ऊंची-नीची है, कई स्थानों पर नीचे धंसी हुई है और जल-निकास बड़ा धीमा है। निचले क्षेत्रों को, जिनमें जल-निकास लाइनें हैं और जो अधिक उत्पादक थे, और जो अनुकूल नम मृदा वाले थे, गहन कृषि के अंतर्गत लाया गया था। कमान के अधिकांश क्षेत्रों को बारहमास जल मिलता है। जल-निकास समस्या आंशिक रूप से स्थानीय स्थलाकृति के कारण और आंशिक रूप से जनता द्वारा जल-निकास कार्यों के लिए भूमि के प्रयोग का विरोध करने के कारण कठिन हो गयी है। जल-निकास के रास्ते बहुत कम हैं और जहाँ कहीं ये उपलब्ध हैं वहाँ उनको प्रचालित करना कठिन है क्योंकि नीचे चैनलों का अतिक्रमण किया गया है और वहाँ फसलें उगा ली जाती हैं। नदी के काफी गाद-भार के कारण नहर प्रणाली में पर्याप्त गाद जमा हो गई है।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस परियोजना की इस विशेष समस्या से अवगत हैं। बिहार सरकार से कहा गया है कि वह वर्तमान प्रणाली की कमियों का गहराई से अध्ययन करके और विभिन्न निकासों (आउटलेट्स) के अन्तर्गत सिंचाई कमानों की विस्तृत समीक्षा करने के पश्चात् कोसी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक स्कीम तैयार करें। इस आधुनिकीकरण स्कीम में पर्याप्त जल-क्षमता की व्यवस्था के लिए नहरों का पुनर्निर्माण और अतिरिक्त लघु जल मार्गों का निर्माण, प्रपातों, जलसेतुओं, साइफनों, जल-निकासों (एस्केप) आदि जैसी चिनाई संरचनाओं का पुनर्निर्माण/व्यवस्था, द्वारों द्वारा नियंत्रित स्थायी जल-निकास की व्यवस्था, नहर प्रणाली का लाईनिंग कार्य, कमान में पर्याप्त जल की निकासी और भूगत और भूतल जल के संयुक्त उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई क्षमता के समुपयोजन में तेजी लाने की दृष्टि से राज्य सरकार को अपने कमान क्षेत्र संगठनों को सुदृढ़ करना होगा ताकि भूमि सुधार, भूमि की चकबन्दी, भूमि समतलन, क्षेत्रीय चैनलों, क्षेत्रीय नालियां आदि तथा कृषि विस्तार सेवाओं सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

गादीकरण की समस्या से निपटने के लिए कोसी वाहक्षेत्र में वनरोपण और भू-संरक्षण

उपायों की आवश्यकता है और इस बारे में नेपाल सरकार का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

पी ० ई ० टी क्राफ्ट घरेलू विज्ञान, भाषा तथा संगीत के अध्यापक

5760. श्री दाजीबा देसाई : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 425-640 रुपये वेतनमान में दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में जूनियर अध्यापक (पी० ई० टी० क्राफ्ट घरेलू विज्ञान, भाषा तथा संगीत अध्यापक) के पदों पर नियुक्ति के लिए क्या योजनायें निर्धारित हैं;

(ख) बरिष्ठ अध्यापकों (पी० ई० टी० क्राफ्ट, घरेलू विज्ञान भाषा और संगीत) के पद पर नियुक्ति के लिए, 440-750 के वेतन मान में, क्या योग्यताएं निर्धारित हैं और जैसा कि उक्त भाग (क) में उल्लिखित है कनिष्ठ अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए क्या योग्यतायें रखी गई हैं; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका बरकटकी) : (क), (ख) तथा (ग) : विवरण संलग्न है ।

(क) से (ग) दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न वर्गों में नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताए निम्नलिखित हैं—

	वर्ग	अर्हताएं
(क) दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में 425 रुपये 640 रुपये के वेतन में जूनियर पी० ई० टी० क्राफ्ट अध्यापक, गृह विज्ञान अध्यापक, भाषा अध्यापक तथा संगीत अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताए	(क) जूनियर पी० ई० टी० क्राफ्ट अध्यापक	शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र सहित मैट्रिक में संबंधित क्राफ्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र सहित मैट्रिक
	जूनियर गृह विज्ञान अध्यापक	लेडी इर्विन कालेज से गृह विज्ञान में डिपलोमा अथवा समकक्ष सहित मैट्रिक
	भाषा अध्यापक	इस पद के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं है । तथापि, 1970

		में दिल्ली प्रशासन में स्कूलों के स्थान्तरण के समय दिल्ली नगर निगम से कुछ जूनियर भाषा अध्यापकों की सेवाएं ले ली गई थीं।
	जूनियर संगीत अध्यापक	रु० 425-640 वेतनमान में कोई पद नहीं है। अतः कोई भी अर्हता निर्धारित नहीं है।
(ख) 440 रु०-750 रु० के वेतन-मान में सीनियर पी० ई० टी०, क्राफ्ट अध्यापक, गृह विज्ञान अध्यापक, भाषा अध्यापक तथा संगीत अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए निर्धारित अर्हताए तथा उपरोक्त (क) में दर्शाए गए जूनियर अध्यापकों के पदों से इस पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हताएं और	सीनियर पी० ई० टी०	मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा
	सीनियर पी० ई० टी० कार्य अनुभव के लिए क्राफ्ट अध्यापक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा तथा उच्चतर माध्यमिक कृषि तथा बागवानी को छोड़कर सभी व्यवसायों के लिए 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय गार्ड से उच्चतर माध्यमिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2. अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षण का दो वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र। 3. किसी सरकारी संस्था अथवा किसी प्रसिद्ध संस्था में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **कृषि तथा बागबानी के लिए** 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (कृषि) डिग्री

		2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शिक्षण में डिग्री
	सीनियर गृह विज्ञान अध्यापक	(क) मान्यता प्राप्त संस्था से गृह विज्ञान में डिप्लोमा सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा (ख) प्रशिक्षण/शिक्षा में डिग्री/ डिप्लोमा सहित बी० एस० सी० (गृह विज्ञान)
प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक एम० आई० एल० आधुनिक भारतीय भाषा		वैकल्पिक विषय के रूप में बी० ए० (संबंधित आधुनिक भारतीय भाषा सहित अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित आधुनिक भारतीय भाषा में इसके समकक्ष ओरिन्टल डिग्री अथवा केवल अंग्रेजी में मैट्रिक सहित हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयगा से साहित्य रत्न/ 2. शिक्षण में डिग्री अथवा डिप्लोमा/एस०ए०वी० प्रमाणपत्र 3. हिन्दी का अनिवार्य ज्ञान
प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक (संस्कृत)		1. एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत सहित बी० ए० अथवा संस्कृत में इसके समकक्ष ओरिन्टल डिग्री 2. शिक्षण में डिग्री/डिप्लोमा अथवा एस० ए०वी० प्रमाणपत्र

संगीत अध्यापक		(क) संगीत में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में डिग्री अथवा (ख) मान्यताप्राप्त संस्था से 5 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित मान्यताप्राप्त संस्था से संगीत में डिप्लोमा
(ग) प्रत्येक श्रेणी में कार्य कर रहे अध्यापकों की संख्या	प्रत्येक श्रेणी में पी० ई० टी० क्राफ्ट अध्यापक	काम कर ररे अध्यापकों की संख्या
	भाषा अध्यापक	906
	संगीत अध्यापक	115
		1043
		147

भारत ईरान साँस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम

5761: श्रीमती पार्वती देवी :

श्री नटवरलाल बी० परमार :

श्री चतुर्भुज :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के बारे में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : (क) जी, हां ।

(ख) भारत गणराज्य को सरकार और ईरान की शाह सरकार के जांच 1978, 1979 तथा 1980 वर्षों के लिए एक सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम पर 22 अप्रैल, 1970 को तेहरान में हस्ताक्षर किये गये थे ।

इस कार्यक्रम के अनुसार, दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश में फिल्म समारोहों में भाग लेने और फिल्म सप्ताह आयोजित करने, लोक नृत्य मण्डलियों, पुरातत्व के क्षेत्र के विशेषज्ञों, चित्रों की प्रदर्शनी, मानव विज्ञानियों, कला और संस्कृति के क्षेत्र विशेषज्ञों, सांझी संस्कृति विरासत के क्षेत्र में कार्यरत लेखकों और विद्वानों के आदान प्रदान के लिए सहमत हैं ! इसमें पुरातत्वीय खुदाई और संग्रहालय अध्ययनों के क्षेत्र में अनुसंधान, मृत्तिका शिल्प में प्रशिक्षण, सजावटी दर्पण कार्य

लकड़ी के कार्य तथा मृतचर्म का पुनरुद्धार, सांझी संस्कृति तत्वों के अनुसंधान, अध्ययन और परिरक्षण में सहयोग, पुस्तकालयों के साथ प्रकाशनों का विनमय, पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन, एक दूसरे के देश में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना, कलाकारों थियेटर और कठपुतली दलों के दौरे की भी व्यवस्था है ।

शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में' दोनों पक्ष, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए उपयुक्त पाठगत और श्रव्य-दृश्य सामिग्री के विनिमय और प्रौढ़ शिक्षा तथा युवा कार्यकलापों के कार्यक्रमों आदि के क्षेत्र के विशेषज्ञों के आदान प्रदान के लिए भी, सहमत हो गए हैं। इसमें, विशेष विषयों में विश्व विद्यालय सकाय सदस्यों/प्रोफेसरों के आदान प्रदानों, विशिष्ट क्षेत्र तथा पारस्परिक रुचि के अनुसंधान कार्यक्रमों में दोनों देशों के विश्व विद्यालयों के बीच सहयोग, विश्व विद्यालयों के बीच प्रकाशनों, शैक्षिक आयोजनों में विशेषज्ञों के विनिमय, शिक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के सम्मेलनों में भाग लेने, भारतीय और ईरानी अध्ययनों के पीठ स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करने, विभिन्न क्षेत्रों में छात्रवृत्तियों आदि की भी व्यवस्था है ।

रेडियो दूरदर्शन और प्रेस के क्षेत्र में विनिमय कार्यक्रम में, समाचार ऐजेंसियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने, पत्रकारों के दौरे, पहले से रिकार्ड किए हुए रेडियो संगीत टेपों और दूरदर्शन कार्यक्रमों का विनिमय, प्रसिद्ध कलाकारों के आदान प्रदान दूरदर्शन आर्यक्रम तैयार करने में सहयोग' जन संचार,संचार संगठनों के बीच व्यावसायिक अनुभव का विनिमय और संचार विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था है !

विनिमय कार्यक्रम में, पर्यटन के प्रोत्साहन, बाल कार्यकलापों में सहयोग, खेल टीमों के आदान प्रदान, जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सामाजिक बीमा, कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में अनुभव का विनमय, मानसिक रूप से बिकलांग बच्चों और बच्चों के कुपोषण की समस्याओं से सम्बन्धित अनुभव और सूचना का विनिमय, संयुक्त प्रकाशन आर्यक्रम, फारसी के अध्ययनों में अनुस्थापन पाठ्य क्रमों के लिए विद्वानों के आदान प्रदान से सम्बन्धित विषय भी शामिल हैं ।

अन्डमान और निकोबार में समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों में असंतोष

5762. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में समाज कल्याण बोर्ड के अधीन कर्मचारियों में प्राप्त असन्तोष के बारे में जानकारी है और इस बारे में कितने अभ्यावेदन मिले हैं तथा यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) कर्मचारियों की श्रेणी वार कुल संख्या कितनी है और कब से सेवा में हैं; और

(ग) क्या किसी कर्मचारी को बहुत वर्षों तक उच्च वेतनमान में काम करने के बाद कम वेतनमान दिया गया था, यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) अन्डमान नीकोबार समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों में असन्तोष व्यक्त करते हुए कोई भी अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना के कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप में कुछ अभ्यावेदन मिले थे जिनका सम्बन्ध सेवा-भंग कर्मचारियों को नियमित करने और उस अवस्था पर उनका वेतन नियत करने से था जो वे पहले प्राप्त कर रहे थे। अन्डमान और नीकोबार प्रशासन के परामर्श से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था और जनबरी, 1979 में सेवा भंग को माफ करने और प्रशासन में प्रचलित नियमों के अनुसार जिस दर से वे वेतन प्राप्त कर रहे थे उस पर वेतन नियत करने के लिए भी केन्द्र बोर्ड द्वारा आदेश भेज दिए गये थे।

(ख) अन्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा जुलाई, 1973 में अन्डमान और निकोबार समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को भंग कर दिया गया था और निम्नलिखित दिसम्बर, 1975 में/कर्मचारियों के साथ पुनर्गठन किया गया था, जिनमें से चपड़ासी और मोटर चालक को छोड़ कर शेष सभी को संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से राज्य बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था :—

सचिव ।
लेखाकार ।
उच्च श्रेणी लिपिक ।
निम्न श्रेणी लिपिक ।
मोटर चालक ।
चपड़ासी ।

फिर भी एक उच्च श्रेणी लिपिक तथा अध्यक्ष के एक वैयक्तिक सहायक के पद रिक्त थे ।

(ग) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अधीन राज्य बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन मान और प्रतिनियुक्ति भत्ते दिए गए थे और किसी भी कर्मचारी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि राज्य बोर्ड में अनेक वर्षों की सेवा के बाद कम वेतन प्राप्त कर रहा है। फिर भी परियोजना कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बता दी गई है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जंगली हाथियों से फसल को हानि

5763. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जंगली हाथियों से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शामनगर, राधानगर गांवों में, फसल तथा सम्पत्ति को हानि तथा मानवजीवन को खतरा हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या गांवों के लोग गांव छोड़कर जाने की स्थिति में हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां। अन्दमान और निकोबार प्रशासन उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस गार्ड तैनात करके ग्रामीणों की फसल, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पहले ही उपयुक्त कार्यवाही कर चुका है। राधानगर और शामनगर में जंगली हाथियों का धावा कभी-कभी होता है, बार-बार नहीं। हाथियों और उनके बच्चों को समाप्त किये बगैर निवास स्थानों से उन्हें दूर रखने के लिए ग्रामीणों को पटाखे सप्लाई किये गये थे ताकि हाथी भयभीत होकर भाग जाएं। इन कदमों के परिणामस्वरुप जून, 1978 के पश्चात् कोई दुर्घटना होने की सूचना नहीं मिली। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए संभव निवारक उपाय किये जा रहे हैं जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग की सहायता से खास मामलों में हाथियों को मारना भी शामिल है।

(ख) उत्तरी अन्दमान के सहायक आयुक्त और तहसीलदार से जंगली हाथियों से ग्रामीणों को जान-माल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और इसके उत्तर में तत्काल उपर्युक्त निवारक उपाय किये गये थे।

(ग) चूंकि अन्डमान और निकोबार प्रशासन ने जंगली हाथियों से बचने के लिए पहले ही सतर्कता के उपाय कर लिये हैं, अतः ग्रामीणों को वहां से हटाने का प्रश्न ही नहीं होता।

स्कूल अध्यापकों की अर्हन्ताओं के आधार पर पदोन्नति

5764. श्री दाजीबा देसाई : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अध्यापकों को अर्हताओं के आधार पर पदोन्नति देने की योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकृति दे दी है,

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में ऐसे अनेक अध्यापक हैं, जिन्हें अर्हताओं के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन अध्यापकों को कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों के लैक्चररों तथा रीडरों की पदोन्नति के अवसर को उनकी योग्यता के मूल्यांकन पर आधारित होंगे, प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने के संबंध में विचार कर रहा है। योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, पद उपलब्ध होने पर तथा भर्ती के नियमों में निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं पूरी करने पर, शिक्षकों की विभिन्न

श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार तथा संवर्ग में वरीयता के आधार पर की जाती है ।

कोजिकोड से नया डाक डिवीजन स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

5765. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजिकोड से प्रस्तावित नया एक डिवीजन स्थानान्तिरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस निर्णय पर उत्तरी केरल में असंतोष है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय को टालने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) मौजूदा कालीकट डाक डिवीजन जिसका मुख्यालय कोजिकोड में है, को द्विभाजित करने और एक नये डाक डिवीजन का सृजन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसका मुख्यालय कोजिकोड से 47 किलोमीटर उत्तर में बडागरा स्थान पर होगा । जब कभी किसी नए डाक डिवीजन का सृजन किया जाता है, उसके मुख्यालय का निर्णय उसके द्वारा सेवित क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। नए डाक डिवीजन का सृजन हो जाने पर भी मूल-डाक डिवीजन के मुख्यालय को नहीं बदला जाता । इसलिए इसमें अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं होगा यदि मौजूदा कालीकट डिवीजन जिसका मुख्यालय कोजिकोड रहेगा, को द्विभाजित करके एक नये डाक डिवीजन का सृजन किया जाता है जिसका मुख्यालय बड़ागरा होगा । इस प्रस्ताव पर उत्तरी केरल में असंतोष की जानकारी हमें नहीं है । अतएव मौजूदा कालीकट डाक डिवीजन के द्विभाजन के प्रस्ताव के स्थगन का कोई कारण नहीं है ।

भूमि सुधार के क्रियान्वयन में कठिनाइयां

5766. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतांने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य भूमि सुधार उपायों को क्रियान्वित करने में धीमी गति से कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्यों द्वारा कानूनों की क्रियान्विति के पीछे क्या कारण और कठिनाइयां हैं जो केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ग) भूमि सुधार के तेजी से क्रियान्वयन के लिये मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों के कार्यान्वयन में हुई समग्र प्रगति को मन्द नहीं कहा जा सकता है । बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन, भूमि की जोतों पर अधिकतम सीमा तथा पट्टेदारों की स्थिति में सुधार

महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं । निम्नलिखित बातें अधिक संतोषजनक कार्यान्वयन के मार्ग में मुख्य अड़चनें रही हैं :—

(1) न्यायालयों में कानून को बार-बार चुनौती देना;

(2) सही और नवीनतम भू-अभिलेखों का अभाव होना, तथा

(3) लाभानुभोगियों को उत्पादन की पर्याप्त सुविधाएं न मिलना ।

(ग) भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है । सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत भूमि सुधार सम्बन्धी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनूसूची में शामिल करने का फैसला किया है, ताकि उन्हें न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके । राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध किया गया है कि वे क्रियान्वयन की गति तेज करें ।

गंगा ब्रह्मपुत्र-बारक नदी व्यवस्था के बारे में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वर्कशाप

5767. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक नदी व्यवस्था के बारे में दिसम्बर, 1978 के दूसरे सप्ताह में हुए नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय वर्कशाप में क्या-क्या मुख्य निष्कर्ष निकले; और

(ख) देश में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस वर्कशाप के मुख्य निष्कर्ष ये हैं :—

(1) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक नदी प्रणाली, जिसका कुल संयुक्त जल-निस्सार 900 मिलियन एकड़ फुट से भी अधिक है, संसार की एक महानतम प्राकृतिक परिसम्पति है । यदि इसको परस्पर सहयोग से इस्तेमाल किया जाए तो इससे इस विशाल अन्तर्राष्ट्रीय बेसिन में रहने वाले 37 करोड़ लोगों, जो संभवत: संसार में अति विपन्न लोगों का सबसे बड़ा समूह है, के जीवन का कायाकल्प करने का एक अभूतपूर्व सुअवसर प्राप्त होगा ।

(2) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक बेसिन के इष्टतम विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रादेशिक सहयोग के ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर बहुविषयक प्रणाली-आयोजन किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगो को अधिक से अधिक भलाई के लिए कम से कम लागत वाले समाधानों की व्यवस्था हो सके ।

(3) केन्द्र में एक सुदृढ़ केन्द्रीय संगठन की स्थापना की जाए जिसमें विभिन्न विभाग और संस्थान शामिल हों और ऐसे ही यूनिटों की स्थापना संबंधित राज्यों में की जाए जिनकी सहायता के लिए विद्वानों, विशेषज्ञों और अन्य प्रौद्योगिकी-विदों के परामर्शदात्री पेनल हों । राज्यों के

यूनिटों को अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत बेसिन-योजनाएं और उप-बेसिन-योजनाएं तैयार करनी चाहिएं जिनका एकीकरण समुचे गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक बेसिन के इष्टतम विकास की व्यापक मास्टर योजना के रूप में किया जाना चाहिए और इस योजना का समय-समय पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ।

(4) गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना के विकास की प्रस्तावित मास्टर योजना में परस्पर लाभ के सिद्धान्त के आधार पर संबंधित पड़ौसी क्षेत्र देशों के साथ सहयोग की संभावना का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

(5) परिस्थिति की जल-संचयन को बढ़ावा देने, भू-कटाव को रोकने और बाढ़ों को कम करने के उद्देश्य से ऊपरी बाह्यक्षेत्रों का उपचार एक ऐसा क्षेत्र है जहां तत्काल ऐसा क्षेत्रीय सहयोग किया जा सकता है । भू-संरक्षण और वन-रोपण कार्यक्रमों का विस्तार गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक के सभी वाह्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए । इसे एक जन-आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए ।

(6) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक बेसिन की विराट् ऊर्जा क्षमता का, जिसमें सैकेन्ड्रो विद्युत क्षमता भी शामिल है, तेजी से विकास किया जाना चाहिए । इन देशों के ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल समन्वित रूप से किया जा सकता है ।

(7) मास्टर योजना में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक प्रणाली की निचली पहुंचों में नौचालन के काफी अवसर उपलब्ध हैं ।

(8) सभी बृहद जल-संसाधन परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले यह अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए कि पर्यावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

(9) विशिष्ट समस्याओं और क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में खेती का स्थानान्तरण, खनन क्षेत्रों का स्थिरीकरण, 'दियारा' भूमि और सुन्दरबन का विकास और जल-निकास, आरीय भूमि और जल-जमाव वाले क्षेत्रों को कृषि-योग्य बनाना ।

(10) मास्टर योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस क्षेत्र में उपलब्ध भूमि और जल-संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाए और ऐसा करते समय इष्टतम फल प्राप्त करने के लिए भूतल और भूगत जल का संयुक्त उपयोग किया जाना चाहिए ।

(11) पुरानी सिंचाई प्रणालियों का नियतकालिक आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ।

(ख) भारत में गंगा बेसिन में कई सिंचाई परियोजनाएं चालू हैं और कई अन्य परियोजनाओं का निर्माण/अन्वेषण किया जा रहा है । ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी कुछ परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है । ब्रह्मपुत्र और बारक बेसिनों में कुछ बड़े जल-संचयन जलाशयों और ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक के बारे में अन्वेषण-कार्यों को हाथ में लिया गया है । केन्द्र में एक केन्द्रीय तकनीकी दल की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक बेसिन के व्यापक बहु-विषयक अन्वेषण किये जा सकें ।

मध्यावधिक योजना (1978-83) में देश में बृहद और मध्यम स्कीमों से 8 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और लघु स्कीमों से 9 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता अर्थात कुल 17 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है ताकि देश की कुल सिंचाई क्षमता बढ़कर 69 मिलियन हैक्टेयर हो जाए ।

फार्म तकनीक को ग्राम स्तर तक ले जाना

5768 **डा० पी० वी० पेरियासामी :**
श्री आर०वी० स्वामीनाथन :
श्री पी०एन० सईद :
श्री ए०आर० बद्रीनारायण :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्म तकनीक को ग्राम स्तर तक ले जाने के लिये 860 संस्थानों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयं सेवी संस्थाओं की एजेन्सियों को शामिल करने के सम्बन्ध में कृषि के लिये केन्द्रीय स्टाफ कालेज द्वारा जनवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में आयोजित एक तीन-दिवसीय वर्कशाप में क्या क्या सिफारिशें की गई; और

(ख) उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्रौद्योगिकी को गांवों तक पहुंचाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम पर एक कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 जनवरी, 1979 को हैदराबाद में किया गया था जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक अभिकरणों और सम्बद्ध कृषि महाविद्यालयों व गृह विज्ञान महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस कार्यशाला ने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

1. "प्रयोगशाला से भूमि तक "कार्यक्रम के लिये 50,000 कृषक परिवारों का चयन करते समय, वरीयता छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों को दी जानी चाहिए ।

2. प्रौद्योगिकी को गांवों तक पहुंचाने के कार्यक्रम पर कार्यान्वयन ग्रामीण विकास में लगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध कृषि एवं गृह विज्ञान महाविद्यालयों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के 1000 केन्द्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

3. एक "प्रयोगशाला से भूमि तक" परिचालन संहिता तैयार की जायेगी जिसमें सभी उपलब्ध अनुभूत एवं परिक्षित प्रौद्योगिकीयों की एक सूची होगी । यह सूची इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत प्रौद्योगिकी पहुंचाने के केन्द्रों में कार्य करने वालों को दी जायेगी । यह संहिता

छोटे और सीमान्त किसानों के लिये उपलब्ध आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक प्रौद्योगिकीयों के संबंध में सूचना प्रदान करेगी ।

4. "प्रयोगशाला से भूमि तक" संहिता में सम्मिलित प्रत्येक पद के लिये सम्बन्धित संस्थान/कृषि विश्वविद्यालय ग्राम सेवकों तथा भाग लेने वाले कृषक परिवारों के उपयोग के लिये सादा भाषा में उपयुक्त विस्तार भाषण तैयार करेंगे । ये विस्तार भाषण भाग लेने वाले केन्द्रों को उनके अनुरोध करने पर हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा प्रदान करेंगे ।

5. एक राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा । अधिमानतः सितम्बर, 1979 के पहले पखवाड़े में । विश्वविद्यालय और संस्थान अपने लिये उपयुक्त तिथि निश्चित करेंगे जो फसल और मौसम की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा ।

6. स्वैच्छिक अभिकरणों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सम्बन्धित संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञ पूर्ण राय और सहायता प्रदान की जायेगी ।

7. इस कार्यक्रम के अधीन आने वाले प्रस्तावित 50,000 परिवारों में से बीस-बीस हजार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किये जायेंगे और शेष 10,000 परिवार ग्रामीण विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ।

(ख) 'प्रयोगशाला से भूमि तक" शीर्षक प्रौद्योगिकी गांवों तक पहुंचाने के कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1979-80 के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिये तैयार किया गया है । इसका उद्देश्य उनकी आर्थिक दशा को श्रम के उपयोग में विभिन्नता लाकर और मिश्रित खेती, पशुपालन, रेशम उत्पादन, मछली पालन, मधु मक्खी पालन और डेरी उद्योग के माध्यम से उनकी आय के पूरक स्रोत बढ़ाकर सहायता करना है । इस कार्यक्रम का संचालन करके अतिरिक्त रोजगार और आय प्राप्त की जा सकती है । इस कार्यक्रम को तीव्र गति से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक विशेष परियोजना निधिकरण समिति गठित की है जो उन सहभागी संस्थानों से सुविधाएं प्रदान करने के लिये प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी जिनको परिषद को स्पष्ट परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है ।

गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए मकान

5769. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए गैर सरकारी कम्पनियों को आमंत्रित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली के बारे में यह निश्चय किया गया है कि गैर सरकारी निर्माताओं को आवास के भण्डार की वृद्धि हेतु उन्हें साथ मिलाया जाए । ऐसा एक परीक्षणात्मक आधार पर किया जा रहा है ।

आवास तथा नगर विकास निगम ने भी गैर सरकारी निर्माताओं को ऋण स्वीकृत करने की एक योजना आरम्भ की है ।

1978-83 की पंचवर्षीय योजना की तैयारी पर आवास वर्किंग ग्रुप ने भी सिफारिश की है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए आवास निर्माण करने के लिए गैर सरकारी निर्माताओं को सांस्थानिक वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

शिवालिका पहाड़ियों से बन्दर का जीवाष्य पाया जाना

5770. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर बानर जैसा बंदर का एक बड़े आकार का जीवाष्य, जो योरुपीय और उत्तरी अमरीका के आदमी से बहुत मिलता जुलता है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतया यह किस युग का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) इस शताब्दी के सातवें दशक में शिवालिक पहाड़ियों में एक वृहत आकार का वानर जीवाष्य मिला था जो जावा (इंडोनेशिया) और चीन से मिले जीवाष्यों से कुछ मिलता-जुलता है । इनका संभावित काल एक करोड़ बीस लाख वर्ष है ।

इस शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में शिवालिक पहाड़ियों में काफी संख्या में वानर जीवाष्य मिले थे जो पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में पाये गये जीवाष्यों से मिलते-जुलते हैं । विशेषज्ञों के अनुसार इनका संभावित काल लगभग एक करोड़ से एक करोड़ तीस लाख वर्ष है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक का भारत के विश्व की प्रमुख कृषि शक्ति अथवा 'ब्रेड बांल', होने के बारे में मत

5771. श्री के० टी० कोसलराम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विश्व की प्रमुख कृषि शक्ति अथवा 'ब्रैड बाल' होने की क्या सम्भावना है जैसा कि हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने दावा किया है;

(ख) क्या सरकार ने उसके बारे में कोई गहन अध्ययन अथवा जांच की हैं; और

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालिज में बारहवें संस्थापना दिवस के उपलक्ष में "भिखारी के कटोरे से रोटियों की टोकरी तक" शीर्षक भाषण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महा निदेशक, डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में देश में कृषि अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का एक पुनरीक्षण किया था । ऐसे विश्लेषण के पश्चात् उन्होंने भाषण का सभारोप निम्न प्रकार किया : —

"इस तथ्य को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि खेती की किसी पारस्परिक प्रणाली में होने वाला परिवर्तन शुरू में लाभ के साथ-साथ नयी समस्याएं भी लाता है । प्रत्येक क्रिया की अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं — कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल । अतः खेती से अत्यधिक लाभ लेने के कारण उत्पन्न हुई मिट्टी की उर्वरता की क्षति जैसी नयी समस्याओं से उत्पन्न गंभीर गतिरोधों तथा कीटों, पौध रोगों और खरपतवारों के नापाक तिहरे गठजोड़ से उत्पन्न नये खतरों को दूर करने के लिए समस्याओं के समाधान की अनवरत खोज और पूर्वानुमानित कार्यवाहियां होनी चाहिए । इस सबके लिए एक गतिशील अनुसंधान और प्रशिक्षण आधार होना चाहिए । उपमुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण आधार के बिना प्रारंभ किया गया विकास कार्यक्रम केवल सामयिक सफलता दे सकता है । यही कारण है कि कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं का एक राष्ट्रीय नाल (ग्रिड) होने के कारण हम बड़े भाग्यशाली हैं । लुधियाना में, दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 को भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसायटी के अपने डा० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक भाषणमाला के दौरान अपने भाषण में कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष डा० ए० एस० कहलन ने पिछले दो दशकों में कृषि अनुसंधान में निवेश से आय के निम्नलिखित आंकड़े दिये :—

अवधि		अनुसंधान पर खर्च	आय की
से	तक	हुए एक रुपये से आय	आन्तरिक दर
1960-61	1964-65	1.91	14.00
1967-68	1972-73	14 91	71.70

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि बाद की अवधि देश में कृषि अनुसंधान के पुनर्गठन से मेल खाती है जिसके दौरान समस्त राज्य और केन्द्रीय संस्थानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान से एक सहकारी भागीदारी के अधीन किया गया ।

'अपने वरदानों की गणना करो' एक ऐसा मशवरा है जिसे हम भुलाने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं किन्तु विकास केवल वरदानों के ऊपर रचना करके प्राप्त किया जा सकता है । हमारे पास

भरपूर सूर्य की रोशनी हैं जो फसल की अच्छी बढ़ोतरी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे पास सिंचाई के पर्याप्त भूजल और इसके अतिरिक्त स्रोत हैं। असिंचित क्षेत्रों में पानी निकालने और जमा करने की पर्याप्त संभावना है। देश की पारिस्थितिकीय विभिन्नता अनेक फसलों को, जिसमें उष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण दोनों जलवायु की फसलें शामिल हैं, संवर्धित करती है। पशु पालन और पर्याप्त कार्यक्रमों की प्रचुर संभावना है। पशुधन की 1972 की गणना के अनुसार कुल पशुओं की संख्या 178.8 मिलियन तथा भैंसों की संख्या 57.9 मिलियन है। हमारी बकरियों की संख्या 68 मिलियन से ऊपर है जो संसार में बकरियों की कुल संख्या का 20% है। इसी प्रकार से भेड़ों की 972 की गणना के अनुसार कुल संख्या 40 मिलियन को पार कर गयी। हमारे पास सूअरी, मुर्गियों, घोड़ों, टट्टों और ऊंटों की भी अच्छी संख्या है हिमालय के उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में मिथु और याक जैसे अद्वितीय जानवरों भी हैं। हमारी मत्स्य संपदा भी ऐसी ही प्रभावी है। हमारे देश में मछलियों की लगभए 1800 प्रजातियां उपलब्ध । हमारे पास एक लम्बी समुद्र तटीय पट्टी है जिसमें 200 मील का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उत्तम है। हमको मिली समुद्री सतह हमारी मिट्टी के तल के आकार का 40% है सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास किसानों और मछेरों का कठोर परिश्रम करने वाला समुदाय है। हमारी ग्रामीण महिलाएं अंगुलियों की प्रवीणता से भरपूर हैं। अतः यदि हमें आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त तकनीक व सेवा मिल जाय जिससे कि बिना उनकी जोतों के आकार का और उनके प्रारंभिक साजसामान का विचार किए, नयी तकनीकों को अपनाने के लि प्रवृत्त करके और जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ा कर चाहे वह भूमि के ऊपर की खेती में हो या जल के अन्दर की, और सबसे अधिक जन नीतियों के द्वारा जिनसे उत्पादन और उपभोग की वृद्धि हो, हम शीघ्र ही एक प्रमुख कृषि शक्ति बन सकते हैं। यही एक रास्ता है जिससे हम गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी समस्या को निपटाने में सहायता कर सकते हैं। जैसे चन्द्रमा पर पहुंचना अब निरी वैज्ञानिक कल्पना नहीं रह गयी है इसी प्रकार से दुनिया की रोटियों की टोकरी बनना भी अब कोई खुश खयाती नहीं है। तो भी, यदि समन्वित और समर्पित कार्यवाही अपेक्षित अंश तक नहीं हो पाती है तो यह भी संभावना है कि हमको भिखारी का कटोरा भी लेकर चलना पड़ सकता है।

(ख) और (ग) योजना आयोग अपने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में कृषि की संभावना और लक्ष्य का आवलन करता है। कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने भी इस शताब्दी के अंत तक की विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन किया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी कृषि के उत्पादन के लिए, विशेषकर गंगा-सिंधु के मैदानों में, उपलब्ध प्रचुर संभावना की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। राज्यों व केन्द्र की सरकारों द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रम इस प्रकार से बनाये गये हैं जिनसे कि उत्पादन के अप्रयुक्त भण्डारों चालू तकनीकी के स्तर पर भी लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा, हाल ही में भारत सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया है जो कृषि पण्यों के निर्यात का बढ़ाने की संभावना का मूल्यांकन करेगा।

विश्व बाल सम्मेलन आयोजित करना

5772. श्री श्रीकृष्ण सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पहला बाल सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) उक्त सम्मेलन का आयोजन कब किया जायेगा; और

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन देशों के भाग लेने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तो भी, बाल कल्याण का अन्तर्राष्ट्रीय संघ नई दिल्ली में 13 नवम्बर से 23 नवम्बर 1979 तक विश्व बाल सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। भारत सरकार इस सम्मेलन के आयोजन से सीधे तौर पर सम्बद्ध नहीं। फिर भी, जहाँ तक सम्भव होगा, सरकार इस सम्मेलन के आयोजकों को नैतिक समर्थन देगी और कुछ थोड़ी सी वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रस्तावित सम्मेलन भारत सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेपाल में तैनात स्थायी कर्मचारी

5773. श्री मनोहर लाल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में, नेपाल में तैनात उन कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है जो स्थायी हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की श्रेणियों तथा संख्या का ब्यौरा क्या है जो दो वर्ष की अपेक्षित सेवा पूरी करने के पश्चात् भी स्थायी नहीं किए गए हैं;

(ग) निर्धारित सेवा काल पूरा करके कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है/करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कुछ नहीं, क्योंकि नेपाल स्थित स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए स्टाफ को अस्थायी आधार पर भर्ती किया गया था।

(ख) 1 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या 1050 थी जिनकी 2 वर्ष से अधिक नौकरी हो गई है।

(ग) तथा (घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) में बताया गया है सभी नेपाल स्थित स्थानीय

कर्मचारियों की भर्ती अस्थायी आधार पर की गई थी। अतः स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

"व्हेअर हिस्टरी इज गेदरिंग डस्ट" शीर्षक से समाचार

5774. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 21 फरवरी, 1979 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "व्हेअर हिस्टरी इज गेदरिंग डस्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां :

(ख) (i) दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह वाला एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है।

(ii) इस पुस्तकालय के लिए धन की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम करता है और एक समिति द्वारा इसके कार्यकलापों का प्रबन्ध किया जाता है। केन्द्रीय सरकार इसके प्रबन्ध से संबंधित नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय संतरागाछी पश्चिम बंगाल को बाढ़ों के कारण हुई क्षति

5775. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की बाढ़ में भारत सरकार मुद्रणालय संतरागाछी पश्चिमी बंगाल पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा था;

(ख) क्या नई दिल्ली से अक्तूबर, 1978 में उक्त स्थान का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की एक छोटी समिति भेजी गई थी;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या संतरागाछी मुद्रणालय को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, मुद्रण निदेशालय के कुछ अधिकारी अक्तूबर, 1978 में मौके पर जांच करने के लिए मुद्रणालय में गए थे।

(ग) मौजूदा भवन को असुरक्षित घोषित किया गया है और व्यक्तियों और मशीनों को भारत सरकार मुद्रणालय (के० एस० आर० एकक) संतरागाछी और केन्द्रीय कागज गोदाम के साथ वाले भवन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ।

(घ) जी, नहीं । तथापि भारत सरकार मुद्रणालय (प्रपत्र मुद्रण प्रेस) को भारत सरकार मुद्रणालय (के० एस० आर० यूनिट) जो दोनों ही संतरागाछी में स्थित हैं, को मिलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

बच्चों, बीमारो और बिकलांगों के लिए काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम

5776. डा० रामजी सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कमजोर अक्षम अथवा बच्चों अथवा बीमार व्यक्तियों को, काम, करने लायक बनाने हेतु काम के बदले अनाज कार्यक्रम में शामिल करने का है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : काम के बदले अनाज कार्यक्रम जैसाकि इसके वास्तविक स्वरूप से पता चलता है, के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जो काम करने में असमर्थ हैं, के लिए खाद्यान्न सुलभ करने हेतु कोई गुंजाइश नहीं है । मूलरूप से यह योजना बेरोजगार तथा अल्प रोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार पैदा करने हेतु बनाई गई है ।

भागलपुर के निकट संथाल परगना में टेलीफोन केन्द्र

5777. **डा० रामजी सिंह** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भागलपुर के निकट संथाल परगना में सूक्ष्म तरंग प्रणाली का एक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने का बिचार है ।

(ख) क्या सरकार के पास इसके लिए सुविधाएं हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार को क्या कठिनाईयां अनुभव हो रही हैं तथा इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद) : (क), (ख) और (ग) आसनसोल तथा संथाल परगना जिलों के मुख्यालय दुमका के बीच 60 चैनल क्षमता वाली यू० एच एफ० रेडियो लिंग की स्थापना करने को डाक तार विभाग की योजना है । प्रस्तावित यू० एच० एफ० लिंग के चालू अवधि योजना के दौरान (1978-83) स्थापित किए जाने की आशा है

फरक्का बाँध के निर्माण के बाद बंगाल और बिहार में बाढ़ें आना

5778 **डा० रामजी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बाँध के निर्माण के बाद बंगाल और बिहार में गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं तो गत पांच वर्षों में बाढ़ों के कारण हुए नुकसान के आंकड़े सभा पटल पर रखे जाएंगे; और

(ग) क्या इन बाढ़ों को देखते हुए बड़े पैमाने पर नहर और लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) फरक्का बराज परियोजना से, जैसी कि यह आयोजित, अभिकल्पित और परिचालित की गई है, पश्चिम बंगाल और बिहार में गंगा नदी में बाढ़ों में वृद्धि नहीं होती ।

(ख) बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के गंगा बेसिन क्षेत्रों में 1973 से 1977 के पांच वर्षों में बाढ़ से हुई क्षति के आंकड़े, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य के बारे मे सूचित किया गया है, संलग्न विवरण में दिए जाते हैं ।

(ग) बृहद् नहर और लिफ्ट सिंचाई स्कीमें, अपने आप में, बाढ़ के प्रवाहों के प्रभाव को, विशेषकर गंगा जैसी नदी में, कम करने में सहायक नहीं होंगी । सिंचाई स्कीमें सामान्यत: किसी क्षेत्र की कृषिगत आवश्यकताओं और सिंचाई के जल की सप्लाई के लिये प्रबन्ध करने को व्यवहार्यता के आधार पर बनाई जाती हैं ।

विवरण

वर्ष 1973-77 के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन क्षेत्रों में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टेयर में	प्रभावित जनसंख्या लाखों में	फसलों को हानि		मकानों को क्षति संख्या	पशुओं की हानि संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	जन सुविधाओं को हानि लाख रुपयों में	फसलों, मकानों और सुविधाओं की हुई कुल क्षति लाख रुपयों में	अभ्युक्ति
			क्षेत्र लाख हैक्टेयर में	मूल्य लाख रु० में						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार										
1973	9 65	67 57	9 02	4443 34	1,633	10	37	100.34	4886 02	
1974	30 14	164 39	17 50	29758 51	5.163	321	80	3401.00	38183.60	
1975	23.09	32 37	11.69	13993.95	3 210	1323	148	—	26576.30	
1976	29.89	136 42	8 54	9463 93	4 830	4518	186	—	20599.40	
1977	10 80	30 00	2 30	1178.80	0 197	66	16		1224.10	
पश्चिम बंगाल										
1973	7 58	26.71	4.03	3378.13	0 830	390	24	541.93	4234.16	
1974	0 97	3 50	0 75	787 06	0 440	1524	33	120.000	1994.66	
1975	1 56	6 59	0.41	382.88	0 110	4	2	9.22	422.06	
1976	1.46	8.19	0 67	676.97	0,320	6	9	43.83	723.80	
1977	15.50	63.10	3 50	3947 20	0 894	372	25	—	3947.20	

भूमिगत पालिका बाजार, कनाट प्लेस नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दुकानों के आवंटन की कसौटी

5779. **श्री महीलाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाट प्लेस में भूमिगत पालिका बाजार की दुकानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है और क्या कुछ दुकानें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आवंटित किए जाने हेतु आरक्षित की गई हैं और इस सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए वास्तव में कितनी दुकानें आरक्षित की गई हैं और उनमें से कितनी दुकानें वास्तव में आवंटित की गई हैं; और

(ग) क्या इन दुकानों के किराये में कोई छूट दी गई है और यदि हां, तो कितनी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने पालिका बाजार में दुकानों के आवंटन के लिए निम्नलिखित आधार अपनाया है :—

(i) सामान्य श्रेणी को टेंडर के आधार पर ।

(ii) पंचकुइयां रोड के खोखे वालों को "लाभ-हानि रहित" लाइसेंस फीस के आधार पर ।

(iii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से टेंडर आमन्त्रित करमे के लिए निर्धारित न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस फीस पर ।

(ख) 26; और ये सब आवंटित की जा चुकी हैं ।

(ग) जी, हां, नई दिल्ली नगरपालिका ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पालिका बाजार में निर्धारित न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस फीस पर दुकानें आवंटित की हैं ।

भूमिगत पालिका बाजार, नई दिल्ली में पानी का भर जाना

5780 **श्री महीलाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस स्थित भूमिगत पालिका बाजार में फरवरी, 1979 में वर्षा का पानी भर गया था जिसके परिणाम स्वरुप दुकानदारों को अपनी दुकानें बन्द करनी पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि उनकी दुकानों और बरामदों में वर्षा का पानी न भरने पाये ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि भारी वर्षा के परिणाम स्वरुप मुख्य ढ़की नाली से पानी का उलटे बहाव के कारण फरवरी, 1979 में कुछ पानी पालिका बाजार में घुस गया था, उस पर तत्काल ध्यान दिया गया और इस विपरीत बहाव के कारण दुकानें बन्द नहीं हुई थीं ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने मुख्य नाली की सर्विस लाइन पर नान-रिर्टन वाल्व तथा जलद्वार वाल्व लगा करके आवश्यक उपाय किए हैं ।

शालीमार बाग आवासीय कालोनी, दिल्ली में सड़कें

5781. श्री महीलाल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग आवासीय कालोनी के ब्लाक ए, पाकेट ए के सामने केवल 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है जहां स्कूटर आदि का चलाना भी कठिन हो जाता है जबकि उस कालोनी में दूसरी ओर सड़कें कम से कम 5 मीटर चौड़ी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कालोनी में इस तीन मीटर चौड़ी सड़क के साथ एक बहुत बड़ा पार्क है; और

(ग) क्या वहां के निवासियों की यातायात/परिवहन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से पार्क की कुछ जमीन लेकर सड़क चौड़ी की जाएगी और यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । इस सड़क विशेष को 3 मीटर चौड़ा रखा गया था क्योंकि इस सड़क को सड़क की एक ओर स्थित मकानों की एक कतार के काम ही आना था । 3 मीटर चौड़ी सड़क पर स्कूटर चलाने में आमतौर पर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में गृह निर्माण का कार्यक्रम

5782 श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में दिल्ली में मकान बनाने के लिए सरकार को कुल कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(ख) सरकार ने कितनी भूमि अर्जित की है और कब से;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में लगभग 75,000 एकड़ भूमि अपने अधिकार में ले ली है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी लोगों को मकान का निर्माण करने हेतु कुछ जमीन देने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने दिल्ली में मकानों के निर्माण हेतु प्राइवेट गृह निर्माताओं को इसमें शामिल करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मौजूदा अनुमानों के अनुसार आगामी तीन वर्षों में सरकारी/अर्ध सरकारी निकायों द्वारा दिल्ली में आवास के लिए 1200 से 1500 एकड़ तक भूमि का उपयोग किया जाएगा किन्तु प्लाटों का विकास करने के लिए इससे और अधिक भूमि की आवश्यकता होगी ।

(ख) दिल्ली के व्यवस्थित विकास के लिए 1957 से 39492.71 एकड़ भूमि अर्जित की गई है ।

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन दिल्ली में इस समय 68669 06 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है ।

(घ), (ङ), (च) तथा (छ) प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली में मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्माण गतिविधीयों में प्राइवेट क्षेत्र को भी शामिल किया जाए । दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि वे इस संबंध में ब्यौरे तैयार करें ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

5783. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित की गई कितनी कालोनियों में सरकार ने भवन निर्माण के नक्शे मंजूर किए हैं;

(ख) हाल ही में नियमित ऐसी अनेक कालोनियों में अभी तक भवन निर्माण नक्शे मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) हाल ही में नियमित की गई कालोनियों में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ऐसी 109 कालोनियों में मकानों के नक्शों को स्वीकृत करते आ रहे हैं ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में उनके द्वारा नियमित की गई कालोनियों के विकास प्रभारों की उगाही का कोई तरीका अभी तय नहीं कियां है । इसके अलावा, कुछ मामलों में भूमि का उपयोग नियमानुकूल नहीं है और उसमें अभी परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि हाल ही में नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य अभी भी शुरू नहीं किया गया है ।

आलू का उत्पादन और काम के लिये अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत इसका वितरण

5784. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आलू का उत्पादन अधिक होता है;

(ख) इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ और गत वर्ष कितना था;

(ग) सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि किसानों को आलू का अच्छा मूल्य प्राप्त हो;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार राज्य सरकारों से यह पता करने का विचार कर रही है कि क्या आलू का वितरण काम के लिए अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष आलुओं के उत्पादन के बारे में जानकारी राज्यों से जून, 1979 के मध्य में किसी भी समय प्राप्त हो सकती है । तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान आलुओं का उत्पादन 90.00 लाख मीटरी टन से अधिक होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 1977-78 में 81.53 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था ।

(ग) आलुओं की बिक्री करने में उत्पादकों को कठिनाइयां हुई हैं । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आलुओं के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए उत्सुक हैं । कुछ उपाय किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

1. सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से विभिन्न सहकारी और अन्य एजेन्सियों द्वारा भारत से आलू निर्यात करने की अनुमति दी गई ।

2. निर्यात को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा ओ. जी. एल. के अन्तर्गत 3-2-79 से आलू के निर्यात की अनुमति दी गई ।

3. पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने राज्य में आलू खरीदने और उसे बाहर ले जाने के लिए अपने राज्यों की नाफेड और सहकारी एजेंसियों से सहायता मांगी है । पंजाब सरकार ने मार्कफेड और नाफेड से कहा है कि वे किसानों को 50 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य दे

और यदि सरकारी निदेशों के अन्तर्गत कार्य करने के फलस्वरुप कोई हानि हो तो उसको पूरा करने के लिए भी वह सहमत हो गई है। विक्रय केन्द्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हरियाणा राज्य में वाणिज्यिक आधार पर आलुओं की खरीद करने के लिए नाफेड ने हेफेड के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम किया है।

उत्तर प्रदेश में आलुओं की खरीद करने के लिए नाफेड और एपेक्स सहकारी विपणन संघ के बीच एक संयुक्त उद्यम भी स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आलुओं की खरीद करने के लिए खरीद केन्द्रों की संख्या भी बढ़ा दी है।

5. रेलवे मन्त्रालय को समय-समय पर जोर दिया गया है कि वे उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक आलू को लाने ले जाने के लिए रेल बैगनों की सप्लाई में वृद्धि करें।

6. कृषि मन्त्रालय ने उच्च स्तर पर राज्य सरकारों को लिखा है कि वे मूल्यों में गिरावट आने से आलू उत्पादकों को होने वाली कठिनाई दूर करने हेतु जिस के लिए विपणन सम्बन्धी समर्थन प्रदान करने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम तैयार करें।

(घ) तथा (ङ) बाजार में आलुओं की बहुलता होने के कारण यही विचार किया गया था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत आलुओं का उपयोग किया जाए। आलू एक खराब हो जाने वाली वस्तु है, अतः काम के बदले अनाज कार्यक्रम में इसको उपयोग में लाना संभव नहीं समझा गया।

वन्य जीवों की रक्षा

5785. श्री कंवर लाल गुप्ता : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं।

(ख) क्या सरकार ने वन्य जीवों, विशेषतया बाघों और सिहों को सुरक्षित रखने के लिए कोई क्रमिक अध्ययन किया है।

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) किये गये अध्ययन की सिफारिशों पर क्या कदम उठाये गये हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) सरकार ने देश में वन्य प्राणियों को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(क) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जिसे अब लगभग सभी राज्यों ने अपना लिया है, के बन जाने से संकट ग्रस्त वन्य जातियों को बनाने के लिए विशेष कानूनी संरक्षण मिला है तथा इस अधिनियम में दिये गये उपबंधों के उल्लघंन पर कड़ी सजा का प्रावाधन रखा गया है।

(ख) खतरे में पड़ी हुई अधिकांश जातियों के निर्यात व्यापार पर नियंत्रण कर लिया गया है, विशेषकर 1976 से, जब भारत वन्य वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं की खतरे में पड़ी हुई जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक सम्मेलन का सदस्य बना है ।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों तथा आश्रय स्थलों, जहां वन्य प्राणियों को सभी सभी संभव संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाकर उन वास-स्थलों का विस्तार किया जा रहा है, जहां वन्य-प्राणि विकसित हो सकते हैं ।

(घ) आश्रय-स्कूलों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य-प्राणि क्षेत्रों का प्रभावी एवं वैज्ञानिक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों में पृथक-पृथक वन-प्राणि स्कंध स्थापित किए जा रहे हैं ।

(ङ) खतरे में पड़ों हुई कुछ जातियों के कैप्टिव संवर्धन के लिए कुछ चिड़ियाघरों को प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान की जा रही हैं ।

2. देश में धन्य-प्राणियों की बदतर हालत को देखते हुए भारत में वन्य-प्राणि संरक्षण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए 1969 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया । इस समिति ने 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस समिति की सिफारिशों के अनुपालन में सरकार ने वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु उपर्युक्त उल्लिखित कदम उठाए हैं । इसके अतिरिक्त, वन्यप्राणी-संरक्षण, प्रबंध, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के संबंध में हमारी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के परामर्शदाता, डा० ए०डी० वीज ने तीन महीने के एक प्रारम्भिक मिशन अगस्त-अक्तूबर 1977 में पूरा कर लिया है और उन्होंने देश में वन्य प्राणियों के प्रबंध के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपनी वृहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उल्लिखित रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय कार्यवाही की जा रही है ।

3. भारतीय बाघों की बदहतर हालत को दृष्टिगत रखते हुए' भारत सरकार ने बाघों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गठित अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन की सिफारिशों को सन् 1969 में स्वीकार कर लिया है । जुलाई, 1970 में सम्पूर्ण भारत में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि वन्य जातियों की वर्तमान स्थिति का अध्यमन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया जाए, जिससे भारतीय बाघों को लुप्तप्रायः होने से बचाने के लिए उत्तम उपाय किये जा सकें । तदनुसार, भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 11 सदस्यों वाली एक कार्यदल का गठन किया, जो इस समस्या का ब्यौरा तथा भारत के जंगलों में बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना तैयार करेगी ।

4. कार्यदल ने 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह सुझाव दिया कि भारत में बाघों की व्यवहार्य संख्या बनाए रखने तथा भावी पीढ़ी की शिक्षा एवं मनोरंजन हेतु राष्ट्रीय सम्पादा के एक अंग के रूप में ऐसे क्षेत्रों को भविष्य में सुरक्षित बनाए रखने के लिए, एक बाघ स्कीम परियोजना आरम्भ की जानी चाहिए ।

5. भारत सरकार ने कार्य दल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और 1973 में केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम के रूप में बाघ परियोजना को आरम्भ किया गया। आरम्भ में, इस योजना को असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के नौ चुनींदा व्यवहार्य सुरक्षित स्थानों में क्रियान्वित किया गया। हाल में, इस योजना के अंतर्गत केरल के परीयार तथा राजस्थान के सरिसका नामक दो क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

6. जहां तक भारतीय शेर का संबंध है, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि गुजरात को सारे विश्व में गिर वन्य प्राणि आश्रय स्थल जीव जन्तुओं के संबंधमें न केवल समूचे देश बल्कि सारे विश्व में सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि एशिया के शेरों का यह एक मात्र निवास स्थान है,, प्रकृति एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त वन्य प्राणि संरक्षण विषयक विशेषज्ञ समिति ने क्रमश: 1969 तथा 1970 में इस बात की सिफारिश की कि भारतीय शेर को पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए तथा इसके वासस्थल में सुधार लाया जाना चाहिए।

7. उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 1972 में गिर शेर आश्रय स्थल के विकास की एक विस्तृत परियोजना आरम्भ की जिसे काफी सफलता मिली है तथा गिर शेर का भविष्य सुरक्षित हुआ है, जिसके फलस्वरूप इसके साथ-साथ गिर मलधारियों, जिनके पालतु पशुओं को गिर आश्रय स्थल के गिर शेर खा जाते थे, के हितों की भी रक्षा हुई है। मूल गिर मालधारियों को घर एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करके आश्रय स्थल के बाहर नई आबादियों में पुन: बसाया गया है। जिन मालधारियों के पशुओं को शेरों द्वारा मार दिये जाने पर उन्हें मुवावजा भी दिया जाता है ताकि वे शेरों को जहर न दें। आश्रय स्थल क्षेत्र में सभी वाणिज्यिक वानिकी कार्यों को बंद कर दिया गया है तथा वास स्थल में केवल सुधार संबंधी कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गिर-शेर परियोजना के तहत आश्रय स्थल के चारों तरफ एक मीटर ऊंची चिनाई की दिवाल बनाकरके गिर आश्रय स्थल में बाहरी पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

8. गिर शेर आश्रय स्थल के विकास के लिए भारत सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 16 31.500 रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी है।

नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरंभ की गई परियोजनायें

5786. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नेपाल में आरम्भ की गई अथवा आरम्भ की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये सभी परियोजनाएं कब प्रारम्भ की गई थी ;

(ग) क्या इस बारे में कोई समय सूचि निर्धारित की गई थी कि इन परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है ;

(घ) क्या ऐसी कोई परियोजनाएं हैं, जो निर्धारित मयय सूची के अनुसार पूरी नही की जा सकी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या नियमों के अनुसार परियोजनाओं की बढ़ाई गई अवधि के लिए नेपाल स्थित कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तो का सरकार ने पुनर्विलोकन किया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (च) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेपाल में काम करने बाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बदलने की माँग

श्री भानू कुमार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नेपाल में कुल कितने अस्थायी/स्थायी कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 3 से 15 वर्षों की सेवा के पश्चात भीं अस्थायी हैं ;

(गे) उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने संबंधी नियम क्या हैं ;

(घ) नियमों/सेवा शर्तों की प्रति सभा पटल रखी जाए ;

(ङ) क्या उवकी सेवा शर्तों के बारे में नियमों का उल्लंघन किया गया है ;

(च) क्या सरकार को उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्दीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप में अस्थायी नामक कोई श्रेणी नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : इन कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वे सब अस्थायी आधार पर भर्ती किए गए थे ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) नेपाल निवासी कर्मचारियों ने पुष्टिकरण के संबंध में विशेष तौर पर अभ्यावेदन नहीं दिया है । तथापि, वे इस संबंध में अभ्यावेदन देते रहे हैं कि उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारियों के रूप में घोषित किया जाए ।

(छ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि विमानों की डिलिवरी न लिए जाने के कारण हिन्दुस्तान एरीनाटिक्स लिमिटेड की क्षमता का उपयोग न होना ।

5788. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वर्ष 1976 में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की 100 कृषि विमानों का ठेका दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने विमानों की डिलीवरी ले ली गई है;

(ग) क्या वर्ष 1977-78 में दिए जाने वाले 8 विमान तैयार है और उनकी डिलीवरी नहीं ली जा रही है जिसके निर्माताओं को भंडारण और रखरखाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) निर्मित और तैयार विमानों की डिलीवरी लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय शेष विमानों के लिए आर्डर नहीं दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप निर्माण क्षमता बेकार रहने के अतिरिक्त विकास, औजारों और सामग्री पर लगाई गई करोड़ों रुपए की पूंजी बेकार और अनुत्पादक पड़ी है; और

(च) यदि हां, तो क्या उपाय किए जा रहे हैं जिससे उपरोक्त राष्ट्रीय हानि न हो ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 100 फिक्सड विंग वायुयानों की खरीद हेतु आदेश दिया गया था, जिसमें से 34 वायुयान आरम्भिक चरण में सप्लाई करने का करार था ।

(ख) 26 वायुयानों की सप्लाई प्राप्त कर ली गई है ।

(ग) तथा (घ) चूंकि फिक्सड विंग वायुयानों के लिए पर्याप्त कार्य नहीं है, इसलिए यह मंत्रालय फिलहाल इन 8 वायुयानों की डिलीवरी नहीं लेना चाहता ।

(ङ) तथा (च) कृषि मंत्रालय का विचार है कि बसंत वायुयान हेतु अतिरिक्त आदेश तब तक देना सही न होगा जब तक कि वर्तमान फ्लीट का समुचित उपयोग नहीं होता तथा अतिरिक्त बसंत वायुयानों हेतु पर्याप्त कार्य के तर्कसंगत आसार नहीं दिखाई देते ।

पिछड़े राज्यों को सिंचाई के लिए विशेष सहायता

5789. श्री वी० जी० हांडे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कृषि के लिए 10 प्रतिशत सिंचाई सुविधा दी है; और

(ख) क्या सिंचाई के लिए पिछड़े राज्यों को कोई विशेष सहायता देने का सरकार का कोई विशेष कार्यक्रम है ताकि कुल कृषि भूमि के 25 प्रतिशत सिंचित भूमि के संबंध में राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त किया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के ढांचे के अंदर क्रियान्वित की जाती हैं ।

मार्च, 1978 तक महाराष्ट्र में 25.99 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता आंकी गई थी (जिसमें से 11.44 लाख हैक्टेयर बृहद/मध्यम स्कीमों से और 14.55 लाख हैक्टेयर लघु वर्क्स से थी), जो कुल फसलो क्षेत्र (1975-76) का लगभग 13.5 प्रतिशत थी ।

सिंचाई कार्यक्रम में वृद्धि करने के लिए वार्षिक और मध्यावधिक योजनाओं में यथासंभव अधिक से अधिक संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं । मध्यावधिक योजना (1978-83) में वृहद और मध्यम स्कीमों के लिए राज्य द्वारा 920.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है । लघु सिंचाई सेक्टर में भी पर्याप्त परिव्यय प्रस्तावित है । प्रस्तावित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता क्रमश: 7.36 लाख हैक्टेयर और 3.50/लाख हैक्टेयर है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में महाराष्ट्र के छः जिले नामशः अहमद। नगर, शोलापुर, नासिक, सांगली, सतारा और पुणे आते हैं । केन्द्र दो मध्यम सिंचाई स्कीमों नामश: अहमदनगर जिले में मनोवल और सांगली जिले में वासण्पावाडी के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दे रहा है । इन दो स्कीमो के लिए अनुमानित 284.18 लाख रुपए की लागत की तुलना में, सितम्बर, 1978 तक 115.87 लाख रुपए व्यय हो चुके थे ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई स्कीमों के बारे में केन्द्र 50 प्रतिशत लागत वहन करता है । 1974-79 के दौरान 1302.88 लाख रुपए के परिव्यय की स्कीमें स्वीकृत की गई थीं और सितम्बर, 1978 तक 577.48 लाख रुपए व्यय किए गए थे ।

केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र को 36.10 करोड़ रुपए की विशेष अग्रिम योजना सहायता भी दी गई थी (30.10 करोड़ रुपए वर्ष 1975 ले 1978 तक के दौरान चुनी हुई बृहद/मध्यम परियोजनाओं में तेजी लाने और 6.00 करोड़ रुपए 1977 से 1979 तक के दौरान निर्माणाधीन सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए) ।

कृषि उपकरणों के आयात पर रोक

5790. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि उपकरणों के आयात पर लगी रोक को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मरीचझापी, पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की दशा

5791. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से मरीचझापी के उन शरणार्थियों की दशा के बारे में कोई विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो पहले दण्डकारण्य परियोजना से हटाये गए थे;

(ख) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा रवैया क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त रिरोर्टों के अनुसार, अपने स्थान छोड़कर आए लगभग 2,000 परिवार मरीचझापी में रह रहे हैं जो कि एक आरक्षित वन क्षेत्र है। ये परिवार पेड़ गिराने, लकड़ी बेचने भूमि का वितरण आदि करने जैसे गैर-कानूनी क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। उस क्षेत्र में उद्वस्तु उन्नयनशील समिति द्वारा प्रायः एक समानान्तर सरकार स्थापित कर दी गई है और समिति वहाँ सिविल प्रशासन को भी कार्य करने नहीं दे रही है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि स्थान छोड़कर आए इन सभी परिवारों को दण्डकारण्य और अन्य पुनर्वास स्थलों पर वापस भेजने के लिए समझाया बुझाया जा रहा है।

(ख) और (ग) विस्थापित व्यक्तियों के वापस आने के लिए निर्धारित की गई 31 मार्च, 1979 की अन्तिम तारीख के औचित्य के सम्बन्ध में सहमति देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया था कि यद्यपि वे उस तारीख तक स्थान छोड़कर आए शेष परिवारों को वापस भेजने के लिए अपने सभी प्रयास जारी रखेंगे फिर भी इस तारीख का दृढ़ता से पालन न किया जाए। इसके उत्तर में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि जबकि भारत सरकार ने पर्याप्त रूप में लचीला दृष्टिकोण अपनाया है लेकिन स्थल छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई भूमियों और मकानों को अनिश्चितकाल तक खाली नहीं रखा जा सकता है और उन्हें

किसी भी दशा में, लाभप्रद उपयोग हेतु आगामी खरीफ मौसम से पूर्व, उन अन्य विस्थापित व्यक्तियों को अलाट करना होगा जो लम्बे समय से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि स्थान छोड़कर चले गए शेष परिवार वस्तुस्थिति समझते हुए खरीफ की आगामी फसल के अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु समय पर वापस आ जाएंगे। अभी हाल ही में, पश्चिमी बंगाल से 214 परिवार दण्डकारण्य तथा अन्य पुनर्वास स्थलों पर वापस आ गए हैं।

चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त सुझाव

5792. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अगस्त, 1978 के बाद में महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अनेक सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव किस प्रकार के हैं; और

(ग) इन सुझावों में से प्रत्येक सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) विनियंत्रण के बाद चीनी के मूल्यों में लगातार गिरावट आने के संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 16 नवम्बर, 1978 को प्रधान मंत्री का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें चीनी फैक्ट्रियों की विभिन्न समस्याओं की हल करने के बारे में सुझाव दिए गए थे। हाल ही में चीनी के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आयी है और वे ऐसे स्तर पर चल रहे हैं जिन्हें उद्योग की सक्षमता के लिए उपयुक्त समझा जाता है। मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

मासिक निर्मुक्ति तंत्र

इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है लेकिन चीनी फैक्ट्रियों ने मार्च, 1979 से निर्मुक्तियों की स्वैच्छिक प्रणाली को पहले ही लागू कर दिया है।

बफर स्टाक का सृजन करना :

यह निर्णय किया गया कि 5 लाख मीटरी टन का एक बफर स्टाक तैयार किया जाए और उसके तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

पिछले बचे स्टाक पर सुगम ऋण और कार्यकारी पूंजी :

चीनी के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि की दृष्टि में इस प्रकार की रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है।

टैरिफ मूल्य में कमी करना :

चीनी के टैरिफ मूल्य में विनियंत्रण के बाद जनवरी, 1979 से लगातार कमी कर दी गई है और उसे 215 रूपये प्रति क्विंटल से घटाकर 180 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

निर्यात कोटा और निर्यात :

वास्तव में 1978 के दौरान भारत के 6.5 लाख मीटरी टन के पूरे कोटे को, मामूली मात्रा को छोड़कर, निर्यात कर दिया गया था। वर्तमान वर्ष का कोटा भी पूरा निर्यात किया जाएगा। राज्य व्यापार निगम के अलावा, चीनी फैक्ट्रियों को भी चीनी का सीधा निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन उसके लिए कोई राजसहायता अनुमेय नहीं है।

सम्पथ समिति की रियायतें :

विनियंत्रण के बाद परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि में सम्पथ समिति की रियायतों का पुनः हिसाब लगाने के लिए गठित अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह विचाराधीन है।

शीरे का निर्यात :

शीरे के निर्यात को पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन कर दिया गया है।

इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कामन कन्ट्रोल टेलीफोन उपकरण का निर्माण

5793. **श्री आर० के० महालगी :**
डा० बसन्त कुमार पंडित :
श्री वी० जी० हांडे :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कामन कंट्रोल टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उचित स्थानों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने महाराष्ट्र के कुछ स्थानों के बारे में विचार किया है ;

(ग) क्या प्रस्तावित फैक्टरी को स्थापित करने के सम्बन्ध में साइकम के प्रतिवेदन को 21 नवम्बर, 1978 को भारत सरकार के पास भेजा गया था ;

(घ) उपरोक्त प्रदिवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और कार्यवाही कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) इलैक्ट्रो-मैकैनिकल कामन कंट्रोल टेलीफोन उपस्कर बनाने के लिए कारखाना स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) स्थान चयन समिति ने महाराष्ट्र में सांगली-मिराज को इस उद्देश्य से उपयुक्त स्थान माना है ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर, 1978 में लिखे अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम ने इस कारखाने को स्थापित करने के उद्देश्य से मराठवाड़ा के औरंगाबाद और जालना का अध्ययन किया है ।

(घ) और (ङ) क्रासबार इलैक्ट्रो-मैकैनिकल कामन कंट्रोल स्विचिंग कारखाने के लिए स्थान चुनने के मामले में विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं ।

मेढक पालन

श्री आर० के० महालगी : कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेंढक-पालन के तरीके ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तों तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उपयुक्त क्षेत्रों में मेंढक-पालन केन्द्र स्थापित करके मेंढक पालन को बढ़ावा देने की कोई योजनायें बनाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मेंढक पालने की उपयुक्त तकनीकों को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अन्तःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और कटक (उड़ीसा) में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं ।

(ख) इस प्रायोजना के अन्तर्गत उपयुक्त नर्सरी प्रबन्ध के माध्यम से मेंढक के जीरे के व्यापारिक उत्पादन के लिए मेंढक सेने के काम्पलेक्स के विकास और आरम्भिक चरणों में मेंढक के इष्टतम उत्पादन की संभावनाओं की खोज करने के लिए कुछ प्रयोग का एक समूह तैयार किया गया है । प्रयोगों के एक दूसरे समूह के अन्तर्गत विभिन्न आहारों जैसे जलीय पौधों, केचुओं तथा कीड़ों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । यह काम अभी प्रयोग की अवस्था में है और इस के परिणाम अभी बड़े पैमाने पर क्षेत्रों में लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्र तटवर्ती जल में मछली पकड़ने के अधिकारों के बारे में विवादों का निपटान

5795 **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तटवर्ती जल में मछली पकड़ने के अधिकार सम्बंधी विवाद का समाधान करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय ने सचिव को तैनात किया है :

(ख) यदि हां, तो मछुओं और ट्रालर चालकों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण और उसका उपयोग

5796. **श्री राजशेखर कोल्लर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत जल संसाधनों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया हैं,

(ख) यदि हां, तो सिंचाई प्रयोजनों के लिए अनुमानित क्षमता कितनी हैं,

(ग) इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग नलकूपों द्वारा किया जा रहा है, और

(घ) भूमिगत जल संसाधनों की और खोज करने और उसके उपयोग के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : जी, हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमिगत जल संसाधनों से सिंचाई विकास के लिए 400 लाख हैक्टार क्षमता के उपलब्ध होने का अनुमान है ।

(ग) अनुमान है कि 1977-78 के अंत तक खुदाई के कुओं, नलकूपों आदि भूमिगत जल संसाधनों से 198 लाख हैक्टार की सिंचित क्षमता का सृजन हुआ है ।

(घ) भूमित संसाधनों की और खोज करने के प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित हैं :—

1. सूक्ष्म स्तर पर कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जब बोर्ड द्वारा जल संतुलन अध्ययन व भूमिगत जल सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

2. राज्य भूमिगत जल निदेशालय/संगठनों द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर भूमिगत जल सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत इस समय राज्य संगठन कमजोर हैं, उन्हें सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

भूमिगत जल क्षमता के उपयोग के लिये निम्न उपाय किए जा रहे हैं :—

1. भूमिगत जल विकास अधिकतर संस्थागत निवेश पर निर्भर करता है, अत: संस्थागत निवेश में वृद्धि करने का प्रयत्न है ।

2. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में, जहां विकास की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता है, भूमिगत जल के विकास को तेज करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

3. कुओं तथा नलकूपों सहित निजी लघु सिंचाई के निर्माण कार्यों के लिए राज-सहायता पहले लघु कृषक बिकास एजेंसी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में ही दी जाती थी । राज-सहायता निम्नलिखित दर पर उपलब्ध थी :—

1-2 हैक्टार जोत रखने वाले छोटे किसान	25 प्रतिशत
1 हैक्टार से कम भूमि रखने वाले सीमांत किसान	$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत
सामुदायिक निर्माण कार्य के लिए	50 प्रतिशत

अब यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय क्षेत्र से निजी लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए देश के सभी क्षेत्रों में राज-सहायता दी जाए । आदिवासी किसानों के लिए अलग-अलग निर्माण कार्यों के संबंध में राज-सहायता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। 2-4 हैक्टार की जोत रखने वाले किसानों को भी राज-सहायता उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ।

4. जो छोटे/सीमांत किसान व्यक्तिगत आधार पर निर्माण कार्यों के स्वामी नहीं बन सकते, उन्हें इस कार्य का लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक/सामुदायिक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

5. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को यथा-सम्भव अधिक से अधिक बढ़ाया जा रहा है ।

6. जिन क्षेत्रों में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और जहां निजी नलकूपों के विकास की सम्भावना नहीं है, वहां सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सार्वजनिक नलकूपों पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

चीनी की प्राप्ति और औसत उत्पादन-लागत

5797. **श्री के० ए० राजन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सभी प्रभारों और मूल्य ह्रास को सामिल करके सभी चीनी कारखानों के लिए वर्ष 1977-78 की चीनी की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) नवम्बर के महीने में चीनी पर प्रति क्विंटल औसत प्राप्ति कितनी रही है; और

(ग) वर्ष 1979 के दौरान उत्पादन शुल्क को छोड़कर चीनी कारखानों को कितना शुद्ध मूल्य प्राप्त होने की सरकार को आशा है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह : (क) राज्य (जोन)

औसत उत्पादन लागत (रु०/क्विंटल)

(1) **उत्तर प्रदेश**	
(I) पश्चिमी उत्तर प्रदेश	221
(II) मध्य उत्तर प्रदेश	220
(III) पूर्वी उत्तर प्रदेश	230
(2) **बिहार**	284
(I) उत्तरी बिहार	218
(II) दक्षिणी बिहार	
(3) महाराष्ट्र	

(ख) 18.126 रुपये प्रति क्विंटल

(ग) उद्योग द्वारा मौसम के समस्त उत्पादन को बेचने के बाद ही वर्ष, 1979 की अन्तिम स्थिति के बारे में पता चल पाएगा और तब भी तकनीकी कार्यकुशलता, परिचलन सम्बंधी तत्व, वित्तीय स्थिति, बिक्री से प्राप्तियों आदि जैसी कई एक बातों पर निर्भर करते हुए प्रत्येक फैक्ट्री में प्राप्ति भिन्न भिन्न होगी।

'काम के बदले आनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात किया गया आनाज, उसकी किस्म और उसका मूल्य

5798. **श्री बी सी. कांवले** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृया करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में कितनी असफलता मिली है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए काम में लाया गया कितना और किस किस्म का आनाज विदेशों से किन शर्तों पर मंगाया जाता है;

(ग) काम के बदले ऐसे आनाज की कौन सी किस्म किस मूल्य पर दी जाती है; और

(घ इस प्रयोजन के लिए अच्छे किस्म का अनाज देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत पैदा किए गए रोजगार तथा भौतिक उपलब्धियों के बारे में उपलब्ध राज्य-वार सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न हैं।

(ख) भारत सरकार के काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के खाद्यान्न आयात नहीं किए जाते हैं।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की किस्म उचित औसतन क्वालिटी की है। 1978-79 के दौरान मजदूरी के लिए मूल्य परिकलन करने हेतु दरें निम्न प्रकार हैं :

गेहूं	110 रुपए प्रति क्विंटल
चावल मोटा (छोटा चावल)	115 रुपये प्रति क्विंटल
चावल मध्यम (लम्बा मोटा)	130 रुपये प्रति क्विंटल

(घ) भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी मामले में कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों की किस्म उचित औसतन क्वालिटी से नीचे नहीं होनी चाहिए। राज्य अधिकारियों को भी यह सलाह दी गई है कि वे निम्न स्तर के खाद्यान्नों को स्वीकार न करें।

विवरण

1977-78 तथा 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत पैदा किए गए रोजगार तथा सृजित भौतिक परि सम्पत्तियों के बारे में राज्यवार सूचआ दर्शानेवाला विवरण ।

(26-3-79 की स्थिति)

राज्य का नाम	पैदा किया गया रोजगार (लाख श्रम दिन)		सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां	
	1977-78	1978-89	1977-78	1978-79 (सितम्बर 1978 तक)
1.	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	—	49.392	—	1056 कि० मी० (बनाई गई सड़कें), 859 कि० मी० (बजरी विछाई गई सड़कें),311,27 कि० मी० (पक्की की गई सड़कें)292 सामु० वि० निर्माणकार्य, 134 लघु सिंचाई कार्य— 735 एकड़ क्षेत्र, 16 नए स्कूलों भवनों का निर्माण तथा 154 की मरम्मत का कार्य ।
2. असम	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
3. बिहार	14.76	77.720	510 कि० मी० सड़कें,488 हैक्टर (लघु सिंचाई), 40 हैक्टर (भू- संरक्षण 2650 हैक्टर वाढ़-सुरक्षा, भूमि कार्य 418.60 लाख घन फुट	2334 कि० मी० सड़कें, 12566 हैक्टर लघु सिंचाई, 1200 हैक्टर (बाढ़ सुरक्षा), 19 हैक्टर (भू-सरक्षण), 1488.93 लाख (घन फुट) भूमि-कार्य,1163 कि० मी० पौध-सुरक्षा तथा पौध-रोपण, 24.07 हैक्टर नर्सरी, 365.32 कि० मी० की निराई, 200 हैक्ट० सिंचाई ।

1.	2	3	4	5
4. गुजरात	—	37.760	—	वृहत् मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यो के अन्तर्गत 29488 हैक्टर का रख-रखाव तथा मरम्मत, वृहद मध्य तथा लघु सिंचाई कार्यो के अन्तर्गत 96000 से० मी का खुदाई कार्य, 172092 से० मी० भूमि कार्य, 1356 कि० मी० में नए पौधे, 2319 हैक्टर में नए पौधे, 927 कि० मी० तथा 4155 हैक्टर पौधों का रख-रखाव, प्लान वीडिंग 1440 है, 1 लाख पौर्चो की भराई तथा 25 लाख पौधों को पानी देना, 135912 कि0 मी० सड़क का रख-रखाव तथा सुधार, 1500 हैक्टर में खेतों की नालियों का निर्माण-कार्य, 500 हैक्टर में समतलीकरण का निर्माण कार्य ।
5. हरियाणा	—	अप्राप्य	—	अप्राप्य
6. हिमालय प्रदेश	0.70	1.205	रख-रखाव तथा नए कार्य के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए ।	17 रख-रखाव निर्माण कार्य तथा 18 नए निर्माणकार्य पूरे किए गये ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए ।
7. कर्नाटक	5.02	0 868	32 लघु सिंचाई कार्य, 1743 हैक्टर पर 21 एकड़ों में पौध रोपण कार्य, 570 हैक्टर पर पौधरोपण का रख-रखाव, 1837 कि० मी० अग्नि	44 लघु सिंचाई टेंकों की मरम्मत की जा रही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यो के रख रखाव में खाद्यानों का उपयोग किया गया सूचना अधूरी है, 693.35 हैक्टर में पौध

1.	2	3	4	5
			सुरक्षा के लिए 210 हैक्ट में अग्नि खाइयां, 1000 हैक्टर में खाई खोदना ।	रोपण का रख-रखाव ।
8. केरल	21·43	11.682	1279 हैक्टर में लघु सिंचाई, 504 हैक्टर में वाढ़ सुरक्षा, 651 कि० मी० सड़क निर्माण, 12 हैक्टर आई० आर०, 15 हैक्टर भू-संरक्षण, 15 हैक्टर में वनरोपण ।	वृहत तथा सिंचाई निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत 49 हैक्टर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, 12 नवीकरण कार्यों को पूरा किया गया तथा 97 निर्माण कार्य चल रहे हैं, 120 कि० मी० लम्बे गांवों को पूरा किया गया, 84.56 मि० मी० लम्बाई की सड़क पूरी की गई सड़कों तथा राज्य के राजमार्गों के निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 93,27 कि०मी० लम्बी सड़क पूरी की गई तथा सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं ।
9. मध्य प्रदेश	व्यक्तियो की संख्या 220000	अप्राप्य	244 सड़कें, 279 तालाव, 32 स्कूल भवन, 408 वनरोपण	1662 स्थानीय विकास निर्माण कार्यों का रख-रखाव, 522 मभी वाले निर्माण-कार्य ।
10. महाराष्ट	अप्राप्य	*28.100	अप्राप्य	172 लघु सिंचाई तालाब, 412 अन्त: श्रवण तालाब, 18 अन्य लघु सिंचाई निर्माण-कार्य पूरे किए गए, 2,55,000 हैक्टर भूमि पर कण्टूर बांध बनाए गए, 1660 नाला बांध का निर्माण कार्य पूरा किया गया, 1990 किलो मीटर लम्बी सड़कें पूरी की गई, बड़ी तथा मध्यम परियोज-

1	2	3	4	5
				नालों के क्षेत्र की 29,000 हैक्टर भूमि का विकास पूरा किया गया ।
11. उड़ीसा	68.69	175.640	17022 हैक्टर में लघु सिंचाई 16400 हैक्टर में बाढ़ सुरक्षा, 36 कि० मी० लम्बे तटबन्धों की मरम्मत की गई, 18700 हैंक्टर भू-संरक्षण के लिए, 1275 हैक्टर इको प्लान्ट 11 खड्ड नियंत्रण कार्य, 53000 हैक्टर भू-संचरण 70 हैक्टर में काजू के पौधे लगाए जा रहे है, 22400 कि० मी० लम्बी सड़क की मरम्मत गई, 250 कि० मी नई सड़क का निर्माण किया गया, 140 हैक्टर में शीघ्र उगने वाली प्रजातियों तथा प्राकृतिक संरक्षण ।	1015 लघु सिंचाई परियोजना का रख-रखाव, 905301 घन मी० भूमि कार्य, 3885 कि० मी० सड़क का निर्माण तथा रख रखाव, 9988 एकड़ में काजू के पौधे, 32 एकड़ों द्वारा 100 हैक्टर में इको-प्लान्ट, 3 जल मार्ग तथा 130 नालियां, 344 स्कूल भवन, 24 तालाबों का नवीकरण,307 कुओं का निर्माण, 234.50 कि० मी० तटबन्धों का रख-रखाव तथा मरम्मत ।
12. पंजाब	0.14	9.151	600 वर्ग फी० कंकरीट पटरी, 730 वर्ग फीट ईट की पटरी, 1072 आर० एफ० टी० एस डब्ल्यू पाइप क्षेत्र, 11 आर एफ टी० आर सी० सी० पाइप सीवर, 505 फीट लम्बी जल आपूर्ति पाइप लाइन ।	38 हैक्टर एस सी० निर्माण कार्य, 124.22 कि० मी० भूमि का विकास, पी० डब्लू डी० वी० एण्ड आर, 26.90 प्रतिशत, 43 47 प्रतिशत पी० डब्ल्यू डी० (आर० डब्ल्यू एस) 262.65 मीटरी टन ।

1	2	3	4	5
13. त्रिपुरा	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
14. अत्तर प्रदेश	58.19	27 953	723 कि० मी० भूमि कार्य 54 कि० खन्जरों के किनारे पर ईट, वनरोपण 75 हैक्टर, 2112 कि. मी. सड़क निर्माण तथा अन्य रख-रखाव के निर्माण कार्य ।	355 कि० मी० भूमि निर्माण कार्य, 94 कि० मी0 सड़क के किनारे पर ईट, 989.28 कि. मि. सम्पर्क सड़कें, 1800 हैक्टर के पौध-रोपण ।
15. राजस्थान	6.87	53.76	31 लघु सिंचाई निर्माण कार्य पूरे किए गए, 15100 हैक्टर में लघु सिंचाई, 3900 हैक्टर में वन पुनर्स्थापन कार्य, 457 कि. मी. सड़कें ।	अप्राप्य
16. पश्चिम बंगाल	—	0.011	—	11658 कि० मी० लम्बी सड़कों में सुधार नई योजनाओं द्वारा तथा पुरानी योजनाओं में सुधार करके बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई के अन्तर्गत 20130 हैक्टेयर को लाभ पहुंचा,453 कि० मी० लम्बे तटबन्धों में सुधार, 660 हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, 905 स्कूल तथा सामुदायिक भवनों में सुधार किया गया।

1	2	3	4	5
17. मिजोरम	—	0.011		13 स्कूल भवनों तथा 3 मेला पुलों का निर्माण, 25 सार्वजनिक भवनों का निर्माण, 21 खेल कूद के मैदानों, 14 तालाबों का निर्माण तथा दस्तकारी केन्द्र, 8 कि० मी० लम्बी नई सड़क का निर्माण ।
	394.23	540.898		
	(220000 व्यक्ति)			

टिप्पणी—वर्ष 1977-78 के दौरान काम के बदले आनाज कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा तथा मिजोरम की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया था ।

* 31-12-79 के अन्त तक की अवधि से सम्बन्धित।

चिल्ला गाँव, शाहदरा: दिल्ली के हरिजनों और भूतपूर्व सैनिकों की भूमि का अधिग्रहण

5799. श्री दयाराम शाक्य : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या चिल्ला गांव, शाहदरा बार्डर, दिल्ली 91 में भूमिहीन हरिजन और भूतपूर्व सैनिको के 40 परिवारों को प्रति परिवार एक एकड़ के हिसाब से 10 अप्रैल, 1974 को भूमि आबंटित की गई थी और पांच साल के लिए उनके राजस्व का भुगतान कर दिए जाने के बाद ही उन्हें पट्टे की रसीदें जारी की गइ थी और एक साल बाद उसी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था।

(ख) क्या खेती योग्य बनाने के लिए इन लोगों ने जमीन और नलकूपों पर हजार रुपए की धनराशि खर्च की थी परन्तु प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को प्रस्तुत बार बार के अभ्यावेदन और इस आशय के अधुरोध के बावजूद उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है कि उन्हें उस भूमि के बदले में भूमि या मुआवजा दिया जाय, परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमिहीन व्यक्तियों व भूतपूर्व सैनिकों के 40 परिवारों को चिल्ला गांव पंचायत द्वारा 10-4-74 को चिल्ला गांव में भूमि का आबंटन किया गया। प्रत्येक अबंटी को कृषि कार्य हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए एक एकड़ भुमि दी गई तथा प्रत्येक आबंटी से पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिए पट्टा राशि के खप में 27.75 रु० वसूल किए गये। यह भूमि दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा अपने उपयोग हेतु अधिग्रहित की गई थी तथा इस भूमि का कब्जा अधिकरण को 6-11-74 को दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : आबंटी आबंटित भूमि में सुधार हेतु मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 26 के अन्तर्गत भूमि में ऐसे सुधार केवल गांव पंचायत की लिखित अनुमति से किए जा सकते हैं तथा सुधार करने से पहले आबंटियों द्वारा ऐसी लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, तथापि आबंटियों ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु मुकर्रर मुआवजे के सम्बन्ध में दावा किया तथा चूंकि, गांव सभा ने भी इस राशि के सम्बन्ध में अपना दावा किया है, इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 के अन्तर्गत इस मामले को पंच फैसले के लिए अतिरिक्त जिला जज के न्यायालय में भेजा गया है। इन व्यक्तियों में आवंटन हेतु "हिन्डन कट के पार गांव सभा की कुछ भूमि उपलब्ध है। परन्तु ये व्यक्ति यह भूमि लेने के इक्छुक नहीं हैं।

हरिजनों को कब्जे में न मिली भूमि के बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए पत्र

5800. एम: एन गोबिन्दन नायर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी के ग्रामीण अंचल के गांवो में हरिजनों को ऐसी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है जो उन्हें कानूनी रूप से अबंटित की जा चुकी है :

(ख) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में छपे ग्रामीण श्रमजीवी यूनियत के प्रधान के उस पत्र की ओर दिलाया गया है । जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल से ऐसे मामलों की जांच करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की गई है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां,

(ख) जी हां,

(ग) ज्ञापन में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सुल्तानपुर देबास जोन्ती और बांकनेर गांवों में गांव सभा की भूमि के आबंटन के बारे में उल्लेख किया गया है । अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

सुल्तानपुर दबास

14.6.1975 को गांव पंचायत ने हरिजनों को कृषि भूमि आबंटित की थी और उनको आबंटन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिए गए थे । उनसे एक वर्ष का लगान भी लिया गया था। आबंटियों को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया था और अंत में उनसे कहा गया कि भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता ।

जोन्ती

गांवा के भूस्वामियों ने गांव के प्लाट संख्या 336 से 339 और 341 से 344 पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें हरिजनों द्वारा बनाया गया कुआं और पशु- शेड आदि स्थित थे ।

बाँकनेर

लगभग दो वर्ष पूर्व 700 हरिजनों ने आवास स्थानों के आबंटन के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से पैसा दिया था, परंतु उनको गांव से दूर आवास स्थल आबंटित किए गए और गांव के पास की जमीन पर भू स्वामियो ने कब्जा कर लिया ।

अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर स्थिति इस प्रकार है ।

1. **सुल्तानपुर दबास**

गांव पंचायत ने गांव सभा की भूमि को 158 हरिजनों के बीच आबंटित किया था परन्तु बाद में यह पाया गया कि भूमि का उपयोग वनरोपण के लिए किया जा रहा था और उस समय

पदासीन उप-राज्यपाल ने उस क्षेत्र को हरी पट्टी के रूप मे रखने के लिए आदेश जारी कर दिए ये और इस कारण से हरिजनों को कब्जा नहीं दिया जा सकता। हरिजनों को पट्टे की राशि वापस करने के प्रश्न पर गांव पंचायत द्वारा विचार किया जा रहा है।

2. जोन्ती :

ज्ञापन में दिए गए प्लाट इस समय गांव मे किए जा रहे हैं चकबन्दी कार्यों से पहले खसरा नं० 701, 702/703, 704 और 732 में पड़ते हैं । राजस्व अभिलेखों में इस बात की कोई प्रविष्टियां नहीं हैं कि ये भूमि हरिजनों के अधिकार में थी, लेकिन यह क्षेत्र ग्राम सभा का दिखाया गया है। इस भूमि को प्लाटों में काट दिया गया है जिसका प्रयोग ग्रामीणों द्वारा आवासीय कार्यों के लिए किया जाएगा। 114 भूमिहीनों को प्लाट दिए जा रहे हैं। कुएं को हरिजनों के प्रयोग के लिए पृथक से दर्शाया गया है और उल्लखित मूमि में कोई रोड नहीं है !

3. बांकनेर

1976 में ग्राम पंचायत ने 850 आवासीव प्लाट भूमिहीनों तथा हरिजनों में वितरित किए थे। हरिजनों ने यह तर्क देते हुए भूमि का कब्जा नहीं लिया है कि ये भूमि उनकी बस्ती से काफी दूर पर है। आबादी के साथ वाली ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि इतनी कम है कि उसमें थोड़े से लोगों को भी नहीं बसाया जा सकता।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, अधिसूचना, उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु प्रांगणों का पंजीकरण) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 161 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4216/79]

(2) उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 212 (ङ) (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तया जिसमें भारत में किसी मिल में तिलहनों से निकाले गये तेलों पर उत्पाद शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4217/79]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 211 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1979 की खरीफ की फसल में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ पण्य उद्यानों की उर्वरकों के वितरण के बारे में उत्पादकों को निदेश दिये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4218/79]

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज वारेगल के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल शर रखता हूं :—

(1) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 564 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 10 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 207 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4219/79]

(2) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन **(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4220/79]

(3) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

दो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4221/79]

(4) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 22 दिसम्बर, 1978 को सभा पटल पर रखा था ।

(तीन) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4222/79]

भारतीय तार अधिनियम 1885 के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 31 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 287 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4223/79]

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार ऋणों के बारे में एक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकार उल्लाह) : मैं अप्रैल, 1979 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4224/79]

लोक लेखा समिति 100वाँ प्रतिवेदन

श्री पी० वी नरसिन्हा राव (हनायकोंडा) : मै रक्षा सेवाओं पर लोक लेखा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 100वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री बसंत साठे (अकोला) : लोक लेखा समिति द्वारा शतक पूर्ण करने पर बधाई हों।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 25वाँ प्रतिवेदन

श्री ज्योतर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारतीय पटसन निगम—भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में कमियों पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शाँति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री शाँति भूषण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चन्डीगढ़ इंस्टीटियूट में श्री जयप्रकाश नारायण के इलाज सम्बन्धी अल्वा आयोग का प्रतिवेदन

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर निम्नलिखित विवरण देना चाहता हूँ।

15 मार्च 1979 को स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्री ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण आपात स्थिति के दौरान जब आंसुका के अंतर्गत 1975 में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्सटीटयूट में नजरबंद थे उनकी समुचित चिकित्सा न किए जाने के कारणों की जाँच करने हेतु जिस एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी उसका अंतिम प्रतिवेदन दिए बिना ही सदस्य ने फरवरी 1979 को त्याग पत्र दे दिया। आयोग ने पिछले साल एक अतिरिक्त प्रतिवेदन दिया था जिसके कि सरकार ने सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जिसके बारे में मैंने उस दिन उल्लेख किया था।

श्री हरि विष्णु कामत : 15.3.1979 को मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि एक नए आयोग अथवा आयोग के नए चेयरमैंन की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

इन परिस्थितियों में और राष्ट्रीय हित के संदर्भ में सरकार को बिना और विलंब किए इस कार्य को पूरा करने के लिए, जो कि डा० नागप्पा एल्वा को सौंपा गया था, एक नए आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए या अल्वा आयोग का अंतिम प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन सभा पटल पर रखा जाए !

श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य में प्रगति से हम सबको खुशी है तथा हमें पूरी उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से उन्हें शीघ्र आराम होगा।

(दो) मध्य प्रदेश में कोयले की कमी का समाचार

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय विगत कई महीनों से प्रायः देश भर में कोयले की कमी के कारण कारखानों के समक्ष संकटमय स्थिति बनी हुई है। इस कमी से कोई भी प्रदेश वंचित नहीं है। किन्तु मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कठिनाई है। यद्यपि 1977 के बाद से कोयले पर कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन कोयले के परिवहन हेतु वैगनों का आवंटन संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता द्वारा किया जाता है और राज्य को पर्याप्त् मात्रा में वैगंज उपलब्ध न होने के कारण कोयले के परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों से उद्योगों व अन्य उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला उपलब्ध नहीं हो पाता है। परिवहन की इन कठिनाइयों से कोयले की कमी निर्मित होती है जिससे कि उद्योगों के उत्पादन तथा राज्य के औद्योगिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संयुक्त संचालक

यातायात (कोल) कलकत्ता वर्ष 1971 से इस राज्य को वैगज का आवंटन रह रहे हैं। वर्ष 1976 में स्टीम के कोल के 2200 वैगज प्रति माह इस राज्य को आवंटित हुए थे। वर्ष 1976 में कोटे पर से सीलिंग हटा लिया गया था और इकाइओं को मांग के अनुसार कोटा आवंटित किया गया था। सीलिंग हटाने के कारण राज्य की इकाइयों के द्वारा 3576 वैगंज प्रति माह की अनुशंसा की गई थी।

वर्ष 1978 से पुनः वैगंज का कोटा प्रारम्भ हुआ तथा संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता ने केवल 2000 वैगंज प्रतिमाह आवंटित किये जबकि मांग वार्षिक 27073 वैगंज की प्राप्त हुई थी। अस्तु प्राप्त आवंटन को समानुपातिक आधार पर राज्य की सभी इकाइयों को आवंटित किया गया। यह आवंटन इकाइयों की आवश्यकता से काफी कम था।

लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता अनुशंसित वैगनों की सीलिंग के बावजूद भी कटौती कर देते हैं और उनके स्तर से कटौती के अतिरिक्त अधीक्षक दक्षिण पूर्वी रेलवे बिलासपुर पुनः और कटौती कर देते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रेलवे अधिकारी इकाइयों के नाम पर आई हुई वैगनों को इकाइयों को न देते हुए दूसरी जगह प्रत्यावर्तित कर देते है।

इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग लगातार केन्द्रीय शासन और संबंधित अधिकारी को लिख रहा है कि राज्य को प्राप्त 24000 वैगंज प्रतिवर्ष के कोटे को बढ़ाकर 39000 वैगंज प्रतिवर्ष किया जाए जिससे कि औद्योगित इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके और दिए गए सीलिंग में कोई कटौती न की जाए। विभाग के स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए गए कि राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला वैगंज प्राप्त हो सकें किन्तु अभी तक वांछित फल नहीं मिल सका है। और प्रदेश को काफी संकठ का सामना औद्योगिक इकाइयों को कोयला समय पर ना देने से हो रहा है।

मैं सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में तुरन्त योग्य व प्रभावी व्यवस्था करें जिससे प्रदेश में व्याप्त कोयले की कमी का संकट दूर हो सके।

(तीन) दिल्ली की रिहायशी बस्तियों में शराब की दुकाने खोलने का समाचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने शराब की दुकानें डी एस आई डी सी के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में खोलने का निश्चय किया है। यह निर्णय तो अफसोसनाक है ही, इससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि यह दुकानें गुंजान बस्तियों के बीचो-बीच खोली जा रही हैं। इसका एक उदाहरण है—राजौरी गार्डन जी-8 क्षेत्र मायापुरी एम आई जी फलैटों में डी डी ए द्वारा बनाए गए सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की नई दुकान खोलना। यह सुविधाजनक केन्द्र बस्ती के बिल्कुल बीच में बना हुआ है और इस

प्रकार के केन्दों को फलैटों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैं जानता हूं कि क्या दिल्ली प्रशासन ने शराब को रोजमर्रा की आवश्यकता मान लिया है और वह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इस कालोनी में अधिकतर सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं और हाल में दो सौ करीब फलैटों को एस्टेट आफिस ने डी डी ए से खरीदा है और सरकारी कर्मचारियों को एलाट किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डी डी ए ने नियमों का उल्लंघन करके सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की दुकान खोलने के लिए किस आधार पर अनुमति दी है।

मुझे बताया गया है कि इस सिलसिले में कालोनी के प्रतिनिधि मंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री से भी भेंट की हैं तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री साहनी एवं अबकारी विभाग के कार्यकारी पार्षद श्री राजेश शर्मा और डा डी ए तथा डी एस आई डी सी के सम्बन्धित अधिकारियों से भी मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया है। इस सम्बन्ध में कालोनी की महिलाओं की प्रतिनिधि संस्था प्रगति महिला दल की ओर से उपराज्यपाल, प्रधान मंत्री जी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और नेताओं को जोरदार विरोधपत्र भेजे गए हैं, जिन में ऐसी दुकान खुलने पर महिलाओं द्वारा धरने दे कर शराब की बिक्री बन्द करवाने की बात भी कही गई है। इन सबसे यह स्पष्ट है कि वहां के लोग इस दुकान के खुलने से किस प्रकार चिन्तित हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए तो वहां खरीददारी के लिए जाना भी दूभर हो जाएगा।

अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का कष्ट करें और शराब की दुकानों को रिहायशी बस्तियों में न खोलने का दिल्ली प्रशासन को निदेश दें।

(4) श्री जे० बी० कृपलानी के स्वास्थ्य की स्थिति

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय का उल्लेख करता हूं :

राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक भारतीय राजनीति के भीष्मपितामह श्री आचार्य जे० बी० कृपलानी विगत् कई महीनों से अस्वस्थ हो कर लगभग रोग शय्या पर थे। हाल में उनकी स्थिति बिगड़ कर चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गई है और विगत 28-3-79 को उन्हें अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। समूचे राष्ट्र का उद्विग्न मन आपके प्रतीक की ओर चला गया है और उनकी नजर अहमदाबाद के अस्पताल पर लगी है।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए उनके स्वास्थ्य की अदयतन स्थिति से सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलम्ब दादा को दिल्ली के आल इंडिया इंस्टीट्यूट या बम्बई के अस्पताल में दाखिल करे तथा उनके इलाज की व्यवस्था राष्ट्रीय कोष से करने का ऐलान करें।

पांच. डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म दिन पर छुट्टी

श्री एस० एस० लाल (बयाना) : मैं नियम 377 के अधीन अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूं। 14 अप्रैल को प्रति वर्ष बाबा साहब अमेदकर के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित किया जाये। उन्होंने गरीब जनता के लिए क्या किया तथा यह लोग उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को छोड़ कर सभी महान व्यक्तियों और संतों के जन्म दिवसों पर अवकाश रहता है और यह भारत सरकार की घोषित नीति रही है।

छः. बम्बई क्षेत्र में मिट्टी तेल की कमी का समाचार

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय तथा सभा का ध्यान मिट्टी के तेल की अत्यन्त कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ मुख्य उद्योग जैसे वस्त्र, उर्वरक रसायन उद्योग के पास काम चलाऊ स्टॉक है। वे अपनी दिन-प्रति दिन की आवश्यकताओं के लिए स्टाकिस्टों के चक्कर लगा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पूर्ति में एक दिन के विलम्ब से भी उद्योग बंद हो सकते हैं। उत्पादन तथा रोजगार पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। मंत्री महोदय स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

श्री वसंत साठे : मुझे उत्तर के लिए कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर मुझे प्राप्त हो गया है।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मैंने नियम 377 और 193 के अधीन आसाम में गेहूं, चावल, कोयला, सीमेंट की कमी के बारे में नोटिस दिया था। यदि उस पर अनुमति नहीं दी जाती तो मैं कल 12 बजे से सत्याग्रह कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राज कृष्ण डान : श्रीमान, मैंने भी नियम 377 के अधीन बंगाल में मिट्टी के तेल बिजली तथा कोयले के अभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया था जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों में गहरा असंतोष है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कल आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मैं कई बार नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक असाम के बारे है।

अनुदानों की मांगें, 1979-80 विदेश मंत्रालय जारी

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डु) : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिन मैं विदेशों में प्रचार की चर्चा कर रहा था। इस अपने विदेशी प्रचार को नया रूप देने की आवश्यकता है जो कार्य कि हम पहले ही कर रहे हैं।

पासपोर्ट के मामले पर भी मैं सभा को कुछ जानकारी देना चाहता हुं। नयी सरकार के संभालने से मांग की जा रही है कि पासपोर्ट नीति को उदार बनाया जाना चाहिए। पासपोर्ट जारी की जाने की संख्या 1974 में 3.3 लाख से बढ़कर 1978 में 12 13 लाख हो गई है। इन वर्षों के दौरान तथा विशेषत: पिछले वर्ष हमने पांच नये पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर, कोझीकोड़े, भोपाल और भुवनेश्वर में स्थापित किये हैं। पाँच पासपोर्ट कार्यालय हम शीघ्र ही पटना गौहाटी, जालन्धर, श्रीनगर तथा शिमला में स्थापित करेंगे। कुछ सदस्यों ने मांग की है पासपोर्टों का प्रमाणी करण विधान सभा तथा विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा भी किया जा सके। वह शक्ति हमने उन्हें तथा महा नगर परिषदों के सदस्यों को भी दे दी है। पासपोर्टों की पद्धति में और सुधार लाने के मामले पर हम विचार कर रहे हैं। एक तो पासपोर्ट फार्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन है। हिन्दी अंग्रेजी के अलावा हम पासपोर्ट फार्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय किया है।

हमने इस सभा में वचन दिया था कि हम प्रत्येक राज्य में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति का हम यथासंभव यत्न कर रहे हैं।

मैं अरब देशों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस पात्र में अब सिंदबाद और अली बाबा चालीस चोर की कहानियां नहीं सुनाऊंगा। अपितु हम चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान हज यात्रा तथा जेददाह, साऊद अरब की यात्रा कर सकें। नई सरकार ने सत्ता संभालने से हमने बहुत से सुधार किये हैं। पिछले वर्ष हमने 20000 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा दी जो कि पहले आंकड़ों से बहुत अधिक है। इस बर्ष भी हम उन्हें वही रियायत देने की सोच रहे हैं जोकि पिछले वर्ष दी थी। हमने निर्णय किया है कि मुगल लाइन्स द्वारा जाने वाले यात्रियों से आने-जाने का 1900 रूपए लिये जाये। इसके लिए हम मुगल लाइन्स को 1 करोड़ रुपए की राज-सहायता देते हैं ताकि मुसलमानों की धार्मिक ईच्छा की पूर्ति हो सके। 1977 में यात्रियों को चार्टर उड़ान के लिए 4352 रूपए देने जिसे घटाकर 3830 रूपए कर दिया गया है। इससे हज-यात्रियों को बहुत राहत मिलेगा। इस वर्ष भी हम वही व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं परन्तु अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। अभी भी हम साऊदी अरब सरकारों से बातचीत कर रहे हैं।

1977 में समुद्र यात्रियों को 2000 रूपए की तथा विमान यात्रियों को 1900 रूपए की विदेशी मुद्रा दी जाती थी। अब हमने उसे बढ़ाकर 2500 रूपए और 2250 रूपए कर दिया है।

पहले भारत से साऊद अरब जाने वाले भारतीयों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए 10 डाक्टर और 10 कम्पौडर होते थे अब हमने उनकी संख्या 15-15 कर दी है। हमने एम्बूलेंस कारों की संख्या भी बढ़ा दी है तथा हज समिति ने एक बृहत पानी का कूलर भी भारतीय औष-धालय मक्का के सामने यात्रियों की सुविधा के लिए लगा दिया है।

यात्रियों की देखभाल अच्छी तरह हो सके इसके लिए हमने अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किये हैं। मैं स्वयं दो बार जाकर पोतों का भेजा जाना देख आया हूं और मुझे यात्रियों के कल्याण सम्बन्धी रिपोर्ट निरन्तर प्राप्त हो रही है।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हज यात्रियों की देखभाल और अच्छी तरह की जाती रहेगी ।

मंत्रालय के प्रशासनिक मामलों की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा । मंत्रालय को भारत में बड़ी संख्या में पासपोर्ट कार्यालयों का प्रशासन करना है। विदेशों में 127 मिशनों की भी हमें देखभाल करनी है । हमारी विदेश नीति में गतिशीलता से विदेशों में हमारे मिशनों का आर्थिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में दायित्व बढ़ गया है । इसलिए इसे रोकने के लिए हमने चार प्रकार के आधारों का निर्णय किया है । विदेशों में कर्मचारियों की नियुक्ति का युक्तिकरण, सम्पत्ति के क्रय तथा निर्माण का आधुनिकी करण और प्रशासनिक सुधार विशेष रूप से भारतीय विदेश सेवा कर्मचारियों का, जिनकी संख्या इस मंत्रालय में काफी है । सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने इस बारे में कुछ कार्यवाही की है ।

कई बार कहा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बहुत थोड़े लोग इस मंत्रालय में लिए जाते हैं । हम चेष्टा करते रहे हैं कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों का कोटा पूरा किया जाये परन्तु कई बार हमें कठिनाई होती है हमें इन वर्गों में से अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं मिल पाते । इसलिए जब कुछ व्यक्तियों की अवर सचिव पदों के लिए पदोन्नति की जानी थी हमने विशेष परीक्षा का निर्णय लिया ताकि इन समुदायों के लोगों को अवर सचिव पदों के लिए लिया जा सके । ऐसा इसलिए लिया गया है ताकि जहां तक सम्भव हो कोटा पूरा किया जा सके ।

जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला तब हमें पता चला कि 100 व्यक्ति जो कई वर्षों से आकस्मिक श्रमिकों के रूप में कार्य करते रहे हैं नियमित नहीं किए गए । तब हमने उन्हें नियमित बनाने का निर्णय लिया । लगभग 40 व्यक्ति नियमित किए जा चुके हैं तथा शेष को शीघ्र ही नियमित बनाया जायेगा ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में चपरासी तथा ऐसे ही अन्य पद हैं । हमने देखा कि उन्हें तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं में बहुत अंतर है । इस लिए हम इस कमी को पूरा करने की चेष्टा कर रहे है । पहले उन लोगों को अपने परिवारों को विदेश ले जाने की अनुमति नहीं थी । माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अब वे लोग अपने परिवारों को विदेश ले जा सकते हैं। (**व्यवधान**) हमने भारतीय विदेश सेवा सवर्ग को पूरी तरह नया रूप देने की चेष्ठा कर रहे है ताकि पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिल सके बशर्ते कि विशेष ज्ञान और योग्यता के बारे में विदेश मंत्रालय के मानदण्ड पूरे किये जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्मों को विदेश मंत्रालय को पूरा सहयोग देनें. मुझे शान्ति पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : वाद-विवाद में इस मंत्रालय को प्राथमिकता देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस मंत्रालय को वाद-विवाद में वैसी अग्रता नहीं मिलती रही । वास्तव में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय

पर्याप्त नहीं है। वर्ष के अंतिम भाग में एक बार पुनः अंतराष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए।

आज हम गतिशील विश्व में रहते हैं जिनमें तीव्र गति से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्त्र में चर्चा की जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा सरकार के प्रस्ताव पर नएं अपितु कभी इस ओर के सदस्यों तथा कभी उस ओर के सदस्यों के प्रस्ताव पर किया जाना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि आज मुझे कुछ अधिक समय दे देंगे। श्री वाजपेई के विदेश मंत्री के रूप में कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं उन्हें दो वर्ष कार्य करते हुए देख रहा हूँ और यह पहला अवसर है कि मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि पहले मैंने उन्हें जनसंघ का दृष्टिकोण रखते हुए सुना है। पिछले दो वर्ष में मैंने देखा कि उनका दृष्टिकोण गतिशील रहा है तथा उन्होंने श्री नेहरू की नीतियों को आगे बढ़ाया है। निश्चय ही यह उनके लिए प्रशंशा की बात है। निश्चय ही श्री नेहरू की नीति की भी सफलता है (**व्यवधान**)

इस समय हम 1979 की भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहें हैं। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्री इसे एक वर्ष की नीति का ही महत्व नहीं देंगे अपितु अगामी दशक की विदेश नीति का भी स्पष्टीकरण करेंगे, उस दशक में विश्व की क्या स्थिति होगी भारत के क्षेत्र एवं प्रभाव वाले क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। विदेश नीति का दीर्घकालीन मूल्यांकन क्या हैं ?

विदेश नीति का सही निर्धारण तभी हो सकता है यदि इसे दीर्घकालीन दृष्टि से निर्मित किया जाये। श्री वाजपेई अपने उत्तर में इधर उधर की बातों का ही उत्तर नहीं देंगे अपितु सभा को विश्वास में लेकर ही दीर्घकालीन नीति का निर्धारण करेंगे।

भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन 4 महत्वपूर्ण बातो द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे पहली कसौटी तो यह है कि निकट पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध हैं। यदि हम पहली स्थिति को महत्वपूर्ण मानदण्ड मानकर उस पर विचार करें तो मैं यह महसूस करता हूँ कि इस संबंध में सरकार के मन में आत्म संतोष है। सरकार दो धारणाएं पैदा करने की कोशिश कर रही पहला तो यह कि पड़ौसी देश से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और इसी विषय में चिन्ता की कोई बात नही है और दूसरा यह कि अच्छे संबंध जनता सरकार के सत्ता में आने के उपरांत ही बने हैं लेकिन यह दोनों बातें गुमराह करने वाली हैं। पड़ोसी देशों से हमारे राजनीतिक संबंध पहले भी अच्छे थे लेकिन यह कहना कि हमारे सभी पड़ौसी देशो के साथ संबंध अच्छे ही ठीक नही है क्योंकि पड़ौसी देशों में केवल पाकिस्तान, नेपाल और बंगला देश ही नहीं आते अपितु चीन भी आता है। पंडित नेहरू की विदेश नीति को जारी रखा जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि नीति का आधारभूत ढाँचा हमें विरासत में मिला है और यदि हम इस नीति इन मुख्य सिद्धान्तों के प्रति निष्ठ और इमानदार रहते है तो कोई विदेश मंत्री, कोई सरकार कभी गलत नहीं

हो सकता। मुख्य, सिद्धान्तों के प्रति बहुत सावधान और बहुत इमानदार रहने की आवश्यकता है और यही बात नीति के अधारभूत सिद्धान्तों में कही गई है।

हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों मे कुछ सुधार हुआ है लेकिन यह प्रक्रिया पिछली सरकार के शासन में शुरू हुई। युद्ध बाद एक नया चरण-आरंभ हुआ शिमला समझौता और बाद मे कई अन्य द्विपक्षीय समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच हुए और इस तरह संबंधो मे सुधार हुआ। द्विपक्षीय समझौते का सिद्धान्त अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है न केवल पड़ौसी राष्ट्र के मामले में अपितु विश्व के अन्य राष्ट्रों के मामले में भी इसका बहुत महत्व है। हमे इस पहलु पर अधिक बल देना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि नई सरकार ने इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। लेकिन फिर भी आपको यह महसूस नही करना चाहिए कि आप के माध्यम से कुछ अधिक समझौते हुए है और इसलिए स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। दो-चार दिन पहले ही हमने सरकार से यह जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान आणविक क्षेत्र में क्या कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने चीन, फ्रांस तथा अन्य राष्ट्रों से क्या समझौते किए है और इनकी नियत क्या है। हमें उनकी नियत के बारे में उनके द्वारा की जाने वाली तैयारियों के बारे में निरंतर सर्तक रहना होगा।

नेपाल के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे है। उन्हें कुछ बातों के संबंध में थोड़ी गलत फहमी थी। वह एक पृथक मार्ग के संबंध में समझौता करना चाहते थे। यदि आप उनसे व्यापार के मामले में और मार्ग के मामले में अलग-अलग समझौते करेगें तो निश्चय ही हमारे लिए बाद में यह खतरनाक सिद्ध होगा। इस संबंध में सावधानी से काम ले आप पड़ौसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण नही अपना रहे। देखने में यह जरूर छोटे लगते हैं पर यह कितना बड़ा रूप धारण कर सकते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं इन विचारों से सहमत हूँ कि हमे इन मामलों में सूझ, बूझ से काम लेना चाहिए हमे दूसरे देश में भी अनुचित बातों को नही मानते जाना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछे कि अच्छे संबंधो या मित्रता की कसौटी क्या है तो मैं यही कहूँगा कि मित्रता की परख यह है कि वह नेपाल और भारत को सांझी नदी परियोजनाओं के लिए वह क्या कर रहे हैं। प्रतिवर्ष जब हम कृषि मंत्रालय की मागों पर चर्चा करते है हम इस देश में आने वाली बाढ़ो के प्रश्न पर भी चर्चा करते है उत्तर में अधिकांश बाढ़े इसी कारण आती है क्योंकि हम नेपाल के साथ बनाई जाने वाली नदी परियोजनाओं के बारे में कोई समझौता करने में सफल नहीं हुए है ; हमने यह प्रश्न सभा में कई बार उठाया है हमेशा यही उत्तर दिया जाता है कि इन परियोजनाओ के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया अच्छी है लेकिन इससे बढ़कर कुछ प्रगति नही हुई हैं। मुझे याद है जब 1976 में मैंने नेपाल की यात्रा की थी हमने इस प्रश्न पर नेपाल के उच्चतम अधिकारियों से बातचीत की थीं और दोनों देशों के बीच आशय पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। जब वर्तमान विदेश मंत्री नेपाल की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने लौटने पर इन नदी परियोजनाओं के संबंध में हुई प्रगति के बारे में कुछ हवाला दिया था। यदि आप भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते है तो केवल सदभावना यात्रा पर्याप्त नहीं है। निश्चय ही हमे सदभावना यात्रा करनी चाहिए। इस पर मुझे

कोई आपत्ति नही है यह एक अच्छी बात है क्योंकि इस प्रकार किसी भी देश के नेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित होते है। लेकिन हमे यह देखना है कि हमारे संबंधों के क्या आधार है केवल सदभावना यात्राए ही अंतिम परख नही है। अच्छे संबंधों की कसौटी यह है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति वह क्या रवैया अपनाएगें। इसलिए मैंने इन नदी परियोजनाओं के बारे में उल्लेख किया था मुझे निश्चय है कि विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय नेपाल के साथ संबंधों के संदर्भ में वास्तविक प्राथमिकताओं पर अवश्य ध्यान देगें।

इन लोगों का कहना है कि बंगला देश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पिछली सरकार के शासन में भी हमारे बंगला देश से संबंध बहुत अच्छे थे। बंगला देश का जन्म ही पिछली सरकार के महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप हुआ। आप इतिहास को भुला नहीं सकते (**व्यवधान**) निश्चय ही यह बात इतिहास में याद रखी जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप कहते हो कि संबंधों में सुधार हो गया है क्योंकि आपने कलकत्ता को कम पानी देकर उन्हें अधिक पानी दिया है पश्चिम बंगाल के मित्रों से मेरी पूरी सहानुभूति है। अब यह कहते हैं कि संबंध अच्छे है लेकिन आप इन बातों में न जाइए। यह अच्छे संबंधों की परख नही है अच्छे संबंधों की परख यह है कि इस ओर आने वाले शरणार्थियों के प्रति उनका क्या रवैया है। प्रश्न यह है कि अल्पसंख्याओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं··· (**व्यवधान**) इन सब बातो को भूल कर घर के छजे से यह कहना कि पिछले वर्षों में पड़ौसी राष्ट्रों से हमारे संबंधों में सुधार हुआ है, जैसे कि पहले संबंध उनसे खराब थे, कहना स्थिति का सही निरूपण न करने के समान है।

हमारे सबसे महत्वपूर्ण पड़ौसी चीन है। श्री वाजपेयी की चीन यात्रा पर मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे विचार में मंत्री महोदय को वहां जाना चाहिए था। टेलिविजन पर उनके साथ ली गई एक भेंट वार्ता में उन्होंने मजाक से कहा था कि वह बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाने वाले लेकिन यदि शैतान बुलाएगा तो वह उसके पास भी चले जाएंगे। कोई भी भगवान के पास बिना बुलावे के नहीं जा सकता और हम भी चाहते हैं कि उनकी दीर्घ आयु हों और भगवान के पास लम्बे अरसे तक न जाए लेकिन मैं चाहता हूं कि शैतान के बारे में भी वह थोड़ा सावधान रहे। यदि उससे निमंत्रण प्राप्त होता है तो एक दम उसकी तरफ भागें नहीं। हमें चीन के संबंध में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक संबंधों में सुधार का सिलसिला तो भूतपूर्व सरकार कांग्रेस सरकार के कार्यालय में ही शुरू हो गया था। उस समय हमने चीन तथा चीन के आसपास के देशों तथा ऐशियाई क्षेत्रों में व्यापत वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर उसका जायजा करा क्या चीन बदल गया है। यदि आप चीन जैसे देश का जायजा करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा के दौरान पैकिंग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को आधार नहीं बनाना चाहिए। चीन विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। वह अपने को एक बहुत बड़ा देश मानता है और देश है भी बहुत बड़ा। जनसंख्या तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए इसे बड़े देश की संज्ञा दी जा सकती। इसका अपने पड़ोसियों के प्रति क्या रवैया है। विश्व की स्थिति के प्रति इसका क्या रवैया है जब आप चीन जैसे देश के साथ मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित करने के बारे में सोचते हैं तो आपको इन सब पहलुओं पर ध्यान देना होगा।

चीन की विश्व नीति क्या हैं। चीन तीसरे विश्व युद्ध में विश्वास करता है। चीन पारस्परिक वैमनस्य के अन्त में विश्वास नहीं करता। चीन का विचार है जब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता तब तक अगली क्रांति की कोई आशा नहीं। क्या उसने अपने पड़ौसियों के प्रति रवैये को बदला है। नहीं, 1962 में हमें अनुभव हुआ और 1979 में बियतनाम को हुआ। उनका दिमाग एक ही तरह से काम करता है। चाहे चाऊ—एन० लाई और माओ वहां नहीं रहे पर उनकी जगह डेंग, हुआ तथा अन्य लोग आ गए हैं और उनकी पड़ौसियों के प्रति पुरानी नीति जारी है।

मैं अभी श्री सुब्रह्मण्यम को बता रहा था कि मुझे याद है 1962 के बाद जब मैं कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में हुए एक सम्मेलन में भाग लेने गया तो वहां एक मेरी एक मंत्री से बातचीत हुई। यह बात काफी संसद सदस्य जानते होंगे क्योंकि उस मंत्री ने यह बात काफी संसद सदस्यों को बताई कि उसकी चीन यात्रा के दौरान लाओ, शाओ ची, चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनसे कहा था "आप उस देश को अपने भारतीय मित्रों को बता दो यदि उन्होंने इससे सबक नहीं सीखा है तो हम बार-बार इसे दोहराएंगे ? चीन का पड़ोसी देशो के प्रति यह रवैया है वह अपने पड़ौसी देशों को चाहे वह बड़े हों या छोटे सबक सिखाने में विश्वास करता है क्यों ? क्योंकि वह अपने आपको 'मिडल किंगडम' समझते हैं और अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। यह बात जानते हुए हमें अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन हमें उक्त बातों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

चीन आधुनिकीकरण का एक दीर्घकालिन कार्यक्रम बना रहा है। वह उद्योगों का कृषि का, प्रौद्योगिकी का और प्रतिरक्षा तैयारियों का आधुनिकीकरण करना चाहता है। 2000 ए० डी० में चीन की क्या स्थिति होगी। चीन इस परिप्रेक्ष्य को दृष्टि में रखकर कार्य कर रहा है। हम केवल इसी बात को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं कि हमारी चीन यात्रा से सदपरिणाम निकले हैं।

आज सुबह ही मैं प्रधानमन्त्री के भाषण को पढ़ रहा था और उन्होंने यह घोषणा की है कि चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। वियतनाम को जो सबक उन्होंने सिखाया है उसके बाद भी क्या आप हमें यह बताएंगे ? हम मन्त्री महोदय से जानना चाहते हैं। आप केवल संयुक्त विज्ञप्ति में से उद्धरण न दीजिए। आपका अपना व्यक्तिगत विचार क्या है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि जो प्रक्रिया हमने शुरू की है वह लाभप्रद सिद्ध होगी और उसके उपयोगी परिणाम निकलेगें ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या संयुक्त विज्ञप्ति। संयुक्त विज्ञप्ति सोवित संघ के साथ ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : चीन के साथ आपकी यात्रा के बाद एक प्रकार का वक्तव्य जारी किया गया था। आप चाहे इसे विज्ञप्ति कहे या संयुक्त वक्तव्य।

श्री राज नारायण : ज्वाइंट स्टेटमेंट कह दीजिए।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आपने चीन की यात्रा से आने के बाद जो वक्तव्य दिया था, एक पक्षीय विज्ञप्ति—

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आप अपनी बात सुस्पष्ट रूप में कहिए ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आपके एकतरफा वक्तव्य से दोनों पक्षों में हुई बातचीत का आभास होता है । कल हमारे एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा·····

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तरपूर्व) अच्छा प्रस्ताव ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : शांति और मित्रता के लिए एक समझौता होना चाहिए । आपने जो यह सुझाव

यह उसी का परिणाम है । मैं उन पर आरोप नहीं लगाता

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) सीमा के प्रश्न का समाधान हो जाने के बाद जैसाकि सोवियत संघ के साथ हुआ है

श्री यशवंत राव चव्हाण : सोवियत संघ के साथ हमारा कोई सीमा विवाद नहीं था आपका मतलब शायद शांति समझौते से है हमने अपने शासनकाल के दौरान पश्चिम जगत से संबन्धों में सुधार किया

श्री हरि विष्णु कामत : हम वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सोवियत संघ, चीन का भारतीय भूमि संबंधी दावे का अनुमोदन करता है । ·····**(व्यवधान)**

श्री यशवंत राव चव्हाण : चीन को कहने दीजिए पर आप आप क्यों ऐसा कहते हैं । आपको ऐसा कहने के लिए चीन ने नियुक्त नहीं किया है । आप भारत की समस्याओं के बारे में बोलिए । आप संसद में चीन के राजदूत नहीं हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : चीन के प्रवक्ता न बनिए

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप सोवियत संघ के प्रवक्ता हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हम भारत के प्रवक्ता हैं **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम : आप सोवियत संघ से अपना मानचित्र ठीक करने के लिए क्यों नहीं कहते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाद विवाद को शांतिपूर्ण बनाइए ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं केवल यह कह रहा था कि किस प्रकार कल्याण की भावना से गुमराह हो रहे हैं·····

श्री हरि विष्णुकामत : यह शुभकामना नहीं है ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : श्री वाजपेयी ने चीन यात्रा की है और इससे दोनों देशों में मित्रता हुई है । चीन और भारत की आपसी अनेक जटिल समस्याएं हैं । चीन का भारत के प्रति रवैया चीन का अन्य पड़ोसी देशों के प्रति क्या रवैया है इस पर विचार करना होगा चीन की आंतरिक नीति को भी घ्यान में रखना होगा तब हमें इस बारे में और भी विचार करना होगा । एक बार यदि आप उम्मीद बंधाना शुरू कर देंगे तो हम फिर भाई-भाई वाले रिश्ते को फिर से कायम कर सकेंगे । हम उसी गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहते·····

श्री हरि विष्णु कामत : आप लोग तो हिन्दू रूसी भाई-भाई कहने वाले हैं

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि आप सोवियत संघ विरोधी भावना ही से पीड़ित हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता मैं किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं यह वाकई बहुत खुशी की बात है कि विदेश मंत्री की चीन यात्रा के बाद सोवियत संघ के प्रधानमंत्री हमारे यहां आए और कई अच्छे समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए । मैं बहुत प्रसन्न हूं । उन्होंने बहुत से अच्छे तुलनात्मक काम किया है । इसके लिए सरकार निश्चय ही बधाई की पात्र है । जब सरकार अच्छा काम करेगी तो निश्चय ही मैं इसकी सराहना करूंगा । ऐसा करने में मुझे कोई संकोच नहीं है ।

मैं मानदण्ड के बारे में बात कर रहा था । पहला मानदण्ड यह है कि पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबन्ध हैं और अन्य देशों के साथ कैसे संबन्ध हैं ? इस विषय पर मैं काफी कुछ कह चुका हूं ।

दूसरा मानदण्ड यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम क्या कार्य करते हैं । भारत अपना काम दो तरीकों से कर सकता है एक तो गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणीय बन कर । गुट निरपेक्ष आन्दोलन में देश जो योगदान देता है वह बहुत महत्वपूर्ण है । हमें यह देखना होता है कि यह आन्दोलन किस प्रकार चल रहा है और किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जा सकते । सरकार ने पिछले दो वर्षों में इस संबन्ध में जो काम किया है उस बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है । उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की सभी महत्वपूर्ण बैठकों, समन्वय ब्यूरो बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक तथा शिखर वार्ताओं आदि में भाग लिया है निस्संदेह अभी उन्हें कुछ और प्रतीक्षा करनी है उन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सही समय पर सही काम किया है । यह प्रसन्नता की बात है हम नेहरू जी की नीति का अनुसरण कर रहे हैं लेकिन ऐसा करने में उनके मन में कुछ संकोच है वह विश्व को स्वयं कह कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से गुट निरपेक्ष है ।

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : वास्तविक रूप में गुट निरपेक्ष होने में क्या गलत बात है

श्री यशवन्त राव चव्हाण : गलती यह है कि आप विश्व को बता रहे हो कि आपसी नीति वास्तविक है । आपको अपनी नीति के प्रति निष्ठ होना चाहिए । यदि कोई महिला अत्यधिक

विरोध करना शुरू कर दे·····

एक माननीय सदस्य : यहां कोई महिला नहीं है

श्रीमती मृणाल गोरे : (बम्बई उत्तर) महिला तो है लेकिन वह दूसरे दल की है।

श्री यशवंत राव चव्हाण (सतारा) : मैंने यह आलोचना इस सभा के बाहर की है और मैं यह आलोचना यहां भी करना चाहता हूं आप लोग 'गुट निरपेक्ष' शब्दों के साथ 'वास्तविक' शब्द लगा रहे हैं और बार बार इसे दोहरा रहे हैं इससे ऐसा लगा है कि पश्चिम के प्रति आपको जो झुकाव है उस पर इस शब्द को बार-बार दोहरा कर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मुझे माननीय सदस्य को याद दिलाना होगा कि यह सरकार वास्तविक गुट निरपेक्षता के आदेश पर निर्वाचित हुई है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : आपका निर्वाचन कई आधारों पर हुआ है। क्या आप उन सबको भूल गए हैं। आप मुझे आदेश के बारे में क्यों बता रहे हैं। यह सारी बातें हम जानते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनता ने जिस कार्य हेतु हमें निर्वाचित किया है आप चाहते हैं हम उसे भूल जाए। ऐसी आपसी भावना नहीं हो सकती। आप तो यही चाहेंगे कि हम जनता के उन सब आदेशों को याद रखें।

श्री यशवंत राव चव्हाण : यह प्रसन्नता की बात है कि आप इन्हें पूरा कर रहे हो लेकिन जब आप बार-बार इस शब्द को दोहराते हो तो हमें डर सा लगता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थ होना नहीं है। हमें गुट निरपेक्षता का अर्थ समझना चाहिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि आप एक ओर सोवियत संघ से मित्रता करो और दूसरी ओर अमेरिका से भी मित्रता गांठो एक को 'महामहिम' कहो और दूसरे को इसी तरह किसी और विशेषण से सम्बोधित करो यह गुट निरपेक्षता नहीं है। गुट निरपेक्षता एक ठोस धारणा है यह साम्राज्यवाद और उपनिवेश-वाद का विरोध करता है और हर एक कदम जो आपको उठाना होगा उसे बहुत सोच समझकर परख कर उठाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या इससे हमारा सम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी उद्देश्य दल होता है। यह गुट निरपेक्षता की परख है इस प्रकार के गुट निरपेक्ष आन्दोलन को ध्यान में रखकर हमें उसके लिए काम करना होगा।

एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि जब हम विश्व में गुट निरपेक्ष आन्दोलन में और उसमें भारत द्वारा दिए गए योगदान के बारे में बातचीत कर रहे हैं हमें निश्चय ही इसमें और योगदान देना चाहिए क्योंकि विदेश नीति में आर्थिक गुट का भी महत्व होता है। कोलम्बो में हुई गुट निरपेक्ष देशों की शिखर सम्मेलन में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। सबने सामूहिक आत्मनिर्भरता को स्वीकार किया क्योंकि हमने यह महसूस किया है कि पिछले दशक के दौरान विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच जो भी बातचीच हुई विकासित देशों ने विकासशील देशों के बहुत उपेक्षात्मक रवैया अपनाया। जब भी वास्तविक संसाधनों के हस्तांतरण और व्यापार में उचित हिस्सा, ऋण देने के मामले में कुछ रियायतें देने के प्रश्न के बारे में, मौद्रिक

प्रणाली में सुधार करने के बारे में ताकि इससे विकासशील देशों को कुछ लाभ हो सके विकसित देशों ने हमेशा प्रतिकूल रवैया अपनाया । इसलिए कोलम्बो सम्मेलन में यह फैसला हुआ कि सभी गुट निरपेक्ष विकासशील देशों को सामूहिक आत्म निर्भरता के लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए । राष्ट्रीय तौर पर भी हम आत्म निर्भरता की बात करते हैं और जब हम गुट निरपेक्ष आन्दोलन की बात करते हैं तो हम सामूहिक आत्म निर्भरता की बात करते हैं । हमें इस स्थिति का अनुसरण करना होगा । भारत को इस मामले में अग्रणीय होना पड़ेगा और भारत अग्रणीय होने की स्थिति में भी है क्योंकि हमारे पास अच्छा औद्योगिक आधार है । हमारा प्रौद्योगिक आधार भी बहुत अच्छा है लेकिन मुझे भय है आप लोग कहीं आत्म निर्भरता के सिद्धान्त को भूल कर और जो देश में वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है उसे क्षत-विक्षत न कर दें और यदि आप ऐसा करेंगे तो देश का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा । मैं उन्हें चेतावनी देता हूं । सभा के इस ओर बैठे हुए हम लोग कभी ऐसा नहीं होने देगें । हमें औद्योगिक क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करनी है ।

अब, गुट निरपेक्षता क्या है ? गुट निरपेक्षता विदेशनीति में आत्मनिर्भरता है । प्रोद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है । ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं । हम यह इस कारण जानना चाहते हैं कि हम वास्तव में यह नहीं जानते कि आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति होती है और कब होती है । इस सभा में माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा था कि उन्होंने एकतरफा घोषणा की है कि कोई भी शान्तिपूर्ण विस्फोट नहीं होगा । वाजपेयी भी कभी-कभी ऐसा वक्तव्य देते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं । **(व्यवधान)** । विपरीत नहीं किन्तु आप अन्त में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे क्योंकि हम आप की सही स्थिति जानना चाहते हैं । यदि ऐसी बात है तो आपने आणुविक विस्फोट न करने की एकतरफा स्थिति अपनायी है जिसका अर्थ यह है कि आपने आणुविक प्रोद्योगिकी में प्रगति न करने की स्थिति अपनाई है । आपने यह सरकार के नाते की है किन्तु आपको तथा विश्व को हम यह बताना चाहते हैं कि भारत के लोगों ने यह स्थिति नहीं अपनाई है । भारत के लोगों ने यह स्थिति अपनाई है कि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हमें कोई भी प्रयत्न करने का पूरा अधिकार है । .....

श्री बसन्त साठे (अकोबा) : उसके लिए भी उन्हें जनमत किया है । वाजपेयी जी ने यह कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण, आपने 25 मिन्ट ले लिये हैं । आपने अपने हक के लिए केवल 39 मिनट शेष रखे हैं ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : कृपया समय बढ़ाइए ।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ दूसरों को अवसर न देना होगा । यह कठिनाई है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह एक बात है। पहली बात गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अंशदान के बारे में है और दूसरी बात है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका निभाई है क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण मंच है जहां हम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अंशदान दे सकते हैं। मैं विदेश मंत्रालय के इस प्रतिवेदन में यह देखने का प्रयत्न कर रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अथवा सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में गत दो वर्षों में हम क्या करते आ रहे हैं। इसमें यह पूरी जानकारी नहीं दी हुई है कि हमने अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप सुरक्षा परिषद में क्या भूमिका तथा पक्ष लिया है·····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम अब सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हैं।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मुझे मालूम है। यह 31 दिसम्बर को समाप्त हुआ था। महोदय, उन्होंने केवल यहीं घोषणा की है कि हम सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे। विश्व तथा सुरक्षा परिषद से सम्बन्धित पैरा में उन्होंने केवल यहीं घोषणा की है जैसे कि मानों यह एक खुशी की बात हो, "हम अब सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हैं·····(व्यवधान)। मैं मंत्री महोदय को बताऊंगा। विदेश मंत्रालय में कुछ ऐसे मत के लोग हैं, मैं विदेश मंत्री के बारे में नहीं कह रहा हूं। जो जहां तक सुरक्षा परिषद का सम्बन्ध है अलग रहने में विश्वास रखते हैं·····

श्री विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : जब आप वहां थे उस समय भी यही स्थिति थी।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं सुरक्षा परिषद में पक्ष लेने की बात कर रहा था। एक बार हमारी हार हो गई थी। फिर भी हमने जोर लगाया और निर्वाचित हो गये थे और सुरक्षा परिषद के सदस्य बन गये थे। अतः मैं कहूंगा···

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : पाकिस्तान निर्वाचित हुआ था भारत नहीं हुआ था।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं बताता हूं। एक बार भारत हार गया था किन्तु अगले वर्ष निर्वाचित हुंआ। अतः हम सदस्य थे। उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : एक वर्ष तक आप सदस्य नहीं थे, आपकी हार कब हुई।

श्री यशवंत राव चव्हाण : एक बार सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो वह दो वर्ष तक रहता है।

अतः हम चाहते हैं कि आप इसे नोट करें। यह बहूत महत्वपूर्ण भूमिका हैं जो भारत निभा सकता है। हमें सुरक्षा परिषद में सदस्य होने का फिर अवसर प्राप्त करना चाहिए क्योंकि यही स्थान है जहां विश्व की राजनीति के महत्वपूर्ण मतों, निर्णयों और चर्चाओं पर प्रभाव डाला जा सकता हैं और विश्व में भारत का आदर है क्योंकि भारत ने सही अवसरों पर सही निर्णय लिये हैं क्योंकि भारत सैनिक शक्ति नहीं है और न आर्थिक शक्ति के अर्थ में एक शक्ति है यद्यपि इस कल्पना की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। इसने निश्चित रूप से दोनों क्षेत्रों में प्रगति की है। मैं चाहता हूं कि इस बात को नोट किया जाये कि विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की आवाज को आदर के साथ सुना जाता है।

मैं बड़ी शक्तियों के साथ अपने देश के सम्बन्धों के बारे में कह रहा था। हमारे सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे हैं। उनमें सुधार हो रहा है यात्राएं हो रही हैं। वहां के राष्ट्रपति यहां आये और हमारे प्रधानमंत्री वहां गये और जब आप संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं तो आप अधिकांश विदेश मंत्रियों से मिलते हैं। चर्चा करनी जच्छी बात है किन्तु मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। जब आप बड़ी शक्तियों के साथ अच्छे सम्चन्धों के बारे में सोचते हैं तो वे मशीनों की तरह हैं और उनका हृदय नहीं होता है। उनका केवल राष्ट्रीय स्वार्थ होता है— न केवल राष्ट्रीय स्वार्थ किन्तु समस्त विश्व का स्वार्थ होता है चाहे यह सोवियत संघ हो या संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा चीन हो। वे सभी विश्व के स्वार्थों के अनुसार आचरण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल्यांकन मे भारत की प्राथमिकता कहा तक है ? मुझे डर है कि जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध है, भारत की प्राथमिकता बहुत कम है क्योंकि इसमें गतिशीलता का कोई प्रश्न नही है। हमने बड़ी शक्तियों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और औद्योगिक मामलों में संयुक्त आयोग की व्यवस्था से आरम्भ किया। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसमें कुछ प्रगति हो रही है और जब हमारे महत्व की बात आणुविक प्रोद्योगिकी जैसे मामले में आती है तो वे उस घनिष्टता की नहीं सोचते किन्तु रूखे और अप्रिय पत्रों की सोचते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहां थे तो उस समय उन्होंने यहां जो कुछ कहा जो कि पत्रकारों से मालूम हो गया था, स्पष्ट होता है। अतः इन बड़ी शक्तियों के बारे में हमें मालूम करना होगा कि क्या वे हमें कोई प्राथमिकता देते हैं। जहां तक हमारे विश्व के राजनीतिक हितों का सम्बन्ध है हमारी प्राथमिताओं के आधार पर विश्व की राजनीति में विचार किया जाता है। हमारी विश्व की राजनीति में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्या प्राथमिकता है ? केवल इसी आधार पर आप इन बड़ी शक्तियों के साथ सम्बन्ध बना सकते है। अन्यथा आपकी केवल यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ इस कारण नहीं है कि 'धन्यवाद' कहना और 'महामहिम' आदि शब्दों से सम्बोधित करना कि विश्व का एक राज नया चार हो गया है। राजनयाचार में सर्वभ और हर कोई यही भाषा का प्रयोग करता है। अतः प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाना है न कि केवल सद्भावना की औपचारिकता से प्रभावित होना है।

जहां तक दीगोगर्शिया के प्रश्न का सम्बन्ध है, वहां बड़ी गड़गड़ी हो रही है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका तटवर्ती देशों का एक सदस्य अथवा मित्र है तो उसे आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि वे आज से ऐसा नहीं करेंगे। वाद-विवाद में भाषणों के दौरान मैंने देखा और मैं समझता हूं कि श्री स्टीफन ने रूस का हवाला दिया है कि रूस ने घोषणा की थी कि वे इस विषय पर अन्य देशों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम महासागर में उनकी नौचालन शक्ति की गतिविधियों के विरूद्ध नहीं हैं। प्रत्येक शक्ति विश्व में निश्चित रूप से अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है क्योंकि हिन्द महासागर में यह एक आम सरभा है किन्तु सैनिक अड्डा स्वतंत्र भारत के लिए एक खतरा है और मैं तो कहूंगा कि सारा क्षेत्र, जैसा कि किसी ने कहा है, संकट का क्षेत्र है, मैं इसे एक चाप की तरह देखता हू क्योंकि उधर अफ्रीका है और फारिस की खाड़ी के देशों, भारत पाकिस्तान और दक्षिण एशिया सहित इसकी एक चाप की आकृति

बनती है। अतः अफ्रीकी देशों को यह एक खतरा है। स्वेज नहर के दोनों ओर के देशों के लिए यह एक खतरा है। फारिस की खाड़ी के देशों के लिए यह एक खतरा है। भारत के लिए, जो विश्व के इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण देश है, खतरा है। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं तो दूसरा पक्ष इस हर हंसता है और कहता है कि वे इसे औप्रचारिक रूप में नोट करते हैं। यदि आप वास्तविक गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उनके पक्ष की परीक्षा की जानी चाहिए। उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहें। बड़ी शक्तियां कहें कि वे अब बड़ी शक्तियां नहीं हैं अन्यथा यह स्वतंत्र भारत के लिए एक स्थायी खतरा है। इसे आपको नोट करना होगा। यही इस सरकार की परीक्षा है। यही वास्तविक परीक्षा है जिस पर हम अपने निर्णय को आधारित कर सकते है। यही रास्ता है जिसके द्वारा आपको उस देश के साथ मित्रता करनी है। अतः आपको बड़ी शक्तियों के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा विशेषरूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे जिसका यहां अड्डा है सतर्क रहना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि इस महासागर में रूस की उपस्थिति है। रूस की निश्चित रूप से उपस्थिति है। किन्तु इन बड़ी शक्तियों की न केवल हिन्द महा सागर में किन्तु विश्व में सर्वत्र उपस्थिति है।

मेरा पुरा तर्क यह है कि अड्डा किसका है ? सोवियत संघ का यहां अड्डा नहीं है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का ही—यहां अड्डा है और आपको इसका नोट रखना पड़ेगा और और उनके साथ मित्रता के सम्बन्ध में इसी आधार पर विचार किया जाना चाहिए। महोदय, मैंने सरकार की आलोचना नहीं की है और न किसी की व्यक्तिगत आलोखना की हैं। मैंने केवल भारत की विदेश नीति के क्षेत्र में भारत के हित में कहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : शध्यक्ष महोदय, माननीय श्री चव्हाण साहब ने विदेश नीति का जो विवेचन किया उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना है। महोदय, हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय जनमत पर आधारित है और जिस कसौटी पर इसकी परीक्षा की जानी है वह स्पष्ट है और हमारी नीति की परीक्षा यही है कि क्या यह राष्ट्र के हितों और आंकाक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है और क्या यह देश की प्राथमिकताओं की रक्षा करती है। महोदय, इस सरकार की नीति तीन दृष्टियों से महत्वपूर्ण है : (क) वास्तविक गुटनिरपेक्षता जिसके बारे में विपक्ष के मेरे एक मित्र ने इसका मजाक करने अथवा यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि उन्हें नहीं मालूम है कि किस प्रकार इसे क्रियान्वित किया जा रहा है; (ख) तीसरे विश्व के देशों में निर्देशन की भावना : तथा (ग) दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ मिलकर रहने की भावना के लिए सम्पर्क स्थापित करना।

महोदय, मेरा निवेदन, है कि वर्तमान सरकार गुट निरपेक्षता की ऐसी नीति का अनुपालन कर रही है जो न केवल वास्तविक है किन्तु गतिशील भी है। मैं कहूंगा कि यह एक गतिशील गुटनिरपेक्षता की नीति है जो देश में तथा विदेश में बदलती हालतों के अनुरूप है। जब मैं यह आलोचना सुनता हूँ कि यह वास्तविक गुट निरपेक्षता नही है ती मैं उन्हें याद दिलाना चाहता

हूं कि जहां तक गुटनिरपेक्षता का सम्बन्ध है पिछली सरकार का क्या रवैया रहा है। वे 'गुटनिरपेक्षता' पर जोर जोर से चिल्लाते थे किन्तु गुटनिरपेक्षता की बात आई तो वह, पिसा की मीनार की तरह एक ही विश्व शक्ति की ओर झुकी रही और प्रतिदिन दूसरी विश्व शक्ति का दुर्पयोग करती थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यही गुटनिरपेक्षता थी कि आप अक्षरशः अनुसरण कर रहे थे। यदि मुझे निवेदन करने की अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि अब तक गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ में अनुपालन नहीं किया गया और इसे सिद्ध करने के स्पष्ट उदाहरण हैं। महोदय, मैं उनमें से हूं जिनका यह विश्वास है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश की विदेश नीति को बनाने तथा उसका आधार बनाने में ऐसी स्मरणीय भूमिका निभाई है कि हमारा देश इसे भूल नहीं सकता है किन्तु साथ ही— पिसा की मीनार की तरह झूकना और सारे देश को एक बड़ी शक्ति की गोद में रखना गुटनिरपेक्षता की नीति के पीठ पर छुरा भोंकना है। महोदय, मेरे मित्र और माननीय नेता श्री चव्हाण चले गये हैं। यदि वह यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि वे चुप क्यों थे जब हंगरी के साथ बल्लात्कार हो रहा था? इस समय श्री चव्हाण सरकार में थे। जब श्री इचबेक को समाप्त किया गया तो क्या हुआ। उस समय श्री चव्हाण सरकार के अंग थे। इसी प्रश्न पर श्री अशोक नेहता ने त्यागपत्र दिया था क्योंकि वह जानते थे कि वास्तविक गुटनिरपेक्षत की नीति नहीं अपनाई जा रही है। गुटनिरपेक्षता की नीति की यही सही परीक्षा है। दुर्भाग्यवस श्री चव्हाण चले गये हैं अन्यथा मैं उनसे बहुत प्रश्न पूछने वाला था।

एक माननीय सदस्य : आप भी उस समय इसमें शामिल थे।

श्री रतन सिंह राजदा : मैंने इसका विरोध किया और जब रूस ने चेकोस्लावाकिया पर बलात्कार किया। तब मैंने बम्बई की सड़कों पर विद्यार्थियों के जलूस का नेतृत्व किया मैं रूस के साथ दोस्ती के पक्ष में हूं। पूरी दोस्ती के पक्ष में हूं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं। किन्तु महोदय, केवल अपने प्रयोजन को हल करना और रूस की ओर पिसा की मीनार की तरह झुकना तथा उनके दोषों को न बताना वास्तविक गुटनिरपेक्षता नहीं है। (व्यवधान) हो सकता है इसके क्रियान्वयन का यह आपका तरीका हो किन्तु यह इस सरकार का तरीका नहीं है जो वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति वचनबद्ध है। यही कारण है कि हम यह ऊंचे स्वर में कह रहे हैं। श्री चव्हाण हमारे विदेश मंत्री से कह रहे थे : आप हर एक दिन 'वास्तविक' शब्द को क्यों दुहरा रहे हो? मैं यह इस कारण कह रहा हूं कि आपने कुछ ऐसा किया है जो वास्तविक नहीं था। और यही कारण है कि हमें अपने लोगों को इस देश की जनता को समझाना है जिन्होंने वास्तविक गुट निरपेक्षता के लिए जनमत दिया है। यही कारण है कि हम इसे दुहरा रहे हैं। श्री चव्हाण को कम से कम यह समझना चाहिए और यदि हम इस शब्द को बार बार दुहरा रहे हैं तो उन्हें हमें क्षमा करना चाहिए क्योंकि कुछ पेचीदगी है, इसके पीछे कुछ इतिहास है और इस इतिहास के कारण हम यह कहने के लिए बाध्य हुए हैं कि यह वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति है।

अतः महोदय, इसके बाद मैं यह कहूंगा कि जो सुझाव था, जो पिछली सरकार में दिखाई दे रहा था उसे पहले ही प्रतिसंतुलित किया गया है और नीति को समरूप बनाया गया है और,

महोदय, यदि यही वर्तमान सरकार का अपराध है तो मैं यही कहूंगा कि वर्तमान जनता सरकार यह अपराध करती रहेगी क्योंकि हम विदेश नीति को झुकाना नहीं चाहते । महोदय, जवाहर लाल नेहरु ने कहा है कि प्रत्येक प्रश्न पर हमें स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए । तदनुसार प्रत्येक प्रश्न पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से हम अपनी नीति निश्चित कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : यह तो बताइए क्या है आपके नेशनल एंटरेस्ट में ?

श्री रतनसिंह राजदा : वह बता रहा हूं । आप यहां पर बैठे थे मैंने देखा नहीं ।

श्री राजनारायण : मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्र-हित में इस समय विदेश नीति क्या होनी चाहिए, यह बोलिए । चव्हाण ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया उसको छोड़ दीजिए, जहन्नम में जाय, आप क्या करने जा रहे हैं, इस पर बोलिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण, उन्हें बोलने दीजिए । जो कुछ वह कहना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री राजनारायण : आपकी असलियत क्या है ? जो मेन्टेनेबल है, जो मैंनेजेबल है वह चीन रख ले, वह हम रख लें --

श्री रतन सिंह राजदा : क्या यही आपकी नीति है ? मै समझता हूं यह समय मुझे बाद में दिया जाना चाहिए क्योंकि वे अनावश्यक रूप से मेरे भाषण में व्यवधान करते रहे हैं ।

श्री राजनारायण : हां आप ले लीजिए मेरा निवेदन है कि इस समय हमारी विदेश नीति बिलकुल डावांडोल है, गलत रास्ते पर जा रही है ।···(**व्यवधान**)···एक दिन समय बढ़ा दीजिए और इस पर पूरी बहस हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना मत प्रकट किया है । आप क्यों आपत्ति उठाते हैं ?

श्री राजनारायण : मैं तो उनके इंटरेस्ट में कह रहा हूं ।···

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री राजनारायण, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनारायण : इनकी सिफारिश से विदेश नीति नहीं चलेगी और टेलीविजन पर पिक्चर दिखाने से विदेश नीति नही चलेगी । देश की जनता में जायं तो वहां पता चलेगा कि क्या होनी चाहिए हमारी विदेश नीति ।···(**व्यवधान**)

श्री रतन सिंह राजदा : विपक्ष के माननीय सदस्य···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री रतन सिंह राजदा : विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमारी··· कटे हाथों लिया है ।

डा० बल्देव प्रकाश (अमृतसर) : जनता के ठेकेदार यहां पर सिर्फ एक ही आदमी है और बाकी नहीं हैं···

श्री राजनारायण : जो थे उनको 72 में देखा गया, फिर 77 में देखा गया···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

डा० बल्देव प्रकाश : जनता का ठेकेदार कौन है यहां पर ? जो यहां पर आए हैं वह जनता के ठेकेदार हैं ।

श्री राजनारायण : मैं जनता का ठेकेदार हूं । मैं डा० साहब की इज्जत करता हूं । मैं इनकी बात कर रहा हूं । जनता के हित में चलिए । जनता के हित में कितनी बार जेल काटे हैं ? किसानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, महिलाओं के हित में कितनी बार जेल काटे हैं ···**(व्यवधान)** ···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आप आगे जो भी कहेंगे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री राजनारायण : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, इसके विपरीत मैं यही कहूंगा और मैं यहां अपने माननीय विदेश मंत्री को बधायी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी शक्ति गुट की ओर झुकने से दृढ़ता से इन्कार करना चाहिए किन्तु उन्हें वास्तविक गुट-निरपेक्षता की नीति को, जो राष्ट्रीय हित पर आधारित है, क्रियान्वित करना चाहिए ।

महोदय, अब मैं राजनारायण जी द्वारा उठाई गई बात पर आता हूं ।

महोदय, सही नीति को क्रियान्वित करने के कारण आप अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को देख सकते हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्ध सुधर गए ह । संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । साथ ही हम जो कुछ भी संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है उसके अनुसार नहीं चलते हैं । आणुविक शस्त्र प्रसार निरोध सन्धि के प्रश्न पर हमने कुछ बातें साफ-साफ कही हैं । जब राष्ड्रपति कार्टर भारत आये थे तो हमने यह स्पष्ट किया था । हमने अपने रवैये के बारे में कहा था इसकी कोसीगिन ने भी सराहना की थी । जब श्री कोसीगिन आये थे तो हमने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था । और कम्यूचिया के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया था । हमने उनसे कहा था कि हमने 'आक्रमण' शब्द प्रयोग नहीं किया था । हम यह नहीं कहते कि चूंकि चीन के वियतनाम पर आक्रमण और अन्य बातों में काफी अन्तर है । दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप भी है । उदाहरण के लिए अन्य देशों के सम्बन्ध में भी हमें यह अच्छा नहीं लगा है ।

श्री राजनारायण : मैं एक बात पूछना चाहता हूं । संसद में ऐसा कहा जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात पर दृढ़ हैं ।

श्री राजनारायण : भारत सरकार में 'हमला' शब्द कहां है ? कोई 'हमला' नहीं है। आप 'हमला क्यों कहते हैं ?

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, हमने जो आयाम, दिशायें और प्रवृत्तियां अपनायी हैं, वे स्वयं ही प्रकट हुई हैं···

श्री राजनारायण : इस देश में ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने सन् 42 के मूवमेन्ट में माफी मांगी थी।···(**व्यवधान**)

श्री रतन सिंह राजदा : एशिया में पड़ोसी देशों और अफ्रीकी एशियाई विकासशील देशों के साथ बड़ी चिन्ता और उलझन में···। महोदय पाकिस्तान के साथ भी हमारे सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास समय है या नहीं, आप यह मामला सचेतक के साथ उठा सकते हैं। आप उनके भाषण में क्यों बाधा डालते हैं।

श्री राजनारायण : दो तीन दिन पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे कहा कि फारेन पालिसी पर बोलने का समय आपको नहीं मिलेगा (**व्यवधान**)

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैंने ऐसा नहीं कहा कि इनको समय नहीं मिलेगा। समय के बारे में तय करना व्हिप का काम है या आपका काम है। लेकिन बिना समय दिए ही माननीय सदस्य जितना समय ले रहे हैं उसका भी जरा सदन को ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री रतनसिंह राजदा : राजनारायण जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है. हमारे बीच में आप क्यों इंटर्फीयर करते हैं। हमने जो नयी प्रवृत्तियाँ, नयी दिशायें अपनायी हैं वे एशिया में पड़ोसी देशों और अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ हमारी चिन्ता और उलझन में स्वयं प्रकट हुई हैं। महोदय, पाकिस्तान के साथ भी हमारे सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। अफ्रीकी एशियाई पड़ोसी देशों, राष्ट्रमंडल के देशों, अमरीका और सोवियत संघ, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आदि जैसे निकायों के साथ भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्बन्धों के भविष्य के लिए एक अच्छी बात है। हम इन सभी मोर्चों पर सक्रियता के साथ योगदान कर रहे हैं जिसकी मेरे माननीय मित्र श्री राजनारायण को सराहना करनी चाहिए। महोदय, अटल जी ईरान से इन्डोचीन तक एक व्यापक एशियाई समुदाय की परिकल्पना की है। अफ्रीकी एशियाई देश विश्व में राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर शक्तिशाली सामूहिक तादात्म्यता के लिए लालायित हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अमरीका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध से धनी और निर्धन देशों के बीच एक नया संघर्ष उत्पन्न हो गया है जिससे उन सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ है जिन्होंने तटस्थ रवैया नहीं अपनाया है वे इसमें एकही मोर्चे पर अमरीका और सोवियत संघ की झलक देखेंगे।

महोदय, परमाणु विस्तार विरोधी संधि के प्रश्न पर भी दोनों महाशक्तियों का रवैया लग-

भग एक ही है । अतः इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सरकार द्वारा अपनायी जा रही सही गुटनिरपेक्षता के प्रभावों को समझें ।

जहां तक अरब देशों का सम्बन्ध है, जनता सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और यह बतायी भी गयी है । हम अरब के हितों का सर्वत्र समर्थन करना चाहते हैं । अरब राष्ट्रवाद स्थायी हो गया है । उनके प्रति न्याय करने का प्रश्न इसमें होना चाहिए । हाल ही में राष्ट्रपति सादात ने इजरायल के साथ एक संधि की है । हम कहते हैं कि एक व्यापक समझौते से ही पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है । इजरायल को येरूशलम सहित अपने कब्जे में ली गई अरब भूमि से हट जाना चाहिए । फिलिस्तीनियों को अन्हरणीय अधिकार पुनः दिये जाने चाहिए ।

महोदय, हमारी नीति हितकारी द्विपक्षवाद पर आधारित है । जहां तक इस नीति का सम्बन्ध है, एक नया आयाम कायम हो गया है । हमारे देश के आसपास को पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमने अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध कायम किये हैं । श्री चव्हाण नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में पूछ रहे थे । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नेपाल और भारत के बीच बेहतर सम्बन्ध और सहयोग है । पहले नेपाल के प्रति हमारा रवैया एक बड़े भाई का था और वे समझते थे कि हम भविष्य में उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी कारण उनके दिमाग में हमेशा संदेह ही बना रहा । आज यह संदेह दूर हो गया है और अब बेहतर सहयोग की भावना है । जो कुछ भी हुआ है । श्री चव्हाण को सराहना करनी चाहिए । बंगलादेश के साथ भी हमारे सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है । श्री अटल जी वहां गए और हमारे प्रधानमंत्री भी वहां जा रहे हैं । हमने बेहतर सम्बन्ध बनाये हैं और अपने और इन दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में एक नया स्वस्थ वातावरण तैयार किया गया है ।

हमारे बिदेश मंत्री की चीन की यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मेरा कहना है कि हमारे विदेश मंत्री ने बड़ा साहसपूर्ण कदम उठाया है । इसके विपरीत, पिछली सरकार ने चीन के साथ बातचीत शुरू की थी परन्तु वह बीच में ही रुक गई । यदि श्री अटल जी वहां जाते हैं तो वे उनको दोष देते हैं । वे उनको दोष क्यों देते हैं ? क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने उनके साथ बातचीत की है और वह दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते थे ? क्या यह अपराध है ? क्या दो देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाना उनका एक दोष है ? कोई मूर्ख ही यह कह सकता है कि सम्बन्ध सामान्य बनाना एक गलत कदम है । जब यह बातचीत चल रही थी तब यह सही है कि चीन ने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो उसे नहीं करना चाहिय था । चीन आक्रान्ता है । यह हमारी सरकार ने इस सभा में और अन्यत्र कहा है । प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम एक वक्तव्य ज़ारी किया था कि चीन आक्रान्ता था । इस सम्मानित सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि चीन ने हमला किया है और आक्रान्ता को इस हमले की सफलता को हासिल नहीं करने दिया जा सकता । यह एक स्पष्ट नीति है । परन्तु जब हमारे विदेश मंत्री चीन में थे तब चीन ने कुछ अनिष्ट कार्य किया और इसी कारण हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी

और उनकी नीति को दोषी ठहराते हैं। मैं समझता हूं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं और जहां कोई दोष नहीं, वहां हम दोष ढूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

यह कहते हुए मैं अपने विदेश मंत्री को इन सभी देशों के साथ अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध कायम करने के लिए बधाई देता हूं। अभी भी सम्बन्ध सामान्य हो सकते हैं। हमें एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि चीन का रवैया हमेशा एक दण्ड देने का रहा है। चीन दूसरों को दंड देना चाहता है जिसतरह अध्यापक कक्षा में छात्रों को दण्ड देना चाहता है। विश्व के किसी भाग का कोई स्वाभिमानी राष्ट्र इस घमण्डपूर्ण रवैये को कभी भी बर्दास्त नहीं करेगा। जहां तक इसका सम्बन्ध है, कोई भी चीन के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करेगा परन्तु इसके साथ ही साथ हमें बातचीत करनी होगी हम भय के कारण बातचीत नहीं करेंगे जैसा कि राष्ट्रपति केनेडी ने एकबार कहा था। चीन के साथ बातचीत करते समय हमें यह रवैया अपनाना चाहिए।

श्री राजनारायण : हो गया।

श्री रतनसिंह राजदा : आपने पहले ही बहुत डिस्टर्ब किया है अब कहते हैं—हो गया। नेताजी, हम तो आपके भक्त हैं।

श्री राजनारायण : हमारे मित्र ने कहा है कि नेपाल में और हम में कोरडियल-रिलेशन्ज बढ़ रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं—वहां दो रेवोल्यूशनरीज को फांसी दे दी गई, गोली से उड़ा दिए गये—क्या यह मित्रता का सुबूत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर उनका समय ले रहे हैं।

श्री राजनारायण : मान्यवर, फारन-मिनिस्टर उन की बात को गलत समझ लेंगे, इसलिए कह रहा हुं।

श्री रतनसिंह राजदा : के राजनारायण में कभी सुधार नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि श्री राजनारायण समझते हैं कि उनके बोलने की बारी नहीं आएगी। इसलिए वह हर एक बात को दूसरों के मुंह से कहलाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राजनारायण : यह बहुत गलन बात इन्होंने कह दी। आप खुद रियलाइज करते होंगे कि हमारे सदन में इतने अपरिपक्व लोग भी हैं जो थर्ड फोर्स का मतलब थर्ड ब्लाक समझते हैं। वे थर्ड फोर्स का सही मतलब नहीं समझते तीसरी शक्ति जन स्तर पर होती है और तीसरी गुट सरकार के स्तर पर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का जो भाषण है, वह श्री रतनसिंह राजदा के भाषण के बीच-बीच में आ रहा है। आप उनको खत्म करने दीजिए।

श्री राज नारायण : यह इन्होंने बहुत गलत बात कह दी। इससे तो चीन और भारत के सम्बन्ध विकृत होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए।

श्री रतनसिंह राजदा : इतना कहने के बाद में बिदेश मन्त्री का ध्यान कतिपय घटनाओं या देश की कतिपय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं ऐसा कहा गया है कि उनके मंत्रालय में जो गलत नीति अपनाई जा रही है, उसके कारण कुछ कर्मचारी ऐसे हैं—मैं नहीं जानता कि वह गलत है या सही। वह इसकी जांच कर सकते है, जिन्होंने किसी न किसी देश के समर्थन करने का रवैया बना लिया है। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारी न तो रूस समर्थक बने न अमरीका समर्थक। उन्हें तो भारत समर्थक होना चाहिए। हमारे संगठन को भारत समर्थक होना पड़ेगा और यह हमारे विदेश मन्त्री की एक बड़ी उपलब्धि होगी, यदि वह अपने मंत्रालय से इस प्रकार के तत्वों को हटायेंगे और उन लोगों के बारे में सावधानी बरतेगे जो या तो रूस या अमरीका के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी अधिकारी भारत, भारतभूमि और इस देश के प्रति निष्ठावान बनें।

हमारे देश में कुछ घटनायें हुई हैं। भारत-सोवियत संघ सांस्कृतिक सोसायटी नामक एक संगठन है। जब श्री कोसिजिन यहां आए थे। तब एक समारोह हुआ था उस समारोह में इस संस्था के आसपास श्री राजेश्वर राव और श्री शंकर दयाल शर्मा ने इस विदेशी अतिथि की उपस्थिति में भाषण दिये थे। देश भक्ति का तकाजा यह है कि जब कभी कोई विदेशी उत्तराधिकारी हमारे देश की यात्रा पर होता है तब कुछ शिष्टाचार करता जाना चाहिए। मुझे यह कहने में दुःख होता है कि भारत भूमि में ही रहते हैं जिन्होंने श्री कोसिजिन की उपस्थित में न केवल इस सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है परन्तु इसे इन शब्दों में कहा है—मैं इसका एक उद्धरण देता हूं :

"उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को वर्तमान सरकार के हाथों से न्याय नहीं मिलेगा।"

यदि यह सत्य है तो यह वास्तव में बड़ी निन्दनीय बात है। किसी भी भारतीय को विदेशी उच्चाधिकारी की उपस्थित में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारी सरकार की उस विदेश नीति की आलोचना की जाए जो राष्ट्रीय सम्मति से बनाई गई हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं जब इस तरह की चीजें हों तो हमारे विदेश मंत्री को ऐसे संगठनों, जो विदेशी हितों के इशारे पर नाचते हैं, के कार्यकरण की जांच करनी होगी। क्या हम इन विदेशी हितों को इन एजेनिसयों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति दे रहे हैं? चाहे यह अमरीका हो, चाहे सोवियत संघ। मुझे कोई परवाह नहीं। हमें किसी भारतीय को किसी विदेशी एजेन्सियों के इशारे पर नहीं चलने देना चाहिए। यह प्रश्न बढ़े महत्व का है। हमें इसकी जांच करनी होगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी हाल ही में लंदन गयीं थीं। जब वह वहां गयीं तो वहां एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय उच्चायुक्त भी उपस्थित थे। और भारतीय उच्चा-

युक्त ने यह बताया था कि वह भारत सरकार की ओर से बोले थे। इसके बाद श्रीमती गांधी ने उन्हें बताया कि श्री गोरे भारत सरकार की ओर से बोले थे। अब मैं भारतीय जनता की ओर से बोलूंगी।" कम से कम इस तरह का रवैया एक ऐसे व्यक्ति को नहीं अपनाना चाहिए जो इस देश में प्रधानमंत्री रहा हो। विदेशी भूमि पर हमें यह देखना चाहिए कि हम ऐसी सभी चालों का शिकार न हों। और इस तरह की चालबाजी भविष्य में सफल नहीं होती है। उस स्वागत समित में श्री स्वराजपाल अध्यक्ष थे, जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए स्वागत का आयोजन किया था। मैं अनुरोध करता हूं कि श्री अठल जी यह पूछताछ करें कि यह स्वराज पाल कौन से महाशय हैं। मुझे यह बताया गया है कि उनके बिरुद्ध अनेक मामले लम्बित हैं और इस-लिए उनका पारपत्र जब्त कर लिया गया है। इस तरह के लोग इस देश की जनता के प्रतिनिधि और प्रवक्ता बन रहे हैं और भारतीयों की तरह बोलते हैं। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को धिक्कार है जो भारतीय बनकर विदेशों में इस देश के हितों के विरुद्ध बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें। आपने 25 मिनट से अधिक ले लिये हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : हम चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति अधिक गतिशील हो। हमारे विदेश मंत्रालय में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारे संसद सदस्यों को इस मानों में विदेश मंत्रालय के कार्यकरण से अधिकाधिक-सम्पर्क रखना चाहिए कि उनकों निकट सूत्रों से समय-समय पर विवरण मिलना चाहिए जिससे विदेश मंत्रालय के कार्य करण की सही जानकारी मिले। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने प्रधानमन्त्री और विदेश मन्त्री को इस देश के हितों की रक्षा करने के लिए वास्तविक गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने के लिए बधाई देता हूं---। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : विदेश मन्त्री के अनुसार हमारी विदेश नीति वह नीति है जिससे हम सभी के साथ मित्रता कायम करना चाहते हैं। हम वास्तबिक गुट निरपेक्षता को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मैं यहां पर विदेश नीति के बारे में कतिपय महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहता हूं। प्रतिवेदन शायद साउथ ब्लाक में बैठने वाले एक बिशेष विचाराधारा के नौकरशाहों द्वारा तैयार किया जाता है और मैं हर चीज के लिए मंत्री महोदय को दोष नही देना चाहता हुं।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : अधिकारियों को दोष मत दीजिये। यह उस तरह का लोकतंत्र नहीं है जिन पर आपका विश्वास है जिसमें अधिकारियों की आलोचना की जाती है। यहां तो मंत्री जिम्मेदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन कथनों से विचलित न होइये। आप मेरी ओर देखिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं आपकी ओर देखता हूं परन्तु इअ तरह से बाधा डाली जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन लोगों की बातों पर ध्यान न दीजिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बात यह है कि अतीत में अमरीका जैसे कुछ देशों ने भारत के प्रति मित्रता का रवैया क्यों नहीं अपनाया ? क्या यह संयोग वश हुआ ? रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि नयी सरकार को आने के बाद वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनायी जा रहीं है और सम्बन्धों में सुधार हो रहा है । ऐसी बात नहीं हैं । अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी देशों के हित भारत और विकासशील देशों के हितों के बिलकुल विरूद्ध हैं । उन्होंने ही अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का रवैया अपनाने की कोशिश की है भारत ने नहीं । अमरीका ने ही भारत को अलग करने को नीति अपनायी थी । वे भारत को कमजोर करना चाहते थे । उसने पाकिस्तान जैसे देशों को लैस करने की कोशिश की ! उसने सेनिक गुट बनाये और इसने काश्मीर, गोआ और ऐसी अनेक समस्याओं के सम्बम्ध में हमारे देश के महत्वपूर्ण हितों के विरूद्ध निर्णय लिये । इस संदर्भ में भारत और अनेक अन्य निर्गुट देशों के लिए अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना असम्भव था । यह आज भी मान्य है । जहां यह सरकार आज भी गुटनिरपेक्षसा की नीति अपना रही हैं वहां इसके मुकाबले में अमरीका की नीति क्या है ? अमरीका भारत और अन्य निर्गुट देशों के प्रति अमैत्रीपूर्ण नीति अपना रहा है, क्योंकि मूलरूप से अमरीका स्वयं गुटनिरपेक्षता के विरूद्ध है । इस बात के कारण कि गुटनिरपेक्षता, जैसी कि इसकी व्याख्या की गयी थी, साम्राज्य बाद विरोधी नीति है और उन लोगों को समर्थन देने की नीति है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा अमरीका से संघर्ष होता है । जब भारत वर्ण और जातिवाद के विरूद्ध दक्षिण अफ्रीका के देशों का समर्थन करने की नीति अपनाता है तो आपको पता लगेगा कि इस जातिवादी शासन को अमरीका समूची मानवजाति के विरूद्ध अत्यधिक निर्लज्जता के साथ समर्थन प्रदान करता है । जब हम फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और अरब के हितों के समर्थन करने की निति अपनाते हैं तब हम देखते हैं कि अमरीका तथाकथित शांति संधि करने और अरब राष्ट्रों को व्यवस्था भंग करने की कोशिश करते हुए अरब देशों को लड़ाने की कोशिश कर रहा हैं । यद्यपि इसे इसमें सफलता नहीं मिली है । अतः भारत की नीति अमरीकी नीति के विरूद्ध है । ये तो सजीव तथ्य हैं । हम गुटनिरपेक्ष निश्व में बड़े देशों में से एक है और जब हम अपनी नीति पर चल रहे हैं तब वे अपने मित्र चीन की तरह सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं । अमरीका का हाल का निर्णय क्या है ? हिन्द महासागर में सैनिक अड्डा बनाने के अतिरिक्त जो अरब देशों, अफ्रीका और एशिया में उभरते हुए विश्व के विरूद्ध एक घातक बात है इसने इस क्षेत्र में गश्त लगाने का निर्णय किया है । मैं नहीं जानता कि क्या श्री वाजपेयी युगों पुरानी शक्ति प्रदर्शन की कूटनीति से सहमत है परन्तु इस प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि भारत हिन्द महासागर में सेना को विद्यमानता के विरूद्ध है । प्रश्न यह नहीं है, जो प्रश्न एशिया, अफ्रीका, अरब जगत और समूचे विश्व में हलचल मचा रहा है वह यह है कि राष्ट्र संघ ने कहा था कि हिन्दमहासागर को एक शांति क्षेत्र रखा जाना चाहिए परन्तु प्रश्न तो यह है कि वहां सैनिक अड्डा है और सैनिक अड्डा होना कोई मजाक नहीं है । इस सैनिक अड्डे से वह स्वतंन्त्र नीति अपनाने वाले देशों में हस्तक्षेप करना चाहता है । आपके मित्र श्री कोसिंजर ने कहा था "यदि अरब देश अपनी मर्जी से तेल की कीमत के बारे में निर्णय लेंगे तो हमें उनके देशों में सैनिक दृष्टि से हस्तक्षेप करने का अधिकार है ।" (**व्यवधान**) । ग्रोमिको ने ऐसा नहीं कहा था । ग्रोमिको के भय से अमरीका ने वहां हस्तक्षेप नहीं किया । यह एक और मामला है । जब अमरीका जैसा देश नये स्वतंत्र हुए

देशों के विरूद्ध निरन्तर नीति अपनाता है तो यह उसके लिए स्वाभाविक है। यही आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं कि यह संयोंगवश हो जाता हैं। नहीं। सामाज्यवाद में आक्रमण यह तो देखने में तो हानि पहुंचाने वाला नहीं लगता है। करने, में देशों को दास बनाने और अपनी स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश करने वाले देशों के विरूद्ध युद्ध छेड़ने का गुण अंतर्निष्ठ है। आपकी विदेश नीति सम्बन्धी पुस्तक में इस तरह की बात का कोई उल्लेख नहीं है।

विश्व में जो कुछ भी हो रहा है आप कुछ उनके अनुसार नहीं चलते हैं। श्री वाजपेयी जी मैं आपकी उस समय सराहना करता हूं, जबकि आप अधिकारी वर्ग द्वारा- जिन्हें आपने एक बार अधिकृत सरकारी प्रवक्ता नहीं माना था, की गई गलतियों में संशोधन करके वक्तव्य देते हैं। इन अधिकारियों ने कम से कम तीन बार आपकी नीति के विरूद्ध कहा। वे अक्सर कहते रहते है परन्तु आप उन्हें रोक नहीं सकते। जब डा० बख्वियार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने क्या कहा कि इस घटना का स्वागत है। आप इससे इनकार कर सकते थे परन्तु अखबारों में इसी तरह की खबर छपी। मैं यह नहीं कहता कि अखबारों के अक्सर झूठी बातें छपती हैं। उन्होंने सादात-बेगिन समझौते के बारे में श्री समरेन्द्र बुन्दू को गुमराह किया। अनधिकृत सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना का स्वागत है और कुन्दू ने भुवनेश्वर मे यह सोचकर एक बयान दिया कि यह तो सरकारी नीति है। इसके बाद आपने यहां आकर कहा कि यह तो अमुक सरकारी प्रवक्ता ने कहा था।

इसके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन ये बड़े देशों की सैनिक उपस्थिति को खतरनाक बताया गया है। केवल एक बार मेंने देखा कि श्री चव्हाण को वहा कुछ चीज समझ में आई परन्तु मेरा विचार इस मामले में भिन्न है। मैं बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि सोवियत संघ की भारत के साथ मित्रता है। गलतियां हो सकती हैं। यदि उनकी नीति में कोई गलतियां नहीं होगी तो वे फरिश्ता होंगे। वे फरिश्ता नहीं हैं। वे मनुष्य हैं। परन्तु अक्तूबर की क्रांति के बाद उन्होंने जो नीति अपनायी है वह.....

प्रो० समर गूह (कन्टाई) : वह अद्भुत है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह एक अद्भुत नीति है। आपने मुझे अच्छा शब्द बताया।

प्रो० समर गुह : आप तो इनके बीच का अन्तर भी नहीं जानते।

श्री सी के चन्द्रप्पन : मैं यह कहना चाहता हूं कि वह निरन्तर ऐसी नीति का अनुसरण करते रहे हैं जिसके फलस्वरूप कहीं भी चल रही राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का समर्थन किया जाता है। उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अन्य देशों स्वतन्त्रता को भी अपनी स्वतन्त्रता बरकरार रखने के लिए उनका समर्थन किया। जब कभी भी आवश्यक हुआ उन्होंने समाजवादी विश्व के देशों को आर्थिक राजनैतिक तथा सैनिक सहायता प्रदान की और आज भी जो हाल ही में जिन देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है तथा जो अभी भी साम्राज्यवाद के आक्रमणक इरादों से भयभीत हैं, उन्हें आज भी सोवियत संघ द्वारा हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

श्री गोरीशंकर राय : कम्पूलिया के बारे में आपका क्या विचार है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपने विद्वान मित्रों श्री कामत तथा अन्य लोगों के भाषण भी पढ़े हैं । बंगला देश के बारे में उनका क्या इरादा है ? यह भी एक प्रकार से बंगला देश की तरह ही है । लोगों पर तानाशाही लाद दी गई है, एक ऐसा शासन लोगों पर लाद दिया गया है जिससे लोग नफरत करते आये हैं और वहां भी बंगला देश की तरह ही मुक्ति आन्दोलन आने वाला है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : हमने अपनी फौजें वापिस बुला ली थी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अपने काम के ही जाने के बाद ही अपनी फौजें वापिस बुलाई थी । परन्तु इसके साथ ही मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं आज आप जिस दुनिया में रहते हैं और आज जो लोग स्वतन्त्रता आन्दोलन का समर्थन करते हैं·····

प्रो० समर गुह : मेरे मित्र यह भूल गये हैं कि आक्रमण पाकिस्तान द्वारा भारत पर किया गया था और भारत को उसके उत्तर में अपनी सेनायें भेजनी पड़ी ।

श्री सी० के चन्द्रप्पन : आपको भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा ।

आज हम ऐसी नई दुनिया तथा परिवर्तनशील दुनिया में रह रहे हैं जिसकी चाल से हम परिचित हैं । आज साम्राज्यवाद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है । यह एक जीवन का तथ्य है । सैन्ये सहित जो भी सैनिक तंत्र वह तैयार कर रहे हैं, वह स्वत: अपनी मौत मरता जा रहा हैं तथा यहां तक की ईरान जैसे देश, जिसके बारे में वह समझते थे कि वह विश्व में उनका साथ देगा वह भी सामराज्यवाद के चुंगल से निकल कर स्वतंत्र हो गया है । अन्य देश जो कि यह कार्य करना चाहते थे, वह भी लड़खड़ा रहे हैं । आज चीन-माओं-अमरीकी शक्तियों के गठजोड़ द्वारा इस लड़खती हुई दुनिया को नया जीवन देने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं ऐसा इस लिए कह रहा हूं क्योंकि इसका भी एक कारण है । अभी भी कुछ लोग शीत युद्ध वाले युग में रह रहे हैं और उनके लिए इतिहास वहीं रुका हुआ है । परन्तु इतिहास बहुत आगे निकल गया है । विश्व के सामने बहुत कुछ हो चुका है । हमें तीसरे या चौथे दशक में नहीं रहना चाहिये । आज हम 1979 में रह रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्यूबा के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री सी० के चन्द्रप्पन : क्यूबा द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है । आप उसे भी समझ सकते आप को उसे समझना भी नहीं चाहिए । आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए । आपको उसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य देशों के साथ अपनी मैत्री हठ करने के लिए श्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की तथा सम्भवत: उन्होंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा उनके अन्य साथियों की प्रेरणा पर ऐसा किया···

एक माननीय सदस्य : वाह क्या खोज की है·····

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हुआ क्या ? इस मात्रा के बावजूद भी अभी यह आधारभूत प्रश्न अन्य प्रश्नों की तरह ही ऐसे ही बना हुआ है कि चीन के साथ मित्रता की जाये या नहीं। आपने वहां की यात्रा की, यह तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु उदाहरण के तौर पर नागाओं या मिजों नेताओं का मामला ही लीजिये। आपने यह मामला उठाया। आखिर आप विदेश मंत्री है और आपको यह मामला उठाने का अधिकार है। उन्होंने आपकी बात सुनी। परन्तु खबरों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने इसे एक बीती हुई बात कह कर टाल दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका तात्पर्य क्या हुआ ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण निकलता है। परन्तु ऐसा होता नहीं है। जो होता हैं, वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य तो कुछ और ही है। जहां तक मैं जानता हूं यह समाचार पत्रों में आने वाला है, मुझे इसकी कोई निजी जानकारी नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह ठीक नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप इससे इंकार करते हैं तो मुझे इसकी खुशी है। वह विद्रोहियों की सहायता करते हैं तथा वहां शस्त्रों की तस्करी होती रहती है। उन्होंने नागालैंड में अलग-अलग साम्यवादी दल बना लिया है। यह सब कुछ वहां हो रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारत में तो हर साम्यवादी देश का अपना साम्यवादी दल है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : ऐसा आपका विचार हो सकता है तथा आपका यह विचार और कोई भले ही माने या न माने। इस प्रकार की घटनायें घट रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण मसलों का क्या हुआ ? जो क्षेत्र उनके कब्जे में है, उसका क्या हुआ ? कोराकोरन सड़क का क्या हुआ ? अकाशिचन सड़क के बारे में क्या बातचीत हुई। नक्शे के बारे में क्या बात हुई ? आज भी चीन में विद्यार्थियों को स्कूलों में लड़ाकुओं का रवैया अपनाने तथा अन्य देशों के विरुद्ध आक्रमण करने की शिक्षा दी जा रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे देश के साथ इस प्रकार की नीति अपनाने से किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है।

आपको मित्र तथा शत्रु के बीच के भेद को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी विशेष गुट से सम्बन्ध हो जाओ/ऐसा मेरा सुझाव नहीं है। इसके साथ ही मेरा कहने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि हमें चीन जैसे पड़ौसी देश के साथ मित्रतापूर्ण तथा अच्छे सम्बन्ध नहीं बनाने चाहिये। मैं तो पूर्ण रूप से इसके पक्ष में हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप किसी भी ऐसे देश के साथ अच्छे पड़ोसियों वाले संबंध नहीं बना सकते जो देश की अन्य देशों को सबक सिखाने की बात कर रहा हो। अत: जब तक चीन द्वारा अन्य देशों को सबक सिखाने की नीति का अनुसरण किया जाता है तब तक हमें उसके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले कई बार विचार करना होगा।

इस मामले में मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार हर बात को एक घटना का नाम दे देती है। "साम्राज्यवाद हमारे खिलाफ है" यह उनका कहना है। क्योंकि यह भी एक घटना ही है जो कई बारे मैत्रीपूर्ण परिस्थितियों में होती है तो कई बार अमैत्रीपूर्ण परिस्थितियों में। सरकार के विचारानुसार तो "सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं" वह इसे भी एक घटना ही कहते है और "चीन के साथ हमारे संबंध अमैत्रीपूर्ण है" तो इसे भी वह एक घटना की ही संज्ञा देते हैं। मैं माओ-से-तुंग शब्द के उद्धत करता हूँ। श्री तूंग का कहना है कि :—

"मेरे चचेरे भाई द्वारा मुझे दो पुस्तकें भेजी गई। जिनमें कि मैने कांग-यू-वी के सुधारात्मक आन्दोलन के बारे में पढ़ा। इनमें से पुस्तक पीपल्स मेग्जीन थी जिसका प्रकाशन लियांग-ची-चाओ द्वारा किया गया था मै इस पुस्तक को तब तक पढ़ता गया जब तक कि यह मुझे जबानी याद नहीं हो गई। मैं कांग-यू-वी तथा लियांग-ची-चाओं की उपासना करने लगा।"

इन दोनों व्यक्तियों की उसने उपासना की और कांग-यू-वी ने लिखा :

"हमें अपने उद्योगों का विकास करके भाप इंजनों का निर्माण करना चाहिये हम ,अमरीका तथा यूरोप से अपगे संसाधन प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहां 500 मिलियन से भी अधिक लोग है जिनसे हमें 10 मिलियन सिपाही तो उपलब्ध हो ही सकते हैं। हमारे पास लोहे तथा धातुओं के बहुत बड़े भण्डार हैं जिनसे हम हजारों यूध-पोतों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम पांचों संघ-द्विपों में अपने साम्राज्य के झण्डे फैहरा सकेंगे तथा चारों ओर हमारा ही साम्राज्य नजर आयेगा।"

लियंग-ची-चाऊ जो कि दूसरे लेखक थे उसका कहना था कि :

"हमारे राष्ट्र का विकास दो प्रकार से हो सकता है एक तो अपनी सिमाओं पर असंख्य लोगों को एकत्रित करके तथा दूसरे अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का पुनर्वास करके चाहे यह पुनर्वास अपनी सीमाओं के अन्दर किया जाये या इसके लिए अपनी सीमाएं बढ़ाई जायें. . . . . .पिछले 5000 वर्षों से हमारे देश का इतिहास ऐसा ही रहा है।"

अतः माओं को यह सब कुछ जबानी याद हो गया था और अब उसके उत्तराधिकारियों द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या आपको इसका एहसास हो रहा है ? जहां तक हमारी विदेश नीति का संबंध है मैं समझता हुं कि माओं के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण तथा उसके ही मित्रों को नीति को वास्तविक रूप से समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

श्री गोरी शंकर राय (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र, श्री चन्द्रप्पन, के भाषण के बाद मेरे मन में यह बात आती है कि पहले में सारे संसार में चलती हुई वैदेशिक नीति के बुनियादी सिद्धान्तो के बारे में कुछ बातें कहुं। खास तौर से हमारे कम्युनिस्ट मित्र, और दूसरे लोग भी, इस सदन में और इससे बाहर जब बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे एकदम दकियानूसी, पिटे-पिटाये और पुराने वैदेशिक नीति के सिद्धान्तों की बातें कर रहे हैं।

जहां तक कम्युनिस्ट नीति का सम्बन्ध है, लेनिन ने 1917 के बाद सबसे पहले यह सिद्धान्त अपनाया कि जब पूंजीवाद देश, या पूंजीवादी और फाशिस्ट देश, आपस में लड़ेंगे, तो हम उसका फायदा उठायेंगे —**वी विल शार्पन दि कान्ट्राडिक्शन्ज आफ फ्यूडल एंड आरबिटरेरी फोर्सिज एंड टेक एड्वांटेज आफ इट** उन्होने यह भी कहा कि हम वार्साई संधि द्वारा मारे हुए देशों को समर्थन और शक्ति देंगे और उसके बाद दुनिया में हमारा स्थान होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि को-एग्सिसटेंस हमारे देश का विश्वास है, हमारे देश की संस्कृति है, वह भारत की भूमि से निकली हुई चीज है। लेकिन लेनिन ने कहा है कि को-एग्सिसटेंस हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी ट्रांजीशनल-संक्रमण-काल की-लीति है। फारेत पालिसी में कोई सिद्धान्त नहीं होता है। मेरा बिश्वास है कि यदि आज रूस में जार का शासन होता और चीन में पुराने एम्परर का राज्य होता, तब भी ये दोनों देश आपस में लड़ते, जिस तरह कि ये कम्युनिस्ट देश अपने अपने रास्ट्रीय हितों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अमरीका ने भी समझा था कि वियतनाम में फौज भेज कर कम्युनिस्टों की बढ़ती हुई शक्ति को खत्म कर देंगे। लेकिन पूंजीवादी देशों की सारी कल्पना ध्वस्त हो गई। पूँजीवादी देशों के समर्थक चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति की रचना और निर्माण वाशिंगटन में हो, जबकि कम्युनिस्ट देशों के समर्थक यह चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति मास्को में बने। लेकिन अब हमारी विदेश नीति नई दिल्ली में बनाई जायेगी।

हमारे कम्युनिस्ट मित्रों की वही पुरानी रीएक्शनरी (यह उन लोगों का ही शब्द है), कनसरवेटिव, एन्टी क्वेटिड, पिटी-पिटाई थीम चली आ रही है। वे अब भीं अपने तथा-कथित कम्युनिस्ट सिद्धान्तों की बात करते हैं। श्रीमन्, आप समाजवादी रहे हैं और इस लिए मार्क्सिज्म से आपका बड़ा ताल्लुक रहा है। लेनिन ने कम्युनिस्ट मूवमेंट को कभी भी अपने नेशनल इन्ट्रेस्ट्स के खिलाफ नहीं जाने दिया। हमारे बुर्चुंग, सी० पी० आई० (एम०) के लीडर बोल रहे थे। वह बता रहे थे कि कम्युनिस्ट हथियार अच्छा होता है और पूंजीवादी हथियार अच्छा नहीं होता है। मैं यह बता रहा था कि सैद्धांतिक दृष्टि से दूसरे महायुद्ध के बाद जिन दो महाशक्तियों का अभ्युदय हुआ दोनों की सैनिक शक्ति बड़ी थी और दोनों की बड़ी सैनिक शक्ति को खेमा मान कर राजनीति चलने लगी। लेकिन अपने मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि विदेश नीति का वह ढांचा आगे बदल गया। मिडिल ईस्ट आज आगे बढ़ रहा है। अफ्रीका के देश भी आगे हैं। भारतवर्ष भी एक मान्यताप्राप्त शक्ति के रूप में आगे आ गया है और अब इन दो खूंटों से बंधी हुई देश की विदेश नीति नहीं होगी, न दुनिया के किसी देश की विदेश नीति ऐसी है। यही नहीं, लेनिन ने और कम्यूनिस्ट्स ने तो यह भी ऐंटिसिपेट किया था कि जब द्वितीय महायुद्ध होगा तो प्रत्येक देश में सिविल वार होगी और कम्यूनिस्ट लोग हमारी मदद करेंगे, हम उस सेना को पार कर देंगे। इन्होंने कहा था कि फासिस्ट और पूंजीपति लड़ेंगे तो हम तमाशा देखेंगे। लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर हथियार उठाया और झगड़ा किया तो फ्रांस और ब्रिटेन के चरणों में नत हो गए, उनकी सहायता लेने की आवश्यकता उन को पड़ गई। इसलिए में अपने मित्रों से एक वाक्य यह कहना चाहता हुं कि पुराने भ्रमों को छोड़ कर नवीन असलियतों पर आवें। बतिक मै अंग्रेजी

में कह दूं—कृपया पुराने भ्रमों को छोड़कर नवीन असलियतों पर आवें तब समझ में आएगा। इन घिसे पिटे पुराने शब्दों को अब वह छोड़ दे।

हमें प्रसन्नता है कि अब नान-एलाइन्ड की प्रशंसा कम्यूनिस्ट पार्टी करती है। वक्त थोड़ा है नहीं तो मैं आप को बताता, कोरियन वार के समय जिन बी के कृष्णमेनन को ये प्रगतिशील और क्रान्तिकारी मानते थे उन को भी गालियां दी थीं और नेहरू को भी अमेरिका का दलाल कहा था। डाक्टर लोहिया ने एक पत्र लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, थर्ड कैम्प की बात की थी तो उस की आलोचना रशियन पेपर्स ने की थी और डाक्टर लोहिया को कहा था कि ये पैसिफिक इन्टरेस्ट सर्व करते हैं, पूंजीवादी इंटरेस्ट सर्व करते हैं। तो नाम-एलाइन्ड को जो लोग गालियां देते रहे हैं वे आज नान-एलाइन्ड की प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में जब वह सूट करे तो वह क्रान्तिकारी है और तब वह ऐंटी इम्पीरियलिस्ट है। लेकिन भारतवर्ष किसी के इशारे पर ऐंटी—इम्पीरियलिस्ट और ऐंटी कोलोनिअलिज्म नही हुआ। जब ऐंटी कोलोनिअलिज्म की राजनीति शुरू सहीं हुई थी तब महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में -कालोनिअलिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी जब रूस और अमेरिका की फौजें दुनिया में नहीं थीं। तो हिन्दुस्तान को किसी से सीखना नहीं है, न ऐन्टी कालोनिअलिज्म सीखना है न ऐंटी—इम्पीरियलिज्म सीखना है। मै अपने मित्रों से कहूंगा कि पिटी पिटाई पुरानी बातों को छोड़े। आज जो नवीन आवश्यकताएं और नवीन परिस्थितियां हैं उनके समकक्ष बात करे।

एक बात और कह दूं कि इनके खुदा ने और ये दूसरे जिनको ये हमारे भाई कहा करते थे, उनके खुदा दे, दोनों खुदाओं ने तय कर लिया है—

दोनों ही बड़ी शक्तियों ने यह निर्णय किया है :

"राष्ट्रीय जीवन को प्रत्यक्ष खतरा होने के कारण ही युद्ध को न्योचित ठहराया जा सकता है।"

इन दोनों ने तो यह तय कर लिया है लेकिन

"कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो राजा की अपेक्षा अधिक देश भक्त हैं।"

यहीं से प्रशंसा कर रहे हैं और उसके लिए परेशानी में पड़े हुए हैं।

मैं इस विषय पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। नान-एलाइन्ड के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। नान-एलाइन्ड के सम्बन्ध में भारतवर्ष की एक नीति रही है ईमानदारी से और संकल्प से। नेहरू के जमाने से भी पहले जब देश गुलाम था तो इंडियन नैशनल कांग्रेस ने अपनी फारेन पालिसी पहले ही निश्चित कर ली थी। यह नेशनल कान्सेशस आज का नहीं है बल्कि भारतवर्ष का पुराना नेशनल कान्सेशस है। भारतवर्ष की सभी संस्कृति समन्वय की संस्कृति रही है और हमने किसी का साथ नहीं दिया है। यह हमारी राजनीति है। नान-एलाइन-मेंट हिन्दुस्तान की नीति है। मैंने आपसे कहा, वक्त नहीं है नहीं तो मैं पढ़कर सुनाता आप को, लेनिन ने कहा है—

शायद यह संक्रान्ति काल की युद्ध नीति है।

उन्होंने यह भी कहा था कि जब समाजवादी शक्तियां सशक्त हो जायंगी तो सारी दुनिया को ठीक कर लेंगी। कांट्रैडिक्शन पूंजीवादी देशों से नहीं हुआ बल्कि कम्यूनिस्ट पार्टीज के नेशनल कांट्रैडिक्शंस आपस में शार्पेन हुए और आज चीन और रूस आपस में लड़ने की स्थिति में हैं। हमें खुशी है कि आज चीन के ऐग्रेशन को आप ऐग्रेशन कहते हैं। आप ने भारत पर चीन के ऐग्रेशन को ऐग्रेशन नहीं कहा इसलिए कि उस समय हम दोस्त थे और चीन भाई था। लेकिन उस पर हमें गुस्सा नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं अपने दोस्तों से कि राइट परस्पेक्टिव में भारतीय की दृष्टि से इंडियन इंटरेस्ट में, अन्तर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से भारत की विदेश नीति की व्याख्या करने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान नान-एलाइन्मेंट की मजबूत स्थिति में खड़ा है। पहले भारत था या दो चार देश थे, अब 88 देश हैं। कोरियन युद्ध के समय अमेरिकन कांग्रेस में जो आलोचना हुई थी, अभी हाल में मैंने उसे पढ़ा, हमें गालियां दी हैं और कोरियन वार के समय डांगे साहब ने लिखा है कि ये मनी वैग्स के एजेंट हैं। दोनों ने गालियां दी। जब जूता दर्द करता है, चुभता है तो जूता खराब है और जब जूता नहीं चुभता तो वह टोपी है ऐसा दृष्टिकोण हमारे मित्रों को छोड़ना चाहिए।

नान-एलाइनोंट के बारे में हमें संदेह नहीं है। चीन का वियतनाम के ऊपर जो आक्रमण है वह निन्दनीय है। कोई भी उसकी निन्दा करेगा और इस देश के लोगों ने हमेशा निन्दा की है।

जिन लोगों ने भारत के ऊपर चीन के आक्रमण को आक्रमण नहीं समझा उनकी देशभक्ति संदिग्ध ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से दूसरे पक्ष में है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस मजबूती के साथ भारत इस बात को मानता है कि चीन एग्रेसर है उसी मजबूती से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी वियतनाम की फौजें कम्पूच्या में हैं। मेरे मित्रों ने उसको बंगलादेश से कम्पेयर किया लेकिन बंगला देश में जब चुनाव हुए थे उसके पहले ही जनता ने बता दिया था कि पश्चिम पाकिस्तान के लोग एक साम्राज्यवाद के रूप में पूर्वी पाकिस्तान पर काबिज हैं। वहां जनमत प्राप्त होने के बाद सेनायें गई और एक करोड़ रेफ्यूजीज का मामला हल करके सौ दिन में हमारी फौजें चली आई। अपने देश के सम्मान के विरुद्ध बात करने में कुछ लोगों को गौरव मालूम होता है, उसमें हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी हैं। हमारी फौजें बंगलादेश से वापिस चली आई और आज बंगलादेश से हमारा कोई मतलब नहीं है। आज हम शर्म के साथ कहना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिस्ट मित्र गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि कम्यूच्या में वियतनाम का कब्जा औपनिवेशिक रूप ले चुका है। वहां पर फौजें हैं और वह हट नहीं रही हैं। हमारे मित्र कह रहे हैं कि उसको मान्यता दे दी जाये। मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट देशों के अलावा 88 नानएलाइन्ड देशों में किसने मान्यता दी है ? क्या खाली भारत मान्यता दे दे ? मैं अपने विदेश मंत्री से कहूंगा कि हीनभाव-ग्रस्त होकर और लोगों को प्रसन्न करने के लिए सरकार ने यह काम नहीं किया है, यह उचित ही है। किसी नानएलाइन्ड कन्ट्री ने मान्यता नहीं दी है। इसलिए कम्पुच्या की बंगला देश

से तुलना करना कुतर्क है, अन्यायपूर्ण है। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि कभी तो आप भारत देश के इन्ट्रेस्ट में सोचें, सर्वथा इधर उधर के इन्ट्रेस्ट की बात ही न सोचें क्योंकि इसका सिद्धांत से कोई सम्बन्ध नहीं है। कम्युनिस्ट देश भी आपस में लड़ सकते हैं और पूंजीवादी देश भी लड़ सकते हैं। आप अपने पूर्वाग्रह को छोड़ें। कम्पुच्या के मामले में भारत का सिद्धान्त सही है। जो यह कहा जाता है कि जैनुइन-नान-एलाइनमेन्ट क्या है तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ मित्रों के लिए जैनुइन-नान-एलाइनमेन्ट यह है कि अगर मास्को में बारिश होती है, तो यहां पर छाता लगा लें, मास्को में कड़ी धूप निकलती है तो एअर-कण्डीशनर यहां पर चालू कर लें। मास्को के मौसम से यहां का मौसम जज नहीं होगा। हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों को मालूम होना चाहिए—न वाशिंगटन, न ब्रिटेन, न मास्को, किसी भी दूसरे देश के इशारे पर भारत भूमि का मौसम नहीं बनेगा। हमारी नान-एलाइनमेन्ट की नीति सही साबित हुई है, जबकि उनकी नीति सही साबित नहीं हुई है। आप देखते हैं कि पूंजीवादी भी आपस में लड़ रहे हैं और कम्यूनिस्ट भी आपस में लड़ रहे हैं—अपने नेशनल इन्टरेस्ट में।

मान्यवर, फ्रेन्च रेवोल्यूशन के बाद जो राष्ट्रीयता का जागरण हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि सारी दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ेगा। हम बड़े आशान्वित थे लेकिन दस साल से मालूम होता है कि और भी भयानक राष्ट्रीयता का युग चलाया गया, नेशनल फ्रेगमेन्टेशन तक होने लगा। समय कम है—मैं कुछ और बातों के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारे राष्ट्र का कुछ सम्मान है। हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व, पर्सनेलिटी प्रोजेक्शन में हमारी मदद करें। किसी देश से हम को कोई शिकायत नहीं है। कम्यूनिस्ट देश हमारे मित्र हैं, रूस हमारा बड़ा दोस्त है—उसके लिए हमें नाज है। वह हमारा मददगार रहा है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन ईस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज के एम्बेसेडर्स ने अभी ट्रेड यूनियन की तरह से एक कान्फरेंस भारत देश की भूमि पर की। हम चाहेंगे कि किसी मित्र देश को इस प्रकार से संकोच में नहीं डालना चाहिए। यह विश्व की डिप्लोमेटिक परम्परा के विपरीत है। मिडिल ईस्ट के लोग भी हमारे दोस्त हैं—मैं अभी यूनाइटेड नेशन्ज में था—सरकार और देश की नीति के अनुरूप हम ईजरायल और दूसरे सारे मामलों पर बोले। यहां पर मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनका प्रदर्शन हुआ, ठीक है। लेकिन डिप्लोमेट की वाइव्ज ने भी डिमांस्ट्रेशन में हिस्सा लिया—यह बात सारे डिप्लोमेटिक नार्म्ज के खिलाफ है। इसके खिलाफ मंत्री जी को मजबूती से कहना चाहिए। जैसे हांगकांग में फ्री-पोर्ट बताया जाता है, जिस किसी को स्मगलिंग का सामान खरीदना हो वहां चला जाय, उस प्रकार से इस देश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रोपेगेण्डे के लिए फ्री-पोर्ट न बनाया जाय।

पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धियों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मौजूदा सरकार की नीति के अन्तर्गत सारी दुनिया के देशों से हमारी होस्टिलिटि बढ़ी नहीं है, कम हुई है। पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बढ़े हैं। हथियारों की होड़ में हम किसी के साथ उतरना नहीं चाहते हैं।

जहां तक इण्डियन ओशन का सवाल है—सन 1964 में पं० जवाहरलाल नेहरु ने अपने बिमारी के बिछौने से कहा था कि वहां पर शक्तियों की होड़ खत्म होनी चाहिए। सन 1969 में

मिसिज गांधी के फारन-मिनिस्टर श्री दिनेश सिंह ने न्यूयार्क में और यहां की पार्लियामेन्ट में भी कहा था कि दोनों बड़ी शक्तियों का बढ़ाव इण्डियन ओशन में नहीं होना चाहिए। 1972 के बाद जब हमारे चव्हाण साहब फारन-मिनिस्टर बने—उनको डीगो-गार्शिया दिखाई दिया। वह भद्दी चीज है हिन्द महासागर में सैनिक और नौसैनिक शक्तियों की प्रतियोगिता एक बुरी बात है। इस क्षेत्र के तीस तटस्थ देशों के लिए वह खतरनाक बात है। समय नहीं है—दो-एक बातें और कहना चाहता था। सन 1964 में, 1969 में, यूनाइटेड नेशन्ज की जैनरल असेम्बली के रेजोल्यूशन्ज—मैं नम्बर कोट नहीं करूंगा, उसमें कहा गया कि दोनों शक्तियों की प्रतियोगिता न हो।

वहां एक कमेटी में यह कहा गया कि दोनों शक्तियों में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है रूस के सैनिक बेड़े का री-यूलिंग, रिपेयर और सारे इन्तजाम हो रहे हैं, दोनों मजे से घूम रहे हैं, रोज शक्ति बढ़ रही है। ये दोनों शक्तियां इतनी आसानी से खत्म होनेवाली नहीं हैं। कार्टर साहब ने 1977 में प्रपोजल दी थी, रूस को कहा था कि तुम हटालो तो हम भी हटा लें—लेकिन किसी ने नहीं हटाया। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों शक्तियां हिन्द महासागर से दूर रहें। मैडम चेअरमैन, यह उसी प्रकार का व्यवहार है, जैसे अंग्रेज कहा करते थे कि हम चले जायेंगे तो हिन्दुस्तान का काम चलनेवाला नहीं है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं —मैं जब यूनाइटेड नेशन्ज में था तो वहां एक सवाल पेश हुआ—मैं ज्योग्रेफिकल बाउन्ड्री की बात कह रहा हूं—इसके हिसाब से हमारे ओहदे बढ़ा दिए जांय। इस मामले में नार्थ अमेरिकन और अफरीकन कन्ट्रीज ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन जब ईस्ट-यूरोपियन कन्ट्रीज और वेस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज का सवाल आया तो उन्होंने अफगानिस्तान और वियतनाम को डांट कर भगा दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब अपने इन्टरेस्ट में काम करते हैं, ज्योग्रेफिकल एरिया के हिसाब से कोई काम नहीं करता।

भारत ने सर्वदा विश्व शान्ति के लिए काम किया है। इसलिए हम नान-एलाइनमेन्ट किसी से सीखना नहीं चाहते, हम उस पर चलेंगे, इसके लिए किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है।

धन्यवाद !

सभापति महोदय : श्री अशोक राज— यहां नहीं हैं। श्री वसंत साठे :

श्री वसंत साठे (अकोला) : श्री वाजपेयी विश्व के सभी देशों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सही प्रयास कर रहे हैं और श्री नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति का जिस वास्तविक ढंग से अनुसरण कर रहे हैं, उसकी में सराहना करूंगा। ऐसा करते हुए मैं अपनी उपयुक्त शंका भी व्यक्त कर देना चाहता हूं जो कि सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विशेषकर विश्व के हमारे भाग में होने वाली घटनाओं के बारे में है।

श्रीमान यह बात स्वयं की हैं कि किसी देश की विदेश नीति उस देश की आंतरिक नीति का विस्तार ही होती है। यह भी सर्वविदित है कि आप चाहें कितने ही सराहनीय उद्देश्यों की उद्घोषणा करें कोई भी देश वास्तविक रूप से सम्मान तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वह स्वय

में शक्तिशाली तथा मजबूत हो। हम इनकी प्रशंसा कर सकते हैं और आप भी अपने दार्शनिक भाव से यह सब कह सकते हैं। वह अब भी अन्य देशों की यात्रा कर रहे हैं। हमें भी कुछ देशों की यात्रा करने का मौका मिला था। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मान केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप वहां तक आत्मनिर्भर हैं तथा कितने शक्तिशाली हैं।

इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य पेश करता हूं। भारत और चीन का उदभव न्यूनाधिक रूप से एक ही अवधि में हुआ। वास्तविकता तो यह है कि चीन का वर्तमान शासन दो वर्ष पश्चात आया। मैं पिछले 30 वर्षों की बात को आपके सामने पेश कर रहा हूं और यह बता रहा हूं कि यह समस्या एक राष्ट्र समस्या है। मैं इस पर इस दृष्टि से विचार नहीं कर रहा हूं कि यह आपने किया है अथवा हमने किया है। हमें तो यह देखना है कि वास्तविक तथ्य क्या हैं। आज आप चीन की सैनिक शक्ति देखिये। उसकी आर्थिक शक्ति तो है ही साथ ही वह अपने रक्षा कार्यों पर भारी मात्रा में पैसा व्यय कर रहा है। चीन हमारा पड़ोसी देश है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारी उसकी तुलना में क्या स्थिति रह जाती है। इसलिए मैं आपको दोनों देशों के बारे में रक्षा व्यय संबंधी कुछ आंकड़े दे रहा हूं।

भारत का कुल रक्षा व्यय————3,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष

चीन का कुल रक्षा व्यय———— 29,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष

व्यवधान

भारत में सैनिकों की कुल संख्या 10,96,000 है जबकि चीन की सैनिक संख्या 43,25,000 है, हमारे लड़ने वाले सैनिकों की संख्या 9,50,000 है जबकि चीन के लड़ाकू सैनिकों की संख्या 36,25,000 है; यदि हम माउंटेनियरिंग डिवीजन को लें तो भारत में सशस्त्र ब्रिगडों तथा इन्फैंटरी की संख्या केवल 16 है जबकि चीन में 150 रेजिमेंटें हैं : भारत में लड़ाकू जहाजों की संख्या 661 है जबकि चीन के पास 5600 लड़ाकू बमवर्षक हैं ; भारत के पास 605 इण्टरसेप्टर्स हैं जबकि चीन के पास 4500 इण्टरसेप्टर्स हैं ; जहां तक नौसेना का संबंध है भारत के पास केवल 8 पनडुब्बियां हैं जबकि चीन के पास 75 पनडुब्बियां हैं ; भारत के पास 16 प्रेक्षपास्त्र नौकाएं हैं जबकि चीन के पास 70 है ; भारत के पास 7 तटीय गस्ती जलपोत हैं जबकि चीन के पास 300 हैं ; ।

मैं यह कह रहा हूं कि इसके अतिरिक्त चीन के पास अणु बम तथा प्रेक्षेपास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त लम्बी दूरी तक मार करने वाले प्रेक्षपास्त्र भी चीन ने प्राप्त कर लिये हैं। यह सब कुछ हुआ है लेकिन किसी ने चीन पर ऊंगली उठाने का साहस नहीं किया। यहां तक कि श्री किसींगर भी यह कहते रहे कि चीन परमाणु विस्फोट क्यों कर रहा है। जब आपने परमाणु विस्फोट किया था तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। आपने कहा है कि मैंने यह अपनी ओर से कहा है कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भी परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। क्यों ? इसका कारण तारापुर संयंत्र हैं। यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इसलिए हमें यह

बात छुपानी नहीं चाहिये । यह एक कहावत यह है कि जब आप मक्खन दूध के लिए जायें तो आप मक्खन दूध का बर्तन नहीं छुपाते । अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तारापुर संयंत्र के कारण ही आपने ऐसा कहा हैं । इससे न केवल वैज्ञानिक ही हतोत्साहित हो रहे हैं बल्कि इससे सारे देश का मनोबल कम हो रहा है । आप संसार के सामने यह दावा करते हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे ।

अब मैं तथाकथित गुटनिरपेक्ष की नीति पर आता हूं । हम किसी की ओर झुकना नहीं चाहते । मैं पूरी तरह से उन मित्रों के पक्ष में हूं जो यह कहते हैं कि वास्तविक रूप से गुट-निरेक्ष की नीति अपनाई जानी चाहिये । यदि किसी प्रकार का झुकाव है तो उसे ठीक किया जाना चाहिये । किन्तु आखिर मैं भी तो जानू कि यह झुकाव किस ओर है । आपका मतलब सोवियत संघ की ओर सम्मोह से हैं । हमें किसी की ओर सम्मोहित नहीं होना चाहिए वल्कि गुणवगुण के अधार पर इसकी परख करनी है । जब सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले में भारत का पक्ष लिया है जब बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन के समय अमरीका का सातवां बेड़ा हिन्द महा सागर में आया तो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया है तो फिर हमें ऐसे देश को अपने दिल में समुक्ति स्थान न दें ? भारत को इस्पात और तेल के मामले में आत्म-निभर्रता प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने हमारे साथ समझौता भी किया हैं ।

जिस किसी भी देश का अमरीका की ओर झुकाव रहा है या जो अपनी आर्थिक प्रगति के लिए अमरीका पर निर्भर रहा है उसका क्या हुआ है आप देख लीजिए । उदाहरण के लिए चिली, जैरे, मोराक्को, इथियोपिया, वियतनाम, पाकिस्तान तथा ईरान को लिजिए । उन्होंने इन देशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता कहां दी गई है । मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ऐसे कितने उदाहरण दे सकते हैं । मैंने आपको आधा दर्जन उदाहरण दे दिए हैं । जिस किसी ने अमरीका के हाथ पकड़े हैं समझो उसी की मौत आई है ।

एक माननीय सदस्य : तो सोवियत संघ के हाथ पकड़िये

श्री बसंत साठे : जब भी आपने सोवियत संघ के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया है, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री बसंत साठे : मैं अभी समाप्त करता हूं । "वास्तविक" शब्द का प्रदर्शन किया जा रहा है । मैं कहता हूं कि यह शब्द उनके वास्तविक ब्रह्मचर्य की तरह है । वाजपेयी जी ब्रह्मचारी हैं । सभापति महोदया आप जानती ही हैं कि एक "ब्रह्मचारी" शब्द है । यदि आप कहें कि अमुक व्यक्ति "ब्रह्मचारी" या अमुक स्त्री "ब्रह्मचारिणी" है किन्तु जब आप यह कहते हैं कि फलां "ब्रह्मचारी" "असली ब्रह्मचारी" है तो इससे संदेह उत्पन्न होता है । इससे "ब्रह्मचर्य" के बारे में भी संदेह होता है । जब आप "असली ब्रह्मचारी" या "वास्तविक ब्रह्मचारी" कहते हैं तो इससे आपका क्या अर्थ है ? इसलिए मैं आपके "ब्रह्मचर्य" पर संदेह नहीं करना चाहता । किन्तु मैं

केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रायः ऐसा मत कहिए कि मैं वास्तविक रूप से ब्रह्मचारी हूं। इसी तरह का वास्तविक गुट निरपेक्ष की बात मत करिये। यदि आप गुट-निरपेक्ष हैं तो आप गुट-निरपेक्ष हैं। आप कहते हैं कि यदि इसमें किसी प्रकार का असंतुलन हुआ तो हम इसे ठीक कर लेंगे किन्तु वास्तविक शब्द को मत दोहराते रहिए। इससे संदेह उत्पन्न होता है। इस बारे में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियां जानबूझकर तनाव यूरोप से हटाकर इस क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रही है। वे इस तनाव को मध्यपूर्व से हटाकर दक्षिण पूर्वी एशिया में लाना चाहते हैं। इसलिए कृपया इन सब बातों से कुछ सचेत रहिये। इस समूचे द्वीप में अस्थिरता पैदा करने की यह प्रक्रिया वियतनाम तथा कम्पूचिया से आरम्भ हुई है। यह धीरे-धीरे हमारे क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह समय दूर नहीं जब यह क्षेत्र तनावपूर्ण हो जायेगा। इससे समूचा देश प्रभावित होगा। मैं इस समय इस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता। किन्तु मैंने इस बारे में सलाहकार समिति के समक्ष भी कहा है। और अब भी कह रहा हूं। साम्राज्यवादी शक्तियों ने यह चाल ईरान में भी चली है। किन्तु वहां वे असफल हुए हैं। अब इस क्षत्र में सबसे बड़ा देश भारत ही है। इसलिए वे अब इस हथकंड़ें को यहां अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो विकास के नाम पर साम्राज्यवादी शक्तियों से मित्रता करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे हमारा देश दास बनकर रह जायेगा और यह सभी प्रकार के संकटों तथा गड़बड़ियों का अखाड़ा बनकर रह जायेगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे मित्र वास्तविकता को वास्तविकता क्यों नहीं कहते ? मैं कहता हूं कि हिन्द महासागर में कोई भी महा शक्ति न रहे। हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र रहना चाहिए। उसमें कोई परमाणु अड्डा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। किन्तु क्या अड्डों तथा नौ सैनिक हलचलों में कोई अंतर है ? क्या आप इतना भी नहीं समझते ? और जहां तक गोगर्शिया का सम्बन्ध है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कई बार पहले इसकी निंदा की है। उन्होंने, यदि मैं गलती पर नहीं हूं, वहां अड्डा होने के बारे में कहा। अब मैं उनसे पूछता हूं आप अब उस स्थिति से क्यों हटते हो। यह अभी भी वहां है। हम इसकी निन्दा करते हैं। आगे भी जो विस्तार किया जायेगा उसकी निन्दा की जानी चाहिए।

जहां तक कम्पूचिया का सम्बन्ध है, पोलपोट द्वारा नियंत्रित कम्पूचिया की सरकार चीन सरकार की कठपुतली है। लोग इससे दुखी हैं···

एक माननीय सदस्य : चीन की सेना वहां नहीं है।

श्री बसंत साठे : कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है। आप सेना के बिना भी कठपुतली बना सकते हैं। अतः पोल पोट शासन को उखाड़ा गया। पहली बात जो भारत को करनी चाहिए थी वह थी वहां की नई सरकार का मान्यता देना। अब चीन की योजना उस सारे क्षेत्र को अपने अधीन करना है। वहां लोग मिलकर रहना चाहते हैं। आप इसमें उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप यह जब चीन के बारे में कहें तो मैं समझ सकता हूं। आप सम्बन्धों को सामान्य बनाना

चाहते हैं। आप पूरी तरह से यह कीजिए। मैं यह कहता हूं और पहले भी मैंने एक बैठक में यह कहा था। मेरे मित्र राजदा कह रहे थे "क्या गलती हैं?" इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने वियतनाम को पीटा अथवा आक्रमण किया फिर भी मैं कहता हूं कि सम्बन्ध सामान्य बनाये जाने चाहिए। अवश्य सामान्य बनाइए। किन्तु आपका आदर नहीं हो सकता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो यद्यपि आपको आमंत्रित करता है, आपके चपत मारता है और फिर कहता है कि आप मेरे पास आते हो और जब आप वापस जाते हैं तो वह आपकी पीठ पर लात मारता है। यही चीन ने किया है। क्या चीन आपका आदर करता है? क्या वहां जाने से आपका आदर हुआ है अथवा अब भी, जबकि हमारे पीठ पर लात मारी गई है, हम सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते हैं? इस प्रकार के रुख से क्या मालूम होता है? आप किस आदान-प्रदान की बात कर रहे हैं? क्या यह किसी **नाटक मंडली** को भेजने की बात? क्या इससे सम्बन्ध सामान्य होंगे? इस पिंग-पौंग, नाटक मंडली राजनयाचार से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने का केवल एक ही तरीका यह है कि अपने आपको शक्तिशाली बनाया जाये और चीन के साथ सीमा पर ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि यदि किसी समय वे भारत को सबक सिखाने की सोचते हैं तो उन्हें वियतनाम से अधिक घमासान मुकाबना करना पड़े। उन्हें यह मालूम होना चाहिए। केवल तभी वे आपका आदर करेंगे और सही तरीके से आपके साथ बात करेंगे। हमें अपने देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहिए और अपना दृढ़ आधार बनाना चाहिए। हम अपनी राष्ट्रीय शक्ति को, दलों के बावजूद भी, एक राष्ट्रीय नीति बनाने में लगायें और अपने आपको मजबूत बनाये। अपने देश को विश्व में मजबूत बनाने और आदर का स्थान देने का यही एक तरीका है। तभी हम अपनी नीति को आगे चला सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि वाजपेयी जी ऐसा एक राष्ट्रीय जनमत बनाने में सफल होंगे। आप कम्बोडिया को मान्यता दीजिए और तिब्बत के पक्ष में कहिए तभी चीन आपकी भाषा को समझेगा।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : सभापति महोदय; उस ओर जो भाषण दिये गये हैं उन्हें मैंने बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने केवल दो बातें कहीं हैं। एक है गुट निरपेक्षेता। किन्तु क्या वे जानते हैं कि गुट-निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसका अर्थ यही है कि हम किसी शक्ति के गुट के अनुयायी हों। मेरे एक मित्र ने स्पष्ट रूप से कहा है "गैर-साम्राज्यवादी गुट में शामिल हो जाइए और इसमें रहिए।" हम भारत में किसी की कठपुतली अथवा गुट अनुयायी नहीं होना चाहते हैं। दूसरी शिकायत जो वे हमेशा करते आये हैं कि जनता सरकार अमेरिका की ओर झुक रही है। यह झुकाव कहां है? यदि हम कम्बोडिया को मान्यता देने से इन्कार करते हैं तो हम सही हैं। वियतनाम की सेना के नौ डिवीजन वहां क्या कर रहे हैं? बंगलादेश में हमारा एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद हम वापस आ गये। विजयी होने के नाते हमें सिली गुड़ी क्षेत्र में, जो सबसे निकट स्थान है, विस्तार कर सकते थे। दुर्भाग्यवश यदि कभी चीन और बंगलादेश मिलकर कार्यवाही करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र

अलग हो सकता है। विस्तार करने का हमारा अधिकार है किन्तु हमने ऐसा करने से इन्कार किया। ऐसी हमारी गुट-निरपेक्ष नीति है। यदि हमारे विदेश मंत्री अथवा सरकार ने कम्बोडिया को मान्यता देने से इन्कार किया है तो इसके बारे में कुछ भी गबन नहीं है। हम लोगों का अपना अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ कहने और करने में है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ भर्त्सनाएं नहीं हैं जो हमारे पड़ोसी देशों द्वारा जारी की जा रही है।

गुट निरपेक्षता की दूसरी पेचीदगी, जो मैं समझता हूं, गतिशील नीति है। यह तटस्तता की नीति नहीं है। यह नीति ऐसी बातों तथा ऐसे प्रश्नों का चयन करने की है जो हमारे स्थायी राष्ट्रीय हितों में सहायक होते हैं। यही हमारी गुट निरपेक्षता है। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र रिपवान विंकल की तरह बातें कर रहे हैं। वे नहीं समझते हैं कि किसी और को भी इस बारे में सोचने के लिए दिमाग है वे केवल 'हिन्दुस्तान-इन्दिरा' और 'इन्दिरा हिन्दुस्तान ही जानते हैं। यही बार-बार दुहराया जाता है और वे इससे आगे कुछ नहीं समझ सकते हैं। श्री साठे ने चीन की सेना के जमाव के बारे में जो आंकड़े दिये हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे खुशी होती यदि ये आंकड़े उन्होंने रक्षा मंत्रालय पर वाद-विवाद के दौरान दिये होते। मैंने 40 लाख की सेना की मांग की थी। क्या श्री साठे ने इस बारे में 'हां कहने का साहस किया है ? उनमें यह कहने का साहस नहीं था।

श्री बसंत साठे : क्या मैं प्रत्येक मांग पर कहूं ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : जो इश्यू जहां का है, वहीं बोलो, अनर्गल बात से काम नहीं चलता। श्री साठे और साधारण बुद्धि साथ-साथ नहीं चल सकते। हमारी गुट-निरपेक्षता का आधार वास्तविक गुट निरपेक्षता है। वह वास्तविकता की हंसी कर रहे थे और इससे मुझे यह सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि अब तक वह जो कुछ कह रहे थे वह वास्तविक था अथवा क्या उनकी पक्षपातपूर्ण प्रतिक्रिया है ?

समस्त विश्व में एक खतरा पैदा हो रहा है जिसे शान्ति को खतरा है और हमारे विकास के लिए सुरक्षा नितांत आवश्यक है। हम शान्ति से इन्कार नहीं कर सकते। मेरे मित्र जोर-जोर से कह रहे थे इस शक्ति को यहां से तथा उस शक्ति को वहां से हटना चाहिए।" क्या चिल्लाने से कोई बड़ी शक्ति कभी हटी है ? कल्पना कभी पूरी नहीं हुई है। उनका सामना किया जाना है। मेरे मित्र साम्राज्यवादी शक्तियों की बात करते हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां कौन हैं ? क्या मेरे मित्रों ने चेकोस्लावाकिया के डयूबेक और रोमानिया के श्री सीयूसेसक्यू के बारे में कभी कहा है ?

श्री बसंत साठे : आपने क्या किया है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं उस समय यहां भी नहीं था। वह वही किस्सा हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। क्या उन्होंने हंगरी वालों से पूछा है साम्राज्यवादी कौन है ? क्या उन्होंने पूर्वी बर्लिन वालों से पूछा है कि साम्राज्यवादी कौन हैं ?

क्या उन्होंने पोलैन्ड जाकर जनसकादार से पूछा है कि साम्राज्यवादी कौन हैं किसने उसे गुप्त सेवा जेल में यातना पहुंचायी है। वे सभी साम्राज्यवादी हैं : मास्को का लाल जार, पीकिंग का देवपुत्र बादशाह और वाशिंगटन के डालर साम्राज्यवादी हैं।

सैनिक अड्डों के बारे में कहा गया है। दीगोगर्शिया का उल्लेख किया है। क्या उन्होंने रूस को उनके बाबेल मन्दप के स्कूट्रा द्वीप के अड्डे के बारे में अथवा अन्दर के अड्डे के बारे में पूछा है ? क्या उन्होंने सोमालिया द्वारा रूसियों को उनके बेरब्रा के अड्डे से हटाने के बारे में पूछा है और क्या यह पूछा है कि वहां तब कितने रूसी थे ? वहां 22,000 रूसी थे अर्थात् डेढ़ डिवीजन। सोमालिया में ये डिवीजन क्या कर रहे हैं ? किन्तु मेरे मित्र इस बारे में कभी नहीं कहेंगे। वे केवल एक टूटे एच० एम० वी० रिकार्ड की तरह बजते रहेंगे।

अत: मैं विदेश मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अफ्रीका महाद्वीप के समुद्र तटीय सभी राज्यों तथा हिन्द महासागर के देशों अर्थात् भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, श्रीलंका, अफ्रीका के समुद्रतटीय राज्यों का जनमत तैयार करें और इन विदेशी शक्तियों तथा साम्राज्यवादियों पर इन स्थानों से हटने के लिए दबाव डालें। इस दबाव को लाने में यह भी आवश्यक है कि इस सम्बन्ध मे सर्वोच्च न्यायिक दृष्टिकोण अथवा नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा वातावरण इस देश में बनाया जाना चाहिए। हमें कहा गया है कि विश्व में रूस ही हमारा एक मात्र मित्र है।

उन्होंने मुझे एक लम्बी सूची दी। क्या मैं उन्हें याद दिला दूं और क्या मैं यह आशा करूं कि विदेश मंत्री इस करार को पढ़ने का कष्ट करेंगे और उस करार को भी जो रूस ने राजस्थान संयंत्र के लिए भारी पानी देने के सम्बन्ध में हमारे ऊपर थोपा है ? करार बहुत ही बुरा था और आणुविक अस्त्रों की बिस्तार विरोधी सन्धि अथवा वियना की अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण सन्धि से भी बुरा था। बड़ी शक्तियों ने बहुत देर तक हमारा शोषण किया है। हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए। हमें स्वयं अपनी शक्ति पर खड़ा रहना चाहिए।

महोदया, वे रूस को हमारा मित्र कह रहे थे। जब चीन ने हम पर हमला किया तो रूस क्या कर रहा था ? यहां तक कि जब श्री कोसीगिन यहां आये तो विज्ञप्ति में चीन को हटने का भी उल्लेख तक भी नहीं किया गया।

किन्तु क्या उन्होंने एक शब्द में भी चीन को भारत के अधिकृत क्षेत्र से हटने के लिए कहा है ? क्या कहीं भी विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख किया गया है ? यही हमारे मित्र हैं।

श्री बसंत साठे : क्या आपने कहा कि इसे शामिल किया जाना चाहिए ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : विदेश मंत्री उसका उत्तर देंगे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं मैं बातचीत में शामिल नहीं था। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री वसंत साठे : याद आपको मालूम होता कि उनसे पूछा गया और उन्होंने 'नहीं' कहा होता तो तब आप कह सकते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : रूस हमारे आन्तरिक मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता रहा है जो उसे एक मित्र के नाते नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि रूस के साथ मित्रता हो। रूस के लोग बहुत अच्छे हैं किन्तु मित्रता की भी कोई सीमा होती है। मास्को रेडियो से आपातस्थिति की महिमा गाई जाती थी। यह क्या था ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर मास्को रेडियो से आलोचना की गई। यह क्या था ? यह आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अच्छा है या बुरा, यह आपको और हमको निश्चित करना है यह किसी विदेशी को निश्चित नहीं करना है उन्हें हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयोजन नहीं है। रूस का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। यदि रूस वाले हमारी मित्रता चाहते हैं तो हम उनके मित्र बनेंगे किन्तु यह समानता के आधार पर होनी चाहिए। लोग कहते आये हैं कि भारत को रूस की मित्रता की आवश्यकता है। यह सच्च है किन्तु रूस को भी इसी तरह हमारी मित्रता की आवश्यकता है। यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए। गुटनिरपेक्ष देशों में रूस की जो भी इज्जत है वह हमारे समर्थन के कारण है। यदि विश्व की राजनीति के कारण भारत किसी दिन रूस का विरोधी होता है तो रूस के कारनामों की सारी पोल खुल जायेगी। यह बात उस पक्ष के मेरे मित्रों को समझनी चाहिए।

श्री रतन सिंह राजदा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दोनों ही मंत्री यहां नहीं हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्रिमंडल स्तर के एक मंत्री यहां हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में जो राष्ट्रवाद उभर रहा है उसके खतरे को भी समझ लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आपने श्री साठे को 20 मिनट तथा विपक्ष के नेता को 31 मिनट दिये हैं, मुझे भी पांच मिनट और देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : आपने 12 मिनट ले लिए हैं आप तीन मिनट और ले सकते हैं। संक्षिप्त करने की कृपा करें।

श्री यादवेन्द्र दत्त : खतरा यह है कि सारे विश्व में 26 छोटे और बड़े युद्ध चल रहे हैं। यदि मेरे पास समय होता तो मैं सभी नाम गिनता : टर्की में, लेबनान में, ईराक में, दक्षिण यमन में, उत्तरी आयरलैंड में, स्पेन, इरिट्रिया, इथोपिया, तंजानिया, उगांडा, साहरा, चाड, रोडेसिया, अंगोला, नाम्बिया, अफगानिस्तान, वर्मा, थाइलैंड, मलेशिया और इन सब देशों में युद्ध चल रहे हैं।

मिश्र और इजराइल के साथ हाल की संधि अच्छी है या बुरी, इसका ज्यादा अर्थ नहीं है किन्तु हमारी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अमेरिका की सिनाई में उपस्थिति। अमेरिका को इस शान्ति प्रयास में सिनाई में सैनिक अड्डे की प्राप्ति होने जा रही है। मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। मुझे एक नक्शा मिला है जो इन घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। मुझे खेद है कि वह छोटा नक्शा मेरे पास यहां नहीं है जिसमें अमेरिका को मिश्र की सेनाओं और इजराइली

सेनाओं के बीच इजराइल में शामे-इल-शेक और सिनाई में दिखाई गया है। दीगोगर्शिया में अमरीका अड्डा अस्त्रों से पूरी तरह से सज्जित है। रूस इसका अवश्य मुंह तोड़ जबाब देगा। मैं यह निर्भीकता से कह सकता हूं कि यह जबाब मध्यपूर्व अथवा मध्य एशिया में मिलेगा। वियतनाम पर चीन के आक्रमण से रूस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। रूस को कामरून खाड़ी में अड्डा मिल सकता है। प्रशान्त महासागर के बेड़े के लिए इसके पास अड्डा होगा। बड़ी शक्तियां अड्डा खोने पर सहमत नहीं होंगी। जैसे चीन ने रूस की विश्वसनीयता को समाप्त करवाया है, रूस अपनी समस्त सेना को मध्य एशिया गणतंत्र अजखेजान, तुर्कमानिया, उजवेकिस्तान आदि क्षेत्रों मे संकेन्द्रित कर रहा है अथवा यह जबाव अफगानिस्तान में मिलेगा क्योंकि हार्भुज की खाड़ी से यह केवल 350 मील दूर है जहां से सारा तेल पश्चिम यूरोप अमेरिका और जापान को जाता है। यदि उस रास्ते को रोका गया तो देश की सारी अर्थव्यवस्था को जकड़ा जा सकता है। यह खतरे का स्थल है। और यदि स्वेज नहर बन्द हो जाये हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। यह हम सबके लिए खतरा होगा। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। दक्षिण पूर्व एशियायी क्षेत्र में कच्चे माल का यह सबसे धनी क्षेत्र है। मैं नहीं जानता कि हमारे विदेश मंत्री ने थाइलैंड के प्रधान मंत्री से, जब वे उनसे मिले थे, थाइलैड में तेल की खोज के बारे में बात की थी या नहीं। थाइ-लैंड ने हाल ही में तेल की खोज के लिए अमेरिका, शेल कम्पनी को रियायत दी है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने बात की है या नहीं क्योंकि यदि मध्य एशिया में गड़बड़ी होती है तो ध्यान रखिए, हमें तेल नहीं मिलेगा। हमें तेल का वैकल्पिक स्रोत ढूंढना पड़ेगा। किन्तु इसके लिए जैसा कि मैंने वर्षों से कहा है और लिखा है दो सम्भावनाएं हैं। एक है थाइलैंड और दूसरा है मैक्सिको औ ब्रूनी। मेक्सिको ऐसा देश है जो तेल पर बैठा हुआ है और वहां इतना तेल है जितना साउदी अरब में है। मेक्सिको अमेरिका को कुछ ऐतिहासिक कारणों से यह तेल कभी नहीं देगा। मध्य एशिया में पीले और लाल बादशाहों के झगड़े की तरह ऐतिहासिक झगड़े हुए हैं। यह उचित समय है जब हम यह प्रयास कर सकते हैं। हमारे पास तेल प्रोद्योगिकी है। हम मैक्सिको को अपनी तेल प्रौद्योगिकी दे सकते हैं और उसके बदले मैक्सिको से तेल प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि जहाज खाली जायेंगे। मैं कहता हूं कि मैक्सिको के बाजर का सर्वेक्षण कीजिए आप मैक्सिको को जापान से भी सस्ता उपभोक्ता माल सप्लाई कर सकते हैं और तेल प्राप्त करने के अच्छे अवसर हो सकते हैं! हम अपना तेल आज निश्चित कर सकते हैं जैसा कि श्री चव्हाण ने कहा कि 1980 में तेल के संघर्ष का युग होगा और उस समय हम नहीं जा सकेंगे और मुझे भय है कि उस समय हमें कठिनाई होगी।

विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों की सीधी आलोचना हुई है।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि उनका व्यवहार तो आई० सी० एस० से भी बुरा है। मैं यह जानता हूं कि जब हमारे लोग दूतावासों में जाते हैं तो वह कहते हैं 'कल आइएगा' और वह कल कभी नहीं आता। ब्रिटेन और फ्रांस के दूतावासों में वीसा प्राप्त करना कहीं आसान है किन्तु हमारे दूतावासों में ऐसा नहीं है। इस सम्बन्ध में सुधार होना चाहिए।

दूतावासों का होना आवश्यक है और उनसे यह आशा की जाती है कि वह हमारे लोगों

की सहायता करें। वह हम पर रौब डालने के लिए नहीं बनाई गई है। इस तरह के रवैये में परिवर्तन करना चाहिए।

दूसरे, विदेश सेवा तथा रक्षा सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में आलोचना की जाती रही है। अधिकारियों की आलोचना क्यों की जा रही है। यदि वह अच्छे नहीं हैं और वह वाशिंगटन से सबक सीखते हैं तो उन्हें निकाल बाहर करिए। यदि आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है तो आपको उन्हें ब्लैकमेल करने तथा हतोत्साहित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि विदेश मन्त्रालय में अधिकारी भी अच्छे और देशभक्त होते हैं। अतः उनकी आलोचना करना उन्हें ब्लैकमेल करना है। इसे रोका जाना चाहिए। माननीय मन्त्री यहां हैं उनकी जितनी आलोचना करनी चाहो, करिए।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि दिल्ली में विदेशी दूतावास ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह दिल्ली के मालिक ही हों। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। विभिन्न कन्सुलेटों से सम्बद्ध विदेशी दूतावासों के लोगों द्वारा कीये जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को ही लीजिए वह बहुत ही तेज गाड़ियां चलाते हैं। एयर मार्शल लतीफ को शायद इन महानुभावों का शिकार होना पड़ा था। मेरे विचार से केवल क्षमा मांगनी ही काफी नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यदि यह बुरा व्यवहार करते हैं तो उन्हें देश में अनावश्यक व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिए।

हमारा गुप्तचर विभाग भी अच्छा नहीं रहा है। हमारे विदेशी मन्त्री चीन गये। इसमें कोई बुराई नहीं है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय और दूतावास गुप्तचर सेवा होने वाले आक्रमणों के बारे में आपको सूचित करने में असफल रहे हैं। भारतीय गुप्तचर सेवा भी इस सम्बन्ध में असफल रही है। इस असफलता को सही करने की आवश्यकता है अतः सम्बद्ध अधिकारियों के कान खींचने की जरूरत है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यूरोप कोई खिलौना राज्य तथा सेन मेरीनो के शहरी राज्यों के काउन्सल यहां पर है। क्या हम जानते हैं कि वह जितना आयात करते हैं ? यदि वह खुलेआम आयात करते हैं तो उसमें से जितना काले बाजार में बिकता है ? इस से हमारी अर्थ-व्यवस्था को खतरा है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं विदेशी मन्त्री से पुनः अनुरोध करू गा कि वह 1980 से आरम्भ से होने वाले दशक में सम्भावित समस्याओं पर भी ध्यान दें। इस दशक में महा-शक्तियों की कूटनीति यह होगी कि वह विश्व में अपने हितों को प्राप्त करने के लिये शक्ति और तेल का उपयोग करेंगी। हमें इस तथ्य पर विचार करना चाहिये और उसी के अनुसार अपनी विदेश नीति का निर्माण करना चाहिये। अभी तक आपने बहुत बढ़िया कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्री की नीति और उनके मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : पिछले वर्ष भी मैंने इस मंत्रालय की मांगों की बहस में भाग लिया था। इस एक वर्ष के दौरान भारत सरकार को महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई हैं विशेषकर यह सफलताएं द्विपक्षीय स्तर पर हुई हैं। अमरीका और न्युकलीय मामले के

प्रश्न को सही ढंग से सुलझाया गया है। हमने रूस के साथ अपने सम्बन्धों को इस प्रकार से बनाया है कि प्रधान मन्त्री श्री कोसीगन ने इस देश की यात्रा की और वास्तव में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिये मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। अनेक समस्याएं बनी हुई थी किन्तु उनका हमने समाधान कर लिया है विशेषकर हमने नेपाल जैसे छोटे देशों सम्बन्धी समस्या का समाधान कर लिया है।

पिछले वर्ष भी मैंने बहस में भाग लिया था और मैंने अकेले ही कुछ बातें उठाई थी। इस बार की बहस को सुनकर लगता है कि आलोचकों की संख्या बढ़ी है और मेरे विचार से आलोचना एक अच्छी बात है। क्यों कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं। यदि आप कोई कार्य नहीं करते, तो आलोचना का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि लोग यह कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये अथवा इसे इस प्रकार किया जाना चाहिये तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार किसी दिशा बिशेष में चल रही है और हमें इसी दिशा के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। पिछले वर्ष मैंने कहा था कि मैं विदेश नीति के आधार से सहमत नहीं हूं। इस वर्ष उस नीति के कार्यान्वयन की भी आलोचना की गई है। किन्तु अधिकांश प्रश्नों की गलत आलोचना की गई है। विदेश मन्त्री की चीन यात्रा तथा उससे व्यवहार पर विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और ऐसा करना उनके दृष्टिकोण से उचित भी है क्यों कि उन्होंने यथा-स्थति से हट कर चलने का प्रयास किया है। इसी लिये ही चीन जाने से पहले उनकी रूस यात्रा की भी आलोचना की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी यह आलोचना निराधार नहीं है। किन्तु वास्तविक बात तो यह है कि विदेश मन्त्री कुछ कार्य कर रहे हैं, सरकार कुछ कार्य कर रही है और यही वह बात है जिसका हमें स्वागत करना चाहिये और मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

गुट निरपेक्षता का प्रश्न समय-समय पर उठाया जाता रहा है प्रश्न यह रहा है कि वास्तविक गुट-निरपेक्षता का अर्थ क्या है और क्या जवाहर लाल नेहरू के शब्दों का वास्तव में पालन किया जा रहा है अथवा नही। मेरा विचार है कि समय आ गया है कि यह संसद मौलिक प्रश्न को पूछे कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिये ?

जब हमने गुट-निरपेक्ष नीति का निर्माण किया था तो उस समय केवल दो महाशक्तियां थी, यह द्विध्रुवीय विश्व का भारत के सामने प्रश्न एक महाशक्ति के साथ जुड़ने का था और जवाहर लाल नेहरू ने और उनसे पहले 1946 में डा० राम मनोहर लोहिया ने इस विचारधारा का प्रतिवादन किया था कि हमें किसी शक्ति के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है यह विचार किया गया था कि ऐसा करना असम्भव है किन्तु हमने यह कर दिखाया और विदेश नीति को हमारा यही योगदान था।

नीति के रूप में मैं गुट-निरपेक्ष नीति का विरोध नहीं करता किन्तु मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या बहु-ध्रुवीय विश्व में, जिसमें महान (औद्योगिक राष्ट्रों में भारत का 10 वां स्थान है, आय में तीसरा स्थान है और वैज्ञानिक जनशक्ति में तीसरा स्थान है, क्या हमें उस नीति का

अनुसरण करना होगा जो द्वि-ध्रुवीय विश्व विचारधारा पर आधारित है। अतः हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हमें उस नीति को नहीं अपनाना चाहिये जो आज के भारत के अधिक अनुकूल है भारत इस बहु-ध्रुवीय विश्व में स्वंय एक ध्रुव बन चुका है।

श्री चव्हान विदेश मन्त्री को उनके उदार व्यवहार पर उन्हें बधाई दे रहे थे। श्री चव्हान की आत्मा परिवर्तनशील है अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने गतिशील व्यवहार को एक महान गुण समझा है। किन्तु मैं विदेश मन्त्री से यह कहना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर आरम्भ से विचार करे। यह कहना काफी नही है कि जब सरकार बदल जाती है तो राष्ट्रीय हित नहीं बदलते हैं। आज हमारे राष्ट्रोय हित क्या हैं ? आज भारत कौन सी भूमिका निभा सकता है ? आज हमें यहीं प्रश्न पूछना होगा और यहीं आधारभूत प्रश्न नही पूछा गया है।

अपने पिछले उत्तर में श्री वाजपेयी ने कहा है कि केवल वही लोग, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है, गुट-निरपेक्षता का सही अर्थ समझ सकते हैं। मैंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। शायद वह यही कहना चाहते थे। किन्तु मैंने आपात स्थिति के विरोध में संघर्ष में योगदान दिया है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम से उत्पन्न प्रश्नों को तथा आपातस्थिति के कारण उत्पन्न प्रश्नों को साथ-साथ देखना होगा और मेरे विचार में इसका अर्थ यह होता है कि हमें एक ऐसी नीति पर चलना है जिससे देश मजबूत बनें और विश्व को कुछ दे सके। विश्व में गरीब जनता को मानव अधिकार दिलवाये जा सकते हैं। 1977 में भारत में इस बात की पुष्टि हो गई थी और हमें इस बात को प्रोत्साहन देना चाहिये।

अतः प्रश्न यह है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत की भूमिका क्या है ? आज अफगानिस्तान में तखता पलट दिया गया है और हम सभी जानते हैं कि रूस को इससे लाभ हुआ है और वियतनाम को भी इससे लाभ हुआ है। भारत के दोनों ओर रूस के प्रभाव वाले काफी राज्य हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना होगा ? आठवे दशक के वर्षों में क्या होने जा रहा है ?

यदि भारत को मानव अधिकारों के अनुसार चलना है तो उसका प्रभाव अन्य देशों, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बंगला देश पर भी पड़ेगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि भारत को इन देशों के मांमलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। किन्तु हम ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जो प्रभावशाली हो।

इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तब चीन का प्रश्न उठता हैं ? चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भारत क्यों प्रयत्न कर रहा है। चीन द्वारा सबक सिखाने के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। नेताओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मूर्खतापूर्ण शव्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इतिहास में भी ऐसे अवसर मिलते हैं जब नेताओं ने मूर्खतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। आज भी अफ्रीका के एक विशिष्ठ नेता जुख्यिस नरेरे ने उगांडा के विरूद्ध कार्यवाही के बारे में यह कहा है कि "हम अदी-अमीन और उगांडा की सरकार को हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहते है" उन्होंने इन

इन शब्दों का प्रयोग किया है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो जसके लिए कष्ट भी सहना पड़ता हैं। यह्याखां ने भी उस महिला को सबक सिखाना चाहा था और उन्होंने बात का अन्दाजा नहीं लगाया था कि भारत में उससे श्री ज्यादा शक्तिशाली 350 मिलियन महिलाएं हैं—खैर अब वो महिला इतनी महत्बपूर्ण नही रहीं हैं।

वह कह रहे है कि आप चीन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ? प्रश्न यह नही है। प्रश्न यह है कि आपको इस संबंध में कदम उठाकर कुछ न कुछ खतरा तो उठाना ही होगा। चीन ने हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है यह तर्क हम सी०पी०आई० तथा उन लोगों से सुनते हैं जिनके लिए रूस की मित्रता अधिक महत्वपूर्ण है किन्तु तथ्य यह है कि रूस अभी तक ऐसे नक्शे छापता है जिसमें भारतीय क्षेत्र पर चीन के अधिकार को समर्थन मिलता है। रूस के नक्शों में अभी भी दिखाई जाता है कि अक्साई चिन् चीन का हिस्सा है, दूसरे शब्दों में यह भारत का हिस्सा नहीं है। फिर भी, रूस के साथ हमारे संबंध हैं पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हैं और सभी यह कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य होने चाहियें हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर के तिहाई हिस्से पर अधिकार कर रखा है। इस मामले को कभी नहीं उठाया जाता है। हमारे अमरीका के साथ भी संबंध हैं यद्यपि उसने भी हमारे समुद्री क्षेत्र पर आक्रमण किया था तब लोग यह कह रहे हैं कि हमारे अमरीका के साथ अच्छे संबंध हैं फिर चीन के साथ ऐसा क्यों होता है ? जब भी चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने की बात होती है तो वह कहते हैं "चीन ने वियतनाम में क्या किया, यह देखकर आपकी आंखे क्यों नहीं खुलती ?" हमने 1971 में भारत, रूस समझौता किया था अब वर्तमान सरकार उस समझौतो को मानती है यह समझौता रूस द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण के तीन वर्ष बाद किया गया था। रूस की सेना को चेकोस्लोवाकिया में भेजा गया ओर उन्होंने वहां पर एक नई सरकार की स्थापता की और उस सरकार को हटा दिया जोकि अधिक से अधिक मानव अधिकार दिलाने का प्रयास कर रही थी। अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर हमने इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे और संसद ने एक प्रस्ताव पास करके इसे समर्थन दिया था किन्तु आज भी स्थिति यह है कि अभी भी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान और प्रभुसत्ता के आधार प्रर चीन से अच्छे संबंध स्थापित करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं अपने क्षेत्र को चीन से वापिस लेना भी उसके साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस प्रक्रिया में हमें चीन की राजनैतिक विचाराधारा को स्पष्ट रूप से समझना होगा क्योंकि चीन के साथ यह हमारा राजनैतिक समझौता होगा। यह समझौता सीमा के प्रश्न पर तकनीकी आधार पर नहीं होगा कि जो उन्होंने क्षेत्र लिया है वो वापिस कर दें। हमें इस समस्या का समाधान राजनैतिक स्तर पर करना होगा। हम यह कहते हैं कि हम चीन के साथ संबंध रूस के साथ हमारे संबंधों की कीमत पर नहीं बनाना चाहते। मेरा ख्याल है कि रूस के साथ हमारे संबंध होने से ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित न कर सकें। अगर ऐसा किया जाता है तो हम सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति पर कैसे चल सकते हैं ? यदि आप यह कहते हैं कि हम अपने स्थापित संबंधों की कीमत पर अन्य देशों के साथ मित्रता नहीं करेंने तो गुटनिरपेक्षता की नीति निराधार हो जायेगी **(व्यवधान)** मैं सभी देशों की तुलना सभी देशों से करता हूं रूस चीन को अपना भाई मानता

था । लेकिन बाद में वह बदल गये ! सभी देश अपने राष्ट्र हितों और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं हमें भी स्थिति के अनुसार बदलना चाहिए ।

अन्त में, मैं अधिकारियों के प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि हमें अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए, किन्तु अधिकारियों को भी यह महसूस करना चाहिये कि संसद का भी महत्व है और उन्हें संसद को गुमराह नहीं करना चाहिए उन्हें संसद सदस्यों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये और जनता को गुमराह नही करना चाहिये यह बात सच है कि किसी समय विशेष अथवा परिस्थिति विशेष पर "इंडियन एक्सप्रेस" ने जब अपने मुख्य पृष्ठ पर यह प्रकाशित किया था कि रूस के दो राजनकियों को देश से निकाल दिया गया है क्योंकि वह भारत के विरूद्ध जासूसी कर रहे थे । किन्तु विदेश मंत्रालय ने इसका शीघ्र ही खडन किया और कहा कि यह गलत है । रूस के किसी भी राजनयिकों को देश से निकाला नहीं गया । असली बात यह थो कि जब उन्हें जासूसी करतें हुए पाया गया तो भारत सरकार ने रूस से यह कहा कि आप इनको वापिस बुला लें । इस मामले में या तो विदेश मंत्रालम को चुप रहना चाहिये था अथवा उन्हें वास्तविक स्थिति बतानी चाहिये कि राजनयिकों को देश से निकाला नही गया बल्कि रूस को उन्हें वापिस बुलाने के लिए कहा गया है । अधिकारियों द्वारा जनता तथा संसद सदस्यों को गुमराह करने का यह एक स्पष्ट मामला है । मैं स्वयं चीन गया था । जब मैं वहां गया तो विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह वक्तव्य जारी किया था कि मैं वहां पर क्या कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा हूं । अब वह अधिकारी कहते हैं कि मंत्री महोदय ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था किन्तु उस अधिकारी को मंत्री महोदय को बताना चाहिए था कि वह एक संसद सदस्य है और अधिकारी होने के नाते उसे संसद सदस्य के संबंध में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं हैं । इसलिए मैं यह बात कहता हूं कि अधिकारियों को यह बता दिया जाये कि वह संसद को पूरा महत्व दें और संसद सदस्यों को भी पूरा महत्व दे ।

इन्हीं शब्दों के साथ में विदेशी दूतावासों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । यदि वह विदेशी दूतावासों में ऐसी परिस्थितियों से कार्य करते हैं तो उन देशों में भारत की छवि कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिस्चित करें कि दिल्ली में सभी दूतावासों में वह माडल कान्ट्रेक्ट का कार्यान्वयन करे क्योंकि कर्मचारियों के लिये यह बड़ा आवश्यक हैं ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति यहोदय, मैं आपकी अमुमति से *बंगाली में बोलना चाहूंगा । किसी भी देश की आन्तरिक नीति का प्रभाव उसकी विदेश नीति पर पड़ता है । अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत को विदेश नीति जोकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है समय-समय पर डगमगा जाती है । भारत एक साम्राज्यवादी शक्ति से संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की है किन्तु आज हमें पता चलता है कि हमारा देश विश्व के

*भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण बंगला में दिया गया ।

साम्राज्यवादी शक्तियों के विरूद्ध स्पष्ट शब्दों में बोलने में सक्षम नहीं हैं। वह चीन और रूस समाजवादी गुट के दो प्रतिनिधिवों को मान्यता देने में कठिनाई महसूस कर रहें हैं।

तीसरे विश्व तथा यू०एन०ओ० ने कहा है कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाया जाये। वास्तव में वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं कि नेहरू के काल में भी अमरीका की साम्राज्यवादी शक्तियों ने डियागो गार्सिया में सैनिक बदले स्थापित कर लिये थे।

"इण्डियन एक्सप्रेस बिजनस स्टैन्डर्ड" ने अपने 28 मार्च, 1979 के अंक में वाशिगंटन स्टार से एक समाचार प्रकाशित किया था। यदि आप इस समाचार को पढ़े और यदि यह सच्चा समाचार है तो यह बड़ी ही भयानक समाचार है। विदेश के इस समाचार पत्र में यह कहा गया है कि "अमरीका हिन्द महासागर में स्थायी तौर पर अपना पांचवा बेड़ा रखना चाहता है।" मैं इस समाचार से आगे उदघृत करना चाहता हूं कि "रक्षा सचिव हरल्ड ब्राउन के निर्देशों के अंतर्गत ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ हिन्दमहासागर के स्थायी केन्द्र में पांचवें बेड़े को रखने की सम्भावना का अध्ययन कर रहा है।"

क्या आपने इस के प्रति अपना विरोध प्रकट किया हैं ? हमने तो चुपचाप इसका समर्थन कर दिया लगता है।

मैं एक अन्य उदाहरण देकर यह बताना चाहता हूं कि साम्राज्यादो शक्तियों के कार्यों का अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से समर्थन किया है। दक्षिण-पूर्ण एशिया के लिए राष्ट्रपति कार्टर के विशेषज्ञ सलाहकार, टाम टोरटन के नेतृत्व में 4 और 5 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में गुप्त बैठकें हुई थीं जिसमें श्री लंका, बंगला देश, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस बैठक का आयोजन क्यों किया गया था ? या विश्व के इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का गुट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस संबंध में उपेक्षा का रवैया अपना लिया हैं जैसे उन्हें इस मामले मे कुछ नहीं करना है और वह साम्राज्यवादी शक्ति के प्रयास के पीछे छिपी दुर्भावना को समझने में समर्थ नहीं हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने यह कहा था कि हमने जवाहरलाल नेहरू के समय से ही अपनी विदेश नीति पर गुट निरपेक्षता का लिबादा चढ़ा रखा है और हम विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों को निरन्तर समर्थन देते आ रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 32 वर्षों के पश्चात भी भारत की विदेश नीति ऐसी स्थिति पर है जिसकी तुलना एक ऐसी पतित महिला से की जा सकती है जिसका यौवन तो समाप्त हो गया है और जो नहीं जानती उसका प्रेमी कौन है और प्रेम क्या है ? इसी कारण से हमारी विदेश नीति हर कदम पर लड़खड़ा जाती है।

चीन और वियतनाम दो पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों का साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना एक लम्बा इतिहास रहा है। फ्रांस और अमरीका की साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध अपने संघर्ष में चीन ने पूरी शक्ति से वियतनाम का समर्थन किया। अत: चीन-वियतनाम युद्ध से विश्व के सभी प्रगतिशील समाजवादी देश हतोत्साहित हो गये हैं। सोवियत संघ के प्रधानसंत्री श्री कोसिगिन ने सभी राजनयिक मानदंडों को तोड़कर अपने भाषण में चीन की आलोचना करने की कोशिश की

है । परन्तु इस बात मे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत बल्कि विश्व के श्रमजीवी वर्ग के लोग चीन-वियतनाम युद्ध से क्षुब्ध हैं । मुझे खुशी है कि हमारे साम्यवादी मित्रों ने चीन पर भारत पर हमला करने का दोष लगाया है । वे ऊंची आवाज में बोलते हैं और उन्हें यह कह कर ही संतोष नहीं होता है कि चीन ने वियतनाम पर हमला किया है परन्तु वे भारत की जनता को यह याद दिलाना चाहते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर भी हमला किया था । मुझे 1963 की घटना की याद दिलायी जाती है । उस समय मैं पश्चिम बंगाल विधान सभा का एक सदस्य था । माननीय श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन, जो इस समय इस सभा के सदस्य हैं, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे । उस समय मेरे दल फारवर्ड ब्लाक की ओर से हमने पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाये थे । साम्यवादियों ने भी इस प्रस्ताव की सूचना दी थी । उन्होंने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया परन्तु हमने उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और इसका कारण यह था कि भारतीय साम्यवादी दल 1963 में यह नहीं कह सका कि चीन ने भारत पर हमला किया । भारतीय साम्यवादी दल की इस नीति पर शायद इस बात का प्रभाव पड़ा कि सोवियत संघ के उस समय इस मामले में दो विचार थे ।

मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि प्रगतिशील विचार धारा का कोई भी व्यक्ति चीन के वियतनाम पर आक्रमण और जिस ढंग से इसने वियतनाम को सबक सिखाने के अपने इरादे के बारे में बात की है उसका समर्थन नहीं कर सकता है । निस्सन्देह यह घटना बड़ी दुःखद है । परन्तु चीन के वियतनाम पर आक्रमण क्यों किया है ? हमें मामले का विश्लेषण करना है और कोई बहाना बनाकर हम यों ही इसको उपेक्षा नहीं कर सकते । इस बात से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब चीन ने वियतनाम पर हमला किया तो वियतनामी सेनाओं की 19 डिविजनें कम्पूचिया में लगी थीं । क्या मैं इस सभा से पूछ सकता हूं कि वियतनाम को कम्पूचिया में धर्मरक्षक के रूप में कार्यवाही करने के लिए किसने अधिकार दिया था ? परन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि वियतनाम पर हमला करके चीन ने गलत काम किया है और उसे अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ेंगी । इसी तरह से वियतनाम को भी अपनी फौजें कम्पूचिया से वापस बुलानी पड़ेंगी । दोनों देशों को शांतिपूर्ण बातचीत से इस समस्या को हल करना होगा । परन्तु उस समय मुझे गहरा दुःख हुआ जब मैंने देखा कि वियतनाम पर चीन के आक्रमण के विरोध में भारतीय विदेश मंत्री अपनी विदेश की यात्रा रद्द करके भारत लौट आए ।

यदि इस घटना के बारे में चीन में यात्रा कर रहे विदेश मंत्री को सही जानकारी प्राप्त करने का साधन समाचार पत्रों के अलावा और कोई नहीं था तो दोष एकमात्र रूप से विदेश-मंत्रालय का ही है और किसी का नहीं । विदेश मंत्री एक लम्बे अर्से के बाद चीन के साथ मित्रता कायम करने के लिए पेकिंग गए थे और उन्हें यहाँ अपनी यात्रा रद्द करके वापस आना पड़ा । अपने देश की रक्षा के हित में हम चीन के साथ मैत्री चाहते हैं । यह बात स्पष्ट कही जानी चाहिए । सोवियत संघ की तरह हम चीन के साथ भी मित्रता रखना चाहते हैं । वास्तव में हमें विश्व के समूचे समाजवादी देशों का समर्थन और मैत्रीपूर्ण सहयोग मिलेगा । मुझे यह कहना चाहिए कि राजनीतिक कूटनीति में किसी मामले पर अधिक भावुक बनना ठीक नहीं होता है । राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसका स्थान अति संवेदनशीलता नहीं ले सकती ।

हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बर्मा के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। परन्तु यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हम अपने राष्ट्रीय हित का त्याग करके या अपनी प्रभुता का दमन करके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं बनाना चाहते। परन्तु व्यवहार रूप में हम क्या देखते हैं हम पुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे हैं। श्री जवाहरलाल ने पाकिस्तान को बेरुजारी दे करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने की कोशिश की। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 29 वर्ग मील भारतीय भूमि का बंगलादेश की 8 वर्ग मील भूमि के साथ आदान-प्रदान किया। मानो यह काफी नहीं था इसलिए उन्होंने 111 वर्षों तक स्थायी पट्टे पर 3 बीघे भूमि, जो भारत का अविभाज्य भाग था, उपहार के रूप में देने की कार्यवाही की और इसके फलस्वरूप कुचली बारी के लगभग 25,800 भारतीय लोगों को बंगलादेश के शासकों की दया पर सौंप दिया। हमारे विदेश मंत्री भी यही नीति अपना रहे हैं और पिछले प्रधानमंत्रियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्होंने भी बंगला देश पुलिस और सैनिक प्रशासन को दहग्राम और अंगार पोटा तक मार्गाधिकार की सुविधायें प्रदान की हैं जिससे बंगलादेश के ये लोग आम चुनावों में भाग ले सकें आप बंगलादेश के साथ मित्रता चाहते थे। एक अच्छी बात है परन्तु क्या हम यह आशा न करें कि भारतीय बस्तियों के लोगों को लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित न किया जाये। बंगलादेश के सैनिक और पुलिस अधिकारियों को मार्गाधिकार देते समय क्या आपने यह सोचा था कि क्या भारतीय बस्तियों के 30 वर्ग मील क्षेत्र में रहने वाले एक लाख से अधिक लोगों को मत देने का अधिकार मिला या नहीं ? क्या आपने कभी पूछताछ की और स्वयं इस बात से संतुष्ट हुए कि क्या ये भारतीय लोग लोक सभा, विधान सभा या पंचायत के चुनावों में अपना वोट दे सके ? क्या आपको इस बात की जानकारी हैं कि इस क्षेत्र में प्रतिदिन बलात्कार, चोरी और हत्या की घटनायें होती हैं ? क्या आपको इस बात की भी जानकारी है कि इस क्षेत्र में जंगल का राज्य है और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से बंगलादेश सरकार ने भारतीय सेना या भारतीय पुलिस की तो बात ही नहीं एक चौकीदार को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी। आपको यह जानकरके आश्चर्य होगा कि 1960 के बाद किसी भारतीय सरकारी अधिकारी को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी।

भारत सरकार बंगला देश के नागरिकों को मत देने का अधिकार देने की कौशिश कर रही है। इस सराहनीय विचार पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु मुझे दुःख यह है कि लगभग एक लाख अपने नागरिकों के बारे में सरकार उदासीन रहती है और वह इस बात की परवाह नहीं करती हैं कि क्या इन भारतीय नागरिकों को कभी अपना अधिकार प्रयोग करने दिया जाएगा और उनको बह स्वतंत्रा प्राप्त होगी जो कि हमारा संविधान भारत में उनके साथी भाइयों को प्रदान करता है। आपको तो चिन्ता केवल इस बात को है कि बंगलादेश सरकार नाराज न हो। परन्तु मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि आप वास्तविक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं रख सकते और आपको तुष्टीकरण की नीति अपना करके कुछ नहीं मिल सकता।

हम ससद सदस्यों को भारत-सोवियत सांस्कृतिक सोसायटी से पत्र की एक प्रति मिली है। मुझे भी इसकी एक प्रति मिली है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अन्य सदस्यों को

इसकी प्रति मिली है या नहीं। मैं इस सभा में इस फोटोस्टैट प्रति को प्रस्तुत करता हूं और सदस्यों की सुविधा के लिए मैं इस पत्र को यहां पढ़ता हूं।

भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसायटी
राष्ट्रीय परिषद
(पंजीकृत भारतीय सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत)
दिनांक 2 मार्च, 1977

प्रिय डा० जेड क्रग्लोव,

1977 के लिए सांस्कृतिक योजना के बारे में हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और डा० अल्टसीफरोन ने कुछ नए सुझाव दिये हैं जिन पर मैं अपनी टिप्पणियां, आदि दे रहा हूं।

2. राष्ट्रीय परिषद, भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसायटी का प्रतिनिधि मण्डल अगस्त, 1977 के दूसरे सप्ताह में सोवियत संघ आने को तैयार है। कृपया पुष्टि करें।

3. श्री बहुगुणा, महाचचिव, सी० एफ० डी० चुनाव कोष के सम्बन्ध में पार्टी से प्राप्त पत्र को मैं इसके साथ भेज रहा हूं। यदि आप इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेंगे और दूतावास को सूचित करेंगे तथा इस पत्र की सूचना देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा।

सादर,

भवदीय,
ह०/- लिटो घोष
सचिव।

यदि पत्र की विषय सामग्री के अनुसार कार्यवाही की गई तो हमारे देश के लिए यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि इस प्रकार से कुछ तो वाशिंगटन, कुछ बोन, कुछ मास्को और अन्य लोग पेकिंग के साथ नाता जोड़ लेंगे और यदि ऐसी बात होगी तो हम सच्ची राष्ट्रीय विदेश नीति कभी नहीं बना सकेंगे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उन अच्छे विचारों को त्याग दिया है जो कि हम कहते थे कि यह देश अपना है, यह भूमि अपनी है, "जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।" क्या हमने सचमुच अपनी मातृ भूमि की भलाई के लिए सोचना बन्द कर दिया है।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा बंगलादेश की स्थापना के बाद शीघ्र ही श्रीमती इन्दिरागांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढाका में राजनयिक मिशन से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। ऐसा करके कोई गलत काम नहीं किया था परन्तु भारत सरकार ने इनके साथ जो वर्ताव किया था वह वास्तव में बड़ा ही दहलाने वाला है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को कुछ अन्य कार्यालयों में खपा लिया गया था परन्तु अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर किसी ने ध्यान

नहीं दिया। इन कर्मचारियों ने 19-20 वर्ष तक सेवा की और जब वे भारत वापस आए तो उन्हें अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर नियुक्त किया गया और वे 20 वर्ष से कम उम्र के युवकों से भी कनिष्ट माने गए, क्योंकि उन्हें उनकी सेवा का लाभ प्रदान नहीं किया गया। ऐसे कुछ कर्मचारी आपके पारपत्र कार्यालय दिल्ली में काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनायें उनको उनकी वरिष्ठता दिलाने में सदद करें क्योंकि उन्होंने इन वर्षो में राष्ट्र की सेवा की।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० समर गुह (कंटाई) : सभापति महोदया, भारत में हुई हाल की घटनायें और राजनयिक उपचार का खुला प्रदर्शन जो हसने सोवियत संघ के प्रधान मंत्री श्री कोसिजिन की यात्रा के दौरान अपने देश में संसद के भीतर और बाहर देखा है उससे बहुत से लोगों को धक्का लगा है और मुझे भी धक्का पहुंचा हैं। मुझे जो भारी धक्का पहुंचा है वह श्री कोसिजन के कार्यों से नहीं अपितु इस कारण पहुंचा है कि हमारे विदेश मंत्री, और मंत्रालय तथा यहां तक कि समूची सरकार को हमारे राष्ट्रीय व्वक्तित्व गरिमा और इस मूल भूत प्रश्न की जानकारी नहीं है कि क्या हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है मुझे जिस एक और कारण से धक्का पहुंचा है वह यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेशमन्त्री के ध्यान में यह बात कैसे नहीं आयी कि अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तेजी से बदल रही है, गत दो या तीन दशकों से जो सामान्य सिद्धांत प्रचलित रहे हैं, वे भी तेजी से बदल रहे हैं। विदेशों के साथ केवल व्यापार और वाणिज्य तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के रखने के प्रश्नों से विश्व की स्थिति और गंभीर बनती जा रही है, जिससे सशस्त्र सघर्ष की खतरनाक संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि सचमुच यदि हमें विश्व में हाल में तेजी से बिगड़ रही स्थिति की जानकारी होती तो शायद हाल की यात्रा के दौरान श्री कोसिजिन ने जो कुछ प्रदर्शन किया है, उन सभो को मौन सहमति देते हुए हमारे प्रधानमन्त्री और विदेश मन्त्री इतना मौन नहीं साध जाते। आज जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए। हमें अपनी विदेश नीति के बारे में अनेक मामले तय करने हैं। परन्तु यदि हम इस अर्थ में अपने भविष्य, अपनी आस्था को निश्चित करना चाहते हैं कि यदि हम विश्व में उत्पन्न हो रहे सम्भावित खतरे से अपने को दूर रखना चाहते हैं तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को हाल की गति के बारे में बड़ा सावधान और सतर्क बनना होगा। मेरा यह कहना है कि विश्व राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भविष्य चीन-सोवियत संघर्ष के आधार पर निश्चित किया जाना होगा। हमें इसके प्रभावों को समझ लेना चाहिए। यदि आपकी समझ में यह नहीं आता है और अपने सम्बन्ध में यह नहीं आता है और अपने सम्बन्ध इस देश से या उस देश से, चाहे वह बड़ा हो या अन्य कोई, बनाना चाहते हैं तो आप भारी गलती करेंगे और यह भारी भूल हमें मंहगी पड़ेगी और यह भविष्य में होने वाले विध्वंश में हमें समेट लेगा। मुझे चिन्ता यही है। प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं है इसलिए मुझे और भी चिन्ता हो रही है तथा मुझे भारी धक्का लगा है। यद्यपि मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान है। विश्व में उत्पन्न हो रही स्थिति की कतई जानकारी नहीं है। जब तक हम इस आधार को और चीन-सोवियत परस्पर विरोध

किस तरह चल रहा है। इस बात को नहीं देखेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा कि चीन क्या है और श्री कोसिजिन इस नाजुक क्षण में क्यों भारत में आए। मैं तो कहुंगा कि बल्कि दु:ख की बात यह है कि कोसिजिन की भारत यात्रा गलत समय पर, गलत धारणा से और अव्यवस्थित ढंग से हुई है। गलत समय पर क्यों हुई, क्योंकि यह वह गलत समय था जबकि वाजपेयी का चीन से वापस आना था और कोसिजन का भारत में आना था केवल श्री वाजपेयी की चीन यात्रा का क्षमायाचनापूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए। एक ही समय रखा गया था। और एक और कारण से गलत समय था। यदि आप में राजनयिक जानकारी होती तो आप श्री कोसिजिन की यात्रा को स्थगित कर देते।

हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि 1971 के भारत सोवियत समझौते में एक उपबन्ध यह है, जिसके अनुसार सैनिक संघर्ष की संभावना होने पर परस्पर सहायता करनी होगी। यह उसमें है। एक दूसरे की मदद के लिए आएगा।

श्री अटल, बिहारी वाजपेयी : परामर्श !

प्रो० समर गुह : परामर्श के बाद सहायता। परामर्श शब्द पर बुरा मत मानिए। मैंने परामर्श शब्द का अर्थ समझ लिया है वास्तव में 'परामर्श' का मतलब क्या है ? एक सामान्य व्यक्ति भी परामर्श शब्द का अर्थ समझ सकता है। इस उपबन्ध की पृष्ठ भूमि में और उस पृष्ट-भूमि में जबकि चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष जारी था, क्या कोसिजिन को ऐसे नाजुक क्षण में भारत की यात्रा करने का उचित समय था ? यह क्यों होनी चाहिए ? किसी को भी भारत की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। यह समय भारत यात्रा का नहीं था। इसके लिए वह इतने भोले नहीं थे, श्री कोसिजिन ने क्या किया ? उन्होंने तो ऐसा काम किया कि मानों वह जानबूझकर सभी अन्तर्राष्ट्रीय, शिष्टार, सभी अन्तर्राष्ट्रीय राजनय का का उल्लंघन कर रहे हों। वह इसे सहज ही नहीं कर रहे थे। वह किसी विशेष चाल से जानबूझकर कर रहे थे। उनकी चाल थी। सन्देह की भावना पैदा करना ओर उनकी चाल थी। भारत और चीन के बिछड़े हुए सम्बन्धों को सामान्य बनाने के भारत के प्रयास को शुरू में ही समाप्त करना। दूसरे श्री कोसिजिन की चाल चीन के दिमाग में संदेह का यह वातावरण पैदा करना था कि भारत-सोवियत समझौते की पृष्ठभूमि में रूस की नीति चीन की घेराबंदी की थी। भारत तो जबरदस्ती जाने या अनजाने इसमें शामिल था। मैं तो यह कहुंगा कि कोसिजिन ने इस तरह की कूटनीति कभी नहीं दिखाई थी। और जिस तरह से भारत में उन्हें सफलता मिली उस समय से यह उनकी शानहार जीत थी। और उन्हें रूसी कूटनीति में सबसे बेहतर सफलता मिली।

सभापति महोदय : श्री गुह, आप एक बात कहने में बहुत समय लगा रहे हैं। इस तरह से आप कभी भी समाप्त नहीं कर पायेंगे। आप 11 मिनट ले चुके हैं।

प्रो० समर गुह : आपको मुझे रोकने की आदत पड़ गयी हैं। जब कभी में बोलने के लिए खड़ा होता हूं, आप टोकते हैं। मुझे कितने मिनट और मिलेंगे।

सभापति महोदय : आप 3 या 4 मिनट ले सकते हैं। हमें समय का सभी के लिए हिसाब रखना है।

प्रो० समर गुह : आप मुझ जैसे एक वरिष्ठ सदस्य के समय का हिसाब रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय : मैं आपको समय दे रहा हुं। मैं आपको संक्षेप में बोलने के लिए चेतावनी दे रहा हूं।

प्रो० समर गुह : जिस ढंग से श्री कोसिजिन देश द्वारा दिए गए आतिश सत्कार का दुरुपयोग कर रहे थे उसका भारत सरकार ने भी निरनुमोदन नहीं किया। इसके विपरीत रंगरेलियां की गई मानो आप कोसिजिन द्वारा भारत में किए गए कार्य की एक प्रकार से सराहना कर रहे थे।

मुझे इस बारे में चिन्ता क्यों है ? जैसा कि मैंने कहा है कि चीन-सोवियत संघ के इन सम्बन्धों का परिणाम यह होगा कि समूचा विश्व एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विध्वंस की ओर ले जाया जाएगा। आप भी तैयार रहे। आप मोरारजी भाई से पूछे कि क्या आप परमाणु शस्त्र बनाने के लिए तैयार हैं ? क्या हम किसी ताकत का एकतरफा मुकाबला करने ने लिए अपना युद्ध तंत्र मजबूत करने के लिए तैयार हैं ? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको एक ऐसी राजनय और नीति अपनानी होगी जिसके परिणामस्वरूप आप हमारे देश को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल किये जाने से बचा सकेंगे जिसकी संभावना अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बढ़ती जा रही है।

श्री वाजपेयी 'वास्तविक गुटनिरपेक्षता' शब्दों के बारे में क्षमायाचना कर रहे थे। यदि आप नेहरू का अनुसरण कर रहे हैं तो आप 'वास्तविक गुटनिरपेक्षता' शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ? जनता पार्टी इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही है ? मेरे मित्र ने बताया कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति कमजोर पड़ गई है। यह तो पीसा की "लीनिंग टावर" की तरह है। यह तो लंदन और मास्को के बीच 'पेंडुलम' की तरह भूल रही है। आपका राष्ट्रमंडल और अन्य संगठन हैं। उन्हें क्यों भूल रहे हैं ? हम जनता पार्टी के लोग 'वास्तविक गुटनिरपेक्षता' शब्द का प्रयोग वास्तव में इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष रहना चाहते थे और इसके साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व, राष्ट्रीय गरिमा और राष्ट्रीय अपेक्षाओं तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति भी जागरूक रहें।

मैं अब यह कह करके इस पहलू को समाप्त करूंगा कि यदि आप सचमुच भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में समेटे जाने से बचाना चाहते हैं तो आपको उबड़ी शक्तियों अर्थात् अमेरिका, रूस और चीन के साथ एक समकोषिक गुटनिरपेक्षता की नीति ईमानदारी के साथ अपनानी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सभी के साथ दूर से ही निपटेंगे। आप इसे समकोणिक सम्बन्ध, समकोणिक दूरी कह सकते हैं। जब कभी इसमें हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित हों, तो निस्सन्देह हमें अपने हितों पर ध्यान रखना चाहिए। परन्तु हमें दो ठोस पहलुओं को ध्यान में

रखना चाहिए—एक तो यह है कि हम भारत को किसी बड़ी विदेशी शक्ति के साथ न जोड़े दूसरे, हमें किसी भी बड़ी शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या नीति में अपने आपको न फंसायें।

अब हमें प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव की हाल की यात्रा के बारे में कुछ बातें कहनी है। यदि श्री कोसिजिन की यात्रा असामयिक, गलत धारणा से और अव्यवस्थित ढंग से हुई तो मैं यह कहता हूं कि आप स्वयं वही गलती करने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री, या श्री वाजपेयी और अन्य लोगों की आडंबरपूर्ण यात्रा असामयिक, बिना सोचे विचारे और अव्यवस्थित रूप से हुई है। वे ढाका बंगलादेश जा रहे हैं। यदि भारत देश के उस हिस्से का जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान किया, बटवारा करके और अलग करके गलती की तो क्या हुआ ? मैं नहीं जानता कि क्या श्री वाजपेयी को 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की याद है जिसके विरुद्ध आपके गुरु ने उसकी निरर्थकता के कारण मंत्रिमंडल, से त्यागपत्र दे दिया था। शायद वह भूल गए हैं। वह ढाका जाकर वही गलनी करने जा रहे हैं। आप वहां क्यों जा रहे हैं ? आप वहां जाकर क्या करेंगे ? आप किसकी कर रहे हैं ? आप अपना समर्थन सद्भावना और अन्य चीजें किसको देने जा रहे हैं ? उस तानाशाही शासन को जो पूर्णतः धर्मान्ध, साम्प्रदायिक है और जो सर्व धर्म समभाव नहीं रखता है जिससे बंगलादेश में सभी तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं ? आपने चुनाव परिणाम देखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जियाउर्रहमान का अल्लाह से सीधा संपर्क है। वे चुनावों से दस दिन पहले अपने सरकारी समाचार पत्र में यह प्रकाशित करते हैं कि संख्या क्या होगी, सत्तारूढ़ दल को कितनी सीटें मिलेंगी, अन्य दलों को कितनी सिटें मिलेंगी। यह सब गणित का हिसाब लगाया गया। उन्होंने जो संख्या दी थी, वह उन्हें प्राप्त हुई। क्या आपने कभी ऐसा सुना है ? रेडियो और टेलिविजन पर 12 सदस्यों की घोषणा की गयी। परन्तु 12 या 18 घंटे बाद यह घोषणा की गई कि यह गलती हो गयी। वे सभी हार गये।

मैं नहीं जानता कि क्या श्री वाजपेयी को यह सब जानकारी है या नहीं। चूंकि उनकी यात्रा का समाचार बंगलादेश में फैला, इसलिए सभी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रीय दल उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और अपनी चिन्ता व्यक्त की कि यदि भारत निरपेक्ष लोकतंत्रीय ताकतों की मदद नहीं कर सकता तो इसे हमें नुकसान पहुंचाने का क्या अधिकार है, इसे जियायुर्रहमान की नृशंस नीति को अपनी सहमति देने का क्या अधिकार है। क्या यह उन्हें मालूम नहीं है ? मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। धर्म परिवर्तन हो रहा है, सैकड़ों को संख्या में अपहरण हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों का अपहरण हो रहा है, लूट और आगजनी की घटनायें हो रही हैं, उनकी सम्पत्ति लूटी गयी है। मेरे पास सारी जानकारी है। क्या श्री वाजपेयी या श्री मोरार जी को जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान है, बंगलादेश के बारे में समरगुह से अधिक जानकारी है जो वहीं जन्मा और वर्षों तक पला पोषा। मुझे इस क्षेत्र की जानकारी निरंतर मिलती रहती है। वहां 150 लाख अल्पसंख्यक परिवार है जो कि बर्मा, श्रीलंका की आबादी के समान है और जो थाईलैंड या मलेशिया या आस्ट्रेलिया या कनाडा से अधिक है। इन लोगों के साथ वहां कैसा व्यवहार होता है ? वहां क्या हो रहा है ? क्या आपको इसकी जानकारी है ? वहां

कैसी धर्मान्ध साम्प्रदायिकता करती जा रही है ? आप वहां क्यों जा रहे हैं ? क्या आप भट्टी राजनीति, अल्पसंख्यक संतापन नीति, सभी तरह के किए गए अत्याचारों, जियायुर्रहमान की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं ?

मैं एक चेतावनी दे करके भाषण समाप्त करूंगा। भले ही मुझे साम्प्रदायिक पक्षपाती कहा जाये। बाबू जी भी वहां गए उन्होंने जियाउर्रहमान से बातचीत की। मैं बाबू जी को चेतावनी देता हूं। ये लोग वहां है। आप अनुसूचित जातियों के बारे में बड़ी बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनमें 80 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। क्या आपको पता है कि उनमें से सैकड़ों का अपहरण हो चुका है ? कितने मकान जला दिये गए हैं ? क्या आपने सुना है कि हरिजनों की स्थिति वहां कैसी है ? उन पर क्या अपराध किये जाते हैं ? आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत विभाजन के लिए काम किया। आप उन अभागे लोगों की दशा भूल गए हैं।

समाप्त करने से पूर्व मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा इसके लिए इस समय वक्त नहीं है। मैं आप सबको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस्लाम की आड़ में बंगलादेश में धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती तो भगवान भी भारत में धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। आपकी श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति है। पर बांगलादेश के सम्बन्ध में आप जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह एक स्वधानी नीति है।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : विदेश नीति के सम्बन्ध में इस सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। विडेश मंत्री यदा-कदा इस विषय पर वक्तव्य देते रहे हैं पर उन्होंने उन घटनाओं से इस सभा को अवगत नही कराया जो आज घटित हो रही हैं।

निरगुटता का अर्थ यह नहीं है कि हम एक देश के साथ अधिक दोस्ती रखें और दूसरे के साथ कम। निरगुटता का अभिप्राय है हम उपनिवेशवाद को खत्म करें और सभी देश उपनिवेशवादी शासन से मुक्त किए जाएं। अफ्रीकी देशों में गम्भीर प्रकार की घटनाए हुई हैं और हमें आश्चर्य है कि हमारे विदेश मंत्री खामोश रहे। मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया गया है। मैं ब्यौरे पर नहीं जा सकता। पर मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करूंगा।

अपने पड़ोसी देशों के साथ हमें अवश्य ही मित्रता के सम्बन्ध रखने चाहिए। हमारी सरकार ने बांगलादेश के साथ फर्राका [illegible]ौता किया है। इसके फलस्वरूप कलकत्ता और हल्दिया पत्तन सूख रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र की अ[illegible]व्यवस्था डमाडोल स्थिति में है। हमें बांगलादेश के साथ मैत्री सम्बन्ध अवश्य रखने चाहिए पर अपने राष्ट्र की कीमत पर नहीं। प्रो० गुहा ने अभी बताया है कि बांगलादेश में क्या कुछ हो रहा है। अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। यह मामला बगांलादेश सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री 14 तारीख को वहां जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि विडेश मंत्री भी उनके साथ जा रहे हैं। इस मामले को उठाया जाना चाहिए।

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

पाकिस्तान के साथ हम सहयोग कर रहे हैं । पर पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा है ।

हमारी सरकार ने श्री भुट्टो को क्षमादान के लिए राष्ट्रपति जियाउलहक से अपील नहीं की । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस मामले में मूक क्यों रही । पर हम इस सभा के आभारी हैं कि उसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से श्री भुट्टो को फांसी न देने की अपील की है ।

हिन्द महासागर में दियगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक बेड़े को और मजबूत बनाए जाने के बारे में मेरा कहना है कि यह निश्चित ही सभी शान्तिप्रिय देशों को एक खतरा है । नौसैनिक हमले दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं । पर सरकार ने कोई विरोध-पत्र नहीं दिया है । सरकार ने केवल यह कह दिया कि यह गलत है । पर सरकार को इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाना चाहिए और जनमत करना चाहिए ।

जहां तक अमरीकी देशों का प्रश्न है, सामाज्यवादी ताकतें पूरी शक्ति से इन उपनिवेशों में आ रही हैं । हम मौन बैठे हैं । में विदेश मंत्री से इस विषय में आवाज उठाने का अनुरोध करूंगा । उपनिवेशवाद पूर्णतः खत्म किया जाना चाहिए । सभी अफ्रीकी देश आजाद होने चाहिए । ईरान में क्या हुआ ? कुछ ही मास पूर्व हमने इस संसद में ईरान के शाह का हार्दिक स्वागत किया । पर शीघ्र ही उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा । मुझे नहीं मालूम कि हमारे विदेश मंत्री को क्या जानकारी प्राप्त होती है । चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए उनकी चीन यात्रा का मैं स्वागत करता हूं । पर समय इतना बुरा चुना गया कि ज्योही वह चीन पहुंचे, चीन ने वियतना की सीमा पर आक्रमण कर दिया । वह वियतनाम के हजारों किलोमीटर क्षेत्र में घुस गए । हमारे विदेश मंत्री को इन सम्भावित घटनाओं की जानकारी नहीं दी गई । भारत इस विषय में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा । मैं विदेश मंत्री से पूछता हूं कि क्या उन्होंने चीन जाने से पूर्व हमारे चीन में जो राजदूत हैं उनसे या उनके सलाहकारों से परामर्श किया था ? मुझे नहीं मालूम कि परामर्श किया अथवा नहीं । यह एक अन्तर्राष्ट्रय मामला है और इस पर सभा में बहस होनी चाहिए । इस सभा के सदस्यों को अन्धकार में नहीं रखा जाना चाहिए । आपको उन्हें विश्वास में लेना चाहिए और समय-समय पर उन्हें अपनी नीति से अवगत करना चाहिए । आप कभी-कभी जो व्क्तव्य देते हैं उससे सभा या भारत की जनता में विश्वास पैदा नहीं होता । अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सभा को अन्य देशों में घट रही घटनाओं से अवगत कराएं तथा अफ्रीकी देशों, ईरान, चीन, एवं अन्य देशों के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करें । अन्य देशों ने जो गलत काम किए हैं उनका हमें सुरक्षा परिषद में जोरदार ढंग से विरोध करना चाहिए ।

श्री शरद पवार यादव (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, आज मैं इस विषय पर दोनों पक्षों की बहस सुन रहा था । यह आदर्श और व्यावहारिकता दोनों के बीच में होचपोच हो गयी है । कुछ लोग यह कह रहे थे कि तटस्था की नीति के लिए हमें साधु हो जाना चाहिए,

अच्छा अच्छा बोलना चाहिए । दुनिया में हमारी क्या हैसियत है' किस तरह की हमारी औकात किस तरह से हमको आंका जाता है, इसकी हम चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग यह कह रहे थे कि कई खून करके भी, एक दो जगह हमला करके भी जो कुछ हुआ जसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए । कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दियोगो गर्शिया के समुद्र में जहाज घूम रहे हैं । मैं इस सब बहस को एक बहुत सीमित दायरे में लाना चाहता हूं ।

असल में नान-अलाइनमेंट का जो आन्दोलन है, यह आजादी के आन्दोलन के चलते तैयार हुआ था । इस तटस्थता की नीति को बनाने वाला सवसे पहला आदमो डा0 राम मनोहर लोहिया था । उनकी जो नान-अलाइमेंट की की पालिसी थी, उसको बाद में हिन्दुस्तान की जो नयी सरकार बनी, आजाद सरकार बनी, उसने लिया । जवाहरलाल जी की गुटनिरपेक्षता का बहुत चर्चा हुआ । बिन यगाफ की नीति की यहां बहुत बात हुई ।

उपाध्यक्ष जी, अभी अभी की जो घटना है, मैं उसमें जाता हूं । हमारे विदेश मंत्री की चीन की जो यात्रा हुई वह यात्रा हमलावर चीन के यहां हुई । 1956 में जोंहिन्दी-चीनी भाई भाई वाला समझौता हुआ था, उस समझौते के बाद 1962 में उसका हमला हुआ । 1962 के उस हमले के बाद, और हमारी नयी सरकार बनने के बाद हमारी वहां की यात्रा हुई । जिस वक्त 1962 में चीन का हमला हुआ था उस समय हमारे श्री कृष्ण मेनन साहब रक्षा मंत्री थे । माइकल-फ्रेजर की गक किताब है जिसमें 1962 के युद्ध का जर्बदस्त व्यौरा है । विदेश मंत्री जी ने उस पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा । यदि नही पढ़ा तो निश्चय ही वह पढ़ें । उन्होंने माना था कि हमारी सुरक्षा की जो नीति थी वह पाकिस्तान को सामने रखकर निर्धारित की गई थी । हमारी तैयारी चीन के बराबर नहीं थीं । उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी यह बहुत बड़ी भूल थी । जब भी चीन ताकतवर हुआ है, वह विस्तारवादी और हमलावर हुआ है, यह भी उन्होंने स्वीकार किया ! इस तरह से उन्होंने अपनी भारी भूल को स्वीकार किया था । उस मामले में जवाहर लाल नेहरू जी के साथ मैं मानता हूं कि धोखा हो गया था । लेकिन इस सरकार के साथ किस बात का धोखा हुआ है? आप देख रहे थे कि वह नागालैंड को बड़े पैमाने पर हथियार देता है । सिक्किम के सवाल पर उन्होंने हमारे देश के इंटरेस्ट्स के खिलाफ स्टैंड लिया है । काश्मीर के सवाल पर वह कहता है कि पाकिस्तान का स्टैंड ठीक है । बंगला देश का युद्ध हुआ और देश आजाद हुआ । उस मुक्ति आन्दोलन के समय भी उन्होंने हिन्दुस्तान के खिलाफ स्टैंड लिया था । चीन ने आज भी हमारी हजारों एकड़ भूमि दबा करके रखी हुई है और उस मामले में भी वह कोई समझौता करने को तैयार नहीं है तिब्बत के सवाल पर उसने कोई समझौता किया है क्या ? कोई हल उसका भी उसने नही निकाला है । मै पूछना चाहता हूं कि चीन की यात्रा इन परिस्थितियों में किस उद्देश्य से की गई थी ? यात्रा जब होतीं है कूटनीतिक होती है, देश के हित के लिए होती है । यात्रा का मतलब या वार्ता का मतलब सौदागीरी करना होता है क्या, एक दूसरी जगह जा कर चीनियों से मालिस कराने का यह क्या मामला था, या मेहमानगीरी करने का मामला था? चीन के साथ इतने जबर्दस्त हमारे रिश्ते बिगड़े हुए है तब यह यात्रा किस उद्देश्य से की गई ? हिन्दुस्तान के हर सवाल

के वह खिलाफ है, हिन्दुस्तान के हर इंटरेस्ट के खिलाफ है। देश की जमीन से लेकर हर एक सवाल में वह हमारी खिलाफत करता है। उनसे बातचीत का मतलब क्या था ? एक भी चीज क्या हल की है उसने एक भी सवाल क्या हिन्दुस्तान का हल हुआ है? जमीन का सवाल उसने हल किया है ? काश्मीर के मामले में उसने रुख में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? नागालैंड को हथियार देना वह बन्द कर देगा ? यह कहा जा रहा है कि हमें मेहमान के तौर पर उसने बुलाया था। — यह को वही बात हुई कि किसी आदमी को मेहमान के तौर पर बुलाया जाऐ और बुला करके उसके पड़ौसी को पांच जूते मार दिये जायें। यह ऐसा ही काम हुआ है, ऐसा ही हमारा स्वागत हुआ है। निर्गुटता की जो हमारी नीति हे, बिना लगाव की जो हमारी नीति है इसका मतलब क्या है ? क्या इसका मतलब यह है कि अपने देश के हितों को कुर्बान करके रिश्ते कायम किए जाएं ? आप मजबुत नहीं हैं। आप से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर चीनी लोहा, सीमेन्ट, पेट्रोल पैदा करता है, आपकी फौज से कहीं ज्यादा फौजी तौर पर वह मजबूत है। हमारे चव्हाण साहब ठीक कह रहे थे और बड़ी हद तक मैं उनसे सहमत हूं कि कमजोर हिन्दुस्तान की चीन के साथ दोस्ती चल नहीं सकती है, मजबूत हिन्दुस्तान की चीन के साथ ही चलेगी।

रूस का सवाल भी आया है। बहुत से हमारे साथियों ने कोस कोस कर रूस और अमरिका बराबर साबित करने की कोशिश की है, एक ही तराजू पर रखने की कोशिश की है। मैं साफ को साफ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान से लगाव रखने वाला कोई भी आदमी इसको किसी भी तरह से बरदास्त नहीं कर सकता है कि हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी लाबी चीन की तैयार हो जाए। चीन के साथ अचानक यह प्रेम लोगों का कैसे उमड़ पड़ा है ? किस कारण से उमड़ पड़ा है ? जिस समय से अमरीका के साथ चीन के रिश्ते बन गए उसी समय चीन के साथियों के मन में चीन के लिए मुहब्बत पनप गई। इसको मैं मुल्क के साथ गद्दारी मानता हूं। आज भारत के हर हित के खिलाफ चीन है। चीन के साथ रिश्ते का क्या मतलब है ? क्या अमरीका ने भी हर सवाल पर हम को नीचे नहीं गिराया है ? बंगला देश का युद्ध आंया तो उसका सातवां फ्लीट भी आया। काश्मीर के सवाल पर हमेशा वह हमारा बिरोध करता है। यह अच्छी बात थी।

रूस की व्यवस्था से हमारा विरोध हो सकता है, उसकी हम खिलाफत कर सकते है। कोई गड़बड़ करें उसका हम जबाब दें। अभी हाल ही में कोसिगिन आए जो समझौता है। उसमें कई खामियां हैं। इसको मैं जनता पार्टी की विदेश नीति की असफलता मानता हूं कि उन्होंने यहां आकर वीयतनाम के मामले पर चीन को हमलावर करार दिया। इन्होंने चीन को 1962 की युद्ध में उसको उसने हमलावर करार नहीं दिया। उसने जमीन को छोड़ने को कहा। 1962 में जो हमारी भूमि चीन ने दबा ली थी उसको वापिस करने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इस मामले में मैं विदेश मंत्री और भारत सरकार को दोषी मानता हूं। यह बहुत बड़ी असफलता है— (इंटरप्शंज) 1962 में रूस ने कहा था कि चीन हमारा भाई है और भारत हमारा मित्र है। फर्क आप देंते। बुद्धि को आजा करें। यह कहा था कि चीन हमारा भाई है और हिन्दुस्तान हमारा मित्र है। कुछ लोग हैं जो चीन की दलाली करते हैं जिनको अचानक चीन प्रेम उमड़ा हुआ है।

आज यह हिन्दुस्तान में चीन की दलाली कैसे हो गई ? उसके प्रति प्रेम कहां से उमड़ा है। मैं यह पूछना चाहता हूं। हमने तो 1962 में भी कहा था, हमारे दल के नेता ने कहा था, सारे अमेंडमेंट वापस ले लिये गये थे जवाहर लाल जी के परसू करने पर। यह लोक सभा का इतिहास है। बाकी सब लोगों ने वापस लिये थे, श्री राम सेवक यादव ने वापस लिये थे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चीन के साथ मोहब्बत कैसे पैदा हो गई ? रूस हर सवाल पर आप के साथ है, और इस देश का इंटरेस्ट है कि कश्मीर का सवाल हम सुरक्षा परिषद् में न हारें। हमेशा हमको सुरक्षा परिषद् में इस मामले में वीटो किया जाता है। बंगला देश का सवाल आया तो आपने ट्री टी क्यों की ? इसलिये की कि आप कहीं पर कमजोर हैं। आप कहते हो कि हमको बिल्कुल ठीक से तटस्थ रहना है, यानी सब कोई मित्र बने। तो यह तभी हो सकता है जब आप मजबूत हों। नहीं तो चाणक्य कहता था यदि पडौसी हमारा बहुत ताकतवर दुश्मन है तो निश्चित तौर पर वह बढ़िया राजा होता है जो उसके दुशमन से दोस्ती करके उस मजबूत दुशमन को ठीक करे। यह चाणक्य ने बहुत पहले कहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चीन का प्रेम ज्यादा शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या रहस्य है ?

दूसरी बात यह कि हर सवाल पर रूस ने आपका साथ दिया। यानी वह मित्रता कीमती है, आपके देश के हित में है। फिर अमरीका और रूस को एक साथ रखना कहां तक उचित है। वह अमरीका जिसने हर जगह जितने भी युद्ध हुए हैं गड़बड़ की है। मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका जहां जाता है, जहां उस भूत का पैर पड़ता है वहां अनार्की पैदा हुई है। इसके साथ हमारा तुम्हारा क्या प्रेम है ? और यदि आपका प्रेम है, इन दोनों से लड़ना है तो मैं बताता हूं कि दो तिहाई रंगीन दुनिया की कंगाली और जो गोरी दुनिया की अमीरी है, उसके विचार की लूट, सभ्यता का हावी होना, बीसवीं शताबदी के शिखर पर उनका बैठे रहना, बाकी दुनिया को चूस कर खाना, रंगीन दो तिहाई दुनियां की गरीबी और गोरी दुनिया की अमीरी को लड़ाई का विषय बनाओ। क्या यह आपकी विदेश नीति है ? आपके बगल में नेपाल है, कोई आपका आदर्श मानता है ? वहां जो सरकार है वह आपकी बात मानती है ? कोइराला साहब के नेतृत्व में आजादी की जंग चली, इस राष्ट्रीय आन्दोलन की लोहिया से लेकर जय प्रकाश नारायण ने मदद की। आपको पता है कि दो क्रांन्तिकारियों को गोली से उड़ा दिया गया। वहां सारे जो आन्दोलन के लोग हैं अपनी स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे हैं, अपने मुल्क की आजादी के लिये लड़ रहे हैं राजा, से उनको आप कोई मदद कर सके ? उनके बारे में नेपाल की सरकार से आप बातचीत कर सके क्या ? या फिर वहां की जो नदियां हैं उन नदियों का जो बहाव है जिससे गंगा में बाढ़ आती है, उनके बारे में कोई समझौता आपका हुआ ? न आदर्श पाते हैं, न आदर्श के लिये आपकी विदेश नीति है। आप यह भी नहीं कहते कि हम दो तिहाई दुनिया का रंगीन दुनिया, गोरी दुनिया के आर्थिक शोषण से मुक्ति का आन्दोलन चलायेंगे। उसकी मुक्ति आ आन्दोलन चलाइये। अभी नेपाल में जब कोइराला साहब थे, उनके लिये भंग जी लड़के जो पैसा ले कर के पहली बार आये थे, जो प्लेन लेकर लड़के आये थे, उन पर यह सरकार आज भी मुकदमा चला रही है।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : कोइराइल का जहाज नहीं उतारने दिया गया।

श्री शरद यादव : जो जहाज ले कर आये, पैसा लेकर आये, उन पर आज भी केस चल रहे हैं। जैसा बांगला देश में है, पाक्स्तिान में है, जितने तानाशाही के जनरल वहां बैठे हुए हैं तो अपने आदर्श और जनतंत्र तथा जम्हूरियत की रक्षा के लिये, जैसा माननीय स्वामी ने कहा है, उसकी ही मान जाते। यहां कहते हो कि आन्तरिक मामला है अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्तर्गत आ जाते हों। यानी रूस और अमरीका की नकल करते हों। तो नकलची बनने की जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत समझो, अपने देश के हितों को पहले बचाओं उसके वाद नान-ऐलाइमेंट की बात करो। बिन लगाव की बात जब आती है तो जो आदमी सच्चाई से हमारा साथ दे, इस देश के इन्टरेस्ट को बचाने में जो काम करे, वह हमारा दोस्त है। और मैं तो कहता हूं कि इस देश का स्वाभिमान तब तक नही चलेगा जब तक इस देश की गरीबी के साथ युद्ध नहीं करते। यह दोनों जुड़े हुए हैं। यानी हमारी जो गरीबी है वह विदेश नीति से जुड़ी हुई है। जिस देश की जनता मजबूत नहीं होती उस देश के इतिहास में सब से लम्बी गुलामी होती है। उसका नाम है हिन्दुस्तान। जो सबसे ज्यादा गुलाम रहा है और इस लिये रहा है कि तुमने 90 सैकड़ा इंसानों को कंगाली और गरीबी के जहाज पर पटक रखा है, तुम्हारी समाज व्यवस्था ऐसी है कि तुम्हारी ताकत कभी भी उनसे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इस देश की कभी स्वाभिमान नहीं बन सकता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विदेश नीति के लिये यह जरूरी है कि हिन्दुस्तान की गरीबी से हम निपटें, हमें जनता से जो वायदे किये हैं, उन पर जोर से लगकर लागू करें। हम इस देश की गरीबी से निपटें और इस देश के गरीबी की हैसियत उठायें उनके जीवन में रुचि पैदा करें तो उनकी हैसियत उठेगी और इससे इस मुल्क की हैसियत उठेगी, हमारा स्वाभिमान उठेगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि रूस और अमेरिका का जो बराबरी का चक्र यहां चालाकी से चल रहा है इस पर में बहुत कुछ कह सकता था। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं सब बातों को यहां कहता। देखना यह था कि इस मुल्क का हित चीन के साथ दोस्ती में था या नहीं। अभी जो हमारे विदेश मंत्री जी की चीन यात्रा हुई उससे देश का अपमान हुआ है। अटल जी का अपमान नहीं हुआ। मैं श्री वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूं, कभी मैंने इस तरह से उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन इस समूचे देश का और राष्ट्र के हितों का अपमान हुआ है। यहां जो बहस हुई है, वह खंडित बहस हुई है। इसका समय बढ़ाना जाना चाहिये था और सम्पूर्ण बहस इस पर होनी चाहिये थी। जल्दी-जल्दी कर के आप इतने बड़े सवाल को इधर उधर करवा रहे हैं, इसके लिये मुझे बहुत अफसोस है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत कम समय दिया गया है और दूसरों को बहुत ज्यादा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए समय बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री राज नारायण : श्रीमन्, हमारा क्या हुआ ?

मैं आपसे एक निवेदन कर के जा रहा हूं। डिफैन्स की डिबेट के अवसर पर माननीय

वाजपेयी जी ने मुझे कहा था कि आपको समय अब नहीं मिल पायेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि तो फिर हम वाजपेयी जी को क्यों सुनें ? क्योंकि अभी तक जो लगाव है वह किससे है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमने समय पहले ही बढ़ा दिया है। कार्य मंत्रणा समिति ने 6 घण्टे का समय नियत किया है। आप पहले ही इतना समय ले चुके हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आज सुबह अध्यक्ष महोदय भी इस बात से सहमत थे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर वर्ष के दौरान समय-समय पर चर्चा होनी चाहिए। वस्तुत: उन्होंने यह तय किया था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर संसद के प्रत्येक सत्र में चर्चा आयोजित की जाएगी। चूंकि पिछले वर्ष कोई चर्चा न हो सकी, अत: इस विषय के लिए एक घण्टे का समय और नियत करने के लिए हम आपके आभारी होंगे। मेरे विचार से सभा की आम सहमति है कि कम से कम 5 बजे तक समय बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति ने छ: घण्टे का समय नियत किया था, फिर भी हमने 6½ घण्टे ले लिए हैं। अभी श्री वाजपेयी उत्तर देंगे। वह भी कुछ समय लेंगे। पर हम लगभग 45 मिनट का समय और दे सकते हैं। हम 45 मिनट और बढ़ाते हैं। श्री ब्रजभूषण तिवारी।

श्री के० गोपाल (करूर) : आप समय का अनुपातिक हिसाब लगाएं और हमें भी अतिरिक्त समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी मांग न करें क्योंकि आपका दल अनुपातत: समय पहले ही ले चुका है। आपने नियत समय से भी अधिक समय ले लिया है। श्री डी० एन० बसु का समय बढ़ाया गया था।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अनुरोध करता हूं कि श्री राजनारायण को बोलने का मौका दिया जाए। वह सभा को बताएं कि उन्होंने संजय गांधी से कैसे बातचीत की और उस बातचीत का ब्यौरा क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम संजय गांधी पर चर्चा नहीं कर रहे। हम विदेश मामलों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राजनारायण : एक्स जनसंघ के लोगों के लिए यह एक इन्टरनैशनल मामला है। हम विदेश मामलों के बारे में बहस कर रहे हैं।

श्री पी०बेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : अगर 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा तो उसमें हमें कितना समय मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। पर आपको अनुपातत: समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि श्री टी० एन० बसु ने अधिक समय लिया है। इस पर सभा में चर्चा न करें।

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विदेश नीति पर हुई चर्चा को सुनने का मौका मिला है। जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने बताया है, विदेश नीति के बारे में अपने देश में यह परम्परा रही है कि लोग विभिन्न खेमों में बंट जाते हैं। कोई रूस की बात करे, कोई अमरीका की बात करे, कोई चीन की बात करे, परन्तु जो हमारी विदेश नीति का आधार हो, दृष्टि हो, उसके सम्बन्ध में हमें बात करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे हित क्या हैं। कहा जाता है कि हम बिन-लगाव की नीति को बैलेंस के आधार पर चलाना चाहते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री चव्हाण, ने कहा है, यह संयोग अच्छा था कि हमारे विदेश मंत्री के चीन से लौटने के बाद रूस के प्रधान मंत्री भारत आये और बहुत अच्छे समझौते हुए ! इसके साथ-साथ चीन की अपनी यात्रा से पहले माननीय विदेश मंत्री जी रूस गए। मैं उस जाने को बुरा नहीं मानता। परन्तु रूस में जाकर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया कि चीन से हमारे जो सम्बन्ध होंगे, या हमारी बातचीत होगी, उसका असर किसी दूसरे देश के साथ रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान की दृष्टि से इस प्रकार का बयान देना, या ऐसी यात्रा करना, उचित नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस एशुरेंस की क्या जरूरत थी ?

श्री ब्रजभूषण तिवारी : सब से अच्छी बात यह कही गई कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके सम्बन्ध में हमको क्या करना चाहिए। यह सही है कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की छाप हमारी बिन लगाव की नीति के निर्धारण पर पड़ी और उसका असर भी पड़ा। हमारा यह सपना था कि खास तौर से जो देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हम उनका संगठन या संघ बनायेंगे और उनको एक सूत्र में पिरो कर उनकी आजादी की लड़ाई का समर्थन करेंगे। हमारे देश में 1977 में जो राजनैतिक बदलाव आया, उसकी छाप हमारी विदेश नीति पर पड़नी चाहिए थी, परन्तु उसको उस रूप में हम नही देख पा रहे हैं।

अभी नेपाल की बात कही गई। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की आजादी का आन्दोलन हमारी आजादी के आंदोलन की परम्परा और उसकी प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। वहां की सरकार और वहां के लोगों नें हमारे आन्दोलन और हमारी सरकार से प्रेरणा ली है। परन्तु जैसी कि सूचना आई है, वहां पर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दो लोगों को गोली से मार दिया गया है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे 1977 से पहले, जबकि इस देश में श्रीमती गांधी द्वारा संकट-काल लागू था, जब हमारे नागरिक अधिकार और नागरिक आजादी छीन ली गई थी, तो हम लोग यह इच्छा करते थे, यह मांग करते थे कि दुनिया के वे देश जो जनतांत्रिक देश हैं वे हमारे जनतांत्रिक अधिकारों के लिए हमारी मदद करें और आज जब अपने देश में इतना बड़ा राजनैतिक परिवर्तन हुआ तो हमें भी अपने पास पड़ोस के देशों की जनता की लड़ाई का, उनकी आजादी की लड़ाई का समर्थन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि यह अपने देश के हित में भी है। जैसे पाकिस्तान का आक्रमण आप देख लें, पाकिस्तान

के साथ पिछली चार लड़ाइयों में तीन लड़ाइयां उस समय लड़ी गई जब पाकिस्तान में तानाशाही हुकूमत थी क्योंकि तानाशाही हुकूमत का यह चरित्र हुआ करता है कि अपने जन-असंतोष की दिशा को मोड़ने के लिए और अपनी तानाशाही हुकूमत को बरकरार रखने के लिए पड़ोस के देशों के साथ नोंक झोंक करे या आक्रामक कार्यवाही करे ।

साथ ही साथ आज जो अल्पसंख्यक हैं उनका प्रश्न भी गंभीर है । चाहे वह बंगला देश के अल्पसंख्यक हों या पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हो, और खास तौर पर आज जो इस्लामवाद या कुरान के आधार पर राज्य को स्थापित करने की कल्पना की जा रही है जैसे पाकिस्तान में हुआ कि वे लोग जो प्रोफेट को आखिरी प्रोफेट मानेंगे केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा, अगर ऐसे गन्दे, गलत, जनतंत्रहीन और जनतंत्र विरोधी कानून बनते हैं तो भारत की सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए । खास तौर पर जो इतरेतर धर्मावलम्बी हैं, उनके राजनैतिक अधिकारों के बारे में हम क्या कर रहे हैं ?

एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी यहां पर काफी चर्चा हुई साउथ ईस्ट एशिया के बारे में है । जो अमेरिका की दृष्टि है वह साफ है कि वह दक्षिण एशिया में भारत के आधिपत्य को स्वीकार कराना चाहता है और साउथ ईस्ट एशिया में चीन के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है । परन्तु यह भारत के हित में उचित नहीं है क्योंकि एक तो चीन कबूल नहीं करेगा दक्षिण एशिया में हमारे आधिपत्य को और दूसरे, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के आधिपत्य को स्वीकार करके हम अपने राष्ट्रीय हितों का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं या उसमें अपने को असुक्षित नहीं छोड़ सकते हैं । इसलिए यह जो दृष्टि है इसके बारे में सरकार की तरफ से साफ उत्तर होना चाहिए और खास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया के देशों के बारे में हमारी क्या नीति है उसका भी ठोस उत्तर हमें मिलना चाहिए क्योंकि आज कम्पूचिया के प्रश्न को लेकर लोग बंटे हुए हैं । मैं ऐसा मानता हूं कि कम्पूचिया की सरकार को मान्यता देनी चाहिए । मान्यता देने की आवश्यकता में इसलिए महसूस करता हूं कि चीन से हमारे सीमा विवाद है, हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, इसी लोक सभा में हम ने संकल्प लिया था कि एक एक इंच भूमि हम चीन से वापस लेंगे और फिर उसकी प्रतिद्वंद्विता भी हमसे इस क्षेत्र में है, तो भारत के राष्ट्रीय हित में यह है कि चीन कमजोर हो, हमारे किसी भी काम से ऐसी कार्यवाही न हो कि जिससे चीन को ताकत मिले । दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि अगर कम्पूचिया की सरकार को मान्यता दे दी गई होती तो वहां की घटनाओं के बारे में हमारी पकड़ होती, जानकारी होती । मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वियतनाम स्थित राजदूत हैं उन्होंने हनोई की सरकार से यह इजाजत मांगी थी कि उनको कम्पूचिया में जाने दिया जाय । हनोई की सरकार ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हनोई कम्पूचिया के राजदूत हैं उनसे अनुमति लीजिए । राजदूत से अनुमति लेने का मतलब है कम्पूचिया की सरकार को मान्यता देना । वह हम नहीं ले पाए केवल इसलिए कि हम वहां जा कर इजाजत नहीं लेना चाहते थे । तर्क दिया जाता है कि वहां पर स्थिर सरकार नहीं है । मगर ईरान की सरकार को हम ने मान्यता दी । ईरान में भी पूरे तौर पर स्थिरता नहीं है जो कि होनी चाहिए । परन्तु इसके पीछे जो विदेश मंत्रालय के अफसर हैं जो नीति निर्माता हैं वे लोग ऐसी जगह खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए जहां बराबर झगड़े हों, झंझट हो, जहां नोंक

झोक ही ऐसी सरकार को मान्यता देने में वे गुरेज करते हैं। इसके सम्बन्ध में भी हों विचार करना होगा। लगता है कि अपने विदेश मंत्रालय का यह अलिखित समझौता रहा है कि जहां पर झगड़े हों, जहां पर खतरा हो वहां जाओ नहीं, वहां के देशों को मान्यता देने में हीलाहवाली करो। इस संबंध में मैं ऐसा मानता हूं कि कम्पूचिया की सरकार को मान्यता देनी चाहिए। कम्पूचिया सरकार को मान्यता देनी चाहिए। साथ ही वियतनाम के बारे में वहां जो कार्यवाही हुई उसकी निन्दा करते हैं। इस सदन में, हमारे विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री ने बयान दिये हैं—उसको अग्रसर करार दिया है, परन्तु जो संयुक्त विज्ञप्ति निकली—उसमें अटैक शब्द जोड़ दिया गया। यह किसकी राय से जोड़ा गया ? इसके लिए कौन-सा दबाव पड़ा ? मैं चाहूंगा इसके बारे में विदेश मंत्री जी सफाई दें।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो इलाका है— वह दस वर्षों में काफी तनावपूर्ण क्षेत्र बनने वाला है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद, चीन की सरहद और रूस की सरहद मिलती है। अफगानिस्तान की घटनाये हम जानते हैं। तमाम विद्रोही पाकिस्तान में घुस गये हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति है— वहां भी काफी अराजकता की स्थिति हैं। इस लिए भारत के हित में है पाकिस्तान का विघटन न होने पाये। उसका कारण यह है कि अगर पाकिस्तान का विघटन होता है और वह इलाका किसी महाशक्ति के प्रभाव क्षेत्र में का केन्द्र बनता है तो हमारी राष्ट्रीग सुरक्षा को खतरा होगा। तो इस दृष्टि से हमारी क्या नीति है—इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए।

जो कराकुरम की सड़क चीन ने बनाई वह कांफी खतरनाक है यह सड़क ऐसी है जो पीकिंग को कराची से मिलाती है और 60 टन के टैंक उस पर चल सकते हैं। वह आल-वेदर रोड है। आप कल्पना करें अगर किसी समय पाकिस्तांन से हमारे रिश्ते खराब हो जांय या चीन से हमारे रिश्ते खराब हो जाँय तो उस का असर हमारी सीमाओं पर क्या पड़ेगा ? इस सम्बन्ध में हमारी आंखें खुलनी चाहिए और वस्तु-परक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर अपनी विदेश नीति के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से आक्साई चीन के निर्माण करने में श्री नेहरू ने पाप किया, उससे कम पाप इस काराकरम की सड़क निर्माण करने में नही है '

साथ ही साथ चीन की यात्रा के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, मैं भी मानता हूं कि विदेश मंत्री को चीन यात्रा समुचित रूप से विचार करके नही की गई क्योंकि आक्रमणकारी को ही पहले हमारे यहां आना चाहिए था और यात्रा की पूर्व तैयारी अफसरों के स्तर पर होनी चाहिए थी। चीन जब अपनी पुरानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था, केवल गोल-मटोल बातें कर रहा था तो हमने बातें करने के पूर्व क्यों अपनी स्थिति में परिवर्तन के संकेत दिए ; यह भी कहा जाता है कि चीन की यात्रा में चार दिनों का परिवर्तन किया गया— यह कहा तक सत्य है ?

दक्षिणपूर्व एशिया की हालत के सम्बन्ध में क्या कोई बात एशियाई देशों से हुई है ? यदि हां, तो सदन को उससे अवगत कराना चाहिए।

अल्पसंख्यक जोकि दूसरे देशों--पाकिस्तान, बंगलादेश, ईरान आदि में हैं उनके क्या अधिकार होंगे और उनका जो इनफ्लक्स हमारे देश में आ रहा है उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

क्या शाह ईरान के नाम पर हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से श्रीमती गांधी के शासन काल में यहां के व्यापारियों ने बहुत पैसा बनाया था ? जैसे कि इन्दुजा ब्रदर्स का मामला था। इस मामले में व्यापारी लोग, सरकार के लोग और शहंशाह के परिवार के लोग शामिल हैं। ईरान के शहनशाह के आखिरी दिनों में वहां पर एक जांच कमीशन बिठाया गया था। इस सदन में हमारे माननीय सदस्य, श्री श्यामनन्दन मिश्र ने इस तथ्य का उद्‌घाटन भी किया था। इस सम्बन्ध में मैं साफ तौर पर पूछना चाहूंगा क्या कोई ऐसा जांच कमीशन बिठाने के बारे में विचार किया जा रहा है ;

जहाँ तक पालिसी प्लानिंग का मामला है, इस के सम्बन्ध में केवल अफसरों पर आधारित नहीं होना चाहिये। इस के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए और जो न्यू-ग्रेडेशन का मामला है, जैसे एम्बेसडर्स बाहर भेजे जाते हैं, उन के बारे में प्राथमिकता और वरीयता फिर से, तय करनी चाहिये। सब से पहले प्राथमिकता अपने पड़ौसी देशों, साउथ-ईस्ट एशियन कन्ट्रीज को दी जानी चाहिये, क्योंकि ज्यादातन एम्बेसेडर्स अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे बड़े देशों को जाना पसन्द करते हैं। जहां जोखिम होता है, जहां खतरा होता है, जहां मेहनत कर के रिश्ते को सुधारने की बात होती है, वहां जाने का खतरा मोल नहीं लेते हैं, सब प्रकार से विदेश मंत्री और सरकार पर दबाव डालते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कदम। वह उपस्थित नहीं हैं। श्री मोहसिन। केवल पांच मिनट।

श्री एफ० एच० मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय मैं विदेश मंत्रालय की मोगों का विरोध करता हूं। विदेश मंत्रालय की रिपर्ट में जो यह कहा गया है कि हम निरगुता की नीति-वास्तविक निरगुरता की नीति अपना रहे हैं, वह सच नहीं है। यह बास्तविक नहीं है, सच नहीं है। सभी जानते हैं कि सरकार का अमरीका और अपने नए मित्र चीन गणराज्य की ओर झुकाव अधिक है। क्या इसी से विदेश मंत्री को ऐसे अनुपयुक्त समय चीन जाने की प्रेरणा मिली ? श्री शरद यादव ने कहा हैं संसद के अन्दर और बाहर अमरीकी-चीनी लाबी है (**व्यवधान**)।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह कांगी है या कांग्रेस ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : आप अपने दिल से पूछिए वह आपको उत्तर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी समय इस प्रकार नष्ट न कीजिए। समय थोड़ा है। उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री एफ० एच० मोहसिन : विदेश मंत्री की चीन यात्रा किसी ने पसंद नहीं कीं। जब आप महात्मा बुद्ध की मूर्ति के समक्ष पंचशील मंत्र का जाप कर रहे थे तो चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। आप चीन गणराज्य से इससे अधिक और किस अपसान की आशा रखते हैं ?

(श्री एच० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

जब हमारे विदेश मंत्री पंचशील मंत्र का गान कर रहे थे तब चीन ने वियतनाम पर हमला किया। इससे इस बात का पता चलता है कि चीन ने अपना रवैया अभी नहीं बदला है। यदि आप यह सोचते हैं कि चीन ने अपना रवैया बदल दिया है तो यह एक बड़ी भूल होगी। 1962 में जो कुछ हुआ था उसका श्री चव्हाण ने सविस्तार वर्णन कर दिया है। वहीं बात वियतनाम में भी हुई है। यह हर एक के साथ होगी। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। फिर भी हमारे विदेश मंत्री दावा करते हैं कि हमारे अपने पड़ौसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध हैं। वे कौन से पड़ौसी देश हैं ? निस्सन्देह वही स्थिति बनी हुई है जो यह दो वर्षों पहले थी। अतः हमारे पड़ोसी देशों के साथ रंचमात्र में धी सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे हैं ? क्यां हम उनके साथ विवाद को सुलझा सके हैं ? वे अभी भी यह दावा करते हैं, कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है और आप समझते हैं कि वे आपके मित्र हैं।

बंगला देश को ही के लीजिए। प्रो० गुह ने बंगला देश के बारे में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है कि बंगला देश से शरणार्थियों के आने का कारण क्या है। यदि हमारी उनके साथ दोस्ती है तो हमारे और उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एक से क्यों नहीं हैं ? या ये सम्बन्ध बिगड़ गए हैं। मुजीबुर्रहमान के समय में जब हमने बंगलादेश को आजाद कराया था तब ये सम्बन्ध अच्छे थे। अब उनमें कतई सुधार नहीं हुआ है। ये बिगड़ गए हैं। श्री वाजपेयी जब इस पक्ष में बैठते थे तब एक बार वकालत कर रहे थे कि हमें तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देनी चाहिए परन्तु अव वह बदल गए हैं (**व्यवधान**)

निस्सन्देह उनमें अपने हित के लिए परिवर्तन हुआ है। अव उनका कहना है कि तिब्बत चीन का अंग है। अब आपका झुकाव अमरीका की तरफ होने से आपको क्या मिल गया है ? क्या उन्होंने यूरेनियम जिसके लिए वादा किया गया था, दिया ? नहीं। फिर आपको क्या मिला ? इसी तरह से मित्रता पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ है। इसका कारण क्या हैं ? हो सकता है कि पाकिस्तान ने कहा हो कि भारत परमाणु अस्त्र बनायेगा। जबकि प्रधानमंत्री ने अनेक बार घोषणा की है कि हम परमाणु अस्त्र नहीं बनायेंगे और हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा तब श्री वाजपेयी ने एक भिन्न बात ही कही है। उन्होंने कहा कि उनका दल परमाणु बम बनायेगा। आप जानते है कि इस वक्तव्य का पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध किस प्रकार उपयोग किया है। आपने वक्तव्य विदेश मंत्री होने के नाते दिया और वाजपेयी या राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य के रूप में नहीं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। यह सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और पाकिस्तान ने इसका उपयोग हमारे विरुद्ध किया है। पाकिस्तान रेडियों पर यह सुना गया और यही भारत को यूरेनियम की सप्लाई में बाधक बना होगा।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि वे कोई परमाणु हथियार न बनाने अथवा परमाणु बम न बनाने की एक संयुक्त घोषणा करने के लिए तैयार हैं।

मै यह जानना चाहता हूं कि बिदेश मंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। बेहतर तो यह है कि बात स्पष्ट कर दी जाये जिससे अमरीका को यह निश्चित हो जाये कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। कठिनाई यह है कि बिदेशमंत्री की यह पृष्ठभूमि कि वह अभी मी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं, उनकी विचारधारा, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने और यूरेनियम की सप्लाई में बाधक बन रही हो। **(व्यवधान)**।

मैं नहीं जानता कि विदेश मंत्री एक गतिशील व्यक्ति हैं परन्तु उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। तभी वह एक योग्य व्यक्ति साबित होंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में रहने के समय उनकी जो विचारधारा थी, उसे उन्हें त्याग देना चाहिए। तभी वह शक्तिशाली बनेंगे।

प्रो शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, मेरे साथियों ने विदेश नीति के हर पहलू पर रोशनी डाली। लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हुं। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे नेबस से हमारे ताल्लुकता बहुत अच्छे हैं। यह गलत है। क्या सरेण्डर करना अच्छा ताल्लुक है ? नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध जैसे होने चाहिए, वैसे नहीं हैं।

नेपाल में भारतीय उत्पत्ति के एक करोड़ हिन्दु हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी स्लेव से भी बदतर है। लेकिन विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे नेपाल के साथ सम्बन्ध अच्छे हैं। हमारे सम्बन्ध नेपाल के साथ अख्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। 1950 में इन्डो-नेपाल ट्राटी नेहरू जी ने की थी जिसके अनुसार इन भारतीय उत्पत्ति के नेपाली नागरिकों की अवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इन लोगों को वहां की नागरिकता भी प्रदान नहीं की गयी है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी और भी कई तरह से सरकार का ध्यान खींचा लेकिन इस बारे में कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ। मैंने इस सम्बन्ध के 1977 में एक कटौती प्रस्ताव भी पेश किया था।

कि नेपाल में भारतीय मूल के 1 करोड़ तराई के लोगों को मानवीय अधिकार प्रदान न करने और उनकी अमानवीय रहन-सहन की स्थिति पर विचार करके, उनकों भारत में भगाने के लिए क्रूर प्रयास करने और सगौली संधि तथा जुलाई 1950 में की गई शांति और मैत्री की भारत नेपाल संधि पूरी तरह उलंघन करते हुए उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान न करके उनकी जमीन जब्त करने के कारण विदेश मंत्रालय की मागों में से। रुपये की कटौती की जाये।

यदि ये 1 करोड़ लोग भारत में भगा दिए जायेंगे तो बंगला देश की तरह शरणार्थियों की यह एक और समस्या पैदा हो जाएगी। मैं चाएता हूं कि नेपाल सरकार को इस बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया जाये।

लेकिन नेपाली तराई में रहने बाले भारतीय उत्पत्ति के निवासियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। उन लोगों में बेचैनी फैली हुई है। जब कि

1950 की संधि के अनुसार भारत में नैपाली पूरी आजादी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन एक करोड़ भारतीय मूल के निवासियों पर वहां अमानुषिक अत्याचार होते हैं। वहां पर पहाड़ी किसानों से केवल 51 रुपये सीधा लगान लिया जाता है जब कि इन हिन्दु किसानों से 71 रुपये बीधा लगान लिया जाता है। यह बिल्कुल अमानुषिक बात है। नेपाल सरकार से कहा जाए कि इसको वह बंद करे।

भारत नेपाल को करोड़ों रुपये की सहायता देता है। वह यह भी नेपाल सरकार से कहे कि वह वहां पर इन एक करोड़ भारतीय उत्पत्ति के लोगों के साथ भानवीय व्यवहार करे। यह बहुत आवश्यक है।

नेपाल सरकार वहां कभी भी भारतवंशी नेपालियों को संगठित नहीं होने देती है और जो भी उन्हें संगठित करता है उन्हें तुरन्त मार दिया जाता है और इस तरह नेपाल में बीसों भारत उत्पत्ति के नेपालियों को मार दिया गया। इस पर सरकार ख्याल करे। भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि कहीं नेपाल इब लोगों को यहां शरणार्थी बना कर न भेज दे। जिस से यह भी उसके साथ एक विवाद बन जाए। अगर इन लोगों की हालत नहीं सुधारी गयी तो इस देश के लिए यह एक शर्म की बात होगी। सरकार को इस सब की तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागर) : सभापति महोदय, यद्यपि मैंने यह चाहा था कि अनेक बातों को विस्तार से बताया जाये परन्तु मैं संक्षेप में ही कहुंगा।

मैं नहीं जानता कि श्री वाजपेयी अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं। परन्तु मुझे तो संकट स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। चारो ओर अशान्ति है यद्यपि यह सब उनके कारण नहीं है। परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि इसमें माननीय विदेश मंत्री और उनके विदेश कार्यालय का इन घट-नाशों में बड़ा योगदान है।

महोदय मुझे याद है कि मैंने पहले क्या कहा था कि वह वास्तविक गुटनिरपेक्षता से वास्त-विक गुट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। महोदय, जो वास्तविक है उसे वास्तविक न कहा जाए। जब कोई वास्तविक के रूप में कुछ देने की कोशिश करता है तो उससे हमें चिन्ता हो जाती है। फिर भी हम अन्य समान रूप से विभिन्न देशों की पद्धति और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विद्यमान ताकतें जो काम कर रही हैं। उससे चिन्तित हैं। परन्तु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी सुरक्षा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान स्थिति की सुरक्षा है, अब प्रायः यह कहा गया है कि विदेश नीति सीमाओ से शुरू होती है। और हमारे अनुभव के अनुसार आपको गत 30 वर्षों से अपने निकट के पड़ोसी देशों के साथ हमारे सुदृढ़ सम्बन्धों की जानकारी है। यह कहना सही है कि हमारी विदेश नीति सीमाओं पर से शुरू होती है और संभवतः यही कारण है कि उन्होंने हमारी सलाह और अनुरोध को ठुकराकर लोगों की उस सलाह को मानने का निर्णय लिया जिनको हम जानते नहीं या जिन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें पेकिंग की एक और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जवाहर लाल नेहरू जब वहां गए तो उन्होंमे इसे तीर्थ यात्रा कहा, क्योंकि उन्हें भविष्य में भारत

चीन की बड़ी मैत्री के बारे में अनभिज्ञता थी, कल्पित भ्रम था। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या श्री बाजपेयी एक इतिहासकार है। क्या वह कभी इतिहासकार रहे हैं ? परण्तु निस्सन्देह उनमें कुछ भावुक गुण हैं जो उन्होंने पेकिंग की अपनी यात्रा में प्रदर्शित किए हैं अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं मुख्य रूप से विदेश नीति और राजनय के तरीके और उसके आचरण के बारे अवश्य कहना चाहता हूं। हमारा वहां राजदूत है। राजदूत के साथ सम्बन्ध संगत है, क्योंकि यही बातचीत की संभावना का पता दूत स्तर पर लगाया जा रहा है। यहां विदेश मन्त्री हैं जो ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां देवदूत भी जाने से डरते हैं और आपको परिणामों की जानकारी हो गई है। उनको विदा दिये जाने से पहले कैंटन के पास, जहां वह चीन-वियतनाम सीमा पर थे, तोपें गरज रही थी। अब मैं जो एक मूलभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं वह यह है कि क्या आप इस तरह की राजनय के आचरण को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या आप हमारे राजदूत का क्या अवमूल्यन करने जा रहे हैं ? जहां नीति विदेश कार्यालय में बनाई जानी चाहिए और ऊसका अनुमोदन राष्ट्रीय संसद द्वारा होना चाहिए वहां हमारा राजदूत आपके लिए एक डाकघर का काम करता है क्या इसका मतलब यह है कि उन पर विचारहीन किया जाए इसीलिए मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसे मेरे नेता श्री चव्हाण द्वारा पहले ही बताया जा चुका है। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि वियत-नाम पर चीनी आक्रमण के प्रश्न पर उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, क्या वह उस पर कायम है क्योंकि मुझे बताया है कि इस तरह की धारणा बनती जा रही है कि हममें से कुछ लोग यह बात ऊनके मुंह से कहलाना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप ऐसा कह सकते हैं। परन्तु आपकी जो स्थिति है उसी प्रकार कहिए। उस दिन आपने कहा कि आक्रान्ता को आक्रमण से प्राप्त फायदे से लाभ नहीं उठाने दिया जाएगा। अब मै निस्सन्देह उनसे यह शब्द दोहराने की बात कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने यह बहुत ही सही कहा है।

इस प्रश्न पर उनकी स्थिति क्या है ? मुझें यह भी बताया गया कि सैनिक अध्ययन दल, एक अध्ययन दल भेजने का प्रश्न है। परन्तु ऐसी क्या बात हो गई ? आज सुबह मैने इसके बारे में एक खबर देखी है और उनके मंत्रालय ने इसका विरोध किया है अब इसी तरह मै यह जानना चाहता हूं कि कम्पूचिया को मान्यता देने के प्रश्न पर उनकी क्या स्थिति है। यह किसी भी सरकार विशेष रूप से इस सरकार के लिए बड़ी अपमानजनक बात होगी कि वह कम्पूचिया में हुए भीषण नर संहार को भूल गए हैं। और जब वियतनाम की मदद से मुक्ति संघर्ष हुआ तो अपराध छिपाया गया और वास्तविक रूप से नियंत्रण रखने वाली सरकार ने इस सरकार से मान्यता के लिए कहा तो यह सरकार ऐसा करने से इनकार करती है। फिर भी मुझे खुशी है कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की यात्रा सफल रही है सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध हमारी स्थिति की विभिन्न अन्य बातों पर निर्भर है परन्तु भारत सोवियत संधि, पर जिसे डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी पसंद नहीं करते हैं, पर भी निर्भर हैं। परन्तु आप जानते हैं, कि जनरल दिगाल के अनुसार ये संधिया ताजे पुष्प या युवतियों की

तरह मानी जायेंगी । इसका अर्थ यह है कि उसका आप जो अर्थ लगायेंगे वह सन्धि के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होगा । इस समय जब विदेश मन्त्री उत्तर देंगे तो हम उनसे इस यात्रा के बारे में कुछ अधिक सुनना चाहूंगा । (व्यवधान)

अब पश्चिम एशिया की बात है । एक कैम्पडेविड संधि हुई है । अरब जाग्रति और नए उभरते राष्ट्रवाद की समूची ताकतें इसके विरुद्ध हैं—चाहे यह मजहवी सऊदी अरब या क्रांतिकारी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ही क्यों न हो, क्योंकि यह उन बुनियादी प्रश्नों की पूरी पूरी उपेक्षा करता है जिसको हमने अभी तक समर्थन दिया है । हमने इसका समर्थन गांधी जी के समय से ही किया है । हमने कुछ विशेष मूलभूत बातो के आधार पर फिलिस्तीनी हितों का समर्थन किया है मुझे विश्वास है कि ये आधारभूत वाक्य बदले नहीं हैं, यद्यपि इस संधि पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । जब कभी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कुछ कहता है तो एक अजीब खामोशी छा जाती है या कोई गोल बात होती है । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की स्थिति क्या है ।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहता चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में वाद विवाद के दौरान मैंने एक प्रश्न उठाया था । जो सेंचुरियन टैंक के सौदे के बारे में था जिससे इस देश का विश्व में अपमान हुआ है । यह देश दक्षिण अफ्रिका की मुक्ति के पक्ष में रहा है और दक्षिण अफ्रिका के जादिवादी शासन को विरोध करता रहा है 1947 से ही हम इस सिद्धांत पर अटल रहे । इतना ही नहीं राष्ट्रसंघ में हमने यह रूख अपनाया है कि दक्षिण अफ्रिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा हमने इसकी निन्दा की और हममे इसकी स्वीकृति मांगी । मैंने भी इस देश की ओर से दो वर्ष पहले इसके बारे में ऐसा ही कहा था । अब यहां हमें बताया गया है कि भारत सरकार लंदन के एक दलाल, अर्थात 'मिचेन्स' नामक एक फर्म के मध्याम से एक सौदा करती है और 90 सेंचुरियन टैंक, जो भारतीय टैंक जाने गए है, दक्षिण अफ्रिका को बेचती है । इस सम्बन्ध में स्पेन का भी उल्लेख किया गया था परन्तु स्पेन के विदेश कार्यालय ने इस सौदे की जानकारी से इनकार किया है परन्तु 'लंदन अबजर्वर' में यह खवर प्रकाशित हुई है कि भारतीय चिन्ह के सेंचुरियय टैंक दक्षिण अफ्रिका में पाए गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब स्थिति क्या है क्या आपका मंत्रालय इस सौदे से सहमत हुआ है; क्या हमने भी इस्रायल, चीन और अन्य देशों की नीति दक्षिणी अफ्रिका के साथ व्यापार करना शुरु कर दिया है । हम यही जानना चाहते हैं । यदि ऐसा है तो आपके निर्गुट का अर्थ व्यापक होगा ।

यह बहुत ही महत्बपूर्ण प्रश्न है । प्रश्न यह नहीं है कि किसने, कितना और कहां पैसा बनाया मेरा इससे सम्बन्ध नही है । मैं इसे इस हद तक नहीं ले जाना चाहता । परन्तु यदि यह सत्य है तो इस अपमानजनक सौदे में एक मूलभूत नीति का प्रश्न अन्तर्गत है ।

एक माननीय सदस्य : इसे रद्दी के रुप में बेचा गया ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह रद्दी के रुप में बेचा गया —यह एक भिन्न प्रश्न है । यह एक दूसरा पहलू हैं परन्तु मेरा तो सम्बन्ध केवल विदेश नीति सम्बन्धी पहलु से है ।

अब मैं उनका ध्यान एक और छोटे मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । वाशिंगटन में एक जन सम्पर्क फर्म है जिसके ठेके के बारे में प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में हाल ही में टिप्पणी की है । इस फर्म को भारतीय दूतावास का एक भूतपूर्व कर्मचारी चला रहा है । एक बार पहले अनेक लोगों की इच्छा के विपरीत उनके ठेकों का पुन: नवीकरण किया गया है । यह प्रक्रिया जारी है । मैं जानना चाहता हूं कि आप इस तरह से विदेशों में जनसम्पर्क कार्य चलाना चाहते हैं ? हमारी बिदेश सेवाओं की स्थिति के बारे में यह एक महत्व-पूर्ण प्रश्न है । हमारे पास सुयोग्य व्यक्ति हैं और हमें उनकी सेवाओं पर गर्व होना चाहिए परन्तु किसी को कहीं से 10 लाख डालर या 20 लाख डालर का एक ठेका मिल गया । वह वाशिंगटन में कई वर्षों तक चलता रहा । किसी ने भी इसे चालू किया हो; इसका अर्थ यह नहीं कि आप को बोझ उठाना पड़ेगा जबकि एक संसदीय समिति ने इस पर टिप्पणी की है । अतः मैं श्री वाजपेयी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले की जांच करेंगे । मैं बिलकुल स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में यदि और वह वास्तव में संतुष्ट हैं कि गुटनिपेक्षता के अलावा कोई अन्य व्यवस्था नहीं है—और पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में अपने विचारों के मामले में हमारा भी मार्ग दर्शन किया जाएगा—तो हम मुख्य रुप से राष्ट्रीय हित में एक नीति का अनुसरण करे सकेगे ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी(कन्नौज): अधिष्ठाता महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और यहां मैं इसके केवल वही एक, दो महत्वपूर्ण पहलू लूंगा जिन पर कि इस सदन में और सदन के बाहर सेंट्रल हाल में भी कुछ चर्चाएं हुई हैं । विशेष तौर से चीन यात्रा का विवरण इस सदन में आया जिस पर कुछ हमारे मित्रों ने और विरोध-पक्ष के मित्रों ने जिस प्रकार से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि चीन यात्रा के लिए कुछ ऐसा संयोग था, इतिहास का दुर्भाग्य था कि हमारे विदेश मंत्री के वहां से वापस आने से पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक ऐसी घटना हो गई कि चीन यात्रा के लिए विदेश मंत्री को बधाई नहीं दी जा सकी और जो उपलब्धियां उन्होंने चीन-यात्रा के दौरान की थीं, उनके लिए इस सदन में उनको धन्यवाद नहीं दिया गया ।

उन उपलब्धियों को कई माननीय सदस्यों ने उठाने का प्रयास किया है, मैं भी अपनी समझ से कुछ उपलब्धियां इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

अभी तक हम पड़ौसी देशों के साथ विश्वास का वातावरण पैदा करने में लगे थे, लेकिन हमारे इस प्रयास को केवल षडयन्त्र समझा जाता था और यह समझा जाता था कि भारतवर्ष बड़ा जबर्दस्त देश है और छोटे-छोटे देशों की चौधराहट करना चाहता है । पहली बार चीन यात्रा करके हमने यह बता दिया कि हम सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं, चाहे वह चीन हो या कोई और छोटा देश हो ।

इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि पडित जवाहर लाल नेहरू के देहान्त के बाद जो सरकार इस देश में आई, उस सरकार ने चीन की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के

साथ उलझा दिया था, चीन को दो बड़ी शक्तियों के साथ उलझा दिया था, मानो रूस और चीन के साथ ही चीन के सम्बन्ध तय होंगे और रूस और चीन की समस्या के साथ ही भारत की समस्या तय होगी। पहली बार हमारे विदेश मंत्री ने यह दिखा दिया कि हम बाई-लेट्रल, द्विपक्षीय बात करना चाहते हैं, हम दुनिया की बड़ी ताकतों से हटकर चीन समस्या को सीधे-सीधे स्वरूप में रखना चाहते हैं।

यह कहा गया है कि आस-पास के देशों घटित होने वाली घटनाओं पर हमारे विदेश मंत्री और सरकार मौन है। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और उन मित्रों से यह कहना चाहता हूं जो कि आज कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री बोलते नहीं, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उस समय वह और उनकी सरकार क्या करती रही थी जब तमाम देशों में उनके शासन काल में वहां के बड़े-बड़े शासकों को बिना कानूनी कार्यवाही के फांसी पर लटका दिया गया था ? उस समय वह लोग क्यों नहीं बोले थे, जो आज इस प्रकार का वातावरण पैदा करने में लगे हैं ?

चीन-यात्रा की एक और उपलब्धि यह है कि पहली बार भारत ने अपना मत स्पष्ट किया है, पीकिंग की दीवारों पर पहली बार भारत की सीमाओं का महत्व अंकित किया गया है। यह बता दिया गया है कि भारत के लिए सीमा-विवाद कितना महत्वपूर्ण है। इस संसद में कई बार मेजों की थपथपाहट के बीच भारत की एक एक इंच भूमि को खाली कराने की घोषणायें गूंजी हैं और बाहर भी सार्वजनिक सभाओं में एक एक चप्पा आजाद कराने की ललकारें हुई हैं। मैं विदेश मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वह अपने मंत्रित्व-काल में कुछ सद्प्रयास से, कुछ विवेक द्वारा, भारत के भूगोल की रेखा को बदल कर भारत के इतिहास में एक नया परिच्छेद जोड़ दें।

नेहरु बनाम वाजपेयी के नाम से भी एक बात उठाई गई है, जो देश की परराष्ट्र नीति से सम्बन्धित है। कुछ भाई कहते हैं कि श्री वायपेयी नेहरु जी की लकीर पर चल रहे हैं और कुछ दूसरे भाई कहते हैं कि वह नान-एलाइनमेंट पालिसी को अलग कर रहे हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। आज तक भारत की जो विदेश नीति रही है, वह देश की जनता की नीति रही है, और वह भारत की संस्कृति पर आधारित रही है। उसी नीति पर पंडित जवाहरलाल ने हरू चले थे। सइ विषय में नेहरूवाद का अंधानुसरण नहीं किया जायेगा। नेहरू जी की बताई हुई जितनी अच्छी बातें हैं, राष्ट्र के हित में उन्हें अंगीकार किया जाएगा, पूर्वाग्रहों के कारण उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। परन्तु किसी देश का अधानुसरण नहीं किया जा सकता है। अब भारत की नीति भारत की धरती पर बनाई जायेगी।

सभापति महोदय, मुख्य विषय विदेश मंत्री की चीन-यात्रा और नेहरु बनाम वाजपेयी उठाये गये हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उनपर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी।

श्री राज नारायण : मेरा नाम है ?

सभापति महोदय : नहीं है।

श्री राज नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या है। (**व्यवधान**) अगर एक्स-जनसंघ का मेम्बर वहां पर बैठ जायेगा, तो हमको बोलने का समय नहीं देंगे। कारण क्या है ? (**व्यवधान**) मैं ने सवाल उठाया था कि हमको इस पर बोलने का मौका दिया जाये। कारण क्या है ? मैं कारण जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको कारण बताता हूं (**व्यवधान**)

श्री राजनारायण : श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री, ने कहा कि आपको विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। (**व्यवधान**) उन्होंने लाबी में कहा जबकि मैं डिफेंस पर बोल कर गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मैं ने कहा था कि आप डिफेंस पर बोल चुके हैं, अब शायद विदेश मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका आपको न मिले।

श्री राजनरायण : "शायद" अब लगा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं, माननीय सदस्य मौका ले लें। (**व्यवधान**)

श्री राज नारायण : हमारे कुछ प्रश्न हैं। पहले आप उनका उत्तर दे दीजिए। इस तरह से हाउस में खिलवाड़ नहीं चलेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि यह तो आप लोगों को निर्णय करना है कि..... (**व्यवधान**)

श्री राज नारायण : हम लोगों ने तो निर्णय किया। तभी तो समय बढ़ा।

सभापति महोदय : समय बढ़ा दिया गया है। किन्तु आखिर कोई प्रक्रिया है जिसके अनुसार अध्यक्ष पीठ को चलना है। अभी सूची में 20 सदस्यों से अधिक हैं। मैं पहले वालों को छोड़कर आखिर नाम को नही बुला सकता। समय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बढ़ाया गया है। यह सभा के लिए बढ़ाया गया है।

श्री राज नारायण : यह वाद-विवाद के महत्व पर निर्भर करता है। आप अंग्रेजी बोल कर हमें दबाइये मत।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें अपनी पसंद के तीन मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए कहा गया था। हममें से अधिकांश ने विदेश मंत्रालय पर बोलने की इच्छा प्रकट की है। मैंने योजना, विदेश मंत्रालय तथा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर बोलने के लिए कहा । मैं जानता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर कभी चर्चा नहीं होगी और उसकी अनुदानों की मांगें अन्य मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के साथ ही स्वीकृत कर ली जायेंगी । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे आज नहीं बुलाया जाता तो अगले पांच सप्ताहों तक सभी मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मेरा अवसर ही न लिया जायेगा ।

दूसरे, आप कह रहे हैं कि जिन सदस्यों को बुलाया जाता है, यदि वे अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें तब तक फिर से नही बुलाया जायेगा जब तक कि सूची पूरी नहीं हो जायेगी । मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं यहां 11 बजे से लगातार बैठा हुआ हूं । यहां तक कि मैंने एक प्याला चाय भी नहीं पिया है। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे बुलाया जाएगा या नहीं । जिन सदस्यों को पुकारा गया और जो अनुपस्थित थे, उन्हें फिर से बुलाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे भाषण देने का बिल्कुल भी चाव नहीं है । लेकिन आखिर हम महत्वपूर्ण विषयों पर बोल रहे हैं जो कि हमारी रुचि के हैं और जिनके बारे में हमने प्राथमिकता दी है । यदि आप मुझे विदेश मंत्रालय पर बोलने देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि मुझे फिर किसी भी मंत्रालय पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा । मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदस्यों का इस ढंग से मार्ग दर्शन करे जिससे कि वे नियमों का पालन कर सकें और आपका कहना मान सकें । मैं देख रहा हूं कि क्योंकि हम आपके नियमों का पालन करते हैं इसलिए हमें यह अवसर देने से वंचित किया जा रहा है । दलों के नेताओं को अधिक समय दिया जाता है । इससे वाद-विवाद बढ़ जाता है और मैं आपको बता दूं यदि दलों को अधिक समय दिया गया तो फिर वाद-विवाद पूरा नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह कह दूं कि जो सदस्य अनुपस्थित थे और यदि उन्हें पुनः बुलाया गया है तो यह गलत तरीका है । मैं निदेश दूंगा । मैं इस मामले की जांच पड़ताल करूंगा ।

खैर यह काफी समय पहले से चला आ रहा है ।

(व्यवधान)

प्रो० मावलंकर मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं । निस्संदेह यह गलत है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमने समय 5 बजे तक बढ़ाने के लिए कहा है । आपने आज सुबह कहा था कि विदेश मंत्रालय पर बार-बार चर्चा होनी चाहिए थी । वास्तविकता यह है कि समूचे वर्ष के दौरान हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता ।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : गत सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया गया था किन्तु उस पर चर्चा नहीं की जा सकी । क्या आप यह चाहते हैं कि सदस्य सारे साल विदेश मंत्रालय की अनुदानों पर होने वाले वाद-विवाद की प्रतीक्षा करते रहें ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं मैंने आपको कह दिया है कि इसके पश्चात·····

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपने बता दिया है किन्तु आपको हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए । हमने समय बढ़ाने के लिए कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि केवल 45 मिनट का समय दिया जा सकता है । हम पहले ही निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गए हैं । अभी कई मंत्रालयों की अनुदानों की मांगें हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या आप यह नहीं समझते कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए ? इस पर अभी विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह बहुत ही अनुचित है । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर ही नहीं बल्कि किसी भी विषय·····

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि समय निर्धारण नेताओं द्वारा किया जाता है·····

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे जैसे सदस्य किसी और अन्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर नहीं बोलना चाहेंगे । हम चाहते हैं कि वह समय अन्य सदस्यों को दिया जाये ।

मैं किसी और और नंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर नहीं बोल रहा । मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर ही चर्चा करना चाहता हूं । कुछ सदस्यों को अधिक समय दिया जाता है । मैं वायदा करता हू कि मैं किसी और मंत्रालय पर नहीं बोलूंगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हम चाहते हैं—

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई भूल हो गई—

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें अवसर दिया जाये । जहां तक अन्य मांगों का सम्बन्ध है—

अध्यक्ष महोदय : अन्यों के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपने इस विषय पर चर्चा करने का समय पहले ही निर्धारित कर दिया था । ऐसा पहले कभी नहीं किया गया । ऐसा करने के बाद आपको हमें अधिक समय देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : किसी और अवसर पर हम ममय निकालने का प्रयास करेंगे ।

श्री राजनारायण : देखिए साहब, विदेश नीति का हमारा स्पेशल मामला है। मैं आप से रिक्वेस्ट कर दूं, आप कान में लगा लीजिए और समझ लीजिए कि जो अर्स्ट-व्हाइल-जनसंघ था उस से भी हमारा डिफरेंट ऐटीच्यूड था और जो पहले रूलिग पार्टी थी उस से भी डिफरेंट ऐटीच्यूड था। डा० लोहिया की एक पूरी किताब लिखी हुई है फारेन पालिसी पर। वह कांग्रेस पार्टी के फारेन विभाग के इन्चार्ज थे। उन्होंने एक विशेष नीति चलाई। उस नीति को लोग चाहते नही कि यहां पर आए। मै चाहता हूं कि आप मुझे सभय दीजिए। चाहे दस मिनट ही दीजिए, उसी में मैं अपनी बात रख दूंगा।

श्री नाथू सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दो बातें सामने हैं। पीछे से ले कर आज तक जितनी डिबेट हुई हैं चाहे बजट पर हुई है चाहे राष्ट्रपति जी के भाषण पर हुई हो, चाहे डिमांड्स पर हुई हो, कई सटस्यों ने आप ने जो पत्र भेजा था उसे भर कर भेज दिया था। लेकिन उस के बाद उन्हे किसी पर मौका नहीं मिला। उस के बाबजूद हम ने नाम दिये और कहा कि समय बढ़ाया जाय। समय बढ़ाया गया लेकिन उस के बाद भी नाम नहीं पुकारा गया। जितने नाम दिये गये उन में से कुछ लोगों के नाम चाहे पार्टी ने दिये हों या सीधे ही आप के पास आये हों—एक-एक संसद सदस्य को तीन-तीन चीजों पर बोलने का मौका दिया गया। जिन का नाम बाद में होता था, उन्हें सब से पहले बुलाया जाता था। दूसरे, अभी जो नाम दिये गये हैं, जिस आर्डर में दिये गये हैं, उसी आर्डर में बुलाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पांच बजे तक समय बढ़ाया गया था।

श्री राज नारायण : आप मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी जिम्मेदारी यहीं है। मैं किसी और बाद-विवाद में आपको अवसर देने का प्रयान करूंगा।

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्री वाजपेयी जी हमारे प्वाइन्ट-आफ-व्यू को भी समझ ले और उस का भी जवाब देदें। आप कहें तो पांच-छः मिनट में ही मैं जल्दी से समाप्त कर दूंगा। कहिये तो पांच मिनट में क्वेश्चन ही पूछ लूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि में आपको बुलाऊंगा तो औरों का क्या होगा ! मुझे खेद हैं कि मैं इस तरह चयन नही कर सकता।

श्री फूल चन्द वर्मा : यदि आप ने किसी एक सदस्य को समय दिया तो फिर जितने लिस्टेड हैं, सभी को समय देना पड़ेगा।

श्री नाथू सिंह : सदन चाहता है तो आप समय और बढ़ा दीजिये।

श्री राज नारायण : मैं आप से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं—मैं डिफेंस पर जब बोल कर जा रहा था और वाजपेयी जी भी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप को फारन-पालिसी पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यह प्रिवलेज का सवाल भी बन सकता है। फारन-मिनिस्टर

चाहता है कि उस की "फालीज" के ऊपर हम न बोलें... (**व्यवधान**) ... अगर आप की यही रूलिंग हो, इतना कहने के बाद भी यदि आप मौका न दें, तो मैं चला जाता हूं ।

अध्वक्ष महोदय : रूलिंग नहीं, टाइम नही है ।

श्री राज नारायण : आप देश को जहन्नुम में भिजवा दें, चीन के हाथ बेच दें या किसी के हाथ बेच दें...(**व्यवधान**)...

यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । मेरे से अधिक वरिष्ठ कौन है ? श्याम बाबू संसद में मेरे से वरिष्ठ हो सकते हैं । किन्तु राजनीति में मेरे से अधिक वरिष्ठ कौन है ? जो लोग कुछ नहीं जानते उन्हें अनुमति दी जाती है ।

ये पिगमीज बोलेंगे ? आप सदन चलाइये और देश को बिचवाइये ।

11 मिलियन डालर्स ईरान को दे दिये गये और आज तक पता नहीं चला कि किस ने दिये, उस की कोई जांच नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री राज नारायण : अगर मैं चाहूं तो यहीं बैठ जाऊं और वाजपेयी जी को न बोलने दूं । मैंने अकेले भी सदन को चलने से रोक दिया है । यह क्या कोई मजाक है ? आप तमाशा कर रहे हैं । ...(**व्यवधान**)...

मै बेकार का भाषण क्यों सुनु ? जिस ने हमारी कन्ट्री की शान और मर्यादा को बेच दिया है —उन की स्पीच को हम सुनें ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, अगर इस सदन का कोई सदस्य यह कहता है कि विदेश मंत्री के नाते मंत्री के नाते मैंने भारत की शान और मर्यादा को बेच दिया है, तो या तो उस का दिमाग खराब हो गया है या उसकी वाणी ने संयम और संतुलन खो दिया है । विदेश नीति का निर्धारण मैं नहीं करता, विदेश नीति का निर्धारण मंत्री-मंडल करता है । श्री राज नारायण सदन से उठ कर चले गये, वह भी मंत्री-मंडल के सदस्य थे । उस समय विदेश नीति ठीक थी । वह मंत्री-मंडल से बाहर आ गये तो विदेश नीति पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि हम दूसरे देशों के हाथ इस को बेच रहे हैं । किसी माननीय सदस्य ने देशभक्ति का ठेका नही ले रखा है । हम भी देशभक्त हैं और देशभक्ति को कसौटी पर कस कर विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं, उस का संचालन कर रहे हैं । गलतियां हो सकती हैं, नीति पर मतभेद हो सकता है, मगर नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिये । मुझे भी 20 वर्षों तक विरोधी पक्ष में बैठने का मौका मिला था । आज मुझे 1957 की याद आती है, जब मैं पहली बार इस सदन में चुन कर आया था । पं० जवाहर लाल नेहरू उस समय प्रधान मंत्री थे और विदेश मंत्री

भी थे। आप मेरा पहला भाषण उठा कर देखिये—दोनों शक्ति गुटों से अलग रह कर स्वतन्त्र विदेश नीति पर चलने के भारत के निर्णय का मैंने स्वागत किया था। मैंने कहा था कि स्वतन्त्र भारत के लिये इस के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। यह नीति हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के आदर्शों से जुड़ी हुई है। अब संसार दो शक्ति गुटों में बटा था, जब शीत-युद्ध चल रहा था, उस समय जो नये नये देश आजाद हुए थे, उन के लिये एक ही रास्ता था कि वे अपनी राजनीतिक स्वाधीनता को मजबूत करते, अपने सीमित साधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिये करते और शक्ति गुटों से अलग रह कर संसार में शांन्ति के क्षेत्र का विस्तार करते।

मैं जानता हूं—जब मैं पं० जवाहरलाल नेहरू का नाम लेता हूं, तो मेरे ही दल के कुछ सदस्य उस पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैंने नेहरू जी की आलोचना भी की थी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब मतभेद हुआ तो अपनी बात को कहने में कभी संकोच नहीं किया। लेकिन भारत की विदेश नीति का उल्लेख हो, विदेशी नेहरू जी का हवाला दें और इस नेहरू जी की बात न कहें—यह नहीं हो सकता। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं—नेहरू जी से मतभेद होना एक बात है, लेकिन नेहरू जी भारत की परम्परा के अंग हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी वाले नाराज न हों, जब बंगला देश के मामले में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व ने कुछ करके दिखलाया था, तो मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी प्रशंसा की थी...

एक माननीय सदस्य : दुर्गा कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दुर्गा मैंने नहीं कहा था, यह गलत है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्होंने अभी हाल में कहा कि आपने कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा भाषण मौजूद है।

एक माननीय सदस्य : आप के नाम पर अखबारों में छपा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप डिबेट उठा कर देख लीजिये।

श्री रामदेव सिंह। आप ने "रणचण्डी" कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। हम इस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर और उस के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति पर विचार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि लौडर-आफ-अपोजीशन आ गये हैं। और इस अवसर पर शानदार भाषण देने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने पंडित नेहरू का उदाहरण देते हुए अपना भाषण आरम्भ किया। पंडित नेहरू ने 1964 में इस सभा में जो भाषण दिया था, उन्होंने उसी का उदाहरण दिया है। पंडित जी ने कहा था :—

"बदलती हुई परिस्थिति में विचारणीय बात यह है कि बदलती घटनाओं के साथ हमारी गुट-निरपेक्षता का कहां तक समांज्यस्य किया जा सकता है।"

हमारा भी ऐसा ही प्रयास है। हम परिवर्तन के साथ-साथ चल रहे हैं। जहां निरंतरता जरूरी है वहां हम उसी नीति को चला रहे हैं, किन्तु जहां परिवर्तन वांछनीय है ऐसा ही किया जा रहा है। कोई भी नीति स्थिर नहीं रह सकती। इसे गतिशील होना चाहिए। हम आज तेजी से बदलते हुए विश्व में रह रहे है ;

कुछ सदस्यों ने कहा है कि विश्व अब द्विन्ध्रुवी रहीं स्हाअब तो यह बहु केन्द्रक बन गया है। सैनिक गठबंधन रेत के ढेर की तरह टुट रहे हैं और नए-नए ढंग से गठ-बंधन बनाये जा रहे हैं। इससे कोंई लाभ नहीं होने वाला हमें खुशी है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों ने सेंटो से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। किन्तु यहां श्री श्रीकृष्णन् का कहना है कि भारत अमरीका के साथ गठ बंधन कर रहा है। ईरान ने, जिसने अमरीका के साथ गठबंधन किया था सेंटों से अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है। पाकिस्तान भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए उत्सूक है। भारत अमरीका के साथ क्यों मिले ? क्या इसका कोई समुचित कारण है ? ऐसे कई लोग है। जो कि मुंह से तो गुट निरपेक्ष का समर्थन करते है किन्तु गुट-निरपेक्षता के प्रति उनकी रूचि या वचन केवल दिखावे की बात है। वे चाहते हैं कि भारत इस ब्लाक से उस ब्लाक से मिल जाये। मैं यह नहीं बताना चाहता...

श्री के० पी० श्रीकृष्णन : अब आप गुट-निरपेक्षता के खिवैया बन हए हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं गुट-निरपेक्षता का पूरा समर्थक हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : महापुजारी

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज के तेजी से बदलते हुए विश्व में गुट-निरपेक्षता अधिक आवश्यक तथा संगत हो गया है। इसीलिए गुट-निरपेक्ष देशों की संख्या 88 हो गई हैं। अधिकांश अफ्रीकी देशों, जो 1961 के पश्चात् आजाद हुए है, ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को अंगीकार कर लिया है। इस क्षेत्र में हम एक सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

मैंने गुट-निरपेक्ष देशों के कई सम्मेलनों में भाग लिया है। जनता पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात गुट निरपेक्ष ब्यूरो की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई और उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर गलतफहमी पैदा की। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के सत्ता में आने पश्चात भारत की विदेश नीति अस्त व्यस्त हो जायेगी। गृट-निरपेक्ष की विचारधारा का परित्याग कर दिया जायेगा। भारत अरब राष्ट्रों का विरोध करेगा और पश्चिमी देशों के साथ गठ-बंधन कर लेगा। किन्तु आज स्थिति क्या है ? गुट निरपेक्ष देश हमारी नीति की सराहना कर रहे हैं।

हाल ही में मैं मपुटो गया। मपुटों ऐसे देश की राजधानी है, जिसे आज जातिवादी शासन के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य होने के कारण भारत ने उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया है। मैं विपक्ष के नेता को बता दू कि 2

वर्षों के अन्दर मुक्ति आन्दोलन के लिए दी जाने वाली हमारी सहायता दुगुनी हो गई है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारत को अपने सैनिक नहीं भेजने चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें हथियारों की सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किन्तु मैं सभा को सूचित कर दूं कि हम उन्हें सामग्री तथा उपकरण दे रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता ! किन्तु हमने उन्हें वचन दिया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने यह नहीं कहा है कि हमें हथियारों की सप्लाई नहीं करनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात रिकार्ड में है। कृपया इसे ठीक कर लीजिए।

हमने जिबांम्बे तथा नामीबिया की मुक्ति के लिए तथा दक्षिणी अफ्रीका में बहुमत शासन स्थापित करने का वचन दिया है। हमने ऐसे सभी अक्रमी राष्ट्र के प्रति अपनी एकता व्यक्त की है। हम उन्हें राजनीतिक तथा अन्य रूप में सहायेता दे रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : सेंच्यूरियन टैंकों सहित।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मैं इस बात से इंकार करता हुं। मैं इस पर बोलूगा इस बात का तो पहले ही खंडन किया जा चुका है। किन्तु श्री उन्नी कृष्णन की आदत है कि वह एक बात को बार-बार दोहराते रहते हैं।

श्री मान "वास्तविक" शब्द पर आपत्ति प्रकट की गई है। गत वर्ष भी ऐसी आपत्ति उठाई गई थी। इस बार मैं भिन्न उत्तर नहीं दे सकता। यदि गुट-निरपेक्ष देशों के हितों की रक्षा करनी है और विश्व में शांति स्थापित करनी है तो यह नितांत आवश्यक है कि गुट-निरपेक्षता वास्तविक हो। विश्व में ऐसे कई राष्ट्र हैं जिसकी भूमि पर विदेशी शक्तियां मौजूद है किन्तु वे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होना चाहते हैं। क्या उन्हें ऐसा करने देना चाहिए ? निस्संदेश कदापि नहीं। इसके अलावा ऐसे भी देश है जो गुट-निरपेक्ष होने का दावा करते हैं किन्तु आंतरिक रुप से वे किसी न किसी, ब्लाक से मिले हुए हैं—**(व्यवधान)** मेरा मतलब सैनिक गठबंधनों से नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे देशों से बचकर रहे और 1961 में हुए वेलग्रेड सम्मेलन में निर्धारित सिद्धन्तों का पालन करते हुए एकता कों बढ़ाते रहे। बेलग्रेड के इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरु भी गए थे। मैं जानता हूं कि डा0 लोहिया का विश्व को देखने का अपना ही दृष्टिकोण था। अपनी विचारधारा का एक महान नेता था। किन्तु नेहरू तथा लोहिया की एक दूसरे से तुलना करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। विदेश नीति के बारे में हमेशा राष्ट्रीय मतैक्य का सहारा लिया जाता रहा है।

श्री सी0 एम0 स्टीफन : हम भी यही तो चाहते हैं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मैं विपक्ष के नेता से अपील करता हुं कि आंतरिक राजनीतिक मतभेदों के कारण वह यह न कहें कि रहां मतैक्य का सहारा नहीं लिया जाता।

क्या हमने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया हैं ? मेरे माननीय मित्र श्री मोहसिन का यह आरोप गलत है कि हमारा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति झुकाव है

श्री एफ0 एच0 मोहसिन : इसका प्रमाण है ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या इस बारे में आप एक भी उदाहरण दे सकते है ? मैं आपको अभी और यही चुनौती देता हूं आप निराधार आरोप मत लगाइये । निस्संदेश अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध कुछ सुधर गए हैं ।

श्री एफ० एच0 मोहसिन : यदि मुझे अवसर दिया जाये तो मैं बता सकता हूं । किन्तु वह मुझे अनुमति नहीं देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह एक और आरोप लगाने के लिए एक और अवसर चाहते हैं । और आरोप लगाने के लिए वह तीसरा अवसर मांगेगें ।

अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिशा में प्रयास किसने किया है? 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात श्री किसिंगर को यहां किसने बुलाया ? उस समय तो हम सत्ता में नहीं थे ।

श्री एस0 एच0 मोहसिन : उसमें क्या बुराई थी ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : श्री किसिंगर को निमंत्रण देने में कोई बुराई नहीं थी । हमें हर एक के साथ मैत्री पूर्ण सम्बंध रखने चाहिए बशर्ते कि मित्रता पारस्परिक हितों पर आधारित हो और किसी को अपने हित की बलि न देनी पड़े । प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई की वाशिंगटन यात्रा के फलस्वरूप आपसी संबंधों में कुछ सुधार हुआ है । किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उनके और हमारे बीच कोइ मतभेद है ही नहीं, समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के मामले में कई कठिनाइयां हैं । हमें इसकी एक और खेप भी मिल गई हैं और आशा है कि दूसरी खेप भी मिल जायेगी ।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हथियारों की सप्लाई का प्रश्न भी सामने आता है । हमने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को इस समय आंतरिक स्थिरिता तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता है । हम चाहते हैं कि वे प्रगति करें । हम चाहते हैं कि शक्तिशाली बने और वहां स्थिरता पैदा हो । किन्तु वहां स्थिरता हथियारों से नहीं आयेगी ।

एक आरोप लगाता जा रहा है कि हमारे सोवियत संघ तथा अमरीका से एक समान सम्बन्ध है । यह सही नही हैं । प्रत्येक सम्बन्ध का अपना-अपना आधार होता है प्रत्येक की अपनी-अपनी कोटि होती है । प्रधान मंत्री श्री कोसिगन की भारत यात्रा के फलस्वरुप भारत-सोवियत संघ के सम्बन्ध और सुदृढ़ हो गए हैं । उनकी यात्रा से हमारे सम्बन्धों में एक नया आयाम मिला है । उनकी गहराई और अधिक हुई है । हमारा सोवियत संघ के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक दीर्घ कालिक कार्यक्रम है हमने फिर से विश्व में संयुक्त उद्यमों की स्थापना

करने का निर्णय किया है। मेरे एक माननीय मित्र ने बताया है कि सरकार कहती रहती है कि "हम नए सम्बन्ध स्थापित करते हुए पुराने सम्बन्धों को प्रभावित नहीं होने देंगें।" उनकी शिकायत यह है कि हम यह नहीं कहते कि नए सम्बन्ध स्थापित करने के मार्ग में हम पुराने सम्बन्धों को बाधक नहीं बनने देंगें। प्रधान मंत्री श्री मोरार जी की मास्को यात्रा के पश्चात एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी किन्तु जब मैंने पेकिंग की यात्रा की थी तो उसके पश्चात कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। भूतपूर्व विदेश मंत्री यहां नहीं हैं। मैं जानता हूं उन्होंने किसी महत्वपूर्ण बैठक में जाना था।

किन्तु प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई की यात्रा के पश्चात एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गइ थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि भारत अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारे या सम्बन्ध सामान बनायेगा तो सोवियत संघ इसमें बाधक नहीं बनेगा जब भारत तथा सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि की गई थी तो मैंने विपक्ष के सदस्य के रूप में संधि का समर्थन किया था। किन्तु वह संधि भारत को अन्य देशों के साथ इस प्रकार की संधियां करने से नहीं रोक सकती।

श्री हरि विष्णु कामत : चीन के साथ भी इस तरह की संधि क्यों नही कर ली जाती। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या चीन के साथ भी इसी तरह की संधि की जानी चाहिए **(व्यवधान)** मुझे खुशी है कि आपने मुझे चीन की याद दिला दी हैं। मुझे पेकिंग की यात्रा करने का कोई दुख नही है। मैं जोखिम उठाने में विश्वास करता हूं। मैं किनारे बैठने में विश्वास नहीं करता। मैं किसी भी कार्य में पहल करना चाहता हूं। किन्तु देश के सम्मान के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया है।

अब सदस्य कहना चाहेगें और वाद-विवाद में कहा भी गया है कि समय अनुकूल नहीं था। मुझे मार्च के महीनों में आमंत्रित किया गया था।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपके जाने के लिए नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार आप जाइये और उनमें से कुछ को भी ले जाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विपक्ष के नेता ने इस बात पर आपत्ति प्रकट की कि निमंत्रण का संदेश सद्भावना मिशन के नेता ने दिया है।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या गलत बात है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ गलत बात नहीं है। सदभावनापूर्ण मिशन भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं था अन्यथा श्रीमती गांधी प्रतिनिधिमण्डल के नेता से मिलने चीनी दूतावास नहीं जाती।

मैंने निमंत्रण सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया था लेकिन मेंने कहा कि मैं उचित तैयारी के बाद उचित समय पर आऊंगा पर इस पर न तो सभा में और न ही बाहर कोई आपत्ति उठाई गई—

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : क्या यह सच है कि इस मामले में पहल आपने की। आपने ही पहले कहा कि यदि मुझे निमंत्रण दिया जाएगा तो मैं वहां जाने को तैयार हू और इसीलिए बाद में वहां से आपको निमंत्रण आया ऐसा नहीं है कि आपको पहले निमंत्रण दिया गया तो आपने उस पर विचार करके उसे स्वीकार किया हो। इस सम्बन्ध में ऐसा नहीं हुआ। आपने पहले कहा कि यदि निमंत्रण दिया जाएगा तो मैं जाने को तैयार हूं और निमंत्रण इस ढंग से आया। भारत जैसे देश के साथ यह कोई व्यवहार का तरीका नहीं है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन ( ) : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। जब वह कहते हैं कि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं झुकने वाला नहीं हूं

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप झुके या न झुके यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं पर वह सदन को गुमराह न करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न उचित समय पर पूछें।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं जब इस्लामाबाद से वापिस आया था मुझसे एक संवाददाता ने पूछा कि यदि आपको पीकिंग की ओर से निमंत्रण दिया जाएगा तो क्या आप वहां जायेंगे। मैंने कहा हां यदि निमंत्रण दिया जांएगा तो मैं उस मामले पर विचार करूंगा।

श्री एफ० एच० मोहसिन ( ) : यह तो निमंत्रण मांगने बाली बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इसकी व्याख्या जिस तरह मरजी कीजिए लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

तिथि निर्धारित की गई थी और मुझे, अक्टूबर में वहां जाना था लेकिन तब मैं बीमार हो गया और मेरी बीमारी को भी राजनयिक अथवा राजनीतिक चाल कहा गया। उसके बाद तिथि फिर निर्धारित की गई तब मैने जाने का फैसला किया। एक बार यात्रा स्थगित करने के बाद दुबारा जब तिथि निर्धारित की गई तो मैं वहां जाना उचित समझा जब दूसरी तिथि निर्धा- की गई तब तक कम्पूचिया की घटना नहीं हुई थी। ऐसी रिपोर्ट जरूर मिली थी कि चीन और वियतनाम के बीच कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। हमारी अपनी ऐजेंसियी ने खबर दी। उनकी आलोचना न की जाए लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि इसी विशिष्ट दिन कुछ होगा।

यह पूछा गया है कि क्या मैने वहां कश्मीर का मामला उठाया था। हां मैंने इस मामले पर उनसे बातचीत की। नागा विद्रोहियों के प्रश्न को भी लिया गया **(व्यवधान)** श्री स्टीफन शायद अपने उस वाक्य को नहीं पढ़ा है जो मैने चीन से लौटने पर दिया है।

एक माननीय सदस्य : उनके पास समय नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब चीन ने वियतनाम पर भारी हमला करने की ठान ली तो मै भी अपनी यात्रा की अवधि पूरी किए बिना जल्दी ही लौट आया मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले ही प्रधान मन्त्री ने, चीनी फौजों को वियतनाम से पूरी तरह हटाने के लिए एक वक्तव्य जारी कर दिया था अतः मेरी चीन यात्रा वियतनाम के मामले में सैद्धान्तिक स्थिति का अनुसरण करने में बाधक नहीं बनी । चीनी फौजो को वहां से पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय यह कहने को तैयार नहीं कि आक्रमण चीनी फौजो ने किया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बार बार वही बात दोहरहा रहे हैं । कोई नई बात कहिए ।

कई माननीय सदस्यों ने कम्पूचीया के प्रश्न को उठाया है । कहा जा रहा है कि चीनी सरकार को खुश करने हेतु ही हमने कम्पूचीया को मान्यता नहीं दी है । यह आरोप निराधार है । जब अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता देने का प्रश्न उठाया गया था तब हमने प्रतीक्षा नहीं की—

श्री मती पार्वती कृष्णन ( ) आपने श्री बख्तियार को लिखा और आपके खत के पहुंचने से पहले ही वह सत्ता से बाहर हो गए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो एक आम संदेश था । उस समय ईरान में सरकार बदलती नहीं थी ईरान के मामले में हमने मान्यता दी । लेकिन कम्पूचिया की स्थिति थोड़ी जटिल है—

एक कामनीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : लड़ाई अभी भी जारी है । इसमें गुणात्मक अन्तर है । ईरान के मामले में विदेशी ताकतों का कुछ हाथ नहीं था । मैं जानता हूं बंदला देश के साथ इसकी समानता की जा रही है । यह ठीक है कि भारतीय फौजें बंगला देश गई लेकिन हमने बंगला देश के राष्ट्रवाद का समर्थन किया और अपनी फौजे हटा ली । भारत सरकार चाहती है कि सरकार अपने पैरों पर खड़ी हो—

एक माननीय सदस्य : वह अपने में सक्षम है ।

अध्यक्ष महोदय : न जाने वहां कौन जाकर वापस आया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हो सकता है उनका आपस में कुछ प्रत्यक्ष सम्पर्क हों उनके कुछ अपने स्त्रोत हों लेकिन हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिलती है । पोल पोट सत्ता से हमारा कोई वास्ता नहीं । भारत के कोई राजनयिक संबंध नहीं और मैं प्रतिपक्ष दल को यह बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार पोल पोट शासन से राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहती थी लेकिन पोल पोट शासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ—**(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : एक महान रहस्य ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रश्न मत उठाइए जिनसे अनावश्यक विवाद हो ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पोल पोट शासन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जब वह न्यूयार्क में था—प्रधान मन्त्री से मिलने गया—इस बात अभी तक प्रचार नहीं किया गया है—प्रधान मन्त्री उनसे नाराज थे—

श्री सी० एम० स्टीफन : हमेशा की तरह ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमेशा की तरह नहीं । वह तो राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए आया था लेकिन चूंकि प्रधान मंत्री बुरी तरह नाराज थे इसलिए उसे जल्दी ही लौट जाना पड़ा और अब हम पर फजूल ही आरोप लगाया जा रहा है ।

आशा है भारत चीन के सम्बन्ध सामान्य होंगे । वियतनाम गणतंत्र के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । कुछ ही दिन पहले सभा ने वियतनाम के बहादुरों को श्रद्धांजली अर्पित की और हमने वियतनाम के साथ अपने संबंध और घनिष्ठ किए हैं लेकिन साथ ही हमने ए० एस० ई० ए० एन० देशों के साथ० भी बातचीत शुरू की है । केवल 17 देशों ने कम्पूचीया की सरकार को मान्यता दी है—

श्री कंवर लाल गुप्त : उनमें से कितने देश गुट निरपेक्ष हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारत एक रचनात्मक भूमिका अदा करना चाहता है और यदि हम अभी कम्पूचीया की सरकार को मान्यता दे देते हैं तो वह भूमिका भारत नहीं निभा सकेगा । हम एक पुल की भांति बनना चाहते हैं—

श्री मती पार्वती कृष्णन : एक तंग पुल

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गुट निरपेक्ष देशों की संस्या 88 है और कोलम्बों की बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्यों ने पश्चिम ऐशिया की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है कई सदस्यों ने गत सप्ताह वाशिंगटन में हस्ताक्षरित इजेरायल मिस्त्र संधि के बारे में भी उल्लेख किया है । उसके बाद बगदाद में हुई 16 अरब देशों की बैठक में एकमत से संधि का विरोध किया गया और उन्होंने मिस्त्र से संबंध तोड़ने का निर्णय किया है ।

मध्य पूर्व में जो स्थिति बन रही है उसके संबंध में मै भी सदस्यों के समान चिन्तित हूं लेकिन मै कुछ नहीं कर सकता । हम यही चाहते हैं कि इन संधियों के परिणाम स्वरूप अरब राष्ट्रों में तनाव न बढ़े ।

पश्चिम ऐशियाई समस्या के संबंध में हमारी स्थिति सब अच्छी तरह जानते हैं। हम इस विचार का समर्थन करते हैं। यदि शांति को दीर्घकालिक बनाना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मत से पारित संकल्प को व्यघटक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए

यह शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) अरब भूमि जिस पर 1967 से अवैध कब्जा कर रखा है खाली की जाए

(2) फिलिस्तीनियों की अपने देश में अपने भविष्य के निर्माण की आकांक्षा को पूरा करना और

(3) यदि उन शर्तों को पूरा किया जाता है तो उस क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की सीमाओं पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना।

जो संधियां भी गई हैं उसमें इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया एक व्यापक समाधान की सम्भावना संदेशपूर्ण है। पूर्व जेरूमसलम का इस संधि में उल्लेख तक नहीं है निसंदेश पश्चिम एशियाई समस्या अरब देशों के लिए सबसे अधिक चिन्ताजनक बात है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक गंभीर अंतराष्ट्रीय समस्या है यह अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरे में डाल सकती है और विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमें विश्वास है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समस्या का समाधान अपने प्रभाव के बल पर करा सकता है।

एक अवस्था में तो संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ दोनों ही पश्चिम एशियाई समस्या के समाधान हेतु मिलकर कोई हल ढूढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। बर्तमान तनाव पूर्ण स्थिति में सभी बड़ी शक्तियों को और राष्ट्रों को इजराइलियों पर दबाव डालकर इस समस्या को स्थायी रूप से हल करना चाहिए ऐसा समझौता करना जिसमें उपरोक्त सभी शर्तें आ जाएं। एक उचित और विशद समझौते को अब अधिक देर तक टाला नहीं जा सकता।

दुर्भाग्यवश पड़ौसी देशों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्धों की नीति पर भी आपत्ति की गई है भारत ने नेपाल के साथ व्यापार के संबंध में और मार्ग के संबंध में जो पृथक संधियां की हैं उस पर आपत्ति की है शायद उन्होंने वह संधि नहीं देखी जो 1971 में की गई थी संधि के दो भाग थे—एत भाग का संबंध व्यापार से था और दूसरे भाग का संबंध मार्ग से था।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह संधि तदनन्तर की गई गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने दो संधियां की है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि आपको दोनों में फर्क नहीं दिखाई देता तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों में अन्तर है हमने जो कुछ हमने किया है वह सोच समझकर ठीक ही किया है और नहीं मैं क्षमा मांगने की कोई आवश्यक्रता समझता

हूं । नेपाल एक स्थल रूद्ध देश हैं इसलिए व्यापार की शर्तें भिन्न हो सकती हैं क्या उन्हें इसकी आजादी नहीं। क्या उन्हें दूसरे देशों के साथ व्यापार का हक नहीं। प्रतिपक्ष के नेता एक ओर तो यह कहते हैं कि हमें छोटे देशों के साथ समानताका व्यवहार करना चाहिए और जब हम ऐसा करते तो उस पर भी वह आपत्ति करते हैं ।

इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत और नेपाल के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ है। पहली बार 30 वर्ष के दौरान नदी जल परियोजनाओं के बारे में कुछ ठोस प्रगति हुई है। बंगला देश के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है।

प्रो० समरगुह : बंगला देश के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानता हूं कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। हजारों व्यक्तियों को पीछे धकेला जा रहा है। ऐसा मत कहिए कि बंगला देश के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि मेरे माननीय मित्र प्रो0 गुह यह कहते है कि संबंधों में सुधार नही हुआ है तो मैं भी उतने दावे के साथ कहता हूं संबंधों में सुधार हुआ है।

प्रो0 समरगुह : संबंधों में सुधार नहीं हुआ है। हजारों आदमियों, औरतों और बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है । अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए है। वहां पर केवल इस्लामी कट्टरपन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे मित्र का बंगला देश की समस्या के साथ भावात्मक संबंध हैं क्योंकि वह वहां के रहने वाले हैं।

मैं इस बात से सहमत नहीं कि फरक्का समझौता के परिणाम स्वरुप कलकत्ता को प्राप्त होने वाले जल में कुछ कमी हुई है। मेरे पास नवीनतत आंकड़े है (**व्यवधान**) 1 मार्च से 10 मार्च तक भारत और बगला देश को फरक्का द्वारा कितना गंगा जल प्राप्त हुआ इस संबंध में नवीनतम आंकड़े मेरे पास है फरक्का में कुल क्यूसेक प्रवाह 99, 436 था और भारत को 38, 535 क्यूसेक जल प्राप्त हुआ तार्कि केवल 22,000 क्यूसोक।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : आपने हमें धोखा दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक कांग्रेसी सदस्य धोखे की बात कर रहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्रीमती गांधी सत्ता में थी तो उन्होंने फरक्का के संबंध में इससे भी कम मात्रा में जल लेना स्वीकार कर लिया था (**व्यवधान**)

मैं समस्या से अच्छी तरह परिचित है। समस्या यह है कि जल का प्रवाह किस प्रकार बढ़ाया जाए जिससे बंगला देश और भारत को समुचित मात्रा में जल प्राप्त हो सके । इसलिए हम दीर्घकालीक योंजनाओं पर विचार कर रहे है। इसलिए हम चाहते हैं कि नेपाल में बनाई जाने वाली नदी परियोजनाए जल्दी पूरी हो।

श्री लंका के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है (**व्यवधान**) जब मैं इस्लामाबाद की यात्रा पर गया था तो कोई आपत्ति नहीं की गई । ऐसा क्यों किया गया? क्या देश की राजनीति से इसका कुछ संमंध है यदि हम विश्व के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख सकते हैं तो एक देश को अलग क्यों किया जा रहा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह कौन सा देश हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जानते हैं श्री स्टीफन । मैं किसी से नहीं डरता मुझे भय है तो केवल एक बात का । विदेश नीति की सफलता देश की आंतरिक ताकत पर निर्भर करती है । और इस समय जैसाकि डा0 सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ठीक ही बताया भारत आर्थिक-प्रगति की दहलीज पर है (**व्यबधान**)

हमें भारत की ताकत उसकी क्षमता का कम मूल्यांकन नहीं करना चाहिए । हमें हीन भावना से ग्रस्त नहीं हना चाहिए । यदि मैंने पोकिंग जाने का निर्णय किया तो ऐसा मैंने आत्म-विश्वास से किया यह विश्वास हमें देश की विशाल जनता से प्राप्त होता है । औद्योगिक आधार भूत ढाँचा राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक

एक माननीय सदस्य : और जनता पार्टी की एकता

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और कांग्रेस दल की अनबन । हमारी स्थिति भी समान है । लेकिन विदेश नीति के मामले में तो राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए । मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं कि प्रत्येक सत्र में अंतराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए । मैं आलोचना का भी स्वागत करता हूं । यदि कोई रचनात्मक सुधार दिया जाता है उससे मैं लाभान्वित होना चाहता हूं लेकिन कृपया व्यर्थ का दोषारोपण न करें ।

मैंने जो बात प्रारम्भ में कही थी उसे फिर से दोहराना चाहता हूं । हम गलती कर सकते हैं लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान के हितों का संबंध है हम कभी भी उसके विरुद्ध काम नहीं करेगें ।

काश मेरे मित्र श्री राजनरायण यहां होते

श्री शरद यादव को भी मैं यहां नहीं देख रहा हूं । मैं किसी की पीठ के पीछे कुछ नहीं कहना चाहता हूं —ये बातें तो आमने-सामने की है । अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्र जो सत्तारूढ़ दल में आ गये है, अभी तक वास्तविका को नही समझे हैं । मैं जब विरोध दल में था, मैंने शिमला समझौते का विरोध किया था, लेकिन अब मैं शिमला समझौते को अमल में ला रहा हूं । लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं शिमला के बारे मुझे कोई नहीं टोक रहा है । लेकिन अगर मैं चीन जाता हूं अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए, तो मेरे ऊपर आरोप लगाये जाते हैं । चीन की यात्रा अमरीका के इशारे पर नहीं थी । पुरानी सरकार

ने जब यहां से राजदूत को पीकिंग भेजने में पहल की, तब किसी ने इस बात को नहीं कहा कि पहल नहीं करनीं चाहिए, पहले उनका राजदूत आना चाहिए...

श्री अटलविहारी वाजपेयी . इसका मतलब है उनका गज अलग हैं

श्री बसंत साठे : इससे उसकी क्या तुलना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1960 से **श्री** चाउ-एन-लाई भारत आये थे, इस बार भारत से किसी को जाना था। लेकिन यदि भारत इस बात पर बल देता कि पहले चीन से कोई नेता आना चाहिए, तो————

श्री बसंत साठे : यह बात नहीं थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यारब न समझे हैं और न समझेंगे मेरी बात अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का काफी समय लिया। बहुत से कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि कटौती प्रस्तावों पर जोर नहीं दिया जायगा। महोदय मैं कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया हूं

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय का बहुत अभाव है।

श्री भारत भूषण (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। एक बड़े महत्व की बात है—मुझे एक मिनट दे दीजिए। जब मंत्री महोदय बोल रहे थे, उस समय राज नारायण जी ने एक बात कही थी कि "आप देश को बिकवाना चाहते हैं", यह उन्होंने आपके लिए कहा था, इसलिए इन शब्दों को सदन के रिकार्ड से एक्सयन करा दीजिए। क्योंकि यह आक्षेप के तौर पर कहा गया है। आक्षेप मंत्रियों पर लगा सकते हैं, अध्यक्ष पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ये सभी संसदीय शब्द हैं।

अब विदेश मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता है ?

श्री राजगोपाल नायडू : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 16 को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारी अनन्तन। वे उपस्थित नहीं हैं। उसके पश्चात् श्री समर मुखर्जी, क्या आप अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 40 को छोड़कर जो कम्पुचिया को मान्यता देने के सम्बन्ध में है, अन्य कटौती प्रस्तावों पर जोर देना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री राजगोपाल नायडू अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 16 को मत विभाजन हेतु रखना चाहते हैं। वे अपने अन्य कटौती प्रस्तावों को वापिस लेना चाहते हैं। क्या उनके कटौती प्रस्ताव संख्या 15, 17, 18, 19 तथा 26 को वापिस करने के लिए सभा अपनी अनुमति देता है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

कटौती प्रस्ताव संख्या 15, 17, 18, 19 तथा 26 को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम उनके कटौती प्रस्ताव संख्या 16 को लेते हैं। दीर्घायें खाली कर ली गई हैं। अब मैं कटोती प्रस्ताव संख्या 16 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है : "कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० घटा दिये जाये।

(कम्पुचिया को मान्यता देने में असफलता (16)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विभाजन संख्या-12 2-4-79 17.54 बजे

पक्ष में

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कदम, श्री बी० पी०

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

कृष्णन्, श्रीमती पार्वती

किदवई, श्रीमती मोहसिना

किस्कू, श्री जदुनाथ

कोडियन, श्री पी० के०

गोगाई, श्री तरुण

गोडे, श्री संतोषराव

गोपाल, श्री के०

गोमांगों, श्री गिरिधर

गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब

जयलक्ष्मी, श्रीमती बी०

तुलसीराम, श्री वी०

थारेट, श्री भाऊ साहिब

धोंडगे, श्री केशवराव

नारायण, श्री के० एस०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

पाटिल, श्री विजय कुमार

पुजारी, श्री जनार्दन

बद्रीनारायण, श्री ए० आर०

बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ

भक्त, श्री मनोरंजन

भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न

मुखर्जी, श्री समर

मोहसिन, श्री एफ० एच०

रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी०

रामास्वामी, श्री के० एस०

राव, श्री जी० मल्लिकार्जुन

लास्कर, श्री निहार

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटा सुब्बैया, श्री पी०

शिव शंकर, श्री पी०

श्रंगारे, श्री टी० एस०

× सईद, मुर्तजा, श्री

साठे, श्री वसन्त

सान्याल, श्री शशांकसेखर

सुधीरन, श्री० बी० एम०

सुन्ना साहिब, श्री ए०

सूर्यनारायण, श्री के०

स्टीफन० श्री सी० एम०

हान्डे, श्री सी० जी०

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

× गलती से पक्ष में मतदान दिया गया ।

विपक्ष में

आरिफ बेग, श्री

कामत, श्री हरि विष्णु

कार, श्री सरत

कुन्डू, श्री समरेन्द्र

कुरील, श्री आर० एल०

कैलाश प्रकाश, श्री

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम

गंगा भक्त सिंह, श्री

गंगा सिंह, श्री

गुप्त, श्री कंवर लाल

गुह, श्री समर

गोदरा, चौ० हरी राम मक्कासर

गौडा, श्री एस० ननजेश

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ

चन्द्रावती, श्रीमती

चावड़ा, श्री के० एस०

चेतरी, श्री छत्र सिंह

चौधरी, श्री मोतीभाई आर०

चौहान, श्री भारत सिंह

जगजीवन राम, श्री

जायस्वाल, श्री अनन्तराम

जोशी, डा० मुरली मनोहर

तिवारी, श्री द्वारिकानाथ

तिवारी, श्री बृजभूषण

तिवारी, श्री रामानन्द

तेज प्रताप सिंह, श्री

त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश

दंडवते, प्रो० मधु

दानवे, श्री पुण्डलोक हरि

दुर्गाचन्द श्री

देशमुख, श्री राम प्रसाद

देसाई, श्री मोरार जी

नायक, श्री लक्ष्मीनारायण

नायर, डा० सुशीला

नेगी, श्री टी० एस०

पटनायक, श्री बीजू

पटेल, श्री एच० एम०

पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभ भाई

परमार, श्री नटवरलाल

पाटिल, श्री डी० वी०

पाटिल, श्री एस० डी०

फजलूर रहमान, श्री

बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी

बलदेव, प्रकाश डा०

बलवीर सिंह, चौधरी

बालकराम, श्री

बेरबा, श्री रामकंवर

भंवर, श्री भागीरथ

भारत भूषण, श्री

मंडल, श्री धनिक लाल

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह

महीलाल, श्री

मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली

मिरी, श्री गोविन्द राम

मृत्युजयं प्रसाद

मिश्र, श्री श्यामनन्दन

महालगी, श्री आर० के०

मेहता, श्री प्रसन्न भाई

यादव, श्री जगदंबी प्रसाद

यादव, श्री रामजी लाल

यादव, श्री शरद

यादवेन्द्रदत्त, श्री

राघव जी, श्री

राजदा, श्री रत्न सिंह

राम, श्री रामदेनी

राम किंकर, श्री

रामकिशन, श्री

रामजी सिंह, डा०

रामसागर, श्री

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री पी० बायप्पा

रांड्रिक्स, श्री रूड्रोलन

बर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद

बर्मा, श्री फूल चन्द

बर्मा, श्री बृजलाल

बर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

बर्मा, श्री रवीन्द्र

बाजपेयी श्री अटल बिहारी

शास्त्री, श्री भानु कुमार

शिव नारायण, श्री

शेज वलकर, श्री एन० के०

शेर सिंह, प्रो०

श्रीकृष्ण सिंह, श्री

पाडंगी, श्री रुद्र प्रताप

सक्सेना, प्रो० शिब्बनलाल

सत्यदेव सिंह, श्री

सारण, श्री दौलतराम

साय, श्री लारंग

सामन्त सिंहेरा, श्री पद्माचरण

सिन्हा, श्री एच० एल० पी०

सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण

सिन्हा, श्री सी० एम०

सैनी, श्री मनोहर लाल

सोमानी, श्री रूप लाल

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

हीराभाई, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्ययधीन मत विभाजन का परिणाम निम्नलिखित है :

पक्ष में—43

विपक्ष में—98

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारी अनन्त सभा में उपस्थित नहीं हैं । मैं उनके कटौती प्रस्ताव संख्या 34 से 39 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 34 से 39 मतदान हेतु रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी का प्रथम कटौती प्रस्ताव संख्या 40 अवरोधाधीन है ।

श्री समर मुखर्जी : मैं अपने अन्य संशोधनों को पेश करना नहीं चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 41 से 47 को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

**निम्नलिखित सदस्यों ने अपने मत रिकार्ड कराये :—

पक्ष में : सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, नन्दी पल्लैया ।

विपक्ष में : सर्वश्री मीठा लाल पटेल, चन्दन सिंह, माधव प्रसाद त्रिपाठी, रामापति सिंह नत्थू सिंह, मोहम्मद हपात अली सईद,

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोकराज उपस्थित नहीं हैं । मैं उनके कटौती प्रस्ताव संख्या 86 से 91 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं ।

कटौती प्रसतावों को मतदान हेतु रखा गया तथा अस्वीकृत हुए

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 92 तथा 94 को वापिस लेता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 92 तथा 94 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 31 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई विदेश मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूचि के सतम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से क्रमश: अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की पेय महंगाई भत्ते और पेंशन के पेंशन पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य

उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार तीनों रक्षा सेवाओं के कर्मिकों द्वारा लिए जा रहे मंहगाई भत्ते तथा पेंशन की युक्तियुक्त बनाने तथा उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही थी । इस संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों से सदन को अवगत कराने के लिए यह वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं ।

2. मेरे सहयोगी उप प्रधान मंत्री (वित्त) ने मंहगाई भत्ते से संबंधित अन्य बातों के बारे में निर्णयों की घोषणा की थी । तीनों सेनाओं के सभी रैंकों के कर्मिकों को इसी प्रकार के लाभ देने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे । मैं अपने सहयोगी, उप प्रधान मंत्री (वित्त) का आभारी हूं कि वे मेरे अनुरोध पर मंहगाई भत्ते तथा पेंशन से संबंधित कुछ लाभ देने के लिए सहमत हो गए हैं । मुख्य-मुख्य निर्णय ये हैं :—

(1) 30-9-1977 से सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 272 औसत सूचयांक पर मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाना ;

(2) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की छठी और सातवीं किस्तों का 1-12-1978 से 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की सूंची दर पर नकद भुगतान करना । मंहगाई भत्ते की भावी किस्तों के लिए भी यही दरें अपनाई जाएगी ।

(3) मंहगाई भत्ते की सीमा का पुनर्निधारण इस प्रकार किया गया है :—

(क) अतिरिक्त भत्ते की सातवीं किस्त 300 रुपए के बजाए 400 रुपए तक वेतन के 4 प्रतिशत पर मंहगाई भत्ता ;

(ख) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की सातवीं किस्त 900 रुपए के बजाए 1000 रुपए वेतन तक 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर से न्यूनतम 16 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगी ।

3. सामान्यतः, बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के परिणाम स्वरूप सभी रैंकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा । उदाहरणतः जवान के वेतन में लगभग दो वार्षिक वेतन वृद्धियों के बराबर और सुबेदार मेजर के वेतन में एक वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर की बढ़ोतरी हो जाएगी ।

4. रक्षा सेवा अफसरों के मामले में मंहगाई भत्ते के लिए 2,400 रुपए वेतन की वर्तमान सीमा से विशेष समस्याएं पैदा हो रही थी क्योंकि विभिन्न रैंकों और वरिष्ठताओं के अफसर एक बराबर अथवा लगभग बराबर परिलब्धियां ले रहे थे । अब इस सीमा को बढ़ा कर 2,750 रुपए कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप, ब्रिगेडियर, नौसेना कैप्टन और एयर कमोडोर के मंहगाई भत्ते में काफी वृद्धि हो जाएगी । मेजर जनरल, रीअर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल को भी मंहगाई भत्ता मिलेगा — जबकि उन्हें इससे पहले कुछ नहीं मिल रहा था —यद्यपि उनके सेड के अधिकतम पर यह राशि 150 रुपए प्रति मास तक सीमित रहेगी । लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल तथा उच्च रैंकों के अफसरों के लिए भी मंहगाई भत्ते की वही सीमा पहली बार स्वीकार्य होगी ।

5. तीनों रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के लिए पेंशन लाभ को भी उदार बनाया जा रहा है । इसमें सिविल की तुलना में अपेक्षाकृत उनके शीघ्र सेवानिवृत्त हो जाने की बात को मुख्यतः ध्यान में रख कर उन्हें पेंशन संबंधी कुछ और लाभ दिए गए हैं ।

6. जवान की सक्रिय सेवा की अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ लगभग 31 रुपए से 48 रुपए तक प्रतिमास होने की सम्भावना है । जवान के मामले में, राहत सहित, अब कुल मिलाकर पेंशन 151 रुपए से 188 रुपए तक प्रतिमास के बीच मिलने की संभावना है ।

7. एक हवलदार को 44 रुपए से 65 रुपए तक प्रति माम के बीच लाभ होगा —सेवा की अवधि के आधार पर अब उसे कुल मिलाकर 188 रुपए से 272 रुपए तक प्रति मास मिलेगा ।

8. एक सूबेदार मेजर को सेवा की अवधि के आधार पर 84 रुपए से लेकर 134 रुपए तक प्रतिमास का लाभ होने की संभावना है । इसके परिणामस्वरूप उनके मामले में संशोधित पेंशन और राहत मिलाकर 376 रुपए से 617 रुपए तक प्रतिमास होगी ।

9, इसी प्रकार विभिन्न अफसर रैंकों के वेतन में काफी वृद्धि हो जाने की संभावना है । थलसेना के एक लेफ्टिनेंट और अन्य दोनों सेवाओं के उनके समकक्ष अफसरों को पेंशन और राहत मिलाकर कुल 625 रुपए प्रति मास मिलने की संभावना है ।

10. थलसेना के मेजर, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर और वायु सेना के स्कवाइन लीडर को पेंशन एवं राहत मिलाकर कुल 975 रुपए प्रति मास मिलेगा ।

11. थलसेना के ले० कर्नल, नौ सेना के कमांडर और वायु सेना के विंग-कमांडर को पेंशन एवं राहत मिलाकर 1,050 रुपए प्रति मास मिलेगा ।

12. मंहगाई भत्ते की सामान्य सीमा को रु० 1500/- प्रतिमाह तक बढ़ा दिए जाने से उच्च रैंकों के अफसरों को सेवा की अवधि में उनके अन्तिम वेतन का पूरा लाभ देना सम्भव हो सकेगा जबकि इससे पहले उसकी गणना नहीं की जाती थी ।

13. संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत, तीनों सेनाओं के संबंधित रैंकों के अफसर (1) मेजर जनरल, रीअर एडमिरल और एयर मार्शल तथा (2) ले० जनरल वाइस एडमिरल और एयर एयर मार्शल को मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई सामान्य सीमा का लाभ मिलेगा और इसके अतिरिक्त उन्हें उनके समकक्ष सिविलियन अफसरों की तुलना में पहले सेवानिवृत्त होने की बात का विशेष ध्यान रखकर उसका भी लाभ दिया जाएगा ।

14. इस प्रकार, मेजर जनरल, रीअर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल को पेंशन और राहत मिलाकर कुल 1,375 रुपए प्रतिमास मिलेगा ।

15. ले० जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल को पेंशन तथा राहत मिलाकर 1,475 रुपए प्रतिमास मिलेगा ।

16. थलसेना कमांडर और उसके बराबर ही विशेष वेतन पाने वाले उसके समकक्ष अफसर को 1,500/- रुपए प्रतिमास नयी सामान्य अधिकतम पेंशन एवं राहत मिलेगी ; जिसमें सीमांतक राहत भी शामिल है ।

17. पेंशन की अधिकतम राशि के ऊपर चीफस आफ स्टाफ को देय पेंशन में वर्तमान लाभ को नई व्यवस्था में बनाया रखा जाएगा ।

18. तदनुसार ब्यौरेवार आदेश तैयार किए जा रहे हैं । यद्यपि, अन्तिम रूप से तैयार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं फिर भी, मैंने यह उपयुक्त समझा कि इस वक्तव्य में कुछ उदाहरण दूं जिनसे सदन को मोटे तौर पर यह जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार के तथा कितनी मात्रा में संशोधन किए जा रहे हैं ।

16. नई पेंशन की दरें उसी तारिख से लागू की जाएंगी जिस तारिख से सिविल सेवाओं के लिए लागू की गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात् 18.04 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा 3 अप्रैल, 1979/13 चैत्र 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)